लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : चार रुपये

Price: Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 25, मंगलवार 28 मार्च, 1978 /7 चैत्र, 1900 (शक)

No. 25, Tuesday, March 28, 1978/Chaitra 7, 1900 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions:	
*तारांकित प्रश्न संख्या 469 से 471, 473, 474 और 476	*Starred Questions Nos. 469 to 471, 473, 474 and 476	1–15
नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions:	
तारांकित प्रश्न संख्या 472, 475 और 477 से 489	Starred Question Nos. 472, 475 and 477 to 489	15–23
अतारांकित प्रश्न संख्या 4438 से 4497, 4499 से 4538, 4540 से 4548और 4550 से 4637	Unstarred Questions Nos. 4438 to 4497, 4499 to 4538, 4540 to 4548 and 4550 to 4637	23–147
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	Re. Adjournment Motions	147
पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	147–148
27–3–78 की कार्यवाही के निकाले जाने के बारे में	Re. Expunctions in the Proceedings dated 27-3-78	149
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा उपकुलपति, कुछ संकायाध्यक्षों तथा प्राध्यापकों के साथ दुर्व्यहार का कथित समाचार	Reported Misbehaviour with the Vice-Chanceller and some of the Deans and Professors by the Students in Delhi University—	
श्री नाथु सिंह	Shri Nathu Singh	150–151
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	Dr. Pratap Chandra Chunder	150–153
श्री विनायक प्रसाद यादव	Shri Vinayak Prasad Yadav	152
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	152
श्री विजय कुमार मल्होत्रा	Shri Vijay Kumar Malhotra	152–153
श्री बेदव्रत बरूआ	Shri Bedabrata Barua	153

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

-117 L.S.S. (N.D.)/78.

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	154
13 वां और 14 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किये गये	13th & 14th Reports and Minutes Presented	
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	
(एक) प्रतापगढ़ में पुल तथा बांध बनाने की आवश्यकता—	(i) Need to construct bridges and dams in Pratapgarh—	
श्री रूपनाथ सिंह यादव	Shri Roop Nath Singh Yadav	154
(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड, हरिद्वार, के श्रमिकों पर गोली चलाये जाने का कथित समाचार	(ii) Reported Firing on the Workers of Bharat Heavy Electricals Ltd. Hardwar	154
(तीन) कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद	(iii) Boundary Dispute between Karnataka and Maharashtra	155
(चार) अल्प संख्यक आयोग	(iv) Minorities Commission Delhi	155
(पांच) दिल्ली में जहरीली शराब के मामले	(v) Liquor Poisioning Cases in Delhi	155
अनुदानों की मांगें, 1978-79—	Demands for Grants, 1978-79—	
उद्योग मंत्रालय—	Ministry of Industry	
श्री टी० ए० पई	Shri T. A. Pai	156–158
डा० बापू कालदाते	Dr. Bapu Kaldate	158–159
श्री पी० त्यागराजन	Shri P. Thiagarajan	159–160
श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal	160–161
श्री जर्नादन पुजारी	Shri Janardhana Poojary	161–162
डा० वसंत कुमार पंडित	Dr. Vasant Kumar Pandit	162–163
श्री बेदब्रत बरूआ	Shri Bedbrata Barua	163–164
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	164–165
श्री पुर्ण नारायण सिन्हा	Shri Purnea Narain Sinha	165
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	165–167
डा० बलदेव प्रकाश	Dr. Baldev Prakash	167–168
श्री दुर्गा चन्द्र	Shri Durga Chand	168
श्री पी० राजगोपाल नायडु	Shri P. Rajagopal Naidu	168–170
श्री के० ए० राजन	Shri K. A. Rajan	170
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	Shri Yamuna Prasad Shastri	171–172
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	172–173
श्री धर्मवीर वशिष्ठ	Shri Dharma Vir Vasisht	173–174
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	174

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 28 मार्च, 1978/7 चैत्र, 1900 (शक)
Tuesday, March 28, 1978/ Chaitra 7, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

स्वदेशी पोलीटैक्स लिमिटेड का निदेशक बोर्ड

*469. **श्री के० लकप्पा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी पोलीटैक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या है ; और

(ख) मुख्य शेयरधारियों के नाम क्या है और प्रत्येक के पास कितने मूल्य के शेअर है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ख) : निदेशकों तथा मुख्य हिस्सेधारियों के नाम तथा उनके द्वारा धारित हिस्सों के मूल्य प्रदर्शित करते हुये विवरण पत्र 1 तथा 2(भाग क से घ) सदन के पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1936/78।]**

श्री के० लकप्पा : महोदय यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने अतारांकित प्रश्न 2688 में पूछा था कि क्या सरकार को स्वदेशी पोलीटैक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में कुप्रबन्ध को कुछ शिकायतें मिली हैं और मंत्रीजी ने 14 मार्च, 1978 को उत्तर में कहा था कि कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक और उसके पुत्र के विरुद्ध ये शिकायतें मिली है : (1) कुप्रबन्धन, (2) हालांकि 1974-75 के दौरान घाटा दिखाया गया है पर वे अत्यधिक धन खर्च कर रहे है, (3) शेयर होल्डरों के हितों पर कुठाराघात करके ओछे ढंग से बहुत पैसा कमा रहे है, (4) काला बाजार करते है, (5) कम्पनी के खर्च पर

व्यक्तिगत प्रयोग के लिए चांदी के बर्तन खरीदे; (6) कर अपवंचन, (7) 6 कीमती कारें रखी हुई है, (8) विक्रय संवर्धन व्यय के रूप में छिपाकर धन बचा रहे है । इस प्रकार की शिकायत है । इस तारांकित प्रश्न को मैंने थोड़ा बदल कर पूछा है कि निदेशक बोर्ड का गठन किस प्रकार का है और शेयर-होल्डरों के नाम क्या है ।

स्वदेशी पोलीटैक्स लि०, गाजियाबाद को 1969 में कानपुर को स्वदशो कॉटन मिलस् ने स्थापित किया था । इस के स्थापित होने के तुरन्त बाद श्री सीताराम जयपुरिया ने उसका प्रबन्ध सम्भाल लिया और स्वदेशो काटन मिल्स को ओर से वह निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधि है । स्वदेशो पोलोटैक्स लिमिटेड में उनके 10 रु० के प्रत्येक शेयर के हिसाब से 2200 इक्विटो शेयर हैं । स्वदेशो काटन मिल्स के 10 रु० के प्रत्येक शेयर के हिसाब से 39 लाख शेयर के कुल प्रदत्त और पूंजी देय शेयरों में उनका समर्पन नहीं रहा है । लेकिन चूंकि बहुत से सरकारी संस्थानों ने जिन्हें कम्पनो के शेयर लिए हुए हैं, उन्हें संरक्षण दे रखा है इसलिए श्री सीताराम जयपुरिया कम्पनी के प्रबन्धकों में हैं । वह कम्पनो पर पूरो तरह छाये हुए हैं और शेयरों पर अधिकार कर के न केवल अन्य शेयर होल्डरों का पैसा वरन् अन्य वित्तोय संस्थानों द्वारा किए गये निवेश को लूट रहे हैं । स्वदेशी कॉटन मिल्स में भंयकर असंतोष है और बहुत से श्रमिक वहां मारे गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री के० लकप्पा : लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध नहीं की गई है । इससे स्पष्ट है श्री सीताराम जयपुरिया की भारत सरकार और विशेषकर कम्पनी कार्य मंत्रालय की आपस में मिलो भगत है । मंत्रालय भी केवल प्रबन्धकों की सहायता करता है । उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री उसी निर्वाचन क्षेत्र में हैं । वह भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे । अतः मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस कम्पनी को और स्वदेशी काटन मिल्स कानपुर को श्री सीताराम जयपुरिया के कुप्रबन्ध से बचायेगी ?

श्री शांति भूषण : ऐसा लगता है सदस्य महोदय दोनों कम्पनियों को मिला रहे हैं । दोनों कम्पनियों का नाम 'स्वदेशी' से शुरू होता है । लेकिन ये दोनों कम्पनियां अलग-अलग प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन हैं ......

श्री वयालार रवि : लेकिन मुख्य शेयर होल्डर तो दोनों में वही हैं ।

श्री शांति भूषण : माननीय सदस्य ने जो श्रमिक असंतोष और श्रमिकों के मारे जाने की बात कही है वह स्वदेशी काटन मिल्स की घटना है जो स्वदेशी पोलोटैक्स लिमिटेड से बिल्कुल अलग कम्पनी है ।

(व्यवधान...........)

श्री के० लकप्पा : वह गलत जानकारी दे रहे हैं ।

श्री शांति भूषण : मैंने कहा है कि स्वदेशी पोलोटैक्स लिमिटेड के प्रबन्ध बोर्ड के कुप्रबन्ध की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । कुछ अनाम शिकायतें मिली हैं । कुछ शिकायतें स्वदेशी कॉटन मिल्स के प्रबन्धकों ने स्वदेशी पोलोटैक्स लिमिटेड के विरुद्ध की हैं ।

जब किसो कम्पनी के प्रबन्ध बोर्ड के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं तो सरकार कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अधीन सरकारी निदेशक नियुक्त करती है । लेकिन शिकायतों को जांच किये बिना और प्रबन्धकों को अपनो बात कहने का अवसर दिये बिना कम्पनो विधि बोर्ड धारा 408 के अधोन कार्यवाही नहीं करता । सबसे पहले कम्पनी अधिनियम को धारा 209क के अधीन कम्पनी के खातों की जांच की जाती है जिनसे पता चलता है कि शिकायतें ठोक हैं या नहीं । स्वदेशी पोलीटैक्स लिमिटेड के खातों की भी जांच के आदेश दिये गये है और यह काम अप्रैल तक पूरा हो जायेगा । तब मामले को कम्पनो विधि बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा। कम्पनो के प्रबन्ध बोर्ड को भी स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया है । कम्पनो विधि बोर्ड सारे मामले की जांच के बाद अपना फैसला देगा ।

यह आरोप बिल्कुल गलत है कि स्वदेशो पोलोटैक्स के प्रबन्ध निदेशक श्री सीताराम जयपुरिया की विधि मंत्रालय और कम्पनो कार्य विभाग से सांठगांठ है ।

श्री के० लकप्पा : मेरे मित्र ने सभा को ठीक जानकारी नहीं दो है । स्वदेशी पोलीटैक्स, गाजियाबाद को 1969 में स्वदेशी कॉटन मिल्स द्वारा स्थापित किया गया था । जयपुरिया ने इसे लाभकारो कम्पनो देखकर खुद ले लिया । उन्होंने जालो खाते पेश करके घाटा दिखाया है । वह एक कम्पनी का धन दूसरो कम्पनी में डालते रहते हैं । इस तरह स्वदेशो कॉटन मिल्स को कार्य के अयोग्य बना दिया जिससे मिल में श्रमिक असंतोष है । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री उन्हें संरक्षण दे रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइये ।

श्री के० लकप्पा : विधि मंत्रालय श्रो सोता राम जयपुरिया के दुष्कृत्यों और कुप्रबन्ध को संरक्षण दे रहा है। क्या आप इस बारे में पूरी तरह जांच करायेंगे ? क्या ये आप सरकार को सुझाव देंगे कि रुग्ण स्वदेशी काटन मिल्स को सरकारो अधिकार में ले लिया और जनता का तथा शेयर होल्डरों का धन बर्बाद न हो ?

श्री शांति भूषण : माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को पूरो तरह से नही समझा है । मैंने यह नहो कहा कि इन दो कम्पनियों के चबी कोई आपसी सम्बन्ध नहीं है ।

श्री के० लकप्पा : यदि इन दो कम्पनियों के बीच कोई सम्बन्ध नही तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : तो सभा के अन्दर कोई शोर नहो होगा ।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय मुझे चुनौति दे रहे हैं ....

अध्यक्ष महोदय : ये कहते है कि सम्बन्ध है ।

श्री शांति भूषण : मैं कह रहा हूं कि सम्बन्ध है । मैं जानता हूं कि दोनों कम्पनियों के बीच सम्बन्ध है। मैं जानता हूं कि स्वदेशी काटन मिल्स के स्वदेशी पोलीटैक्स लिमिटेड में 39 लाख रुपये में से 10 लाख रुपये के इक्विटो शेयर हैं । मैं यही कह रहा हूं।

इन के बीच ये सम्बन्ध हैं । मैंने यही कहा है कि प्रबन्ध पृथक हैं । मैं माननीय सदस्य को सूचना के लिये कहना चाहता हूं कि प्रबन्ध न केवल पृथक है बल्कि इन दोनों कम्पनियों के आपसी सम्बन्ध ठीक नही हैं यद्यपी ये दोनों एक ही परिवार से सम्बन्धित हैं। दो भाईयां में से श्री सीताराम जयपुरिया स्वदेशी पोलीटैक्स लिमिटेड में है और उनके भाई श्री राजाराम जयपुरिया स्वदेशी काटन मिल्स में हैं दुर्भाग्यवश ये दोनों भाई आपस में लड़ रह हैं । उनके आपस में मुकदमेबाजी चल रही है।

स्वदेशी काटन मिल्स में कुप्रबन्ध तथा श्रमिक असंतोष है । वहां पर गोलिया भी चलीं तथा कई लोग मरे भी थे । इन 10 लाख रुपये के शेयरों का क्या बना ? स्वदेशी काटन मिल्स ने 97 लाख रुपये का बिजली का बिल नही दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने वसूली के लिये किसी रिसीवर की नियुक्ति की थी । रिसीवर ने इन 10 लाख रुपये के शेयरों को बिक्री के लिये रखा। बलारपुर लिमिटेड नामक कम्पनी ने इन 10 लाख रुपये के शेयरों के लिये अनुरोध किया । उत्तर प्रदेश सरकार ने एकाधिकार तथा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति लेने की जिम्मेवारी ग्राहक को सौंपी । उस ग्राहक ने धारा 372 के अन्तर्गत कम्पनी कार्य विभाग को स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र नही दिया । जब भी प्रार्थना पत्र आये, उस पर विचार किया जायेगा ।

जहां तक इसे अधिकार में लेने का प्रश्न है, मैं इसका उत्तर एक अतारांकित प्रश्न में दे चुका हूं । मैंने कहा है कि मामला विचाराधीन है ।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये कि उत्तर प्रदेश सरकार को 10 लाख रुपये के बिजली के बिल को निपटाना है और इसके बेचने के लिये टेंडर मांगे जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि पोलीटैक्स कम्पनी बहुत अच्छी दशा में है और अच्छा लाभ कमा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार का 10 लाख रुपये के शयरों पर नियंत्रण है । क्या सरकार इसका ध्यान रखगी कि इन शेयरों को एकाधिकार गृहों को न बेचा जाये बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने पास रखे । क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस कारखाने पर अधिक नियंत्रण रखेगी ?

श्री शांति भूषण : माननीय सदस्य ने कहा है कि स्वदेशी पोलीटेक्स का प्रबन्ध बहुत अच्छा है । मेरा उनसे इस मामले में कुछ मतभेद हो सकता है ।

एकाधिकार अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम में व्यवस्था है कि सरकार की स्वीकृति होनी चाहिये । लेकिन जब तक सरकार को प्रार्थना पत्र प्राप्त न हो तो सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती । जब भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हो, इस पर विचार किया जायेगा ।

Shri Sharad Yadav: I raised this issue under rule 377. Shareholders of the Swadeshi Polytex, Gaziabad obtained injunction of the court to appoint another man there. A retired Chief Justice of High Court was appointed Chairman of the company that he was gheraoed there. Even then no action was taken against them. I want to know whether the Hon. Minister is aware of it and whether any enquiry will be conducted against them?

श्री शांति भूषण : माननीय सदस्य किस संस्था के बारे में बात कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रासंगिक नही है ।

श्री चित्त बसु : मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय यह मान गये हैं कि दोनों कम्पनियों के बीच सम्बन्ध हैं । लेकिन मैं जानना चाहता हू कि क्या इस प्रकार के सम्बन्ध जयपुरिया गृह द्वारा पांडीचेरी, उदयपुर, नैनी तथा रायबरेली में चलाये जा रहे कारखानों के बीच भी हैं ?

क्या यह स्पष्ट है कि जयपुरिया गृह देश के भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न कम्पनियां चला रहा है जो स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर द्वारा अर्जित राशि का उपयोग कर रहे हैं ।

क्या मंत्री महोदय कम्पनी अधिनियम की धारा 408 का उपयोग सभी कम्पनियों पर लागू करना उचित समझते हैं ताकि कोई कुप्रबन्ध न हो ।

श्री शांति भूषण : अब माननीय सदस्य पांडिचेरी, नैनी तथा रायबरेली के एककों की बात कर रहे हैं । ये स्वदेशी कॉटन मिल्स लिमिटेड के औद्योगिक एकक हैं । स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड इस कम्पनी का एकक नहीं है । यह बिल्कुल भिन्न कम्पनी है ।

जहां तक इन एककों धारा 408 के अन्तर्गत कार्यवाही करने आदि आदि का सम्बन्ध है, यह मामला कम्पनी विधि बोर्ड ने अपने हाथ में लिया था जो उचित जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सरकारी निदेशकों की नियुक्ति धारा 408 के अन्तर्गत की जाये । इस बारे में आदेश भी जारी किया गया लेकिन स्वदेशी कॉटन मिल्स के प्रबन्ध ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जो स्वीकार की गयी और उस आदेश को रोक दिया गया । याचिका अभी भी निर्णयाधीन है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं पोलिटक्स के बारे में कुछ नहीं जानता लेकिन इस कम्पनी में बहुत कुप्रबन्ध और गबन है । क्या मंत्री महोदय को इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरी बात यह है कि सरकार, बैंकों तथा बीमा कम्पनियों ने 15 लाख रुपये के शेयर खरीदे हैं और युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ने 7 लाख रुपये के शेयर खरीदे हैं । इनका कुल जोड़ 63 लाख रुपये हैं ।

अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह मामले की जांच करने के लिये वित्त मंत्री को लिखेंगे और यह पूछेंगे कि जीवन बीमा निगम जैसी संस्थानों को ऐसे प्रबन्धकों से इतने अधिक शेयर खरीदने को अनुमति क्यों दी ?

श्री शांति भूषण : जैसाकि मैंने पहले कहा कि स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के कुप्रबन्ध के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं । परन्तु जैसा कि मैंने कहा है कि वे दो भाई हैं—एक भाई एक कम्पनी के प्रबन्ध में है और दूसरा भाई दूसरी कम्पनी के प्रबन्ध में है । ये आरोप कम्पनी के मामलों के कुप्रबन्ध से सम्बन्धित हैं बीमा लाभ कमाने से सम्बन्धित हैं जबकि वर्ष 1974-75 के लेखों से उनकी हेराफेरी के कारण भारी हानि का पता चलता है । इस तरह उन्होंने गलत तरीकों से भारी धन कमाया है जो शेयरधारियों के हितों के विरुद्ध है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : वास्तविक शिकायत क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दिये गये उत्तर से पढ़ा है । उन्होंने पहले एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर दोहराया है । मंत्री वही बात दोहरा रहे हैं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह एक गम्भीर मामला है जिसमें कम्पनी के कुप्रबन्ध के कारण 3 लाख रुपये का मामला निहित है ।

श्री शांति भूषण : मैंने पहले ही कहा है कि स्वदेशी पोलिटेक्स के निरोक्षण की जांच का आदेश दिया गया है । प्रतिवेदन की अप्रैल में मिलने की सम्भावना है और उसके बाद ही कार्यवाही करने या न करने का प्रश्न उठगा ।

प्राप्त कर्ताओं द्वारा माल का न उठाया जाना

***470. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे से बुक की गयी बड़ी मात्रा में वस्तुयें प्राप्तकर्ताओं द्वारा समय पर नहीं उठायी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत बारह महीनों में औसतन कितनी मात्रा तथा मूल्य की वस्तुयों समय पर नहीं उठायी गयीं और उन पर विलम्ब शुल्क कितना वसूल किया गया ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस प्रकार विलम्ब से माल उठाना भी जमाखोरी की एक अप्रत्यक्ष प्रणाली है जिससे विलम्ब शुल्क की तुलना नें मूल्य वृद्धि काफी अधिक होती है ; और

(घ) यदि हां, तो एसी बुरी पद्धति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) व्यापारियों द्वारा रेल परिसरों का गोदामों के रूप में उपयोग करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किये गये है जिनमें एन्टी टैलिस्कोपिक आधार पर विलम्ब शुल्क/स्थान शुल्क प्रभार लगाना मान्यता प्राप्त वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के जरिये परेषणों को शीघ्र निकासी के लिए व्यापारियों पर दबाव डालना और पारगमन की समाप्त के सात दिन के बाद अनिवार्य वस्तुओं का अधिसूचित स्टेशनों पर राज्य सरकारों के माध्यम से बेच दिया जाना शामिल है ।

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : श्रीमान, प्रश्न के उत्तर के भाग (घ) में इस प्रकार कहा गया है । "व्यापारियों द्वारा रेल परिसरों का गोदामों के रूप में उपयोग करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए है, जिन में विलम्ब शुल्क आदि सम्मिलित है ।"

यदि यह सही उत्तर है तो फिर उत्तर के भाग (क) में "नहीं श्रीमान" कहना गलत है । यदि यह सही है कि रेल द्वारा बड़ी मात्रा में बुक किए गए सामान को सामान के मालिक द्वारा नहीं उठाया जाने का कोई मामला नहीं है तो फिर व्यापारियों द्वारा रेल परिसरों को गोदामों के रूप में उपयोग करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है । उत्तर परस्पर विरोधी हैं ।

मैं माननीय रेल मंत्री से जानना चाहता हूं कि व्यापारियों की इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाय गए है ।

प्रो० मधु दंडवत : सर्व प्रथम मैं यह बता दूं कि उत्तर के भाग (क) तथा अन्य भागों में कोई परस्पर विरोधी बात नहीं है । आपने पूछा है कि "क्या यह सही है कि रेलवे से बुक की गई बड़ी मात्रा में वस्तुए प्राप्तकर्ताओं द्वारा समय पर नहीं उठायी जाती हैं "। निःसंदेह प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली कुछ वस्तुओं के मामले में कुछ कठिनाइयां है, किन्तु उनकी संख्या बड़ी नहीं है । मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम पहले ही कुछ कदम उठा रहे हैं । ऐसे कई कारण हैं, जिनस ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं । कभी कभी ऐसा होता है कि प्राप्तकर्ताओं के पास गोदामों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती । कभी कभी उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होती । कभी कभी आर० आर० मिलने में असाधारण विलम्ब हो जाता है और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी मामले हैं, जिनमें बेईमान व्यापारी जानबूझकर वहां से अपना माल नहीं उठाते ताकि कृत्रिम कमी पैदा की जा सके और फिर वे ऐसी स्थिति का लाभ उठा सके । इस स्थिति का सामना करने के लिए मैंने उत्तर के (घ) भाग में प्रस्तावित कदमों का उल्लेख किया है ।

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : खाद्यान्नों को वहां से हटाने में होने वाले विलम्ब के कारण जनसाधारण को बहुत कठिनाइयां होती है। कृत्रिम कमी पैदा की जाती है और इसके फलस्वरूप कीमतों में बढ़ौतरी हो जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन खाद्यान्नों की मूल्य में 20 प्रतिशत की कमी करके सहकारी समितियों [तथा नागरिक पूर्ति विभाग की दे देगी जिन्हे व्यापारियों द्वारा रेलवे परिसरों से नहीं हटाया जाता । इससे जानबूझकर विलम्ब करने वाले प्राप्तकर्ताओं की दण्ड दिया जा सकेगा ।

प्रो० मधु दंडवते : सबसे प्रभावी उपाय यह होगा कि यदि कोई प्राप्तकर्ता 7 दिनों के अन्दर अपने सामान को वहां से नहीं उठाता तो ऐसे में हम सारा सामान राज्य को दे देंगे और हम राज्य सरकार से उम्मीद करेंगे कि वह उस माल को नीलामी कर देगी । इससे लोगों को वह सामान कम कीमत पर भी मिल सकता है ।

Shri Phirangi Prasad : You have said that the goods which have not been cleared within a week, will be auctioned. I want to know whether those goods will be sold at market price or Government will fix its sale price ?

Prof. Madhu Dandavate : I have already said that such all goods are handed over to the State Government for auction purpose. I cannot say how much money will come from auction. But certainly it will be less than its price in market. Otherwise nobody will come forward to give his bid. So it is clear that in auction it will be sold at less price.

Shri Kalyan Jain : Several officers of your Ministry are empowered to condon demmurage charges, but they are misusing their power. The traders through railway hoard the goods. Therefore, I want to know whether this power of condoning demmurage charges will be taken back from those officers and whether the goods will be auctioned if those are not lifted within the stipulated time ?

Prof. Madhu Dandavate : If due to wrong on the part of Railway Administration the traders have to pay more demmurage in such cases those officers are empowered to give some concession to the traders in the matter of demmurage. But today the situation is quite different because the consignees do not lift their consignments due to some reasons. In such cases we should increase the rate of demmurage. There is no question to reduce it.

मानार्थ (कम्पलीमेंटरी) पास

*471. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1976 तथा 1977 के दौरान बहुत बड़ी संख्या में मानार्थ (कम्लीमेंटरी) पास दिए गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976 और 1977 में ये पास जिन व्यक्तियों और सगठनों को दिए गए उनके नाम क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) दो विवरण सभा पटल पर रख दिये गये हैं । [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1937/78**] ।

Shri Lakhan Lal Kapoor : The Hon. Minister in his reply has said that during the regim of the previous Government 270 first classes and 52 second class complimentary passes were issued during the year 1976. In the beginnig of the year 1977, 157 first class complimentary passes and 38 second class complimentary passes were issued and in the beginning of the year 1976, 78 first class complimentary passes and 10 second class complimentary passes were issued. From the list he furnished it seems that very few organisations were voluntary which have been issued complimentary passes and very few distinguished persons have been issued such passes. Most of the passes have been given to different individuals.

Prof. Madhu Dandavate : I do not want to make allegations against any one, but I am furnishing the factual position before the House. When I went through the old records, I found that such passes have been issued to individuals and to the organisations. But after Janata Party came to power, we have fixed three new criterian for issuing complimentary passes.

(1) सामाजिक, सांस्कृतिक वैज्ञानिक साहित्यिक तथा शैक्षणिक गतिविधियों में लगी संस्थाएं तथा संगठन तथा जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करेंगी ।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े तथा उपेक्षित वर्गों, महिलाओं, अंधो तथा विकलांग व्यक्तियों की सेवाओं में लगे संगठन ।

(3) राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में लगे विशिष्ठ व्यक्ति । जिन कार्यों के लिए उन्हें प्राय: यात्राएं करनी पड़ती हैं ।

After fixing these new norms we examined the old records. The number of passes shown in the first table were issued in 1976-77 and before that. But the number of those passes is 531 passes of first class and 107 of second class which were to be continued for 1976-77. The total number of such passes comes to 638. During the erstwhile administration 638 passes were issued. We have decided to issue such passes only to those organisations which are engaged in research work and which are of All India character. We have reduced the number of such passes drastically. We have issued only 88 passes.

Previously the passes were given to a good number of individuals while in the new list the passes have been issued mostly to the organisations.

Shri Lakhan Lal Kapoor: I agree with the criteria fixed for issuing complimentary passes to voluntary organisation and distinguished persons but at the same time I want to know whether the Ministry is satisfied with the work of those organisations and individual persons who have been issued such passes. What is the criteria fixed for making assessment of their work and what is the machinery to see that they are doing good work.

Prof. Madhu Dandavate: Whenever we get the application from any organisation or individual person, we find out whether the members of that organisation are working in the entire country or not. We try our best to get the information about those organisations. We try to know how many times that organisation made visits who applies for complimentary passes.

Sometimes the information on the basis of which the passes are issued, proves wrong. In such cases we tell that organisation that since your organisation is not working at All India level, so we are withdrawing your passes.

श्री हितेन्द्र देसाई : क्या सरकार व्यक्तिगत रूप से पास देने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

प्रो० मधु दंडवते : यह कार्यवाही हेतु सुझाव है, किन्तु मैं इतना अवश्य बता दूं कि इसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उन व्यक्तियों के वर्गों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कही ऐसे विद्वान तथा अनुसंधान कर्ता हैं जो राष्ट्रीय स्तर की ख्याति के हैं। उन्हें किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए यदि कोई साहित्यकार भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास लिख रहा हो तो उसे देश के चारों ओर यात्रा पर जाना होता है। यदि वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है तो उसे सुविधा अवश्य दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी के सचिव, श्री प्यारेलाल जी को साहित्यिक कार्यों के लिए कई स्थानो की यात्रा करनी पड़ी। मुझे पूरा विश्वास है कि सभा इस बात को स्वीकार करेगी कि प्यारेलालजी राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं। इसलिए कुछ लोगों के लिए तो यह व्यवस्था बनी रहेगी। अन्यथा आमतौर पर हम उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं।

Conversion of Gwalior-Etawa Line to Broad Gauge

†*473. **Shri Bharat Singh Chauhan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether with a view to increase transport facilities in the Gwalior region, the Madhya Pradesh Government have submitted proposals for the conversion of Gwalior-Etawa via Bhind, Gwalior-Guna via Shivpuri and Gwalior-Sawaimadhopur via Sheopur railway lines into broad gauge lines; and

(b) if so, the action being taken by the Central Government to include these proposals in the scheme for laying these new railway lines ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (b) : A statement is laid on the Table.

Statement

Yes. The Government of Madhya Pradesh was advised that Gwalior-Bhind and Gwalior-Sheopur Kalan N.G. lines offer very little traffic and their conversion into broad gauge and their extension to Itawah and Sawaimadhopur would not be justified at the present juncture as the limited resources available with the Railways are not sufficient even for completion of the works already in hand. Gwalior-Shivpuri and narrow gauge branch line had been consistently running in loss and had to be closed down and dismantled in August 1975 because of severe road competition. The suggestion of the Government of Madhya Pradesh for conversion/construction of railway lines in Gwalior area will, however, be given due consideration when there is some improvement in the availability of resources and Railways are in a position to take up new projects in backward areas of the country.

Shri Bharat Singh Chauhan : From the statement of the Minister it appears that broad-gauge line is necessary for the development of that area. The Minister has also felt that on the availability of resources this matter will be considered. I want to know by what time the resources will be made available so that that area could be developed ? The Hon. Minister has not told us about the stipulated time in this regard.

Prof. Madhu Dandavate : At present I cannot say anything about the stipulated period, but several times I have repeated in the House that we have made a suggestion to set up a Development Fund in order to make more funds available for constructing new railway lines. The Finance Ministry and the Planning Commission will consider that suggestion. We have set up a team of 19 persons for this purpose. If more funds are made available, we will expedite this work of laying new railway lines.

Shri Bharat Singh Chauhan : So far as backward areas are concerned, the policy of Government of India is to take them in hand even if they remain uneconomic for 7 years. Is it the policy of Government of India?

Prof. Madhu Dandavate : Uptil now this policy was being followed and an uneconomic Lines Committee was also formed. This Committee pointed out that such railway lines can cause heavy losses, therefore there is no question of deriving profit from these lines. We do not want to take in hand, such railway lines, but the backward areas should get railway facilities. So if a Development Fund can be created, it may be helpful in extending railway facilities in backward areas.

Shri Ram Murty : The Hon. Minister knows that there are several backward regions in this country where there are no railway lines. Keeping in view this fact whether it is proper to convert narrow gauge lines into broad gauge lines, which requires huge amounts instead of laying railway line in those areas where there is not a single railway line ? Keeping it in view whether the Hon. Minister will adopt a policy under which no narrow gauge railway line will be converted into broad gauge line, till new railway lines are laid down in backward regions ?

Prof. Madhu Dandavate : Mr. Speaker, Sir, the main question is regarding conversion of Gwalior-Itawah narrow gauge line into broad gauge line, but if you permit me I can reply to this question also. The Hon. Member has made a suggestion that till the work of constructing new railway lines is not over, no work of convertion should be taken up. It is a good suggestion, and we will certainly consider it.

एल-बेस के विक्रय मूल्य का निर्धारण

*474. **श्री एस० एस० दास :**
श्री सुरेन्द्र विक्रम :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री एल-बेस की नीति के बारे में 21 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल-बेस को क्लोरमफेनिकोल में परिवर्तित करने वाले एककों को उचित लाभ दिलाने के उद्देश्य से एल-बस का विक्रय-मूल्य 650 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का निर्णय जान बुझकर किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो जब सरकार एल-बेस को क्लोरमफेनिकोल में बदलने के लिये उद्योग को केवल उचित लाभ देने की अनुमति देना चाहती थी तब सरकार ने सी० सी० आई० एण्ड ई० के मूल्य सूत्र के अनुसार एल-बेस का मूल्य क्यों नहीं निश्चित किया तथा उद्योग को उचित लाभ की अनुमति देते हुए क्लोरमफेनिकोल के विक्रय मूल्य में उचित संशोधन क्यों नहीं किया और यदि जरुरत थी तो मूलभूत निर्माताओं को राज सहायता क्यों नहीं दी जैसा कि सरकार 1974 में कर रही थी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी, हां ।

(ख) सी० सी० आई० एण्ड ई० के फार्मूला के अनुसार एल-बेस का मूल्य निर्धारित करने और मूल निर्माताओं के लिय क्लोरमफनीकोल के बिक्री मूल्य में उपयुक्त संशोधन करने के प्रश्न पर गत वर्ष सरकार द्वारा विचार किया गया था । तथापि इस विकल्प को नहीं अपनाया गया था क्योंकि यह क्लोरमफनीकल के मूल स्तर के निर्माता के हितों के लिये घातक होता और इसके लिये अत्यधिक सहायता की भी आवश्यकता पड़ती जिसके लिये सरणोबद्ध एजेंसी के पास अधिशेष निधि उपलब्ध नहीं थी ।

Shri S. S. Das : The hon. Minister has admitted in his reply that a deliberate decision was taken to fix the selling price of L-base, otherwise the Government had to give a large subsidy but how much subsidy they had to give it is not mentioned in the reply.

The selling price of L-Base has been raised from Rs. 422 to Rs. 650. There are two types of importers in the country. One is Government agency and the other is private companies. The Government had a profit of Rs. 2.27 lakh through import but the consumer had to pay Rs. 4 crore extra on account of the said price rise. Is it not a fact that Maclab, the only company which has got facility of import against export licence had profit of about one crore rupee. It has been stated that if price was not raised it would have involved a large subsidy but this measure has resulted in profit to private manufacturers. I want to know the views of the hon. Minister in this regard.

The Minister of Petroleum, Chemicals & Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : As far the first part of the question of the hon. Member is concerned I want to say that a subsidy of Rs. 74 lakh will have to be given. It is also not correct to say that the canalising agency had profit of about Rs. 2 crore. Net profit was about Rs. 116 lakhs. The hon. Member has also said that Maclab had profit of Rs. 2 crore. The Maclab's were supposed to make chloramphenicol from the basic stage, but they did not manufacture it with the result their production remained nil during the year 1976-77, we can ascertain whether or not they have made any profit. They were allotted L-Base because they had brought Hungarian Technology. But that technology failed. Now they are in search of some other technology if they are able to get any other technology they will start manufacturing it from the basic stage.

As far the profit of Rs. 116 lakh is concerned, I want to say that we have suffered a loss of Rs. 188 crore in regard to a medicine of malaria which we brought this year. This loss is also covered by the coffers of canalising agency. To make the price less of expensive medicine we give subsidy. The profit ultimately goes back to consumers only.

Shri S. S. Das : The hon. Minister had himself admitted in March that Mac Laboratories were allowed to import L-Base worth Rs. 55 lakhs. Therefore, it is not correct to say that they manufacture the basic thing. They import L-Base from abroad and convert it into chloramphenicol. I want to know why there has been price rise. The rules about fixation of prices are quite clear. It has been stated in the import trade control policy.

"The sale price for distribution of canalised items to actual users will be determined by the Pricing Committee presided over by the Chief Controllor of Imports and Exports and consisting of Economic Adviser in the Ministry of Industry Development Commissioner............

अध्यक्ष महोदय : कृपया ज्यादा विस्तार में न बताइए ।

Shri S. S. Das : The price that has been fixed is against the policy of the Government. It appears that such a decision has been taken deliberately to benefit the Mac Laboratories because it is the only laboratory which is capable of importing L-Base from abroad. There seems to be some connivance between the officers and the company. I want the hon. Minister to clarify why a change was made in the declared policy of the Government.

Shri H. N. Bahuguna : I did not say that Mac Laboratories manufacture L-Base, Mac Labouratories convert L-Base into chloramphenicol from the basic stage. Mac Lab has imported 18 tonnes of L-Base. They cannot sell it in the market. They will convert it into chloroimphenicol...........**(Interruptions)**.

Mr. Speaker, Sir our problem is that if we convert L-Base into chloramphenicol its price comes to Rs. 465 per kg. and if we import chloramphenicol it costs us only Rs. 360 per kg. and if we manufacture it from the basic stage its cost comes to Rs. 586. Three varieties of chloramphenicol are available in the market. In fact we have not earned any profit on chloramphenicol rather we have only nopped up the three varieties of chloramphenicol and the earning accrued therefrom would be the profit of canalising agency.

The question of profit being ensured by Mac Lab on this account will be certainly considered and the hon. Member will be informed accordingly.

Shri Surendra Bikram : Is it a fact that to benefit the Mac Lab a public notice was issued on 27th Sept., 1977 so that no other businessmen could import L-Base ?

Shri H. N. Bahuguna : I require a prior notice for this but one thing is clear we did not give any import licence to Mac Labs. They are importing L-Base under the rules of the commerce ministry but if there is scope of huge profit from this we will definitely look into the matter.

रेल अधिकारियों का संगठन

*476. **श्री आर० के० महालगी** : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल अधिकारियों ने अपना एक संगठन गठित कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह संगठन कब से कार्य कर रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने इसे मान्यता दे दी है ; और

(घ) इस संगठन के पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) रेलों पर रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन्स के दो मान्यता प्राप्त फेडरेशन कार्यरत हैं, जिनके नाम हैं :—

(i) फेडरेशन आफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन

(ii) इंडियन रेलवे क्लास-II आफिसर्स फडरेशन

(ख) (i) फडरेशन आफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन–1966 से

(ii) इंडियन रेलवे क्लास-II आफिसर्स फेडरेशन–1968 से

(ग) जी हां । दोनों फडेरेशनों को मान्यता प्राप्त है ।

(घ) प्रमुख पदाधिकारी इस प्रकार हैं :—

(i) **फेडरेशन आफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (जून, 1977 में)**

श्री प्रताप नारायण, अध्यक्ष

श्रीमती प्रिया प्रकाश, महासचिव

(ii) **इंडियन रेलवे क्लास–II आफिसर्स फेडरेशन (जून, 1977 में)**

श्री एम० पी० भार्गव, अध्यक्ष

श्री एस० के० खन्ना, महासचिव

श्री आर० के० महालगी : रेलवे में अधिकारियों के संगठनों को मान्यता प्रदान करने का मानदण्ड क्या है और ये मानदण्ड कब से लागू हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : जैसाकि मैंने पहले बताया एक संगठन को 1966 में तथा दूसरे को 1968 में मान्यता प्रदान की गई। जब भी मान्यता प्रदान की जाती है तो अक्सर यह देखा जाता है कि क्या कोई प्रतिद्वंदी संगठन तो नहीं है और जब केवल एक संगठन होता है तो हम यह देखते है कि क्या कर्मचारियों के उसमें समुचित प्रतिनिधि है और यदि हम इन सब बातों से संतुष्ट होते है तो मान्यता प्रदान कर दी जाती है। इस विशेष मामले में कोई कठिनाई नहीं थी इसलिए 1966 तथा 1968 में इन दोनों संगठनों को मान्यता दे दी गई।

श्री आर० के० महालगी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी विशिष्ट ऐसोसिएशन को मान्यता प्रदान करने का मानदण्ड क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : केवल एक ऐसोसिएशन है और कोई मानदण्ड नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : संगठन कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है यही एक मानदण्ड है और इसी आधार पर हमने मान्यता प्रदान की है।

श्री आर० के० महालगी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन दोनों संगठनों की कुछ मांगें सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो वह मांगे कौनसी है और कब से यह सरकार के पास निलंबित है तथा इसके क्या कारण है।

प्रो० मधु दंडवते : न तो कर्मचारी और न ही अधिकारी बिना मांग किए रह सकते है। अधिकारियों की भी कुछ मांगें है। इस संगठन के बाद से ही वह इस बात पर बल दे रहे हैं कि रेलवे बोर्ड के सदस्यों तथा संगठन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के लिए एक औपचारिक उपबंध किया जाए। अब उनकी यह मांग स्वीकार कर ली गई और यह निर्णय किया गया है कि छह महीने में एक बार अधिकारियों के प्रतिनिधियों और रेलवे बोर्ड के सदस्यों के बीच औपचारिक चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर अनौपचारिक बातचीत भी की जा सकती है। अधिकारियों के संगठन ने दो तीन महत्वपूर्ण मांगें भी रखी है। एक तो राजपत्रित अधिकारियों के लिए एक पृथक निदेशालय बनाया जाए, दूसरा संवर्ग की समीक्षा की जाए। सिद्धान्त रूप से हमने इन दोनों मांगों को स्वीकार कर लिया है। जहां तक पहली मांग का संबंध है पृथक निदेशालय बना दिया गया है। एक निदेशक की भी नियुक्ति कर दी गई है। हमने एक आदेश भी जारी किया है ताकि संवर्गों की समीक्षा की प्रक्रिया भी जल्दी ही शुरू की जा सके।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि वह रेलवे अधिकारियों के बच्चों को दी जाने वाली रियायतों को वापिस ले रहे है। क्या यह सच है कि इसके बाद अधिकारियों के संगठन ने यह संकल्प पारित किया है कि अधिकारियों की पत्नियां रेलवे के सामाजिक कल्याण कार्यों में मंत्री महोदय की पत्नी का साथ नही देंगी।

प्रो० मधु दंडवते : मेरे विचार में माननीय सदस्य के बारे में उल्लेख किया जा सकता है लेकिन किसी की पत्नी के बारे में उल्लख नहीं किया जा सकता। इसलिए एसे उल्लेख यहां न किए जाए।

अध्यक्ष महोदय : म भी इसकी अनुमति नहीं देता।

प्रो० मधु दंडवते : जब मैंने बजट भाषण में इस बात की घोषणा की कि अधिकारियों को मिलने वाली कुछ रियायतों को वापिस लिया जाएगा तो अधिकारियों के मुख्य संगठन ने नहीं अपितु संबद्ध संगठनों ने यह संकल्प पारित किया कि चूंकि यह निर्णय एकतरफा लिया गया है और इससे परामर्श नहीं किया गया इसलिए हम इसके विरूद्ध कुछ कार्यवाही करेंग और इसी कारण उनके परिवारों ने रेलवे के सामाजिक कायक्रमों, जिसके खेल-कूद के कार्यक्रम भी शामिल थे, में भाग नही लिया लेकिन इसके बाद अधिकारी संगठन के कुछ प्रतिनिधि मिले तो मैंने उन्हे बताया कि कुछ रियायते जनता की नज़र में खटक रही थी इसलिए हमने उन्हें वापिस लेना उचित समझा । मैंने उन्हे आश्वस्त किया कि वह इस परिप्रेक्ष्य मे मामले को देखें । उनके प्रतिनिधि आश्वस्त हो गए और उन्होने समझ लिया कि उन्हें ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी । अब सारा काम सामान्य तौर पर हो रहा है ।

श्री हुकम राम : रेल मंत्री की यह धारणा 'एक उद्योग एक यूनियन' को मद्देनजर रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की क्या स्थिति होगी । क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को फटकारा जा रहा है तथा जो संवैधानिक सुरक्षाएं उन्हें प्रदान की गई हैं उन्हें भी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है ।

प्रो० मधु दंडवते : यह समस्या मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य, की गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं उन्हे बताना चाहता हूं कि जहां तक ट्रेड यूनियनों का संबंध है उन्हे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संगठनों के समान दर्जा प्राप्त नही है। भारतीय रेलवे के प्रशासन में तथा हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को कुछ सांविधिक आरक्षण प्रदान किए गए हैं और यदि यह लोग अपने आरक्षणों के बारे में सतर्क रहने हेतु कोई ऐसोसिएशन बनाते हैं तो मुझे इसमें कोई गलत बात नही दिखाई देती लेकिन उनकी इस ऐसोसिएशन को ट्रेड यूनियनों के समान दर्जा नहीं किया जा सकता है । लेकिन जब भी इन ऐसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने मुझसे मिलना चाहा है मैं हमेशा उनसे मिला हूं उन कठिनाईयों को हल किया है । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हुं कि भविष्य में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
Written Answers to Questions

वैगनों की कमी के कारण कोयले की कमी

***472. श्री अहमद एम० पटेल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयले की कमी वैगनों की कमी के कारण है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक औद्योगिक एकक तथा भट्टे कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो वैगनों की कमी की समस्या को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी, नहीं।

2—117 L.S.S. (N.D.)/78.

(ख) और (ग) : हो सकता है कि कोयले के अलावा अन्य पण्यों के संचलन के लिए कभी-कभी माल डिब्बों के मार्ग परिवर्तन के कारण उद्योगों द्वारा कोयले की अस्थायी रुप से कमी महसूस की गयी हो । लेकिन, कोयले के संचलन के लिए और अधिक उचित आबंटन सुनिश्चित करने के लिए अब उपाय किये जा रहे हैं ।

Production and Demand of Fertilizers

*475. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to lay a statement showing:

(a) the extent to which the production of fertilizers by the end of 1976-77 fell short of its target and the main reasons therefor;

(b) the extent to which the demand for fertilizers increased in the country by the end of the Fifth Five Year Plan; and

(c) the steps taken to expand the production capacity of fertilizers in the country in order to meet the estimated demand therefor?

The Miniser of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) During the year 1976-77 the target for production was 19.5 lakh tonnes of nitrogen and 4.8 lakh tonnes of P_2O_5. The production of nitrogen fell short by 50,000 tonnes, the production being 19 lakh tonnes as against a target of 19.5 lakh tonnes. The target for the production of P_2O_5 was fully achieved. The marginal shortfall in nitrogen was due mainly to unexpected equipment breakdowns in three major plants, viz., IFFCO, Tuticorin and Mangalore.

(b) The demand for fertilizers in the first year (1974-75) and the fourth or the last year (1977-78) of the Fifth Plan has been as follows:

(In lakh tonnes in terms or nutrients)

Year	Nitrogen	Phosphate	Potash
1974-75	17.66	4.71	3.36
1977-78 Estimated	28.88	8.27	4.69

(c) Production presently falls short of the demand of fertilizers and imports are arranged to make good the gap. A large scale programme for setting up additional capacity for the manufacture of fertilizers is presently under implementation. However, even with the completion of this programme, the gap between demand and production is expected to be about 12 lakh tonnes of nitrogen and 6 lakh tonnes of phosphate in 1983-84. Action is on hand to set up additional fertilizer capacity to reduce this gap and move towards self-sufficiency.

Damaged Railway Lines

†*477. **Shri Vinayak Prasad Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to lay a statement showing:

(a) the total number of damaged railway lines all over the country and when these lines had been damaged and the reasons therefor; and

(b) when the Nirmali-Bharpayahi (Saraygarh) and Pratapganj-Bhim Nagar line in Samastipur Division on N.E. Railway was damaged and when administrative approval was accorded to conduct initial survey with a view to restore it and when the work is likely to be started thereon?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) The following Railway Lines which were damaged have not been restored so far:

S.No.	Name of line	Year when the line was dismantled/abandoned	Reasons for dismantlement/abandonment
1.	Nirmali-Saraigarh (Bhaptiahi)	1937-38	Floods
2.	Pratapganj-Bhimnagar	1911	-do-
3.	Chitauni-Bagaha (Approved for construction)	1924	-do-
4.	Damohani-Changrabandha	1968	-do-
5.	Rameswaram-Dhanushkodi	1964	-do-

(b) An engineering-cum-traffic survey was sanctioned in 1973 to investigate the possibility of restoring the MG rail link between Nirmali and Saraigarh which did not recommend the project. A fresh survey was ordered in 1974 and restoration of the old link and the alternative of providing MG rail link from Nirmali to Bhimnagar, which is in turn was proposed to be connected to Lalitgram, have been investigated. The reports have been received in 1977. Both these alternatives involve construction of a costly bridge across the river Kosi. It has not been possible to take up this project on account of the limited availability of resources.

Winding up of Dhanbad and Danapur Divisions

*478. **Shri Chandradeo Prasad Verma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a decision was taken during emergency to make Mughalsarai Division by winding up Danapur and Dhanbad Divisions;

(b) whether Government are winding up both these Divisions as per that decision; and

(c) if so, the justification for winding up those Divisions?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) During emergency decision to form a new Mughalsarai Division was taken. However, there was no decision to wind up Danapur and Dhanbad Divisions.

(b) and (c): Do not arise.

Revenue from Air Conditioned and 1st Class Compartments

†*479. **Shri Sharad Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to lay a statement showing:

(a) the expenditure incurred on airconditioned and first class compartments and the revenue earned therefrom during January, 1977 to December, 1977; and

(b) whether it has also been ascertained as to which Government and Company personnel travel in these compartments and who pay fare therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) The figures of actual expenditure on Air Conditioned and First Class coaches are not available as they are not booked in Accounts separately class-wise. However, earnings from the Air Conditioned and First Class Passengers during the period January 1977 to December 1977 were Rs. 4.97 crores and Rs. 52.60 crores respectively.

(b) No, Sir.

विश्व बैंक मिशन

*480. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस नई रेलवे ऋण परियोजना का जायजा लेने के लिये जिसमें वर्कशाप, रेल इंजनों का आधुनिकीकरण तथा पट्टियों और धुरियों के उत्पादन सम्मिलित करने की संभावना है, विश्व बैंक मिशन द्वारा जनवरी, 1978 में भारत की यात्रा करने की आशा थी ;

(ख) क्या विश्व बैंक मिशन ने जनवरी, 1978 में भारत की यात्रा की थी;

(ग) यदि हां, तो यात्रा का क्या परिणाम निकला ;

(घ) क्या रेलवे ने विश्व बैंक से नये रूप में ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न किया ; और

(ङ) यदि हां, तो विश्व बैंक ने कितना ऋण दिया है ?

रेल मंत्री (प्रोफसर मधु दंडवते) : (क) से (ङ) : अगली रेलवे जमा परियोजना के मूल्यांकन के सम्बन्ध में विश्व बैंक के एक मूल्यांकन आयोग ने जनवरी, 1978 में भारत का दौरा किया था। परियोजना उन्मख सहायता देने की बैंक की नवीनतम नीति के अनुसरण में जो कि निर्धारित कार्यक्रम सहायता से भिन्न है, रेलवे कारखानों और रेल इंजनों के आधुनिकीकरण और रेलों द्वारा स्थापित किये जा रह पहिया और धुरा संयंत्र से सम्बन्धित कुछ रेल परियोजनाओं को आयोग ने, सम्भावित विश्व बैंक/आई०डी०ए० द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने के लिए मान लिया है। इन परियोजनाओं के लिए सम्भावित बैंक सहायता की मात्रा और विकास-सहायता की कुछ मदों के लिए भी, आयोग ने 2790 लाख अमेरिकन डालर निर्धारित किया है जिसमें स्थानीय लागत के बराबर 770 लाख डालर भी शामिल हैं। इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सरकार की धारणा को अब अन्तिम रुप दे दिया गया है और विश्व बक के साथ आग विचार-विमर्श मई-जून, 1978 में किया जायेगा।

Payment of royalty by A.H. Wheeler and Company

*481. **Shri R. L. Kureel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether M/s. A. H. Wheeler neither pay royalty to the railways nor commission to agents on the amount realised by them from Bookstall agents under debit bills;

(b) whether the above company pays by way of commission only one-fifth of the profit earned by bookstall agents and deducts further one-half of this amount by preparing wrong debit bills; and

(c) whether the agreement signed by bookstall agents with M/s. A. H. Wheeler is unilateral and whether under one of the clauses thereof the company has the right to remove any of the agents by serving 24 hours notice?

The Minister of State in Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c): According to the agreement, M/s. A. H. Wheeler & Co. pay royalty to the Railways at the rate of 2½ percent of the total sales turnover from the Bookstalls at Railway Stations. Royalty is also paid on the amounts realised by the firm from their agents in respect of debit (Discrepancy) bills. The commission paid to the agents, the agreements signed between the bookstall agents and M/s. A. H. Wheeler are internal matters of the company and Railways, are not directly concerned.

However, M/s. A. H. Wheeler & Co. have reported that they do not prepare wrong discrepancy bills, and pay commission and extra commission to Agents as per agreement. The agreements signed between Agents and M/s. A. H. Wheeler & Co. are not unilateral and there is no provision for removal of Agents by serving 24 hours notice.

अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेल की खोज

*482. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन** और **उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेल के लिए खुदाई कार्य मार्च, 1978 से शुरू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य हमारे देशवासियों द्वारा किया जा रहा है अथवा कुछ विदेशी फर्में इस कार्य में सहायता कर रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य में जो विदेशी फर्म सहायता कर रही है, उसका नाम क्या है ;

(घ) क्या इस क्षेत्र में तेल का पता चला है; और

(ङ) अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कुल कितना क्षेत्र ऐसा है, जहां भूभौतिकीय सर्वेक्षण किया गया है :

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) : अंडेमन सागर में एक संरचना पर स्थित एक अपतटीय कुएं पर मार्च, 1978 में व्यधन कार्य आरम्भ करने की ओ०एन०जी०सी० की योजना थी, परन्तु इस सम्भावना को ध्यान में रखते हुए कि इस कुएं पर व्यधन कार्य वर्षा ऋतु के आरम्भ होने से पूर्व पूरा नहीं हो सकेगा, ओ०एन०जी०सी० ने इस व्यधन कार्य को आगामी वर्षा ऋतु की अवधि के पश्चात् ही आरम्भ करने का निर्णय किया है। अपने अपतटीय अन्वेषण के लिए ओ०एन०जी०सी० द्वारा किराये पर लिये गये अपतटीय रिगों में से अंडेमान अपतटीय क्षेत्र में अमेरीका की मैसर्स आफ श्योर इन्टरनेशनल एस०ए० से सम्बन्धित अन्वेषक-III को लगाने का प्रस्ताव है।

अंडेमान द्वीम समूह के तटवर्ती भूमि क्षेत्रों में भूगर्भीय सर्वेक्षण किये जा चूके है । कार निकोबार द्वीप समूह में ये भू-गर्भीय सर्वेक्षण चल रहे हैं । अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के भूमि क्षेत्रों में किसी प्रकार के भू-भौतिकीय सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं । अन्डेमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के समस्त महा द्विपीय भग्नतट को भू-भौतिकीय सर्वेक्षणों में सम्मिलित कर दिया गया है ।

अल्लपी-एरणाकुलम रेल लाइन

*483. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्लप्पी-एरणाकुलम रेलवे लाइन को जिसकी केरल को काफी समय से जरुरत है, वर्ष 1978-79 के लिये वार्षिक योजना में सम्मिलित नहीं की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान सरकार के निर्णय पर केरल के लोगों में व्यापक असंतोष की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी, हां ।

(ख) संसाधनों की कमी के कारण ।

(ग) और (घ) : इस मामले में सरकार केरल की जनता की भावनाओं से अवगत है । इस परियोजना के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है और इस परियोजना पर भारतीय रेलों की चल योजना में शामिल करने के लिए ऐसी ही अन्य परियोजनाओं के साथ ही विचार किया जा रहा है ।

तिनसुखिया से अधिक रेल गाडिया

*484. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिनसुखिया से दिल्ली बम्बई और मद्रास की और अधिक रेल गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधिन है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : मार्गवर्ती खंडों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता तथा दिल्ली/बम्बई/मद्रास में टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण इस समय तिनसुखिया और दिल्ली/बम्बई/मद्रास के बीच अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

Government Expenditure on Petrol and Diesel

*485. **Shri S. S. Somani :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the extent to which Government expenditure on petrol and diesel has come down after the increase in prices of these items ; and

(b) the present consumption of petrol and diesel in the country as compared to the consumption prior to increase in the prices thereof ?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) With the increase in prices of petrol and diesel, the expenditure of Government on these items has increased. The expenditure involved in calculating the extent of increase will, however, not be in commensurate with the benefit to be derived at.

(b) Figures of consumption of motor spirit and high speed diesel in the country in 1973 and 1977 are given below :

('000 tonnes)

	1973	1977
Motor Spirit	1605	1368
High Speed Diesel	5192	7579

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय को ज्वालामुखी से होशियारपुर स्थानांन्तरित करना

*486. **श्री मही लाल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन** और **उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों को ज्वालामुखी से होशियारपुर स्थानान्तरित करने के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया गया था और कर्मचारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ज्वालामुखी में भी कुछ कर्मचारी रखने का निर्णय किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त मामला काफी समय से मंत्री महोदय के विचाराधीन है ;

(ग) उक्त प्रस्ताव को अब तक न निपटाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) अधिकांश कर्मचारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रस्ताव पर कब तक मंजूरी दे दिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) : ज्वाला मुखी प्रायोजना के मुख्यालय को होशियारपुर में लाने से सम्बन्धित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष की अन्तिम सिफारिशें दिनांक 23-3-1978 को प्राप्त हो गई थी और इस विषय में निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा ।

निर्वाचन संबंधी सुधारों का प्रस्ताव

*487. श्री जी० एम० बनातवाला।
श्री मुख्तियार सिंह मलिक

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने देश की निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने के लिए हाल ही में सरकार को कोई प्रस्ताव दिये हैं ;

(ख) निर्वाचन प्रणाली में क्या सुधार सुझाये गये हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांती भूषण) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण जिसमें प्रस्तावों का ब्यौरा दिया हुआ है, सदन के पटल पर रख दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1938/78]

(ग) प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

New Railway Lines in Haryana

†*488. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of new railway lines laid in Haryana during the last three years and the details thereof ;

(b) the number of new railway lines proposed to be laid during the current year and the names of places where these are proposed to be laid ; and

(c) the further schemes to lay more of new railway lines in Haryana ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c): Restoration of Gohana-Panipat dismantled line (BG, 39.71 kms.) has been completed at an estimated cost of Rs. 2.27 crores and the line was opened to traffic on 8-4-77. Construction of Rohtak-Bhiwani BG rail link (49.30 kms.) is well in progress and is expected to be completed by March, 1980. The estimated cost of this line is Rs. 6.09 crores. Due to severe constraint of resources and heavy commitments already made, it is not possible to undertake construction of any other new line in Haryana at present.

अग्रिम वेतन वृद्धि

*489. श्री रामप्रकाश त्रिपाठी : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन को अग्रिम वेतन वृद्धियों के कारण प्रति वर्ष कितना रुपया देना पड़ता है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में अग्रिम वेतन वृद्धियां अतिरिक्त वृद्धियों में बदल दी गयी थी ; और

(ग) यदि हां, तो वफादार कर्मचारियों को दी गयी वेतन वृद्धियों का समायोजन करने के लिए प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) 1976 में इकट्ठी की गई सूचना के अनुसार वास्तविक खर्च प्रति वर्ष 5.3 करोड़ रुपये हुआ।

(ख) जी नहीं। वास्तव में, जब रेल कर्मचारियों को 1-6-74 से अग्रिम वेतन वृद्धि दी गई थी उस समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जिस वेतनमान में अग्रिम वेतन वृद्धि दी गई है उसमें इन कर्मचारियों को बाद की वेतन वृद्धि अग्रिम वेतन के एक साल पूरा होने पर न देकर सामान्य वेतन वृद्धि की तारीख पर ही दी जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Expenditure on extension of Kota-Banda Shuttle Train

†4438. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any estimate of expenditure to be incurred on extension of Kota Banda shuttle train up to Chhabra has been made ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) & (b) : At present there is no Kota-Banda shuttle train. Presumably, the reference is to the extension of 135 Down/135 Up Kota-Banda shuttle to/from Chhabra Gugor. Extension of this train to/from Chhabra Gugor is at present neither justified on traffic consideration nor operationally feasible for lack of terminal facilities at Chhabra Gugor.

Officers of Lucknow Alambagh Carriage

4439. **Shri R. L. Kureel :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether some officers of the Lucknow Alam Bagh carriage and wagon workshop sent a complaint to him (the Minister) and the Prime Minister secretly against the Union Leader of the workshop regarding irregularities being committed by him and on the basis of which he issued orders for an enquiry into the matter and whether well before the issue of the orders, some officials of his Ministry telephoned the union leader to be cautious and to put pressure on the Member of Parliament in the matter ;

(b) if so, the name of the officer who is responsible for divulging the official secrecy and the punishment being given to him ; and

(c) if not, the name of the person, other than officers of his Ministry who informed (Shri Hari Chand Pande) the union leader in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No complaint from the officers of the Carriage and Wagon Workshop appears to have been received in this Ministry. However, complaints against a Union Leader of the Workshop have been received from the honourable M.P. There is no evidence available with this Ministry that any official of this Ministry altered the Union Leader about the complaints.

(b) Does not arise.

(c) No such information is available with this Ministry.

Indian Oil Experts in African Countries

4440. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) the number of Indian oil experts required in African countries at present and the number of oil experts proposed to be sent by the Government of India to African countries and on what conditions;

(b) whether 17 oil experts have since been sent to African countries for doing the job and the number of those experts who are already working there; and

(c) the number of oil refineries being set up in African countries in collaboration with India and the number of special technical jobs being got done by the experts of African countries in our country as compared to that?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) Some requirements have been indicated by certain countries but the exact number of the experts required is not known. It is, therefore, not possible to indicate the number of oil experts to be sent to the African countries or the terms and conditions of their deputation.

(b) Seventeen oil experts were sent to African countries. Information regarding other experts who may be working there is not available.

(c) No oil refinery is being set up in any African country in collaboration with India and no experts of African countries are working in India in that connection.

पैनल इन्टरलाकिंग टोकिनलैस सिस्टम

4441. **श्री के० ए० राजू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक कार्यकुशलता, सुरक्षा तथा टोकिन उठाने की प्रक्रिया में मानव-दुर्घटना से बचना सुनिश्चित करने के लिए त्रिवेन्द्रम और नई दिल्ली के बीच के एच०के०के० एक्सप्रेस के सम्पूर्ण मार्ग के लिए 'पैनल इन्टरलाकिंग टोकिनलैस सिस्टम' आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) एरणाकुलम तथा क्विलोन सेक्शन में टोकिनलेस प्रणाली कब तक आरम्भ की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) एर्णाकुलम और कोल्लम के बीच तथा शेष खंड के कुछ और स्टेशनों पर "पैनल इन्टरलाकिंग" प्रणाली पहले से ही चालू की जा चुकी है। "पैनल इन्टरलाकिंग" की आवश्यकता पर तब विचार किया जाता है जब वर्तमान 'सिगनल गियरों का बदलाव अपेक्षित होता है अथवा जब एक नये क्रासिंग स्टेशन की व्यवस्था करनी होती है। इसी तरह केवल उन खंडो पर टोकन सहित काम चालू किया जाता है जहां अतिरिक्त लाइन क्षमता अपेक्षित हो और इसलिए इसकी व्यवस्था लाइन क्षमता की जरूरतों के अनुसार की जाती है।

(ख) एर्णाकुलम और कोल्लम के बीच टोकन रहित प्रणाली की व्यवस्था का काम 1978-79 के बजट में एक नये काम के रुप में सम्मिलित कर लिया गया है। इस काम को लगभग 3 वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

Booking of Salt from Santalpur.

†4442. **Shri Motibhai R. Chaudhary:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) How many wagons of salt were booked from Santalpur (Palanpur-Gandhidham railway line station) on Western Railway during the past two years, year-wise;

(b) the quota of wagons of category E allotted for salt from the above station;

(c) the reasons for allotting lower quota despite increased demand;

(d) the demand of wagons for the purpose for this year and the number out of them already allotted and when the rest of them are proposed to be allotted;

(e) whether the salt being a melting commodity wagons will be allotted according to demand therefor; and

(f) whether in view of increasing demand every year, the quota will be enhanced on permanent basis with booking facility at the above station?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) At Santalpur station, mainly non-programmed salt and to a small extent, industrial salt are offered for despatch by rail. 596 wagons—590 wagons of non-programmed salt and 6 wagons of industrial salt during the year 1976 and 807 wagons—780 wagons of non-programmed salt and 27 wagons of industrial salt during the year 1977 were loaded.

(b) At present, a quota of two wagons per month has been allotted.

(c) The quotas provided for movement of programmed salt from different stations in higher priority classes 'B' and 'C' under the Zonal Scheme, as per the recommendation of Salt Commissioner, are adequate to meet the requirements of edible salt in the country. There should, therefore, normally be no need for movement of any non-programmed salt by rail under the priority class 'E'. However, some movement of non-programmed salt by rail has also been permitted.

(d) During the current year 1978 (upto February), as against the demands of 58 wagons, 49 wagons—10 wagons of non-programmed salt and 39 wagons of industrial salt were loaded. The remaining demands will be met as per the priority.

(e) Even now salt is moved as per the demand indicated by salt Commissioner.

(f) As the demand is met satisfactorily under the quotas provided for under higher priority, there is no proposal to consider increasing the quota under item E of the preferential Traffic Schedule.

Trains starting from Patna

†4443. **Shri H.L.P. Sinha:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether passenger trains starting from Patna are stopped to the north of Pun Pun river daily as a result of which the trains reach Gaya very late;

(b) whether he will make arrangements for checking this practice; and

(c) whether daring dacoities are being committed in the night passenger trains running between Gaya and Patna and number of dacoities committed by stopping the trains during the period 1st March, 1977 to March, 1978;

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes. Passenger trains starting from Patna Jn. are sometimes stopped by miscreants towards the North of Pun Pun river resulting in late arrivals of such trains at Gaya.

(b) Special checks are being conducted on Patna-Gaya sections by deploying squads to Travelling Tickets Examiners and Special Judicial Magistrate.

(c) There was only one case of dacoity in 23 UP Ranchi-Patna Express on 9-6-1977 in which the criminals stopped the train after committing the dacoity by disconnecting hosepipes in order to escape.

Police personnel in 1st class compartments

†4444. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether travelling Police personnel shut the doors of the first class compartments and sleep therein while travelling generally anywhere, particularly in Bihar thus causing inconvenience to the genuine passengers;

(b) whether Government propose to hold talks with the police Department about it and conduct in this regard joint raids to catch such people;

(c) whether complaints in respect of unauthorised persons travelling without ticket in the name of railway employees have been received by his Ministry; and

(d) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (d): Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मद्रास उच्च न्यायालय की बेंच

4445. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **विधी, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै के स्थानीय अधिवक्ताओं ने मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो बेंच कब तक स्थापित की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) से (ग) : राज्य सरकारने 1973 में मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक बेंच या कम से कम एक शिबिर-न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव किया था । उस समय उन्होंने यह सूचित किया था कि मदुरै की विधिज्ञ परिषद् और राज्य के कुछ अन्य बार एसोसियेशनों ने भी यह अभ्यावेदन किया

था कि राज्य के दक्षिणी भाग में एक बैंच स्थापित की जाए। राज्य सरकार ने इस बात का भी उल्लेख किया था कि इस प्रस्ताव के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं थी। इसके पश्चात् जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब यह महसूस किया गया कि ऐसे समय में जबकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, इस विषय में कोई निर्णय लेना वांछनीय नहीं होगा और इस समय इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, फरवरी, 1977 में राज्य सरकार को इस बाबत पत्र लिख दिया गया था। सितम्बर, 1977 में राज्य सरकार ने मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना का पुनः प्रस्ताव किया। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के विचारों का पता लगा कर उनकी सूचना दे दे।

आंध्र रेल मार्ग को क्षति

4446. **श्री एम०रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र में समुद्री तूफान से रेल मार्ग को कुल कितनी क्षति हुई और इसके मरम्मत पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : रेल पथ (रेल पथ सिगनलिंग सहित) की कुल हानि लगभग 81 लाख रुपये है। पुनः स्थापन और मरम्मत पर अब तक लगभग 40 लाख रुपये खर्च हो चुके है।

Demand for attaching Bogies with Porbandar-Bhavnagar Train

*4447. **Shri Dharmasinghbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railway-Bus Passengers Association, Porbandar has made a demand for attaching a two-tier or three-tier bogie to the train which departs from Porbandar at about 5.20 hours in the evening and arrives at Bhavnagar at 7.00 hours in the morning and if so, when this demand was made and the details thereof ; and

(b) when a two or three-tier bogie would be attached to this Porbandar-Bhavnagar night train and the decision to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No. However, requests have been received including from a member of ZRUCC for providing a II class sleeper through service coach by 337/30 Fast Passenger trains.

(b) At present 4 through service coaches viz. 2 second class coaches, one second-cum-luggage/brake van and one second-cum-Postal van are running between Porbandar and Bhavnagar by 35/23/272 and 271/24/36 trains. Provision of a sleeper coach by 337/30 trains is not feasible for want of suitable type of sleeper coaches. As and when sleeper coaches become available, this will be considered.

एसिस्टेंट सेक्रेटरी, फर्टिलाइजर कारपोरेशन कामगार यूनियन, सिंद्री का अभ्यावेदन

4448. **श्री ए० के० राय :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिनांक 2 फरवरी, 1978 का एसिस्टेंट सेक्रेटरी, फर्टिलाइजर कारपोरेशन कामगार यूनियन, सिंद्री की ओर से नये ठेकेदार "आशियाना" द्वारा श्रमिकों की छंटनी करने तथा नये श्रमिकों को भर्ती करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो छंटनी शुदा श्रमिकों के साथ किये गये अन्याय को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि ठेकेदार के लिए अन्य ठेकेदारों के श्रमिकों को काम पर लगाना, बाध्यकर नहीं था, परन्तु मैसर्स आशियाना जोकि एक नया ठेकेदार है, को सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना के महापरियोजना प्रबन्धक द्वारा पिछले ठेकेदार के पांच श्रमिकों, जोकि कुशल पाये गये थे, को काम देने के लिए मनाया गया है।

बंगाल लैम्पस का 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन

4449. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगाल लैम्पस के 1976-77 के अद्यतन वार्षिक प्रतिवेदन की ओर गया है जिसके पृष्ठ 19 पर यह स्पष्ट रुप से लिखा हुआ है कि 8,00,36,054 रुपयों की बिक्री में 1,16,42,991 रुपये सर्विस चार्जेस थे जो 14 प्रतिशत अधिक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) ब्यौरों को सुनिश्चित किया जा रहा है।

उड़ीसा में रेलवे विकास

4450. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने इस राज्य में रेलवे के विकास के लिए क्या प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष तथा छठी योजना के लिये उनका मंत्रालय उनमें से कितने प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ; और

(ग) इस राज्य में जिन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : नयी लाइनों का निर्माण करने/छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए समय-समय पर उड़ीसा सरकार से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और राज्य सरकार ने जिन परियोजनाओं की सिफारिश की है उनकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है —

क्र०सं०	लाइन का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	तालचेर से सम्बलपुर तक नयी बड़ी लाइन	सर्वेक्षण कार्य चल रहा है ।
2.	कोरापुट और रायगडा के बीच नयी लाइन	कोरापुट से सालूर/पार्वतीपुरम् तक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण का अनुमोदन हो चुका है और कोरापुट को रायगड. से जोड़ने के लिए वैकल्पिक लाइन की जांच-पड़ताल भी इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत की जायेगी ।
3.	जखापुर-बांसपानी लाइन पर एक स्थल से बरसुआन तक नयी लाइन	बांसपानी से रांगरा तक एक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण 1969-70 में पहले ही कराया जा चुका है जिससे बरसुआन तक सम्पर्क लाइन की व्यवस्था हो जायेगी जो पहले से ही रांगरा से जुड़ा हुआ है । संसाधनों की कमी के कारण इस परियोजना को इस समय प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नही है ।
4.	जखापुर से बांसपानी तक नयी बड़ी रेल लाइन	जखापुर से दैतारी तक लाइन के प्रथम चरण का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
5.	तालचेर से बिमलगढ़ तक नयी बड़ी रेल लाईन और उसका कोइरा घाटी से होकर रांगरा से बांसपानी तक विस्तार	1970 में एक सर्वेक्षण किया गया था । सर्वेक्षण से यह पता चला है कि इस लाइन पर बहुत कम यातायात होगा । संसाधनों की कमी के कारण इस परियोजना को इस समय शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।
6.	फूलबनी/बौद्ध से होकर भवनेश्वर/खुर्द रोड से बोलांगीर तक नयी बड़ी लाइन	संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को शुरु करने का इस समय कोई प्रस्ताव नही है ।
7.	रुपसा से तालबन्द तक छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव	इस परियोजना के लिए एक सर्वेक्षण 1971 में शुरु किया गया था । सर्वेक्षण से पता चला है कि इस लाइन पर बहुत कम यातायात होगा । इस लाइन पर होने वाले यातायात की सम्भावनाओं के बारे में दक्षिणपूर्व रेल प्रशासन द्वारा नये सिरे से मूल्यांकन किया जा रहा है ।

उपर्युक्त नयी लाइनों के निर्माण/परियोजनाओं के आमान-परिवर्तन का प्रश्न देश के सभी भागों से इसी प्रकार की मांगों को पूरा करने के लिए संसाधनों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करेगा। छठी योजना में शामिल की जाने वाली नयी लाइनों की सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दी गयी राशि

4451. **श्री रोबीन सेन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कम्पनियों ने 1971 तथा 1972 में विभिन्न राजनैतिक दलों के कोष में कितनी राशि का योगदान दिया ; और

(ख) क्या उन राशियों को इन कम्पनियों ने अपने तुलन पत्रों में दिखाया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) : कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 293क की उप-धारा (1) जो 28 मई, 1969 से परिनियमित है, में एक कम्पनी को किसी राजनैतिक दल अथवा किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिये चन्दा/दान देने का निषेध है। अतः कोई कम्पनी कथित धारा की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अपने आप पर मुकदमा चलाये जाने के उत्तरदायित्व को वहन किये बिना, इस प्रकार के चन्दे/दान नहीं दे सकती। कानून के अन्तर्गत इस प्रकार का निषेध होने के बावजूद भी यदि कोई कम्पनी किसी राजनैतिक दल या किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिये कोई चन्दे देती है, तो इस प्रकार दी गई राशियां तुलन पत्रों में एक अलग मद के रूप में नहीं दिखाई जाती। तथापि, तुलन पत्रों की संवीक्षा के दौरान, राजनैतिक दलों को अदायगियों के कुछ थोड़े से मामले रजिस्ट्रारों की सूचना में आये थे।

आर्गेनिक तथा इनआर्गेनिक उर्वरकों का उत्पादन

4452. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आर्गेनिक तथा इनआर्गेनिक उर्वरकों का कुल उत्पादन कितना है ;

(ख) देश की कुल आवश्यकता कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार नये कारखाने स्थापित कर इस मांग को पूरा करने का है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित करने का है ;

(ङ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : देश में, ग्रामीण और शहरी सम्मिश्रण उत्पादन का वर्तमान स्तर क्रमशः प्रति वर्ष 200 मीलियन मी० टन और 5.8 मिलियन मी० टन का अनुमान है। इनार्गेनिक उर्वरक के बारे में सूचना नीचे दी गई है :

(न्यूट्रेन्टस के रुप में मात्रा लाख मी० टन में)

	उत्पादन		खपत	
	1976–77	1977–78	1976–77	1977–78
नाईट्रोजन	19.00	20.00	24.57	28.88
फास्फेट . . .	4.80	6.70	6.35	8.27
पोटास . . .	..	..	3.19	4.69

(ग) से (च) : बम्बई हाई संरचना से संघटित गैस पर आधारित महाराष्ट्र में दो बड़े आकार के नाइट्रोजिन्स उर्वरक संयंत्रों और असम में ओ० आई० ए० तथा ओ० एन० जी० सी० क्षेत्रों से संगठित गैस पर आधारित असम में एक संयंत्र का कार्यान्वियन करने का प्रस्ताव है। गुजरात में भी गैस पर आधारित एक बड़े आकार के उर्वरक संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव है। मैसर्स नागार्जून फर्टिलाइजर्स लि० भी काकीनाड़ा (आंध्र प्रदेश) में उर्वरक संयंत्र स्थापित कर रहे हैं यथा संभव अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने पर इन परियोजनाओं का कार्य आरंभ करने की संभावना है।

रामागुण्डा (आंध्र प्रदेश) और तालचर (उड़ीसा) में कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्र निर्माण अभी पूरे होने के अग्रिम स्तर पर है। इन संयंत्रों में विभिन्न खण्डों को 1978 में आरंभ होने की संभावना है। रामागुण्डा और तालचर में कोयले पर आधारित चल रहे दो संयंत्रों से अनुभव प्राप्त होने के बाद कोरबा, मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

तालचर-राउरकेला लाईन

4453. **श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तालचेर और राउरकेला के बीच सीधे रेल सम्पर्क की मांग बहुत समय से अनिर्णित है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या इस लाइन की लाभप्रदता के बारे में निर्णय करने में अल्पावधिक मापदंड अपनाया जायेगा अथवा उड़ीसा के विकास के लिये इस लाइन के दीर्घावधिक महत्व, उड़ीसा तथा उत्तरी औद्योगिक केन्द्रों के बीच सीधे यात्री तथा माल यातायात की सुविधा और उड़ीसा के समग्र रुप में विकास की दृष्टि से इसके प्रभाव को ध्यान में रखा जायेगा ?

3—117 L.S.S. (N.D.)/78.

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : तालचेर से राउरकेला तक एक लाइन के लिए 1947–48 में इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था। उस सर्वेक्षण से यह मालूम हुआ था कि 188 कि० मी० लम्बी इस लाइन पर उस समय के मूल्यों के अनुसार 5.35 करोड़ रुपये लागत आयेगी और इससे (—) 1.28 प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त होगी। 1970 में तालचेर से बिमलगढ़ तक बड़े आमान के रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। यह प्रस्तावित लाइन 135 कि०मी० लम्बी होगी और उस समय के मूल्यों के अनुसार उस पर 16 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया था और यह ज्ञात हुआ था कि डी० सी० एफ० पद्धति द्वारा इस परियोजना से केवल 3.22% प्रतिफल प्राप्त होगा। संसाधनों की उपलब्धता में पर्याप्त रुप से सुधार होने पर, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही इस परियोजना का निर्माण आरम्भ किया जायेगा।

सांगलों-मीरज रेल मार्ग

4454. **श्री ा ा ा ा ाहिब गोटखिंडे** : क्या रेल मंत्री सांगलो-मीरज रेल मार्ग पर रेल सेवा के बारे में 28–2–78 के अतारांकित प्रश्न संख्या 954 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार से 5–12–1977 को प्राप्त हुए रेल प्रशासन के प्रतिवेदन की मुख्य बातें/सिफारिशें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (ी शिव नारायण) : सांगलो-मिरज खंड पर रेल सेवाओं को पुन: चालू करने के लिए विभिन्न विकल्पों के प्रस्तावों की, उनके तुलनात्मक गुणावगुण के आधार पर छानबीन की गयी है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

रेलवे का विद्युतीकरण

4455. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष रेलवे के विद्युतीकरण का कार्य पीछे रह गया था तथा डीजलीकरण के कार्य में तेजी लाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या आगामी वर्षों में इस नीति में कोई परिवर्तन किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : आगे आने वाले वर्षों में बिजलीकरण का विस्तार, संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

उपक्रमों में श्रेणीवार नियुक्त व्यक्ति

4456. **श्री शिवनारायण सरसूनिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित प्रत्येक उपक्रम में व्यक्तियों की, श्रेणीवार (i, ii, iii और iv), कुल कितनी संख्या है :

1. बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड ।
2. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ।
3. बीक्को लारी लिमिटेड ।
4. बोंगाइगांव रिफाइनरी, एण्ड पेट्रोलियम केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड ।
5. ब्रिज एण्ड रुफ कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड ।
6. कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड ।
7. कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ।
8. इंजिनियर्स (इंडिया) लिमिटेड ।
9. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ।
10. हाइड्रो कार्बन इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड ।
11. इंडियन आयल ब्लीडिंग लिमिटेड ।
12. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ।
13. इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड ।
14. इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड ।
15. लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड ।
16. मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड ।
17. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ।

(ख) प्रत्येक श्रेणी और उपक्रम में, अलग अलग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इन उपक्रमों में भर्ती और पदोन्नति के मामले में रिक्त स्थानों के आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Powers of Officers of Directorate of Rail Movement, Calcutta

†4457. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Officers working in the Office of the Director, Rail Movement, Calcutta at present ;

(b) the powers entrusted to them in respect of allotting rail wagons to any party, person or organisation;

(c) the criteria for giving preference in the allotment of rail wagons; and

(d) whether Government propose to set up also an advisory committee for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Three.

(b) The Director Rail Movement, Calcutta, has been entrusted with full powers pertaining to allotment of wagons for movement of coal. These powers are exercised in accordance with well-defined procedures and principles.

(c) As per the priority schedule issued under section 27-A of the Indian Railways Act, which entitles coal when sponsored by authorised agencies to item C thereof.

(d) A joint cell consisting of coal producing organisations headed by the Director Rail Movement has been set up to coordinate the requirement of various consumers and properly link them to the different collieries to ensure equitable distribution of available coal and rail transport capacity. Frequent meetings of the joint cell are held. Besides, the representatives of the Coal India Ltd., attend the meetings with Director Rail Movement, at the time of day to day allotment. The Government do not propose to set up any other advisory committee for the purpose.

असम में पुलों का निर्माण और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4458. **श्री अहमद हुसेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में नई रल लाईनें मंजूर करने तथा मीटर गेज लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के संबंध में मंजूरी देने के बारे में प्रस्तावित नीति/ निर्धारित कसौटी क्या है; और

(ख) असम राज्य में नई रेल लाईनें मंजूर करने/छोटी लाईनों को बड़ी लाईनों में बदलने तथा पुलों के निर्माण के बारे में कितने प्रस्ताव विभिन्न समितियों के समक्ष निर्णय के लिए पड़े है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेल लाईनों के निर्माण-कार्य, विशेषतः देश के पिछडे क्षेत्रों में निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में एक नई नीति सरकार के विचाराधीन है। जैसे ही इस नीति को अन्तिम रुप दिया जायेगा, वैसे ही इस की घोषणा संसद् में कर दी जायगी।

वर्तमान नीति के अनुसार आमान परिवर्तन परियोजना तब शुरू की जाती है :

(i) जब कोई खण्ड संतृप्त हो जाये तथा अतिरिक्त यातायात संभालने में असमर्थ हो।

(ii) जब अन्तर्गस्त यानान्तरण की मात्रा इतनी हो कि यह अलाभप्रद हो अथवा यह बिलकुल व्यावहारिक न हो।

(iii) जब यह उन क्षेत्रों के संचार के साधनों की द्रुत एवं अबाध गति से व्यवस्था करने के लिए आवश्यक हो जिन क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं मौजूद हों।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नयी रेल लाईनों के निर्माण की 6 योजनाओं की योजना द्वारा मशविरा देरे के लिए विशेषषों की एक समिति के सुपुर्द किया गया है।

इनमें से निम्नलिखित 5 लाइनें आंशिक रुप से आसाम में पडती है :

1. गोहाटी–बरनीहाट
2. सिलचर–जिरीबाम
3. वालिपारा–भालुकपांग
4. आमगुरी–तुला
5. लालाघाट–सेरंग

किसी अन्य योजना को समिति के सुपूर्द नही किया गया है :

Supply of wagons to Western Railway

†4459. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether wagons are not being made available on time at many places on Western Railway particularly in Kota Division for the past three months;

(b) whether senior officers of Kota Division are allotting wagons immediately at many stations and not allotting them at other places for two to three months and if so, the reasons; and

(c) if not, whether a statement showing dates of booking at and allotment of wagons for various stations from Kota, Gangapur City, Hindon City and Sawai Madhopur Stations, separately for the past three months will be laid on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Supply of wagons on the Western Railway has been satisfactory. The outstanding demands pending supply at the close of the month during December, 1977, January 1978 and February 1978 on the Broad Gauge roughly represents three days average loading.

(b) Loading at individual stations depends on the priority of movement allocated to specific commodities and also on materialisation of inward loaded traffic at those stations. Care is, however, taken to arrange supply of empty wagons at other stations where the registrations fall in arrears, so that the oldest date of registration is more or less uniform in the entire Division.

(c) Statement is being compiled and will be laid on the Table of the House in due course.

दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक ारा चक्रधर पुर का दौरा

4460. **श्री आर० पी० षारंगी** . क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने 17–2–1978 को चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो रेल विभाग ने उसके वहां के दौरे पर कुल कितनी राशि खर्च की ; और

(ग) इस तथ्य के बावजूद कि चक्रधरपुर बम्बई-हावड़ा मेन लाइन पर है, जिस पर अनेक तेज चलने वाली गाड़ियां चलती हैं, महाप्रबंधक ने सैलून क्यों प्रयोग किया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (ी शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : 17–2–1978 को महाप्रबन्धक ने रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त और विभागाध्यक्षों के साथ वार्षिक निरीक्षण स्पेशल गाड़ी से दक्षिण पूर्व रेलवे के सिनी-चक्रधरपुर खण्ड का निरीक्षण किया था। ऐसे निरीक्षण, जिनमें रेलों के कार्य से सम्बन्धित सभी पहलू सम्मिलित होते हैं और जिनमें न केवल भिन्न भिन्न विभागों के अनेक अधिकारियों की उपस्थिति अपेक्षित होती है, परन्तु जिसमें खण्ड के मध्य में कई स्थलों पर रुकना भी होता है, जन संरक्षा के हित में एक अनिवार्य आवश्यकता है। चूंकि सिनी-चक्रधरपुर खण्ड पर निरीक्षण के लिए निरीक्षण स्पेशल गाड़ी चलाई गयी थी, अतः महाप्रबन्धक द्वारा चक्रधरपुर स्टेशन का निरीक्षण किये जाने पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ।

कथित कदाचार

4461. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी युनियन ने वर्ष 1971 में यह आरोप लगाया था कि विजयवाड़ा डिवीजन का तत्कालीन प्रभागीय अधीक्षक विभिन्न कदाचार में अन्तर्गरत था ;

(ख) क्या तत्कालीन उप भण्डार नियंत्रक के विरुद्ध भी इसी प्रकार के आरोप लगाये गय थे ;

(ग) क्या दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी यूनियन के महामंत्री को उपर्युक्त दो अधिकारियों के विरुद्ध अभ्यावदन भेजने के आरोप के कारण 3 अक्तूबर, 1975 से वरिष्ठ लिपिक डी० एस० टी०/सी० एन०/बी० जैड० ए० कार्यालय से निलम्बित कर दिया गया था ;

(घ) क्या वह अब तक निलम्बित रहा है ; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1971 में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती। लेकिन 1970 में दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी यूनियन, विजयवाड़ा ने, छपे हुए परचों द्वारा तत्कालीन मंडल अधीक्षक, विजयवाड़ा के विरूद्ध कदाचार के कुछ आरोप लगाये थे। 1972 में इस यूनियन के महामंत्री ने एक शिकायत भेजकर इसी अधिकारी के विरूद्ध आरोप लगाये थे। 1974 में इसी यूनियन के महामंत्री ने एक शिकायत भेजकर इसी अधिकारी के विरूद्ध आरोपों को दोहराया था तथा यह शिकायत की थी कि आरोपों की उचित जांच-पड़ताल नहीं की गयी है।

(ख) जी नहीं। लेकिन विशेष पुलिस स्थापना, विजयवाड़ा ने तत्कालीन स्टाफ के उपनियंत्रक, विजयवाड़ा के विरूद्ध एक मामला दर्ज किया था।

(ग) और (ङ.) : शिकायतकर्ता, जिसने 1974 में शिकायत पर हस्ताक्षर किया था, को दुर्भावनापूर्ण झूठे और निराधार आरोपों के लिए 3–10–75 से निलम्बित कर दिया गया था और उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी थी क्योंकि जांच करने पर यह पाया गया था कि शिकायत में कोई तथ्य नहीं है। अनुशासनात्मक कारवाई अभी भी जारी है।

(घ) जी हां।

मध्य प्रदेश में औषध निर्माताओं द्वारा दिया गया ज्ञापन

4462. **श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जनवरी, 1978 में मध्य प्रदेश के औषध निर्माताओं की ओर से ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न कठिनाइयां क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश फार्मास्यूटोकल निर्माता संगठन ने निम्नलिखित कठिनाइयां/शिकायतें की हैं :—

(1) सरकार को राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को मैसर्स आई० डी० पी० एल०, मैसर्स एस० एस० सी० एल० आदि से प्राथमिकता के आधार पर दवाईयां और उपस्कर खरीदने के लिए दिए गए आदेशों को वापस ले लेना चाहिए क्योंकि इससे लघु उद्योग एककों के विकास को हानि पहुंचती है। लघु उद्योग एककों को सरकारी क्षेत्र एककों के समान वरीयता देनी चाहिए।

(2) दवाइयों पर से बिक्री कर को समाप्त करना।

(3) प्रतिवर्ष 40 लाख रुपये से कम कुल बिक्री वाले लघु उद्योग एककों के बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को रद्द करना।

(4) जीवन रक्षा दवाइयों में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क को कम किया जाए।

(5) आवंटन, भेषज और डाक्टरों के ज्ञान सहित तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारियों के अधीन इंदौर में स्टेट ड्रग नियंत्रक कार्यालय का सीधे नियन्त्रण में होना।

(ग) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० जो पूर्ण रूप से एक सरकारी कम्पनी है, के कार्य में सुधार करने के लिये सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा दी गई छूट का लाभ उठायें जिससे सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराने, अच्छी किस्म की दवाइयों की सुनिश्चितता और आई० डी० पी० एल० जैसे सरकारी उद्यम के सफलतापूर्वक कार्य करने का उद्देश्य पूरा होगा। इसी प्रकार यह अनुदेश भी जारी किये गये थे कि राज्य सरकार के अस्पतालों, औषधालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के लिये औषधों की खरीद के ममाले में मैसर्स स्मिथ स्टैंजेस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता को भी अन्य दो सरकारी उपक्रमों के समान ही समझा जाना चाहिए।

बिक्री कर को समाप्त करने के मामले पर राज्य सरकार विचार कर सकती है।

यद्यपि सरकार को यह पता है कि सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सुझावों से दवाइयों के मूल्यों में कमी होगी लेकिन केन्द्रीय राजकोष को राजस्व की हानि होगी।

जहां तक राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरणों आदि को मजबूत बनाने का संबंध है, केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद द्वारा उसी प्रकार की सिफारिशें की गई हैं और इन सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

इन्दौर में औषध नियंत्रण का कार्यालय स्थापित करने के मामले पर भी राज्य सरकार ही विचार कर सकती है।

Draughtsmen in Railway Electronics Project

†4463. **Shri Subhash Ahuja:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Draughtsmen working in Railway Electronics Project were given seniority alongwith the Draughtsmen of Northern Railway from 1958 though their appointments were made against purely temporary posts and from 1st April, 1968 they were confirmed against permanent posts along with those appointed in Northern Railway;

(b) if so, whether seniority of the persons who were working against permanent posts in Northern Railway, has been affected and thus they have been exploited; and

(c) the arrangements being made by Government to safeguard the interests of those affected and exploited employees?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Draftsmen recruited through the Railway Service Commission for the combined requirements of the Open Line Railways and Railway Electrification, have been provided liens on Railways on whose portions such staff have been working.

(b) No. Their seniority is governed by the position allotted by the Railway Service Commission.

(c) Does not arise.

रेल कर्मचारियों की शिकायतों के लिये तंत्र

4464. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसा स्थायी तंत्र बनाने का है जिसको रेल कर्मचारियों की सभी शिकायतें अन्तिम निर्वाचन के लिये भेजी जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (घ) : कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक स्थायी वार्ता तंत्र पहले से ही मौजूद है। इसकी स्थापना 1952 में की गयी थी और इसमें तीन स्तर है। रेलवे स्तर पर मान्यता प्राप्त युनियनें, मण्डल कारखाना तथा क्षेत्रीय स्तरों पर स्थानीय प्रशासनों की शक्तियों के अन्तर्गत आने वाले विषयों से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में रेल प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श कर सकती है। क्षेत्रीय प्रशासन की शक्तियों के बाहर के विषयों तथा जिन प्रश्नों का समाधान वहां न हो सके, के संबंध में मान्यता प्राप्त फेडरेशनों द्वारा रेलवे बोर्ड के साथ विचार-विमर्श किया जा सकता है। जिन महत्वपूर्ण विषयों का रेलवे बोर्ड के स्तर पर वार्ता द्वारा समाधान नहीं होता है उन्हें तदर्थ अधिकरण में भेज दिया जाता है जो परमोच्च स्तर है।

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू संयुक्त परामर्श तंत्र योजना के अन्तर्गत रेल कर्मचारी भी आ जाते है जिसमें रेलें भी राष्ट्रीय तथा विभागीय स्तरों पर भाग ले रही है। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के किसी वर्ग विशेष वेतन और भत्ते, साप्ताहिक कार्य-घंटे तथा छुट्टी संबंधी उन मामलों को जिनमें विभागीय परिषद् तथा राष्ट्रीय परिषद की बैठकों में असहमति हो गयी हो, पंचाट बोर्ड के पास भेजा जाना अपेक्षित होता है। यदि दोनों में किसी पार्टी द्वारा इस आशय का अनुरोध किया जाता है।

राज्यों में नये पेट्रोल पम्प

4465. **श्री राम नाथ प्रधान :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में नए पेट्रोल पम्प खोलने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है ;

(ख) यह प्रतिबन्ध कब तक उठाये जाने की संभावना है ; और

(ग) नये पेट्रोल पम्प खोलने के लिए लाइसेंस मंजूर करने के लिए सरकार द्वारा प्रायः क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अब नये फुटकर बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पम्पों) को खोलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नये फुटकर बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पम्पों) के लिए स्थान व्यक्तिगत रूप से तेल कंपनियों द्वारा बिक्री केन्द्रों के आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर निश्चित की जाती है। आयल कंपनियों द्वारा नये फुटकर बिक्री केन्द्रों के स्थापना के लिये जो मानक अपनाये जाते हैं वे मुख्यतया इस प्रकार हैं :—

1. बम्बई, कलकत्ता, देहली और मद्रास महानगरों में बिक्री केन्द्रों की स्थापना महानगरों के मास्टर प्लानों और स्थानों की उपलब्धता के अनुसार की जायगी।

2. अन्य शहरों और नगरों में जिनकी जनसंख्या 2.5 लाख अथव इससे अधिक है। में वर्तमान बिक्री केन्द्र से 3 किलो मीटर की दूरी के भीतर नया बिक्री केन्द्र स्थापित नही किया जायेगा जब तक कि हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट की मिली जुली औसत मासिक बिक्री तीन कि० मी० के क्षेत्र के अन्तर्गत 100 कि० लीटर से अधिक न हो जाय।

3. नेशनल हाईवे को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में वर्तमान बिक्री केन्द्र से 4 कि० मी० की दूरी के भीतर नया बिक्री केन्द्र स्थापित नहीं किया जायगा तबतक बिक्री केन्द्र की हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट की सम्मिलित रुप में मासिक औसत बिक्री 4 कि० मी० रेडियस के अन्तर्गत 80 कि० ली० से अधिक न हो जाय।

4. जहां तक नेशनल हाईवे का संबंध है वर्तमान बिक्री केन्द्र के 15 कि० मी० तक के क्षेत्र में नया बिक्री केन्द्र स्थापित नहीं किया जायेगा जब तक कि 15 कि० मी० तक वर्तमान बिक्री केन्द्र की मासिक औसत बिक्री 80 कि० ली० से अधिक न हो जाय।

कुथीपुरम-गुरवापुर रेलवे लाइन

4466. **श्री के० ए० राजन : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुथीपुरम-गुरवापुर रेल लाइन के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : कुट्टिपुरम-गुरुवायूर-त्रिचुर रेलवे लाइन की सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच का काम पूरा हो गया है। उससे पता चला है कि प्रस्तावित लाइन काफी यातायात आकृष्ट नहीं कर पायेगी अत: अर्थक्षम नहीं होगी। संसाधनों की वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस परियोजना को फिलहाल शुरु करना सम्भव नही होगा।

Rail-cum-Road Bridge on the Ganga near Patna

†4467. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 364 on the 15th November, 1977 re. Railway bridge on Ganga in Patna and state;

(a) whether the technical aspects of the survey report have since been examined and if not, the time by which it is likely to be completed;

(b) whether this will be a rail-cum-road bridge; and

(c) the sites surveyed for building a bridge across the Ganga, in Digha or Ranapur or some other places west of Patna town on the southern bank of the river and also sites surveyed near Pahleze ghat on the Northern bank of the river indicating their distances from Patna town and Pahleze ghat respectively ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes. However, further model studies are in hand in Central Water & Power Research Station, Khadakvasla for determining the number of spans of the proposed bridge at Patna and its effect on Patna bank.

(b) No.

(c) The following sites near Patna area were studied :—

(i) site near Sadaqat Ashram.

(ii) site near Pahleza ghat.

(iii) Dighwara, west of Digha.

(iv) at Gulzarbagh near the road bridge under construction.

The site near Sadaqat Ashram has been preferred on technical considerations and it is very close to the heart of the city.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विचार

4468. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 22 फरवरी 1978 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह विचार व्यक्त किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ खामी के कारण लाखों नवयुवक अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो गए हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या अधिनियम में वह संशोधन जिसकी उन्होंने सिफारिश की है, सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) किस प्रकार की कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : इस विषय की जांच की जा रही है ।

रेल कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता

4469. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेल कर्मचारी फेडरेशन ने महंगाइ भत्ते की अतिरिक्त किस्त की मांग की है क्योंकि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 12 महीनों का औसत दिसम्बर 1977 के अंत में 320 अंकों तक पहुंच गया है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : दिसम्बर 1977 के अंत में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल सूचकांक का औसत 320 तक पहुंचने पर सरकार ने 1-1-1978 से महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त स्वीकृत कर दी है । सरकार द्वारा भुगतान के तरीकों पर नेशनल कौंसिल के स्तर पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

Level crossing in Ganganagar area

†4470. **Ch. Hari Ram Makkasar Godara:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is no level crossing on railway lines near any of the villages in Ganganagar area;

(b) the number of accidents which took place in this area during the current year; and

(c) whether he has under consideration suggestions to provide level crossing in this area and if so, the decisions taken thereon ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) There are already 385 level crossings of various classes in Ganga Nagar District.

(b) One accident took place at a level crossing in this area during the current year. There was however no casualty.

(c) Proposals for the provision of new level crossings will have to be sponsored by the State Government/Local Authority and the entire cost thereof borne by them. The Railway will favourably consider any proposals for new level crossings provided the same are sponsored by the State Government/Local Authority and the location is feasible from safety point of view.

Stoppage of Delhi-Bombay Rajdhani Train at Kota

†4471. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Kota city in Rajasthan is one of the important industrial cities in the country;

(b) whether keeping in view the trade and industrial activities of this city Delhi-Bombay Rajdhani Train should also be stopped at Kota junction but it is not so; and

(c) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c): Having regard to the fast characteristics of 151/152 Bombay Central—New Delhi Rajdhani Express, it is not proposed to provide stoppage of this train at Kota.

बर्मा आयल कम्पनी के शेयरों का आयल इंडिया लिमिटेड में लिया जाना

4472. **श्री वसन्त साठे : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इंडिया लिमिटेड में बर्मा आयल कम्पनी के शेयरों को लिये जाने के संबंध में बातचीत में आसाम में आयल इंडिया के 780 वर्गमील के पट्टे में पाये गये तेल निक्षेपों के मुआवजे के प्रश्न पर गतिरोध पैदा हो गया है और बर्मा आयल ने अपने पट्टे की भूमि के अन्दर पता लगे तेल निक्षेपों के लिए मुआवजा मांगा है;

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि बर्मा आयल के हिस्से की आस्तिओं के लिए मुआवजे की राशि के बारे में मतभेद है और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम, और रसायन उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनश्वर मिश्र) : (क) से (घ) : आयल इंडिया लिमिटेड में बर्मा आयल कम्पनी के शेयरों का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में बातचीत चल रही है। इस समय इसका ब्यौरा देना जनहित में नहीं होगा।

उच्च न्यायालय में नई बेंचे

4473. **श्री चित्त बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालय को नई बेंचों की स्थापना की मंजूरी देने का है ; और

(ख) यदि हां तो इस दिशा में कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) : ऐसा कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

गुजरात में नय तेल और गैस क्षेत्र

4474. **श्री हितेन्द्र देसाई : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पादरा और वाटवा में ऐसे क्षेत्रों का पता लगा है जिनसे अधिक तेल और गैस प्राप्त होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां तो उनकी क्षमता क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : पादरा में ओ० एन० जि० सी० ने एक छोटे तेल भंडार की खोज की है। बाटवा में अभी तक व्यधन कार्य नहीं किया गया है। पादरा में तेल प्राप्त करने की क्षमता क अभी स्थापित करना है जिसके लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अधिक भूकम्पीय सर्वेक्षणों और अन्वेषणों व्यधन कार्यों की योजना बनाई है।

मंत्रालय में की गई प्रोन्नतियां

4475. **श्री के० प्रधानी** : या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में वर्ष 1975, 1976, तथा 1977 में प्रत्येक श्रेणी में ऐसी कुल कितनी प्रोन्नतियां की गई जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उपबंधों को लागू नहीं किया गया है ; और

(ख) इन प्रोन्नत व्यक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : (क) और (ख) :

	1975	1976	1977
(क) ग्रूप क (प्रथम श्रेणी)	14	18	8
ग्रूप ख (द्वितीय श्रेणी) . . .	..	..	1
ग्रूप ग (तृतीय श्रेणी)	..	..	..
ग्रूप घ (चतुर्थ श्रेणी)	..	..	..
(ख) कुछ नहीं			

Supply of Furnace Oil

4476. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the present demand and supply position of furnace oil for being used as basic material and fuel ;

(b) whether there has been acute shortage of this oil since 1972 and if so, the extent to which industrial capacity remained unutilized during the period from 1972 to date; and

(c) what measures Government propose to adopt to augment furnace oil supply ?

The Ministry of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) The estimated demand for furnace oil in 1977-78 is about 5.8 million tonnes. Supplies are made to meet the demand in full. The principal demand for furnace oil as fuel and its demand as industrial raw material is insignificant.

(b) Consequent upon the unprecedented increase in the price of crude oil in 1973 end an action plan was evolved by the Government with a view to bringing about economy and efficiency in the utilisation of furnace oil and also maximising utilisation of indigenously available alternate energy sources like coal, wherever technologically possible. Supplies of furnace oil to the then customers were made on the basis of their 1973 offtakes with 10% efficiency cut for all the customers except those who gave satisfactory account of having already achieved optimum efficiency. An additional 10% cut was imposed from May 1974 for all industries except 33 specified core sector and priority industries. With effect from 1-5-75 restrictions on the quantum of supplies of furnace oil to the then existing industries were withdrawn. Supplies of the product to new customers on a continuous basis, however, are made after it is established that alternative fuels like coal cannot be used. There has been no acute shortage of furnace oil since 1972 nor has any report been received about industrial production having suffered on account of lack of furnace oil.

(c) After assessing the demand in the country as a whole, imports of furnace oil are organised to the extent indigenous availability of furnace oil from the crude oil refined in the country falls short of the estimated demand. The demand for the product in the country is generally being met barring some problems of availability in certain locations because of inadequate movement of the product to those depot locations. Necessary steps have been taken for ensuring supply of the product according to demand.

Test for Posts of Fitters in Allahabad Division

†4477. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the date of appointment, experience and qualifications possessed by the employees called for test for the posts of fitters in the Allahabad division on the Northern Railway on the 23rd June, 1977 and the number thereof who passed the test;

(b) whether some of the employees declared successful as a result of the test had no technical knowledge, and were much junior and had been promoted twice within six months and some were declared successful even though they had not taken the test; and

(c) if the answer to parts above be in the affirmative, the action taken in respect of such irregularities?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c): Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

विधान सभाओं के निर्वाचनों में अभ्यर्थी

4478. **श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के विधान सभाओं के निर्वाचनों में दलवार और राज्यवार, कितने अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा ; और

(ख) जिन अभ्यर्थियों को, जमानतें जब्त हुई उनकी दलवार और राज्यवार संख्या क्या है तथा प्रत्येक दल के पक्ष में कितने प्रतिशत वोट पड़े ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांतिभूषण) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सदन के पटल पर रख दिए गए हैं। **ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी०**-1936/78]

मैक प्रयोग शालाओं को एल० बेस की सप्लाई

4479. **श्री गोविन्दा मुंडा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैक प्रयोगशालाओ ने आर० ई० पी० नीति के अन्तर्गत 27-9-77 से पूर्व लगभग 42 टन एल० बेस प्राप्त करने के प्रबन्ध किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्योरा क्या है और ईनका प्रति किलो मूल्य क्या है ;

(ग) वास्तविक प्रयोक्ताओं से मध्यम एजेंसियों द्वारा लिए जा रह मूल्य की तुलना में उनका मूल्य प्रतिकिलो कितना कम है ; और

(घ) मैक प्रयोगशालाओं को इस सौदे से कुल कितना लाभ होगा और सरकार इसे किस प्रकार न्यायोचित सिद्ध करेगी कि 650 रुपए प्रति किलो की बडो दर पर इसका मूल्य निर्धारण उनके लाभ पहुंचाने के लिए नही किया गया था?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : मैक लैबोरेटरीज से पूछ-ताछ पर ज्ञात हुआ है कि 27-9-77 तक लागू आई० ई० पी० नीति के अन्तर्गत उन्होंने करीब 18 मीटर टन ए-बेस के आयात की व्यवस्था की है इस पार्टी द्वारा आयात कयि जाने वाले ए-बेस का भाडे सहित मूल्य 35 अमरिकी डालरप्रति किलो बताया जाता है ।

(ग) और (घ) : भारतीय राज्यकिय रसायन एवं भेषज निगम एल बेस का 650 रुपये प्रति किलो के मूल्य पर विक्रय कर रहा है । क्लोरमफेनी कोल का प्रति किलो 586 रुपये के एक समान विक्रय मूल्य को ध्यान में उपरोक्त मूल्य का निर्धारण किया गया था ।

आर० ई० पी० नीति के अन्तर्गत प्रबन्ध किये गये एल-बेस के आयात से मैसर्स मैक लैबोरेटरीज द्वारा कमाया जाने वाला कूल लाभ इस पर निर्भर होगा कि वे आयातित एल बेस और/या उससे तैयार किया गया क्लोरमफेनी काल वास्तव में किस भाव पर बेचते है । अगस्त 1977 में जब सरकार ने सी० पी० सी० के एल बेस मूल्योंका निर्धारण किया था उस समय मैसर्स मैक लैबोरेटरीज द्वारा एल बेस के आयात की व्यवस्था की कोई जानकारी नही थी । जब 1977-78 के लिये आयात नीति की घोषणा की गई थी जिसमें, किसी भी वस्तु के निर्यात के आधार पर औषधों एवं भेषजों के आयात की अनुज्ञा थी तब रसायन एवं उर्वरक मंत्रालयने इस नीति में परिवर्तन के लिए तुरन्त कार्यवाही की । यह परिवर्तन केवल 27-9-1977 को अधिसूचित किया गया था और एल बेस का आयात क्लोरमफेनी काल तथा उसके सूत्रयोगों के निर्यात से जोडा गया था । अतः 27-9-77 के बाद कोई आर० ई० पी० लाईसेंस नहीं दिया गया है । इस तिथि से पहले भी दिये गये लाइसेंसों में से केवल वही लाईन्सेस जारी रहेंगे जिनके संबंध में 27-9-77को या उससे पूर्व समाप्त न किये जाने वाले साख पत्र खोले गये थे । इन तथ्यों के संदर्भ में मैसर्समैक लैबोरेटरीज या अन्य किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एल बेस के मूल्य निर्धारण में कोई अनियमितता नहीं है ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में ट्रेसरों के खाली स्थान

4480. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पूर्व रेलवे सिविल इंजीनियरिंग विभाग के ड्राफ्टसमैन, एस्टीमेटर्स और ट्रेसरों के पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं यद्यपि वे काफी लम्बे समय से खाली पड़े हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : सिविल इंजीनियरिंग विभाग के कनिष्ठ ड्राफ्टसमैन, कनिष्ठ एस्टीमेटर्स और ट्रेसर्स के कोई पद रिक्त नहीं हैं। वरिष्ठ ड्राफ्टसमैन और एस्टीमेटर्स के कुछ पद इसलिये नहीं भरे गये हैं क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के ड्राइंग कार्यालयों में पहले से ही अधिक कर्मचारी मौजूद हैं और इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त की गयी समिति द्वारा इस संवर्ग की समीक्षा की जा रही है। इस बीच ऊंचे ग्रेड के पदों को भरने के लिए प्रवरण और उपयुक्तता परीक्षाओं से सम्बन्धित कार्रवाई भी की जा रही है।

कटिहार में विभागीय खान-पान सेवा

4481. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन० एफ० रेलवे के अन्तर्गत कटिहार और अन्य रेलवे स्टेशनों में विभागीय खान-पान सेवाओं को लागू करने के लिए रेलवे विभाग के निर्णय और आदेश को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन निर्णयों तथा आदेशों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है ;

(ग) क्या सरकार तिनसुखिया, नया बोंगाईगांव और सिल्लीगुड़ी रेलवे स्टेशनों पर संबंधित ठेकेदारों के करारों की वर्तमान अवधि के समाप्त होने के बाद इनके करारों का नवीकरण न करने और सरकार के उस निर्णय को ध्यान में रखते हुये, कि एकाधिकार खान-पान करार पद्धति को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाये, इन स्टेशनों में विभागीय खान-पान पद्धति को लागू करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) क्या सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए एन० बी० जी० हावड़ा तक तिनसुकिया मेल (एम० जी० तथा एम० जी०) और जनता एक्सप्रेस ट्रेन तथा अन्य महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में विभागीय तौर पर चलाये जाने वाले भोजन-यान (डाइनिंग कार) करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : लगातार हानि को ध्यान में रखते हुए, कटिहार स्टेशन की विभागीय खान-पान यूनिटें 25-2-76 से बन्द कर दी गयीं। इस स्टेशन पर विभागीय खानपान व्यवस्था पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) तिनसुखिया रेलवे स्टेशन पर खान-पान ठेकेदारों के करारों का 30-6-78 से आगे नवीकरण नहीं किया जा रहा है। 1-7-78 से व्यापक विभागीय खान-पान व्यवस्था चालू की जायेगी।

4—117 L.S.S. (N.D.)/78.

सिलीगुड़ी में विभागीय प्रबन्ध वाला एक रेस्ट्रां खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(घ) इस समय न्यू बोंगाईगांव और मुगलसराय रेलवे स्टेशनों के बीच बड़ी लाइन पर तिनसुखिया मेल में एक विभागीय पेंट्री यान चल रहा है। यह भी विनिश्चय किया गया है कि न्यू बोंगाईगांव और तिनसुखिया के बीच मीटर लाइन पर एक विभागीय पेंट्री यान चलाया जाय। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में जनता एक्सप्रेस या किसी अन्य गाड़ी में भोजन यान/पेंट्री कार चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मई, 1974 की हड़ताल में अन्तर्ग्रस्त रेल कर्मचारी

4482. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 की हड़ताल में अन्तर्ग्रस्त रेल कर्मचारियों के बारे में निम्नलिखित भागों में उल्लिखित बात के संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) हड़ताल की अवधि के बारे में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या दिए गए दंड रद्द कर दिये गये हैं ;

(घ) क्या निलम्बन अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भत्ते का भुगतान कर दिया है ;

(ङ) क्या जिन नमित्तिक श्रमिकों / स्थानापन्न लोगों को निकाल दिया गया था, उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया है ; और

(च) क्या वफादार कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि मंजूर करने के परिणाम स्वरूप वेतन में आई असमानता दूर कर दी गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) विभिन्न मदों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :

(ख) 1-3-78 को इस आशय के अनुदेश भी जारी किये गये हैं कि सभी मामलों में अनुपस्थिति की अवधि को देय छुट्टी तथा जहां पूरे वेतन अथवा आधे वेतन पर छुट्टी देय न हो, बिना वेतन की छुट्टी मान लिया जाये और इस अवधि की वेतन वृद्धि के लिए गणना की जायेगी।

(ग),(घ) और (ङ) : इन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है।

(च) जी नहीं, लेकिन इनकी वरिष्ठता सूची में अपने पहले के स्थान पर रखा गया है। यदि उन में से कोई व्यक्ति पहले नियमित वेतनमान में काम कर रहा था तो उसको उसी वेतनमान में उसी वेतन पर वापस ले लिया गया है जो कि वे नौकरी से हटाये जाने से पूर्व ले रहे थे।

पहलेजाघाट से पटना तक लाइट के करियर आफ ट्रांसपोर्ट चलाने सम्बन्धी प्रस्ताव

4483. **पण्डित द्वारिकानाथ तिवारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर वाहनों तथा अन्य माल को ले जाने के लिए पहलेजाघाट से पटना तक लाइट करियर ऑफ ट्रांसपोर्ट चलाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस परियोजना की लाभप्रदता का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : रेलवे घाट सेवा द्वारा पालेजाघाट और महेन्द्रूघाट के बीच घाट वाहन यातायात के एक प्रस्ताव की जांच की गयी थी परन्तु उसे वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षेम नहीं पाया गया। राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्तनिजी घाट उतराई सेवाएं और रेल घाट उतराई सेवा के समानान्तर चलने वाली सेवाएं इन स्थलों के बीच वाहन एवं अन्य माल यातायात पहले से ही ढो रही है।

कर्नाटक में मतदाता-सूचियों के बारे में शिकायतें

4484. **श्री डी० वी० चन्द्र गौडा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के विधान सभा निर्वाचनों में कर्नाटक राज्य में मतदाता-सूचियों के बारे में बहुत अधिक शिकायतें थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत सी कालोनियों के हताश नागरिकों को यह जानकर और भी निराशा हुई है कि मतदाता-सूचियों में विशेष रूप से बंगलोर शहर में मकानों के पूरे-पूरे ब्लाकों को छोड़ दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा किये गये प्रबंधों का ब्यौरा क्या है और इन सूचियों में मतदाताओं के नाम न दर्शाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) से (ग) : ऐसी कुछ शिकायतें, जो बंगलोर शहर से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में से निर्वाचकों के नाम छूट जाने के बारे में प्राप्त हुई थीं, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन आफिसर को जांच के लिए भेज दी गई है।

कदाचार के लिये काली सूची में दर्ज की गयी कम्पनियाँ

4485. **श्री समर गुह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कदाचार के आरोपों पर अथवा कानूनी उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण वर्ष 1975-77 तक कितनी कम्पनियों के नाम काली सूची में दर्ज किए गए हैं ; और

(ख) उन पर सामान्यतः किस प्रकार के आरोप हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) : कम्पनी अधिनियम, 1956 में, किसी कम्पनी को कदाचार के आरोप, अथवा कानूनी उपबन्धों के उल्लंघन पर, काली सूची में दर्ज करने के लिए, कोई उपबन्ध नहीं है। परन्तु कानूनी उपबन्धों के उल्लंघन के लिये कम्पनियों पर मुकदमे दायर किये जा सकते हैं। यह जहां अधिपत्रित हो, किया जा रहा है।

वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स

4486. **श्री सौगत राय** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से विद्युत उपकरणों की सप्लाई न होने के कारण वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में उत्पादन कार्यक्रम पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा अपना उत्पादन कार्यक्रम बनाये रखने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां ।

(ख) बाकी बिजली उपस्करों के आयात के काम में वृद्धि की जा रही है। इस बीच वर्तमान क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से रेलवे को अतिरिक्त सामान मुहैय्या करने के लिए डीजल रेल इंजन कारखाना द्वारा डीजल पावर पैक, मेन्टेनेंस, स्पेयर्स, सुपर स्ट्रक्चर, रेल इंजनों के लिए निचले ढांचे, आदि का निर्माण किया जा रहा है। इससे वर्तमान क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग हो सकेगा।

अत्यावश्यक औषधियों का मूल्य

4487. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1975 और मार्च, 1977 के स्तर की तुलना में इस समय अत्यावश्यक औषधियों के मूल्य स्तर कम हैं ; और

(ख) क्या सरकार इससे सन्तुष्ट है कि बहुराष्ट्रीय औषधियों के मूल्यों में हेरफेर कर लाभ नहीं कमा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मार्च, 1975, मार्च 1977 तथा फरवरी, 1978 (अंतरिम) औषधों के थोक मूल्य सूचकांक (1970-71 में 100 के आधार पर) निम्न प्रकार है :--

मास	थोक मूल्य सूचकांक
मार्च 1975	115
मार्च, 1977	135.2
फरवरी, 1978 (अंतरिम) . . .	137.7

(ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत औषधों के मूल्य कानूनी रूप से नियंत्रित है। सरकार द्वारा एक बार निर्धारित/अनुमोदित मूल्यों के संशोधन तथा नये पैक/नयी औषधों के मूल्य निर्धारण के लिये सरकार का पूर्णानुमोदन आवश्यक है। विदेशी औषध कम्पनियों सहित औषध उद्योग के सभी क्षेत्रों पर कानूनी नियन्त्रण एक समान लागू होता है ।

गोवा के न्यायिक आयुक्त के समक्ष लम्बित मामले

4488. **श्री अमृत कासर :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा, दमण तथा दीव के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में कितने मामले लम्बित हैं तथा कब से;

(ख) इनमें से कितने मामले निर्वाचन अर्जियां हैं जो छह महीने से अधिक समय से न्यायालय में लम्बित हैं; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) न्यायिक आयुक्त के न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 28-2-1977 को लम्बित मामलों की संख्या 1400 थी। इन मामलों में से 749 मामले एक वर्ष से कम अवधि से, 250 मामले एक से दो वर्ष तक की अवधि से, 174 मामले दो से तीन वर्ष तक की अवधि से और 227 मामले तीन वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित हैं।

(ख) एक ।

(ग) अपर न्यायिक आयुक्त का वह पद जो मई, 1976 से रिक्त था सितम्बर, 1977 में भर दिया गया है ।

गुजरात में तेल की खोज

4489. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में नवीनतम खोजों से गुजरात के बहुत से भागों में तेल का पता चला है;

(ख) यदि हां तो इस बारे में पूरे तथ्य क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के खोजकार्य आगे जारी रखने का है और यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। कुछ और स्थानों पर हाइड्रोकार्बन मिलने के संकेत पाये गये ।

(ख) मेहसाना के पास जोताना में, कादी के पास विराज में और अंकलेश्वर के पास पादश में तेल प्राप्त हुआ है तथापि इन नये क्षेत्रों की क्षमता का अभी मूल्यांकन किया जा रहा है ।

(ग) जी हां, जटिल स्थानों में और अधिक तेल तथा गैस की खोज जारी है ।

वरिष्ठ रेल अधिकारियों का संगठन

4490. **डा० बापू काल दाते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ रेल अधिकारियों का कोई संगठन है;

(ख) क्या उस संगठन की हाल ही में बैठक हुई थी जिसमें रेलवे के सभी सरकारी समारोहों को बहिष्कार करने का निर्णय किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) फेडरेशन आफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन्स नामक एक संस्था है जिसकी सम्बन्ध संस्थाएं क्षेत्रीय रेलों पर हैं ।

(ख) और (ग): जबकि फेडरेशन ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है लकिन इसकी कुछ सम्बद्ध संस्थाओं ने यह निर्णय किया कि रेल अधिकारी और उनके परिवार खेल कूद समारोह, रेल सप्ताह आदि जैसे सभी समारोहों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। इनमें से रेल सप्ताह एक सरकारी समारोह है। बाद में फेडरेशन ने निर्णय किया कि इससे सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा पारित ऐसे संकल्पों को लागू करने के निर्णय को स्थगित रखा जाय और अप्रैल, 1978 के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाली बैठक में इस स्थिति की समीक्षा की जाय।

Lalitpur-Singravati Railway line

†4491. **Shri Y. P. Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether he (the Minister) in his budget speech, has stated that survey work of new railway line from Lalitpur to Singravti via Khajuraho, Satna and Rewa will be started and if so, when this work is likely to be started and whether, keeping in view backwardness of this area and speeding up its development this survey work will be completed in 1978-79; and

(b) whether survey of some portion of the proposed line was also conducted earlier and if so, the portion of line in respect of which survey has been conducted and whether construction work on this portion of the line will be started in 1978-79?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes, a preliminary engineering-cum-traffic survey for construction of new line about 455 Kms. long from Lalitpur to Singrauli *via* Khajuraho, Satna and Rewa at an estimated cost of Rs. 18 lakhs has been included in the budget for 1978-79 with an initial outlay of Rs. 3.12 lakhs. The survey work will be taken up during 1978-79 after the Parliament has approved the proposal and will take about three years for its completion.

(b) A traffic survey was carried out in 1973 for 127 Kms. long railway line from Satna to Beohari *via* Rewa. This line was estimated to cost Rs. 19 crores at a very approximate basis and was expected to yield a return of 1.5% in the 6th year. Being unremunerative, it was decided not to pursue the project. The project will be considered afresh after the completion of the survey for Lalitpur-Singrauli line which is proposed to be taken up in 1978-79.

सभी जिला मुख्यालयों में इण्डेन गैस की उपलब्धता

4492. **श्री सरत कार:** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या है; जहां इण्डेन गैस उपलब्ध करने के लिए अभी तक प्रबंन्ध नहीं किया गया है; और

(ख) क्या देश के सभी जिला मुख्यालयों में इण्डेन गैस के वितरण की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) उन जिला मुख्यालयों के नाम अनुबंन्ध में दिये गये हैं, जहां पर इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमि० द्वारा इंण्डेन गैस की एजसियां स्थापित की जा चुकी हैं।

(ख) इंडेन की वर्तमान उपलब्धता इस समय के ग्राहकों के सिलेंन्डरों में गैस के पुन: भरे जाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है । तथापि, नये गैस कनेक्शनों की वर्तमान मांग इंडन के वर्तमान उत्पादन पर आधारित इस उत्पाद की उपलब्धता से कहीं अधिक है । इस उत्पाद अगले 2 से 3 वर्षों में सुधार हो जाने की आशा है, तब इंडियन आयल कार्पोरेशन के लिए और अधिक जिला मुख्यालयों में इंडेन के विपणन का विस्तार करना सम्भव होगा ।

अनुबन्ध

उन जिला मुख्यालयों को दर्शाने वाला विवरण जिनमें इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा खाना पकाने की गैस की एजेंसियां स्थापित की जा चुकी हैं ।

राज्य का नाम	जिला मुख्यालय का नाम
1	2
आन्ध्र प्रदेश .	. चिट्टूर, कोडाप्पा, नैलोर, गन्नटूर, अंगोले, हैदराबाद, कुरनूल, आन्नथापुर,
आसाम .	. गोहाटी, तेजपुर, डिबरुगढ़, नौगांग, जोरहट, सिलचर ।
बिहार .	. भागलपुर, अरोह, दरबंगाह, धनबाद, गया, हजारीबाग मुंघेर, मुजफरपुर, पटना, पूरनिया, रांची, समसतीपुर, छप्परा, कटीहार, मेतिहारी, बिहार, शरीफ ।
गुजरात .	. भुज्ज, अमरेली, बरोच्च, बडौदा, भावनगर, अहमदाबाद, गोदरा, राजकोट, सुरिन्दरनगर, जामनगर, गांधीनगर, जूनागढ, सूरत ।
हरियाणा .	. अम्बाला, करनाल, हिसार, गुडगांव, रोहतक, सोनीपत ।
हिमाचल प्रदेश	. शिमला ।
कर्नाटक .	. मेंगलोर, बेंगलोर, तुमकर, कोलार, बीलेरी, रायचूर, मरकारे मैसूर ।
केरल .	. अरनाकुल्लम, ट्रविन्डडम, कैन्नानोर, कोटयाम, तिरिचूर, पालघाट, क्यूलोन, अलोपी, कालीकट ।
मध्य प्रदेश.	. रायपुर, भोपाल, ग्वालियर, होशांगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, सागर, दम्मोह, सत्तना, रीवा, दुर्ग ।
मनीपुर .	. इम्फाल ।
मिजोरम	. आय जवाल ।
उड़ीसा .	. बालासोर, कटक, पूरी, सांबलपुर ।
पंजाब .	. जालन्धर, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर ।
राजस्थान .	. जैपुर, अजमेर, जोधपुर, झुनभनू, उदयपुर, कोटा ।
सिक्कीम .	. गंगटोक ।

1	2
तामिलनाडू .	मद्रास, कांचीपुरम, छुद्दलोर, वैलोर, मदुराय, त्रिचई, तन्जोर, नागरकोयल, तिरूनलवली, कोएम्बेटूर, सौलेम, आर्कट, पुन्डूकोटै ।
त्रिपुरा . .	अगरतला ।
उत्तर प्रदेश .	इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, मिरजापुर, आगरा, देहरादून, सहारनपुर, बरेली, अलीगढ, नैनीताल, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफरनगर, झांसी, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर ।
पश्चिमी बंगाल .	दारजलिंग, जलपैगुरी, कुछ बिहार, बैलूरघाट, कृष्णनगर, हावडा, कलकत्ता, बरद्वान, चिनसुरा, अलीपुर ।
मेघालय . .	शिलांग ।
नागालैंड .	कोहिमा ।
केन्द्र शासित क्षेत्र .	चंडीगढ़, दिल्ली, पांडीचेरी ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षण संबंधी नियम

4493. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण संबंधी नियम रेलवे सेवा में उन पदों तक लागू होते हैं जिनके वेतनमान 2250 रुपये तक जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों, के कर्मचारियों को यह लाभ किया गया है और बाकि कमी को पूरा करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण नियम निम्नलिखित पर लागू होते हैं :

(i) सीधी भर्ती द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियां;

(ii) श्रेणी I की सेवा के मूल ग्रेड में पदोन्नति;

(iii) श्रेणी II की सेवा में पदोन्नति, जहां रिक्तियां सामान्यत: चयन द्वारा पदोन्नति करके भरी जाती है; और

(iv) सभी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में पदोन्नति ।

पदोन्नति सम्बन्धी कोटियों में आरक्षण नियम तभी लागू होते है जबकि जिस ग्रेड में पदोन्नति हो रही हो उसमें सीधी भर्ती, यदि कोई हो, का तत्व $66\frac{2}{3}\%$ से अधिक न हो । इसके अलावा उपरोक्त मद (ii) और (iii) के अन्तर्गत पदोन्नतियों के सम्बन्ध में आरक्षण केवल क्रमश: 25-2-70 और 20-7-74 से ही लागू किया गया आरक्षण नियम श्रेणी की सेवा के उच्चतम ग्रेडों में रिक्तियों को भरने में लागू नहीं होते जिन्हें चयन द्वारा भरा जाता है । किन्तु श्रेणी I के सेवा के एसे पदों के सम्बन्ध में जिनका अन्तिम वेतन 2250 रु० प्रतिमाह या उससे कम होता है उनमें ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी शामिल किये जाते है जो पदोन्नति के लिए विचार किये जाने वाले क्षत्र में इतने वरिष्ठ हों कि वे उन रिक्तियों के अन्तर्गत आ जाते हो जिनके लिए पैनल बनाया जा रहा है, बशर्तें कि वे पदोन्नति के लिए आयोग्य न समझे जायें ।

(ख) ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गयी है जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान लाभ हुआ है :—

श्रेणी/सेवा

	1975–76		1976–77	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
सीधी भर्ती में	8	–	20	1
पदोन्नति में	3	–	9	–
श्रेणी II सेवा				
पदोन्नति में	83	18	68	23

रेलवे सुरक्षा दल में सहायक सुरक्षा अधिकारी के अलावा जिसमें 1975 से 30% रिक्तियां सीधी भर्ती के लिए रखी जाती है, श्रेणी II के रेल सेवाओं मे कोई सीधी भर्ती नहीं होती । अब तक केवल एक बार भर्ती हुई ह जिसके आधार पर कुल 7 उम्मीद्वारों में से एक अनुसूचित जाति और एक अनु० जनजाति के उम्मीद्वार की सिफारिश की गयी थी । अनु० जन जाति के उम्मीद्वार ने नियुक्ति प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और अनु० जाति के उम्मीद्वार ने सेवा में आने के पश्चात त्याग पत्र दे दिया था ।

श्रेणी III की सेवा में श्रेणी I की सेवा के मूल ग्रेड चयन द्वारा पदोन्नति में तथा श्रेणी III की सेवाओं से श्रेणी II में पदोन्नति में भी आरक्षित रिक्तियों को अग्रेनीत नहीं किया जाता है ।

श्रेणी III और श्रेणी IV की कोटियों मे अनु० जाति/अनु० जन जाति के जिन व्यक्तियों को पिछले दो वर्षों के दौरान लाभ मिला है उनकी संख्या इस प्रकार है :–

श्रेणी III

	1975–76		1976–77	
	अनु०जाति	अनु० जन जाति	अनु०जाति	अनु० जन जाति
सीधी भर्ती	2146	1279	1249	948
पदोन्नति	4482	2229	6653	1716
श्रेणी IV				
सीधी भर्ती	5563	6806	3072	2480
पदोन्नति	3285	2237	3264	868

अराजपत्रित कोटियों में भर्ती तथा पदोन्नति सम्बन्धी कोटियों दोनों में आरक्षित रिक्तियों को अग्रेनीत किया जाता है। स्थिति की बराबर समीक्षा की जाती है और समीक्षा के फलस्वरूप यह पता चला कि 1–10–1977 को इन कोटियो में निम्नलिखित अनुमानित कमी आ गयी है।

	श्रेणी III		श्रेणी IV	
	अनु० जाति	अनु० जन जाति	अनु० जाति	अनु० जन जाति
भर्ती कोटियां	1300	1490	1784	3464
पदोन्नति सम्बन्धी कोटियां	4814	7016	1184	2343

इस कमी को यथा संभव अधिक से अधिक कम करने के लिए रेलों पर 1–10–77 से एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया है और यह कार्यक्रम 31–3–1978 तक चलेगा और तदुपरान्त ही इसके परिणामों के बारे में पता चल सकेगा।

कन्टेनरों में पेय जल

4494. **श्री के० मालन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने 1970 में कुछ गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के गलियार वाले डिब्बो तथा तृतीय श्रेणी के शयनयानों में कन्टेनरों में पेय जल की सुविधा आरम्भ की थी परन्तु इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जोनल रेलवे परामर्शदात्री समिति ने लम्बी दूरी की गाड़ियों में ऐसी व्यवस्था करने की सिफारिश की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को पुनः कब तक चालू करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) : जी हां।

(ग) कुछ चुनी हुई गाड़ियों के पहले दर्जे के गालियरेदार किस्म के सवारी डिब्बों और दूसरे दर्जे के शयनयानों में परीक्षण के रुप में कन्टनरों में पीने के पानी की सुविधा शुरू की गयी थी। संतोषजनक रूप से इस सेवा को बनाये रखने और साफ सुथरे पेय जल की सप्लाई सुनिश्चित करने में हुई कठिनाई के कारण कुछ गाड़ियों पर यह सेवा समाप्त कर दी गयी थी। लेकिन, अब कई लम्बी दूरी की गाड़ियों में इस सुविधा की व्यवस्था कर दी गयी है। इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए सेवारत लम्बी दूरी की गाड़ियों में पीने के पानी की सप्लाई उत्तरोत्तर शुरू की जा रही है।

लोगों को शिकायतें और सुझाव सुनने के लिये महाप्रबन्धकों के दौरे

4495. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के महाप्रबन्धक लोगों की शिकायतें और सुझाव सुनने के लिये दौरा करते हैं;

(ख) क्या उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक ने भी फरवरी में ऐसा कोई दौरा किया था और वहां व्यापारियों और उद्योगपतियों के अभ्यावेदन सुनने हेतु अमृतसर भी गये थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या स्थानीय विधायकों और संसद् सदस्य को कार्यक्रम के बारे में सूचित किया गया था और सुझाव देने हेतु उन्हें आमंत्रित किया गया था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) आमतौर पर भारतीय रेलों के महाप्रबन्धक विशिष्ट रूप से इस प्रकार के दौरे पर नहीं जाते हैं। लेकिन वार्षिक और निरीक्षण दौरे के दौरान वे जनता की शिकायतें और सुझावों को भी सुनते हैं।

(ख) फरवरी, 1978 में निरीक्षण दौरे के समय उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक अमृतसर में व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों से मिले, जहां पर स्थानीय विधायक की उपस्थिति में स्थानीय समस्याओं पर बातचीत की गयी।

(ग) जी नहीं। भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा।

कर्नाटक को डीजल तथा अन्य तेल का आबंटन

4496. **श्री सी०के० जाफर शरीफ :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य को आबंटित डीजल तेल का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य को आबंटित अशोधित तेल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राज्य ने कोटे में वृद्धि करने की कोई मांग की है और यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) मिट्टी के तेल को छोड़कर राज्य वार आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों के कोटे का आबंटन नहीं किया जाता है। सभी राज्यों में अबतक डीजल की उपलब्धता पर्याप्त रही है और तेल कम्पनियों के फुटकर पेट्रोल पम्प द्वारा खुले रूप में बिक्री की गयी। कर्नाटक सरकार से डीजल सप्लाई बढ़ाने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कच्चा तेल शोधन के लिए प्रयुक्त होता है और उसका आबंटन किसी राज्य को नहीं किया जाता।

Trains running between Aligarh and Delhi

4497. **Shri Ram Prasad Deshmukh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) how many passes, class-wise, have been issued to railway passengers for journey from Aligarh to Delhi;

(b) whether he is aware of the fact that there is no train between Aligarh and Delhi which may arrive at Delhi at 10 or 11 a. m. after departing from Aligarh at 8 a. m. to enable these pass holders and other employees to reach Delhi in time; and

(c) whether representations to this effect have also been received from public and if so, the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Average number of monthly season tickets (not passes) issued to the passengers ex. Aligarh to Delhi/New Delhi per month during the calender year 1977 was as under:

(i) First Class — 5
(ii) Second Class — 1249

(b) Yes. However the daily passengers travel by 3 pairs of passenger trains and other fast Mail/Express trains including 39 Up Howrah-Delhi Janta Express and 13 Up Upper India Express reaching Delhi at 8.25 and 9.05 hrs, respectively.

(c) Yes. However, introduction of a new train between Aligarh and Delhi is operationally not feasible at present due to strained line capacity enroute and inadequate terminal facilities at Delhi and Aligarh.

मराठे समिति का प्रतिवेदन

4499. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के चेयरमैन डा० एस० एस० मराठे की अध्यक्षता में उर्वरक के मूल्य रखने के वर्तमान आधार का अध्ययन करने के लिये गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिश की हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख)- श्री एस० एस० मराठे की अध्यक्षता में उर्वरक मूल्यों पर समिति ने नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों से संबंधित अपनी रिपोर्ट का भाग–I, मई, 1977 में प्रस्तुत किया था। समिति ने 80 प्रतिशत की क्षमता उपयोगिता पर आधारित नाइट्रोजन युक्त उर्वरक एककों के लिए मूल्य धारण की पद्धति और कच्चे माल की खपत, उपयोगिताएं, तथा अन्य निवेश अनुरक्षण और अन्य लागत, शुल्क मूल्य पर 12 प्रतिशत की कर के बाद वसूली के लिए व्यवस्था के बारे में मानदण्ड और वास्तविक के मिश्रण की सिफारिश की थी। समिति ने धारण मूल्य और कुछ राजस्व संबंधी पद्धति को लागू करने तथा भावी उर्वरक संयंत्रों की लागत को कम करने के लिए अन्य उपायों को अपनाने के बारे में फर्टिलाइजर उद्योग समन्वय समिति गठित करने की भी सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पहले ही 1 नवम्बर 1977 से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक एककों के लिए धारण मूल्य की पद्धति जारी की है। धारण मूल्य की योजना के प्रशासन के लिए फर्टिलाइजर उद्योग समन्वय समिति भी स्थापित की गई है।

फास्फेटिक उर्वरकों से संबंधित समिति की रिपोर्ट के भाग–II की प्रतीक्षा है।

साऊथ इंडिया स्टील एण्ड शुगर लिमिटेड के निदेशक बोर्ड की रचना

4500. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी साउथ इंडिया स्टील तथा शुगर लिमिटेड, मद्रास के निदेशक बोर्ड की रचना सम्बन्धी कुछ अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी;

(ग) संशोधन का ब्यौरा और स्वरूप क्या है ;

(घ) क्या वे संशोधन न्यायसंगत ढंग से किए गये थे ; और

(ङ) उक्त बैठक में कितने अंशधारियों ने भाग लिया था और उन अंशधारियों की प्रति या क्या है जिन्हों ने इस बैठक में मतदान किया था ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) नहीं, श्रीमानजी।

(ख) से (ङ) : उत्पन्न नहीं होते ।

देश में औषधियों का उत्पादन करने और इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही

4101, श्री दुर्गा चन्द : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में औषधियों का उत्पादन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और उस के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) देश में औषधियों की कुल खपत की प्रतिशतता क्या है जिसके लिए हमें देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और आयात पर, अलग अलग निर्भर रहना पड़ता है ;

(ग) देश में उत्पादित की जाने वाली, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्राप्त की जाने वाली और आयात की जाने वाली जीवनदायी औषधियों की प्रतिशतता अलग-अलग क्या है ;

(घ) औषधियों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भविष्य का चरणबद्ध कार्यक्रम क्या है ; और

(ङ) इस में आत्मनिर्भरता कब तक प्राप्त कर ली जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख), (घ) और (ङ) : सरकार औषधों और भेषजों के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से अनेक औद्योगिक स्वीकृतियां प्रदान करके अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए निरन्तर प्रोत्साहन देती रही है । गत 3 वर्षों के दौरान औषधों और भेषजों के निर्माण के लिये लगभग 216 आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे । 216 स्वीकृतियों में से विदेशी फर्मों को केवल 34 स्वीकृतियां दी गई थीं, शेष में से 26 सरकारी क्षेत्र को और 156 भारतीय क्षेत्र को दी गई थीं ।

परिणामस्वरूप, वर्ष 1975-76 के मूल्यों की तुलना में 1976-77 के दौरान प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों में क्रमशः 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई थी ।

नये औषधों का विकास करने की दृष्टि से देश में अनुसंधान करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ताकि देश में औषधों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके और आयात दर से निर्भरता को कम किया जा सके ।

जहां तक एलोपेथिक दवाइयों के वर्षवार उत्पादन का संबंध है यह इस बात पर निर्भर करता है कि पृथक-पृथक निर्माता किन मदों का उत्पादन करते हैं, उपयुक्त/अद्यतन प्रौद्योगिकी उपलब्ध है अथवा नहीं, निवेश के लिये निधि की उपलब्धता, विशेषकर भारतीय क्षेत्र में तथापि मोटे तौर पर 1982-83 तक देश से प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों की आवश्यकता का अनुमान क्रमश: 550 करोड़ रुपये और 1900 करोड़ रुपये लगाया है, फिर भी 80 करोड़ रुपये के प्रपुंज औषधों का आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि औषध उद्योग की प्रवृति और उसकी प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति कुछ इस प्रकार की है कि उनका अनेक बार अप्रचलन हो जाता है । स्थिति के अनुकूल चलने के लिये विकसित भेषजीय मूल्य के नये मदों का निर्माण करके हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है ।

1976-77 में विदेशो क्षत्र का प्रतिशत अंशदान प्रपुंज औषधों के मामले में 32 और सूत्रयोगों के मामले में 41.7 था । उस वर्ष के दौरान 24 प्रतिशत प्रपुंज औषधों का आयात किया गया था । सूत्रयोगों का आयात नगण्य रहा ।

(ग) कुछ चुनोदा जोवन रक्षक प्रपुंज औषधों जैसे एण्टीबायोटिक्स, सल्फाज, एण्टीअमोइबिक, एण्टोडाइबेटिक, कार्डियो वास्कुलर, एण्टी टी० बी०, एण्टी-मलेरियल और स्टेरियडस के संबंध में 1976/1976-77 के दौरान विदेशी क्षेत्र का अंशदान 29 प्रतिशत था । इन प्रपुंज औषधों का आयात उक्त वर्ष में 22 प्रतिशत हुआ ।

फिश प्लेटों को हटाये जाने संबंधी मामले

4502. **श्री अमर सिंह बी० राठवा : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1977 से फरवरी, 1978 तक अप्रैल, 1977 से नवम्बर, 1977 तक और 1975 तथा 1976 के दौरान विभिन्न रेल जोनों में रेल पटरियों से फिश प्लेट हटाये जाने के कितने मामले हुए तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन मामलों में कितने व्यक्तियों का हाथ था और कितने गिरफ्तार हुए तथा उनके विरुद्ध प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गयी ;

(ग) क्या इस में किसी संगठन अथवा राजनैतिक दलों का हाथ है ;

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) भविष्य में एसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) । सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे स्टेशनों पर बैंक

4503. **श्री नरेन्द्र सिंह : क्या रल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित ढंग से नकद रुपया जमा करने और वेतन तथा पेंशन प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाने हेतु बैंक खोलने के लिये किन रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष (1978-79) में ऐसे बैंक खोलने के लिए कोटा निर्धारित किया है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(घ) इनके कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) स्टेशनों द्वारा बैंकों को रोकड़ का सीधे प्रेषण की व्यवस्था करने के लिए रेलों द्वारा क्रमिक आधार पर प्रयत्न किये जा रहे हैं। किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप स्टेशन की आमदनी की अब 477 स्टेशनों पर सीधे बैंकों को भेजा जा रहा है । 357 और अन्य स्टेशनों पर इसी प्रकार की व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीयकृत बैंकों की वर्तमान शाखाओं के साथ की जाती है । न केवल रोकड़ की वसूली सम्हालने बल्कि अन्य कारोबार करने के लिए बैंक भी स्टेशन के परिसरों में अपनी शाखाएं खोल सकते हैं । स्टशनों पर शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना पड़ता है । रेलवे परिसरों में शाखाएं खोलने में बैंक जहां भी रुचि दिखाते हैं उन्हें ऐसा करने का प्रोत्साहन दिया जाता है और रेलों द्वारा उनके मामलों की सिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक से की जाती है ।

चैक द्वारा या अपने बैंक के लेखे के जमाखाते में डालकर अपना वेतन लेने के लिए रेल कर्मचारियों को प्रोत्सहित किया जाता है और जहां भी सुविधाएं उपलब्ध हों तथा जहां कर्मचारी इस रूप में वेतन पाने की स्वतः इच्छा व्यक्त करें वहां इसके लिए व्यवस्था कर दी जाती है ।

वर्तमान समय में रेलवे पेंशन भोगी 22 स्टेशनों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा का विस्तार सम्पूर्ण देश में करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) से (घ) : इस प्रकार का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है किन्तु लक्ष्य यह है कि इस प्रकार की सुविधाएं यथाशीघ्र अधिक से अधिक स्टेशनों पर उपलब्ध करायी जायें । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे गये हैं और इन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

वर्ष 1976-77 और 1977-78 में उर्वरकों का उत्पादन

4504. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977-78 में देश में रसायन और फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन बढ़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो 1976-77 और 1977-78 में कुल कितने टन उत्पादन हुआ ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(न्यूट्रेन्टस के रूप में उत्पादन लाख मीटरी टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन	फास्फेट
1976-77	19.00	4.80
1977-78 (अनुमानित)	20.00	6.70

ट्रेन एग्जामिनर्स

4505. **श्री बलदेव सिंह जसरोका :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में दो प्रकार के 'ट्रेन एग्जामिनर्स' हैं; अर्थात् इलैक्ट्रीकल्स और मैकेनिकल ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भर्ती के लिये दोनों की अर्हताऐं समान हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ट्रन एग्जामिनर्स/मैकेनिकल ट्रेन एग्जामिनर्स/इलैक्ट्रीकल्स की तुलना में अधिक प्रशिक्षित होते हैं ;

(घ) यदि उपरोक्त का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या यह भी सच है कि उनकी पदोन्नति संभावनाओं में बहुत अन्तर है और ट्रेन एग्जामिनस/मैकेनिकल के मामले में यह बहुत कम है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस बारें में क्या उपचारी उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) गाड़ी परीक्षक यांत्रिक विभाग में होते हैं । बिजली विभाग के पर्यवेक्षक चार्जमैन कहलाते है ।

(ख) सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं समान हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) : सभी कोटियों के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर एक जैसे होना आवश्यक नहीं है । इस कोटि के पदोन्नति के अवसर बेहतर बनाने के लिए समय समय पर उनके संवर्ग में निम्नलिखित सुधार किये गये हैं :—

संशोधन पूर्व वेतन संरचना में

(1) 1972 में 180—240 रु० के ग्रेड के 1000 पदों को 205—280 रु० के ग्रेड के पदों में मिला दिया गया ; और

(2) 1974 में 205—280 रु० के 900 और 250—380 रु० के 200 पदों का दर्जा क्रमशः 250—380 और 335—425 रु० पदों में बढ़ा दिया गया ।

संशोधित वेतन संरचना में

(3) 1976 में 425—700 रु० के ग्रेड में 217 पदों का दर्जा बढ़ा कर 550—750 रु० के पदों में कर दिया गया ।

(4) 1978 में 1011 और 185 पदों का दर्जा बढ़ाकर क्रमशः 425—700 रु० से 550—750 रु० और 700—900 रु० की ग्रेड में कर दिया गया ।

Judges working in Patna High Court

†4506. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the total sanctioned strength of Judges for Patna High Court;

(b) whether some judges are working there on temporary basis;

(c) whether some posts of judges are vacant there and if so, since when ; and

(d) the reasons for not filling them ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) At present the sanctioned strength of the Patna High Court is 18 permanent Judges and 9 Additional Judges. Apart from this in April 1977, three more posts of Additional Judges were created for effect from the dates they are actually filled in.

(b) Eighteen permanent Judges are in position against 18 permanent posts. Eight Additional Judges are in position. The posts of Additional judges are created and filled in for specified periods. No permanent appointments can, therefore, be made against these posts.

(c) One post of Additional Judge is vacant with effect from 1-11-77 and the 3 newly sanctioned posts are yet to be filled up.

(d) Proposals were awaited from the State authorities. Proposals in regard to filling up three posts have very recently been received from them.

यात्रियों की सुरक्षा के लिये रेलगाड़ियों का रखरखाव

4507. **श्री सूरजभान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी रेलगाड़ियां मशीनी रखरखाव की दृष्टि से 'पिट लाइनों' पर खड़ी नहीं की जाती है और इसलिये प्लेटफार्म पर असुरक्षित स्थिति में उनका रखरखाव किया जाता है ;

(ख) क्या ऐसी परिस्थितियों में रेलगाड़ियों के रखरखाव से अपेक्षित स्तर तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा सकती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं । अधिकतर गाड़ियां गर्त लाइनों पर खड़ी की जाती है । कुछ गाड़ियां धुलाई फर्श पर खड़ी की जाती है और वहीं उनकी धुलाई की जाती है जबकि शेष गाड़ियों का अनुरक्षण प्लेटफार्म पर ही किया जाता है । जिन गाड़ियों का अनुरक्षण किया जाता है और जबकि कर्मचारी उनमें काम कर रहे होते है, ऐसे सभी मामलों में उस समय उन लाइनों की पूरी सुरक्षा की जाती है ।

(ख) और (ग) : संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, सभी परिस्थितियों में अनुरक्षण का उचित स्तर बनाये रखा जाता है । सभी गाड़ी परीक्षण स्टेशनों पर गाड़ी की जांच-पड़ताल के लिए कर्मचारी रेलवे लाइन के दोनों तरफ तैनात हो जाते है और जिस समय गाड़ी धीरे-धीरे रेंगती है वे यह पता लगाते है कि क्या कोई उपस्कर लटक रहा है/टूटा हुआ है/संदिग्ध है । तत्पश्चात अनुरक्षण के समय निचले ढांचे और रनिंग गियर की पूरी तरह से जांच की जाती है और लाइन की किस्म का ध्यान रखे बगैर, जहां अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए गाड़ी को रखा गया है, मरम्मत की जाती है । वार्षिक निर्माण कार्य कार्यक्रमों के द्वारा अतिरिक्त गर्त लाइनों की योजना बनाई जा रही है । इन निर्माण-कार्यों को वास्तविक स्वीकृति पूंजी कार्यों के लिए धन की उपलब्धता और सभी रेलों की समस्त जरुरतों पर निर्भर करेगी ।

5—117 L.S.S. (N.D.)/78.

दिल्ली से मुजफ्फरपुर जाने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस का मार्ग बदलना

4508. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से मुजफ्फरपुर जाने वाली जयन्ती जनता सुपर फास्ट एक्सप्रेस को इलाहाबाद से वाराणसी की ओर मोड़ दिया गया था जबकि दिल्ली तथा कलकत्ता के लिये अनेक सीधी गाड़ियां उपलब्ध हैं ;

(ख) इस गाड़ी को वाराणसी न ले जाकर पुनः उसके मूल मार्ग पर न लाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इसके यात्रा के 22 घण्टे के समय को कम न करने के क्या कारण है क्योंकि यह केवल 20 घण्टे में बड़ी आसानी से अपने गन्तव्य स्थल पर पहुंच सकती है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी हां। लेकिन जिस समय 153/154 जयन्ती जनता एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन किया गया था, उस समय वाराणसी और दिल्ली/नई दिल्ली को जोड़ने वाली केवल एक दैनिक गाड़ी और सप्ताह में तीन बार चलने वाली एक गाड़ी उपलब्ध थी।

(ख) इस गाड़ी को मिर्जापुर के रास्ते चलाया जाना वर्तमान उपयोगकर्ताओं विशेषतः उत्तरी बिहार क्षेत्र के यात्रियों द्वारा पसन्द नहीं किया जायेगा क्योंकि वे वाराणसी से और वाराणसी तक की बड़ी लाइन की सेवा से वंचित हो जायेंगे।

(ग) और (घ) : यह गाड़ी पहले से ही डीजल/विद्युत कर्षण से चलायी जा रही है और इलाहाबाद दिल्ली खंड पर 110 किलोमीटर प्रतिघंटे की अधिकतम अनुमेय गति से चल रही है। वर्तमान रेल मार्ग पर इस गाड़ी की गति और बढ़ाने की गुजाइंश नहीं है।

Bhagalpur to Mandar Hill line

†4509. **Shri Ram Das Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to extend the railway line from Bhagalpur to Mandar Hill in Eastern Railway upto Baidyanathdham Devghar and up to Rampur Hat from Mandar Hill via Dumka ;

(b) the reasons for indifference being shown by Government despite the repeated demand made therefor by the people of this backward Adivasi area; and

(c) in case, Government have scheme for construction of this line, the time by which construction thereof would be started ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c): A reconnaissance survey for the rail link from Mandar Hill to Rampurhat via Dumka has already been carried out and according to it the 118 Kms. long line is not expected to attract sufficient traffic to justify its immediate construction.

A Preliminary Engineering-cum-traffic survey for a rail link between Mandarhill and Baidyanathdham (Deoghar) is in progress.

The decision about the construction of this line would depend upon the results of the survey and on availability of resources for construction of railway lines in backward areas of the country.

मैसर्स होएश्ट का भारत में कार्यकरण

4510. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स होएश्ट इंडिया देश में गत अनेक वर्षों से कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके कुछ भागीदार विदेशी हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें इस देश में कार्य करने और अपने लाभ का भाग विदेशों में ले जाने की अनुमति दी है; और

(घ) क्या सरकार का उक्त फर्म का भारतीयकरण करने का विचार है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (ग): जी, हां। सम्बन्ध कानूनी/विनियमन सम्बन्धी उपबन्धों की शर्तों के अनुसार लाभ की राशि की स्वदेश भेजने की स्वीकृति दी गई है।

(घ) औषध और भेषज के क्षेत्र में काम कर रही सभी विदेशी कम्पनियों, जिसमें मैसर्स हैक्सर शामिल है, की भारती भूमिका हाथी समिति की सिफारिशों पर आधारित नीति निर्णयों के संदर्भ में निश्चित की जायेगी।

A.I.R.F. Charter of demands

†4511. **Shri Ugrasen:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the main demands contained in the Chapter of demands submitted by the All India Railwaymen's Federation after their demonstration in Delhi; and

(b) whether Government propose to pay them bonus and full salary for the period of strike in 1974 ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) The demands contained in the charter are as under:

1. (a) All Penal actions and trade union victimisation of railwaymen including adverse entries connected with strikes be withdrawn with retrospective effect;

   (b) Removal and suspension period connected with May '74 strike be treated as duty and full payment be made;

   (c) The strike period be treated as duty and full wages paid;

   (d) Additional increments which have been given to the so called "loyal" workers be also granted to others who were not given the same, to remove the discrimination.

2. Bonus at one month's wages (8.33%).

3. (a) Job evaluation for all railwaymen through scientific system to be followed by their reclassification, regradation with the need-based minimum wage as the base for the lowest paid worker;

(b) pending completion of job-evaluation and re-classification, immediate parity of wages with those of workers in the central undertakings;

(c) Working hours of railwaymen be reduced to 8 hours per day.

4. (a) Dearness allowance linked to the cost of living index with full neutralisation for every rise of 4 points in a six monthly period;

(b) Cut in the rate of neutralisation affected during the emergency by bringing down the quantum of neutralisation from 4% to 3½% in case of those drawing salary upto Rs. 300/- per month and from 3% to 2½% in case of others be restored respectively.

(c) The impounded slab of Dearness Allowance be restored.

5. All C.D.S. money be refunded.

6. Decasualisation of all casual railwaymen and their confirmation in service with all benefits.

7. Supply of adequate and subsidised foodgrains and other essential commodities through departmentally run shops.

8. Employment of wards of railway employees in Class 'C' & 'D' of railway services against 25% reserve quota.

9. Formation of One Union in the Railway Industry through referendum.

10. Restructuring of the Railway Management and placing the management of the Railways under the control of an independent corporation consisting of representatives of railway users business community railway labour and the government with the Railway Minister as its Chairman.

(b) The issue of Bonus is intimately linked with the question of wages, incomes and prices policy and will be considered after the in-depth study of these issues by the Bhoothalingam Study Group appointed by the Government.

Instructions have been issued on 1-3-1978 that the period of absence during the railway strike of May 1974 should be treated as leave due or as leave without pay where no full pay or half pay leave is due; in all cases, the period will count for increment.

Rationalisation Scheme for Sindri Fertilizer Factory

4512. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a scheme named Sindri Rationalization Scheme was started for improving the declining production in Sindri Fertilizer Factory and whether as a result of the factory not functioning properly the production in the cement factory situated in its neighbourhood is likely to be stopped;

(b) whether it is also a fact that the Sindri Modernisation project which had cost 180 crores is also likely to fail as a result of the failure of rationalization project;

(c) if so, whether a high-power committee comprising the Members of Parliament from Bihar, representatives of the labourers and prominent technical experts would soon be constituted by Government to look into all these matters; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) The Sindri Rationalisation Scheme envisaging a production of 3,26,000 tonnes per annum of triple superphosphate and including therein facilities for the manufacture of 360 tonnes per day of phosphoric acid and 880 tonnes per day of sulphuric acid based on pyrites is being set up. This scheme essentially aims at improving the operative economics in the existing unit by eliminating dependence on outside gypsum in the production of ammonium sulphate. The by-product phospho-gypsum from the phosphoric acid plant is to be diverted to the existing ammonium sulphate plant to substitute the inferior quality natural gypsum brought from outside. Due to certain in-built technological constraints the plant could not be commissioned to run at rated capacity. The problems have now been identified and action is under way to remove the constraints. As part of the measures to stabilise production in this plant a proposal to convert one of the two streams of the sulphuric acid plant to use sulphur is under study; the other stream is being stabilised on upgraded pyrites.

About stoppage of production in the neighbouring cement factory at Sindri due to the Sindri project not functioning properly the position is being ascertained and the information will be laid on the Table of the House.

(b) The Sindri Modernisation scheme which is quite independent of the Sindri Rationalisation scheme is under implementation and is expected to start commercial production by July 1978. It envisages the setting up of a 900 tonnes per day ammonia plant based on fuel oil as feedstock and a urea plant of 1000 tonnes per day.

(c) and (d): In view of the position explained above it is not considered necessary to set up any high power committee to look into these matters.

हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

4513. **श्री अमर नाथ प्रधान** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उवरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लाइसेंसिंग समिति ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया में प्रस्तावित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के बारे में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के आशय पत्र संबंधी आवेदनों को स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) उक्त पेट्रो-रसायन उद्योग समूह का वित्तीय ढांचा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : पश्चिमी बंगाल औद्योगिक विकास कारपोरेशन को नेफ्था करेकर और डाउन स्ट्रीम यूनिट की स्थापना करके विभिन्न पेट्रो-रसायनों के निर्माण के लिए आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं । उन्होंने अपने आवेदन पत्र में राज्य सरकारों द्वारा और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान से उधार लेकर बैंकों से तथा जनता द्वारा लगाये गये धन आदि से इस प्रायोजना की वित्तीय व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है ।

बोलंगीर से खुर्दाह रोड रेल लाइन

4514. **श्री एन्थू साहू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उड़ीसा में बोलंगीर से खुर्दाह रोड तक एक रेल लाइन का निर्माण करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये कोई सर्वेक्षण किया जा चुका है और इस परियोजना पर निर्माण कार्य कब आरम्भ हो जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वर्तमान में इस लाइन के निर्माण के बारे में विचार करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) खुर्दा रोड को बोलानगीर से मिलाने के बारे में 1946-47 में एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था लेकिन यह परियोजना अर्थक्षम नहीं पाई गई ।

केरल में वैगनों की कमी

4515. **श्री वयालर रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में वैगनों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : केरल क्षेत्र के स्टेशनों पर मालडिब्बों की सप्लाई चालू है। 200 मालडिब्बों की रोजना ढुलाई के बाद 23-3-1978 को केवल 65 माल डिब्बों की मांग शेष थी ।

जम्मू-तवी एक्सप्रेस गाड़ी का पटरी से उतरना

4516. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 9 मार्च, 1978 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में छपे उन समाचार को देखा है जिसमें बताया गया है कि बम्बई जाने वाली तेज रफ्तार गाड़ी जम्मू-तवी एक्सप्रेस 8 मार्च, 1978 को गोधरा के निकट पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें तोड़फोड़ का अन्देशा है और उसके परिणामस्वरूप जान तथा माल की कितनी हानि का अनुमान है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ?

रेल मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) तोड़ फोड़ का सन्देह नहीं है । किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई । रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत लगभग 70,000 रुपये होने का अनुमान है ।

(ग) इस दुर्घटना की जांच वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जा रही है ।

Pilferage of Tetracycline Powder from Rishikesh Anti-biotic Factory

4517. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a news item has been published in "The Sadachar Times" dated 31st January, 1978 to the effect that Tetracycline powder

continued to be pilfered from Rishikesh Anti-biotic factory and continued to be supplied to a capsule manufacturing firm at Ghaziabad during the last three years;

(b) if so, the value of the powder pilfered;

(c) whether two persons were arrested in connection with the pilferage of tetracycline powder; and

(d) if so, the weight and value of the powder seized ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) & (b): There have been news items in the press that tetracycline powder had been pilfered from Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (IDPL), Virbhadra (Rishikesh) but it has not so far been established by the police whether the seized tetracycline powder was of IDPL manufacture. However, IDPL supplies tetracycline powder to the formulators direct only against the quota fixed by the State Drug Controllers.

(c) Yes, Sir.

(d) The weight of the seized tetracycline powder is reported to be 20 kgs. the market value of which is Rs. 13,000/-.

औषधों की कम सप्लाई

4518. **श्री शंकर सिंहजी बाघेला :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वर्ष 1977 के दौरान अधिकांश महत्वपूर्ण औषधों की सप्लाई कम थी ;

(ख) कौन-कौन सी तथा कितनी औषधों की सप्लाई कम थी ;

(ग) उनकी सप्लाई कम होने के क्या कारण थे ; और

(घ) इस संबंध में क्या विशिष्ट प्रयास किये गये हैं और इस स्थिति में अब कितना सुधार हुआ है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग): यह कहना उचित नहीं है कि अधिकांश महत्वपूर्ण औषधों की सप्लाई में कमी रही है । देश के विभिन्न भागों से समय समय पर केवल ब्राण्ड नाम वाली कुछ दवाइयों की कभी-कभी कमी होने की रिपोर्ट मिली थी । तथापि अधिकांश मामलों में प्रसिद्ध निर्माताओं द्वारा उत्पादित उसी प्रकार के अन्य उत्पाद आम तौर पर उपलब्ध थे । इन मदों में एक माह से दूसरे माह में अन्तर रहता है । ऐसी कमियां अनेक कारणों से होती हैं जैसे अपर्याप्त उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी औषधों की अनउपलब्धता और विशेष ब्राण्ड अथवा स्वामित्व वाली दवाइयों की विशिष्ट मांग ।

(घ) जब कभी कमी की रिपोर्ट मिली है संबंधित निर्माताओं को दवाइयों की शीघ्र सप्लाई करने के लिये कहा गया है । उत्पादन बढ़ाने के लिये निर्माताओं की समस्या की भी जांच की गई है ।

सरकार स्ट्रेप्टोमाइसीन इनजैक्शन और डैप्सोन गोलियों की स्थिति का विशेष ध्यान रखती है। सुधारात्मक उपाय के रुप में राज्य औषध नियंत्रकों/औषध उद्योग के संघों से अनुरोध किया गया था कि वे स्ट्रेप्टोमाइसीन वायलरों को अपने स्ट्रेप्टोमाइसीन पैंसिलिन मिश्रण का उत्पादन कम करने के लिये कहें ताकि स्ट्रेप्टोमाइसीन इन्जैक्शन की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। प्रमुख वायलरों को भी सीधे ही ऐसा करने के लिये कहा गया था। सरकारी क्षेत्र के दो औषध एककों-आई०डी०पी०एल० और एच० ए०एल० को भी कहा गया है कि वे मांग को पूरा करने के लिये अपने उत्पादन में वृद्धि करें। यह रिपोर्ट मिली है कि आई०डी०पी०एल० ने 31 मार्च 1978 को समाप्त होने वाली तिमाही उद्योग की अधिकांश मांगों को पहले ही पूरा कर लिया है। आगामी महीनों में उपलब्धता में सुधार होने की आशा है।

जहां तक डैप्सोन गोलियों का संबंध है यद्यपि सरकारी संस्थान में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, फिर भी सरकार ने दो प्रमुख उत्पादकों अर्थात् (1) मैसर्स बुरोज वैलकम और (11) मैसर्स बंगाल कैमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स लि० को सलाह दी है कि वे अपने उत्पादन में वृद्धि करें ताकि विशेषकर स्वैच्छिक संगठनों की मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सके। प्रपुंज औषध की कुछ मात्रा का आयात करने की अनुमति भी दी गई है।

मैसर्स हेक्सट इंडिया के उत्पादों की कमी

4519. **श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स हेक्सट इंडिया के उत्पादों की फर्म द्वारा बाजार में कुछ कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है;

(ख) क्या सरकार उनके सभी उत्पादों को प्राप्त करने और किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से वितरण करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कभी कभी विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न कम्पनियों की ब्रांड नाम वाली औषधों की कमी की रिपोर्ट प्राप्त होती है। तथापि, गत 6 मास के दौरान मैसर्स हेक्सट फार्मास्यूटिकल्स की नवलजोन (एनलजोन पर आधारित सूत्रयोग) की दिसम्बर 1977 में तमिलनाडू में कम सप्लाई होने तथा फरवरी 1978 में उड़ीसा में कम सप्लाई होने की रिपोर्टें प्राप्त हुई थी। दूसरी मद, होस्टसाइक्लीन (टैट्रासाइक्लीन पर आधारित सूत्रयोग) की फरवरी 1978 में उड़ीसा में कम सप्लाई होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) औषध और भेषज क्षेत्र में काम कर रही किसी भी फर्म के लिए कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई है।

Rest House at Atru

*4520 : **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to build a passengers rest-house at Atru and Chhabara Stations on Kota-Bina line; and

(b) if so, when this work will be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No.

(b) Does not arise.

Reservation of First Class Tickets at Bhawani Mandi Station

4521. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether Government would consider allowing reservation of two first class tickets at Bhawani Mandi station (Western Railway) and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : The Upper class passenger traffic dealt with at Bhawani Mandi station besides being meagre is primarily for short distances i.e. upto Kota in the Down direction towards Delhi and upto Ratlam in the Up direction towards Bombay. In the circumstances, allotment of a separate quota for Bhawani Mandi station is not considered justified.

तालचर में उर्वरक कारखाना

4522. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में तालचर नामक स्थान पर उर्वरक कारखाने के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस कारखाने में लगभग कब तक (अर्थात माह और वर्ष) उत्पादन होना आरम्भ हो जायेगा ;

(ग) पूरे स्तर पर उत्पादन आरम्भ होने पर इसमें प्रतिवर्ष कितना उर्वरक उत्पादित होगा ; और

(घ) इस कारखाने में किस श्रेणी के उर्वरकों का उत्पाद होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) : परियोजना का यांत्रिक कार्य लगभग पूरा होने वाला है और 1978 के अन्त तक इसके चालू होने की संभावना है। इसके वाणिज्यिक उत्पादन को अप्रैल 1979 से आरंभ होने की आशा है। संयंत्र को प्रतिवर्ष 4,95,000 मीटरी टन उर्वरक ग्रेड यूरिया निर्मित करने के लिए बताया गया है जो 228,000 मीटरी टन नाइट्रोजन के बराबर है।

जखापुरा-बांसपानी लाइन

4523. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय निर्माणाधीन जखापुरा–बांसपानी रेल लाइन की कुल लम्बाई मीलों में कितनी है ;

(ख) उक्त लाइन का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरु हुआ ;

(ग) निर्माण कार्य समय सूची के अनुसार किस वर्ष पूरा हो जायेगा ; और

(घ) उक्त रेल लाइन के निर्माण को पूरा करने पर अनुमानतः कुल कितनी धन राशि खर्च होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जखापुरा–बांसपानी रेलवे लाइन की कुल लम्बाई 176 कि० मी० है। इसमें से, जखापुरा से दैतारी तक प्रथम 33.5 कि० मी० लम्बाई का निर्माण कार्य शुरु किया गया।

(ख) इस लाइन का निर्माण कार्य 1976 में शुरु किया गय था।

(ग) जखापुरा से बांसपानी तक सम्पूर्ण लाइन के पूरा होने की लक्ष्य तिथि अभी निश्चित नहीं की गयी है।

(घ) इस लाइन के निर्माण कार्य का अनुमोदन 1974 में 39 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था।

कमीशन बैरों की सेवा की स्थिति

4524. **श्री के० ए० राजू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित रेल गाड़ियों में काम कर रहे खान पान विभाग के वर्तमान कमीशन बैरों को विभागीय बैरे का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है जिससे यात्रा करने वाली जनता के लिए सेवा की कार्य कुशलता में सुधार किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे निश्चित रूप से कमीशन बैरों की सेवा स्थिति में भी सुधार होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : खानपान सेवाओं में सुधार लाने तथा बहुत समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि स्थित तथा गतिशील दोनों विभागीय खानपान इकाइयों में कमीशन के आधार पर काम कर रहे बैरों को निर्धारित वेतनमान पर नियमित रेल कर्मचारियों की तरह ही रेलों पर खपाया जायेगा। ऐसा कमीशन के आधार पर काम कर रहे बैरों की सेवा अवधि के आधार पर विभिन्न चरणों में किया जायेगा।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रेल लाइन

4525. **श्री के० ए० राजू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प विकसित तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में नई रेल लाइन बिछाने को प्राथमिकता देना सरकार की नीति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या धारापुरम होते हुये त्रिरुपुर से पलानी तक नई रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो नई रेल लाइन के लिये सर्वेक्षण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां। उन क्षेत्रों में जहां कि यातायात की सुविधाएं कम है या उस क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, वहां नयी लाइनों के निर्माण की आवश्यकता से सरकार अवगत है।

(ख) और (ग) : संसाधनों की अत्यधिक कठिनाई के कारण, धारापुरम होते हुए त्रिरुपुर से पलानी तक नयी रेल लाइन के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

मद्रास सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन यार्ड का विस्तार

4526. **श्री के० ए० राजू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन यार्ड में पहले ही बहुत भीड़भाड़ की वजह से उसका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो मद्रास सेन्ट्रल यार्ड और स्टेशन का विस्तार किये जाने की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख): अभी हाल ही में मद्रास सेंट्रल पर एक अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्म बनाया गया। मद्रास सेन्ट्रल स्टेशन के और अधिक विकास के लिए मद्रास सेन्ट्रल स्टेशन के निकट नहर के उस पार भूमि अधिग्रहण का काम पहले से ही बजट में शामिल है। इस भूमि के अधिग्रहण के लिए तमिलनाडु सरकार से बातचीत चल रही है।

Average Kilometrage of Railway Lines in certain States

†4527. **Shri Motibhai R. Chaudhary:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to reply given to USQ No. 1000 on the 28th February, 1978 regarding average kilo-metrage of railway lines in certain States and state the percentage of broad, metre and narrow gauge railway lines of the average kilo-metrage of railway lines in Uttar Pradesh, Gujarat, Bihar, Tamil Nadu, Punjab, Madhya Pradesh and Orissa ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain):

State	Gauge-wise percentage of route Kms. of railway lines in the State		
	B. G.	M. G.	N.G.
Uttar Pradesh	62.19	37.79	0.02
Gujarat	20.4	59.6	20.0
Bihar	61.6	37.1	1.3
Tamil Nadu	23.3	76.7	—
Punjab	89.6	9.8	0.6
Madhya Pradesh	74.8	8.7	16.5
Orissa	92.7	—	7.3

Resale of used tickets

†4528. **Shri H. L. P. Sinha:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that used tickets from Howrah to Patna, Patna to Ranchi and other junctions are being purchased and embossed date marks on these tickets are tampered with after soaking them in water and are sold again by marking on them the date of departure; and

(b) whether he will institute a departmental inquiry by an outside agency?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) It has come to notice that Government Railway Police, Asansol prosecuted 7 persons on different occasions for travelling with tickets which appeared to be re-dated.

(b) A secret watch is being kept on the Booking Counters at Patna for taking suitable remedial action.

Danger of Erosion by Ganga to Narayanpur Station

†4529. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Narayanpur (Bihpur) railway Station on North Eastern Railway has still danger of erosion by the Ganga river;

(b) if so, whether Government have started work to check it;

(c) if not, whether Government are aware that it is not possible to do this work during rainy season and there is possibility of large scale bungling in accounts and measurement thereof at that time; and

(d) the precautionary measures being taken by Government to protect Narayanpur railway Station and Bihpur-Mahadeopur Ghat railway line during current year?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) The work has already been started by Bihar State Government.

(c) Does not arise.

(d) Work on the execution of anti-erosion measures along the left bank of river Ganga near Narayanpur is already under progress and Bihar State Government expect to complete the same by the end of May, 1978. Railway are extending maximum cooperation to the State Government in this regard and have offered to share the cost of the anti-erosion works with the State Government and other affected parties.

Thana Bihpur-Mahadeopur Ghat is a fair weather branch line, which has to be closed to traffic during monsoons. Sufficient stock of boulders, coal, ash etc., is held in reserve so that necessary repairs if any, are carried out with expedition after the water ltvel in the area goes down.

पर्वतोय तथा आदियासो क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की सप्लाई

4530. **श्रो गिरिधर गोमांगो :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषतया पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की सप्लाई के लिए उनके मंत्रालय ने क्या नीति तथा कार्यक्रम अपनाया है ;

(ख) इन क्षेत्रों में मिट्टी के तेल को समय पर तथा शीघ्र सप्लाई करने के कार्य में कौन-सी एजेंसीयां लगी हैं; और

(ग) क्या वर्तमान एजेंसियां इन क्षेत्रों के जरुरतमंद लोगों को मिट्टी का तेल सप्लाई करने में **सक्षम है ?**

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग): पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा विगत में की गयी मिट्टी के तेल की खपत, मौसम सम्बन्धी आवश्यकताओं को, यदि कोई हो तो, और अन्य सम्बन्धित बातों सहित विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मासिक आधार पर मिट्टी के तेल का आबंटन किया जाता है। राज्य के अन्दर मिट्टी के तेल का वास्तविक वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। तेल कम्पनियां अपने अपने एजेंटों को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित जिलावार कोटे के आधार पर मिट्टी का तेल सप्लाई करता है। ये अभिकर्ता (एजेंट) राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस शुदा थोक बिक्रेताओं अथवा फुटकर बिक्रेताओं को इस उत्पाद की सप्लाई करते हैं जो आम जनता को बेचते हैं। दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के वितरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डाला गया है। और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें। तेल कम्पनियां अपने आप इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि वे अपने प्रत्येक बिक्रेता को समय पर पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के तेल को सप्लाई करें जिससे उन्हें आबंटित कोटा पूरा हो जाये। तेल कम्पनियों के वर्तमान विक्रय व्यवस्था देश के सभी भागों में मिट्टी के तेल के वितरण हेतु पर्याप्त समझी जाती है।

Ticketless Travelling by certain Jawans of U.P. Police

†4531. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether many Jawans of U.P. Police were caught by the Guard and TTC on 27th February, 1978 at Bilpur station on Northern Railway while travelling without tickets in a first class compartment of 378 Down train and when they were asked to pay charges and fine under the rules, they escaped after pointing rifles;

(b) if so, what action has been taken on this serious incident;

(c) whether it is a fact that a Member of Parliament also boarded the train at Bilpur and lodged a complaint with the Guard; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in The Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Two constables and one head constable of U.P. Police were caught travelling without tickets by the guard of the train No. 378 Dn. of 27-2-1978 at Bilpur station and they escaped after pointing the rifles when they were called upon to pay the railway dues.

(b) The matter has been reported to the civil and police authorities for taking necessary action.

(c) Yes.

(d) Action has been taken as stated in reply to part (b) of the question. The Divisional Superintendent, Moradabad, Northern Railway, has regretted the inconvenience caused to the Member of Parliament.

जनकपुरी नई दिल्ली में पेट्रोल पम्प

4532. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी, नई दिल्ली में विशेष रूप से पंखा रोड के साथ कितने स्थान पेट्रोल पम्पों के लिए निर्धारित किये गये है;

(ख) कितने स्थान वास्तव में निलामी करके अथवा आबंटन करके बेच दिये गये हैं ;

(ग) कितने स्थानों पर अब तक पेट्रोल पम्प बन चुके है ;

(घ) इस बारे में प्रगति न होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है जिससे दिल्ली की इस सबसे बड़ी रिहायशी कालोनी में उचित संख्या में पेट्रोल पम्प बन सकें ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनकपुरी योजना के लिए छः फुटकर बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पम्पों) के लिये स्थान निर्धारित किये हैं जिनमें से दो स्थान पंखा रोड के साथ दिये गये हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी हाल ही में इण्डियन आयल कारपोरेशन को पंखा रोड (जनकपुरी सी ब्लाक्) पर एक फुटकर बिक्री केन्द्र के लिये स्थान का आबंटन किया है।

(ग) शून्य।

(घ) और (ङ): अभी तक फुटकर बिक्री केन्द्र स्थापित न किये जाने का कारण यह था कि इण्डियन आयल कारपोरेशन को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थान के आबंटन की स्वीकृति फरवरी, 1978 में ही प्राप्त हुई है । इण्डियन आयल कारपोरेशन को स्थान का कब्जा शीघ्र ही दिया जा रहा है और चालू वर्ष के दौरान फुटकर बिक्री केन्द्र के आरम्भ हो जाने की आशा है।

जनकपुरी, नई दिल्ली में पेट्रोल पम्प

4533. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनकपुरी में और विशेष रूप से पंखा रोड पर एक भी पेट्रोल पम्प नहीं है ;

(ख) कालोनी के लिये अभी तक कोई भी पेट्रोल पम्प मंजूर न करने के क्या कारण है; और

(ग) पेट्रोल पम्प मंजूर करने की कसौटी क्या है और सामान्यतः पश्चिम दिल्ली और विशेष रूप से जनकपुरी के साथ इस बारे में भेदभाव भरे व्यवहार के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) नये पेट्रोल पम्प स्थापित करने के वर्तमान मानदण्डों जो कि कम्पनियों द्वारा अपनाये जाते हैं के अनुसार महानगरों में पेट्रोल पम्प महानगर मास्टर प्लान के अनुरूप जगह की उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता और क्षेत्र के वाणिज्यिक महत्व के अनुसार स्थापित किये जाते हैं ।

दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र में 37 फुटकर पेट्रोल पम्प पहले से ही हैं और पंखा रोड आवासीय क्षेत्र के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 6 पेट्रोल पम्पों के लिए स्थान निश्चित कर दिये गये हैं।

इन स्थानों में दो पंखा रोड पर हैं और इन में से एक फरवरी, 1978 में इंडियन आयल कारपोरेशन को आबंटित किया गया है। इंडियन आयल कारपोरेशन को शीघ्र ही जगह पर कब्जा दिया जा रहा है और चालू वर्ष में पेट्रोल पम्प के आरम्भ हो जाने की आशा है। पेट्रोल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पम्प, आर्थिक व्यवहार्यता और इन क्षेत्रों को वाणिज्यिक संभावनाओं के अनुसार स्थापित किये जायेंगे।

इस प्रकार इस संबंध में सामान्य रूप से पश्चिमी दिल्ली के साथ और विशेष रूप से जनकपुरी के साथ पक्षपातपूर्ण बर्ताव करने का प्रश्न ही नहीं है।

Reservation of Posts for SC/ST in Indian Oil

4534. **Shri Mahi Lal:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to refer to the reply given to starred Question No. 397 regarding reservation of posts for SC/ST in Indian Oil on the 13th December, 1977 and state:

(a) whether the requisite information has since been collected; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons for the inordinate delay?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) & (b): The requisite information has since been collected and supplied to the Department of Parliamentary Affairs for being laid on the Table of the House.

रेल मंत्रालय के अन्तर्गत उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या

4535. **श्री शिवनारायण सरसूनियां :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे निम्नलिखित उपक्रमों में से प्रत्येक में कर्मचारियों की श्रेणीवार, (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ) कुल संख्या कितनी है :

1. इन्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड।
2. रेल इण्डिया टैकनिकल एण्ड एकनामिक सर्विसेज लिमिटेड।
3. रेलवे सुरक्षा दल।
4. रेलवे सुरक्षा विशेष दल।

(ख) प्रत्येक उपक्रम में प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों की संख्या पृथक-पृथक कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या इन उपक्रमों में भर्ती तथा पदोन्नति के मामलों में स्थानों के आरक्षण के बारे में भारत सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि० (इरकान) तथा रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लि० (राइटस) दोनों की स्थापना रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के रूप में की गयी है, इन उपक्रमों की सेवाएं श्रेणी I, II, III और IV के रूप में वर्गीकृत नहीं की जाती बल्कि उनका कम्पनी के 'एक्जेक्यूटिव' तथा अन्य पदाधिकारी के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। 23-3-78 को कम्पनी में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार थी :

	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
इरकोन :			
एक्जेक्यूटिव . .	9		..
अन्य पदाधिकारी . . .	9	..	..
राइट्स :			
एक्जेक्यूटिव . .	135	1	
अन्य पदाधिकारी . . .	56	1	..

2.1 रेलवे सुरक्षा दल तथा रेलवे सुरक्षा विशेष दल दोनों का गठन सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के रूप में नहीं किया गया है। रेलवे सुरक्षा दल का गठन रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत किया गया था और रेलवे सुरक्षा विशेष दल का गठन उसी दल का विस्तार करके किया गया है। रेलवे सुरक्षा विशेष दल के कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति
रे० सु० वि० द० (20-3-1978 को)			
श्रेणी I	8	..	..
श्रेणी II	25	2	2*
श्रेणी III	343	25	13
श्रेणी IV	4,331	518	469

*संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किये गये एक अधिकारी ने अभी कार्य ग्रहण नहीं किया है।

2.2 रे० सु० द० के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उपक्रमों में कार्य कर रहे व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या

4536. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत निम्न उपक्रमों में से प्रत्येक उपक्रम में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में, श्रेणीवार, कुल कितने कर्मचारी हैं :—

1. भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड
2. फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड
3. हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड
4. हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड
5. हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड
6. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
7. मद्रास फर्टीलाइजर लिमिटेड
8. नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड
9. पायराइट्स फास्फेट्स केमिकल्स लिमिटेड ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक उपक्रम में अलग-अलग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या इन उपक्रमों में भर्ती और पदोन्नति के मामले में रिक्त स्थानों के आरक्षण सम्बन्धी भारत सरकार के आदेश का पालन किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) : मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०, हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लि०, हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि० और नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के बारे में सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

शेष उपक्रमों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

6—117 L.S.S. (N.D.)/78.

विवरण

उपक्रम का नाम	पद की श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	श्रेणी-I	295	2	शून्य
	श्रेणी-II	154	4	शून्य
	श्रेणी-III	513	36	शून्य
	श्रेणी-IV	133	60	शून्य
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० में कोई सफाई कर्मचारी नहीं है ।				
हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमिकल्स लि०	श्रेणी-I	210	18	2
	श्रेणी-II	81	7	1
	श्रेणी-III (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	980	83	5
	श्रेणी-III (स्वीपर्स)	11	11	शून्य
हिन्दुस्तान आर्गनिक केमिकल्स लि० में 1-1-1975 से कोई श्रेणी-IV का पद नहीं है । सफाई कर्मचारी भी श्रणी-III के अन्तर्गत आते हैं ।				
हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लि०	श्रेणी-I	43	1	शून्य
	श्रेणी-II	115	1	शून्य
	श्रेणी-III	730	68	10
	श्रेणी-IV	308	67	6
	श्रेणी-IV (सफाई कर्मचारी)	21	19	शून्य
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	श्रेणी-I	248	28	4
	श्रेणी-II	211	21	4
	श्रेणी-III	57	122	10
	श्रेणी-IV	102	31	3
	(सफाई कर्मचारी)	11	11	..

(ग) और (घ): सेवाओं में पदों के आरक्षण के बारे में भारत सरकार के आदेश इन उपक्रमों द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्वीकार किए गए हैं । इन उपक्रमों द्वारा इन अनुदेशों का यथा संभव पालन किया जा रहा है ।

उपनगरीय समय-सारणी

4537. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बृहत बम्बई और थाने जैसे पास-पड़ौस के क्षेत्रों के कुछ संसद सदस्यों और विधायकों ने मध्य रेलवे में महाप्रबन्धक से इस आशय का अनुरोध किया है कि मार्च, 1978 से लागू की जाने वाली उप-नगरीय रेलों की समय-सारणी जारी करने में कुछ परिवर्तन किये जायें ; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) इन सुझावों पर मध्य रेलवे की उपनगरीय समय-सारणी के अगले संशोधन के समय विचार किया जायेगा, क्योंकि समय-सारणी को मार्च अथवा अप्रैल 1978 से संशोधित नहीं किया जा रहा है । इसे अभ्यावेदनों के साथ कल्याण में 26-2-1978 को हुई बैठक में स्पष्ट कर दिया गया है ।

Price of Petrol

4538. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether after the presentation of General budget in Parliament, the petrol prices have slightly increased;

(b) whether the prices of petroleum products have also gone up;

(c) the measures being taken by Government to check the prices of petrol; and

(d) whether petrol is proposed to be supplied on the old rates ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) Yes, Sir. Consequent upon the levy of a special duty of excise equal to 5% of the basic excise duty under clause 37 of the Finance Bill 1978, price of petrol has increased by 11 paise per litre (exclusive of Sales Tax).

(b) The prices of various petroleum products, viz., Aviation Spirits, A.T.F., HSDO, Kerosene, LDO, FO, Bitumen, LPG, etc., were increased to the extent of 5% increased in the rates of basic excise duty w.e.f. 1-3-78.

As per clause 34 of the Finance Bill, 1978, Excise Duty on item No. 68 of Central Excise Tariff was increased by 3% ad valorem. Accordingly the prices of petroleum products falling under this item were also increased w.e.f. 1-3-78.

(c) Even though increase in crude oil price w.e.f. 1-1-77 was nearly 8% on the average, basic price of petrol has not been increased and increased costs have been absorbed in the pricing mechanism.

(d) No, Sir.

Railway Service Commission

†4540. **Shri Shiv Narain Sarsonia:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the then Minister of Railways, Shri K. Hanumanthaiya, had stated in Parliament on 20-3-72 that he would be happy if in every Railway Service Commission either the Chairman or the Member-Secretary is to be a Scheduled Caste/Tribe person;

(b) whether it is a fact that in 1975 all the three Ministers in the Ministry had decided that keeping in view of the aforesaid assurance the Chairman or the Member-Secretary of the Service Commission should be a Scheduled Caste or Scheduled Tribe person and in case one is not available from these castes a person belonging to minority communities should be appointed; and

(c) if so, the reasons for not implementing the aforesaid decision?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) During the Railway Budget debates in the Lok Sabha on 20-3-72 the then Railway Minister Shri K. Hanumanthaiya stated that he would have no objection to a proposal to have person belonging to scheduled castes in the Railway Service Commission if suitable persons can be found.

(b) It was agreed that the feasibility of having one Member or Chairman belonging to Scheduled Caste should be kept in view while framing panels. There is, however, no specific reservation.

(c) Selections are made by Union Public Service Commission on the basis of overall suitability. Names of officers belonging to Scheduled Castes have been sent to the Union Public Service Commission for posts of Member-Secretary Allahabad and Muzaffarpur Commissions. Member-Secretary Madras Commission, belongs to Scheduled Caste. Names of Scheduled Caste person are also under consideration for Bombay and Secunderabad Railway Service Commissions.

हड़ताल पर रहे कर्मचारीयों को लाभ

4541. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि उन्हें दिये जाने वाले लाभों की जानकारी के लिये वे 12 जून, 1977 का समाचार पत्र देखें ;

(ख) क्या यह आश्वासन पूरा नहीं किया गया है क्योंकि मई, 1977 के हड़ताली कर्मचारियों को निष्ठावान कर्मचारियों के समकक्ष अभी तक नहीं लाया जा सका है ;

(ग) पिछली सरकार ने निष्ठावान कर्मचारियों को ठोस लाभ दिये हैं और जनता सरकार ने हड़तालियों और उन की मांगों की एकदम उपेक्षा की है ; इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या यह निष्ठावान और हड़ताली कर्मचारियों के बीच भेदभाव को समाप्त करेंगे ; और

(घ) हड़ताली कर्मचारियों को किन लाभों के दिये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : मई, 1974 की हड़ताल के सम्बन्ध में बर्खास्त/नौकरी से हटाये गये/विलम्बित सभी कर्मचारियों की बहाली के आदश जारी कर दिये गये हैं ; सिवाय 13 कर्मचारियों के जिनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा चल रहा है ।

स्थायी और अस्थायी सभी कर्मचारियों, जिन्हें बर्खास्त किया गया था या जिन्हें नौकरी से हटाया गया था, को बहाल कर दिया गया है और बर्खास्तगी अथवा नौकरी से हटाये जाने की तारीख और ड्यूटी संभालने की तारीख के बीच के व्यवधान कालका नियमों के अधीन अनुमेय जीवन-यापन भत्ते के बराबर वेतन तथा भत्तों का उन्हें भुगतान कर दिया गया है और व्यवधान काल की वेतन वृद्धि स्वीकार करने, सेवा-निवृत्ति लाभों आदि कार्यों के लिये ड्यूटी माना गया है। कर्मचारियों को वही वरिष्ठता दी गयी है जो बर्खास्तगी या नौकरी से हटाये जाने से पहले उन्हें दी गयी थी। ऐसे मामलों में जहां वरिष्ठता कायम रखने से किसी कर्मचारी की पदोन्नति की बारी आ जाती है, तो उसकी पदोन्नति प्रथम उपलब्ध रिक्ति पर करने पर विचार किया जायेगा। ऐसे मामलों में जहां कर्मचारियों को कुछ दण्ड जैसे वेतन-वृद्धि को रोकना, ओहदे में कमी करना आदि देकर ड्यूटी पर वापिस ले लिया गया था, उनके वेतन को, ऐसा मानकर कि उन्हें सजा नहीं दी गयी, 1-4-77 से पुर्नर्निर्धारण कर दिया गया है और उन्हें उस तारीख से उनके मूल ग्रेड अथवा वेतन के स्तर पर वापिस रख दिया गया है।

नैमित्तिक कर्मचारियों और एवजियों को ड्यूटी पर वापिस लेने से उनको वरिष्ठता सूची में हड़ताल से पहले वाला मूल स्थान दे दिया गया है और उनको उस वरिष्ठता के आधार पर नियमित सेवा में समाहित करने के लिए प्रवरण-सूची में सम्मिलित करने हेतु विचार किया जायेगा। उनकी पुनर्नियुक्ति वेतन की उस दर पर की गयी है जो वे सेवा भंग से पहले ले रहे थे।

ऐसे आदेश भी जारी किये गये हैं कि सेवा अभिलेखों में हड़ताल से सम्बन्धित इन्दराजों को अविधमान माना जाये और गोपनीय रिपोर्टों में किये गये इन्दराजों को रद्द कर दिया जाये जिससे कि उन्हें कर्मचारियों की पदोन्नति आदि के समय कार्यान्वित न किया जा सके।

1-3-78 को इस आशय के अनुदेश भी जारी किये गये हैं कि सभी मामलों में अनुपस्थिति की अवधि को देय छुट्टी तथा जहां पूरे वेतन अथवा आधे वेतन की छुट्टी देय न हो बिना वेतन को छुट्टी मान लिया जाये और इस अवधि को वेतन वृद्धि के लिए गणना की जायेगी।

कुल मिलाकर उत्पीड़न की विविधताओं को यथासंभव समाप्त कर दिया गया है और अब मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों और भाग न लेने वाले कर्मचारियों में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है।

लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु

4542. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **विधी, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ;

(ख) गत पांच वर्षों मे कितने ऐसे व्यक्तियों का चालान किया गया जिन्होंने विवाह की आयु से पहले ही शादी की थी ; और

(ग) व्यतिक्रम करने वाले उन व्यक्तियो के विरुद्ध जो अधिनियम का अतिक्रमण करते हैं, सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : (क) बालक विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978 का, जो 14 मार्च, 1978 को 1978 का अधिनियम सं० 2 के रूप में प्रकाशित हुआ था, उद्देश्य विवाह की न्यूनतम आयु स्त्रियों के लिए पन्द्रह वर्ष से बढ़ाकर अठारह वर्ष और पुरुषों के लिए अठारह वर्ष से बढ़ाकर इक्कीस वर्ष करना है। यह अधिनियम उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(ख) और (ग) : यह जानकारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इकट्ठी की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मथूरा तेल-शोधक कारखाने के प्रदूषण का ताज महल पर कुप्रभाव

4543. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्वीय विभाग ने मथुरा तेल शोधक कारखाने के प्रदूषण के ताजमहल पर दुष्प्रभाव की समस्या की पुनः जांच की मांग की है और भारत सरकार को यह सूचना दी गई है कि इस प्रश्न पर देश के प्रसिद्ध और योग्य वैज्ञानिकों द्वारा सिन-नय सिरे से विचार किये जाने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और अथवा की जानी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : जी हां, मथुरा शोधनशाला का वातावरण पर दुष्प्रभाव की विशेषज्ञ समिति के सदस्य सचिव को 12-3-1977 भेजे गये एक नोट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए० एस० आई०) ने मथुरा तेल शोधक कारखाने द्वारा होने वाले प्रदूषण के ताजमहल पर दुष्प्रभाव की समस्या की पुनः जांच की मांग की है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नोट पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल थे। कमेटी ने एक सर्वसम्मत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो कि सरकार के विचाराधीन है।

बढ़े हुए उत्पादन शुल्क का रेल बजट पर प्रभाव

4544. **श्री आर० के० महालगी** :
डा० बापू कालदाते :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट में घोषित उत्पाद शुल्क में वृद्धि का रेल बजट पर कोई प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस उत्पाद शुल्क के कारण रेलवे का कितना मुनाफा प्रभावहीन हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 19.58 करोड़ रुपय।

Damage to Railway Lines in Saharsa-Purnea area

†4545. **Shri Vinayak Prasad Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether in the North-Eastern region areas of Saharsa and Purnea adjoining Nepal Sapaul-Bhaptiyahi, Bhaptiyahi-Nirmali, Bhaptiyahi Pratap Ganj-Kanu Ghat, Andhara Ghat-Forbesganj and Partap Ganj-Bhim Nagar metre gauge railway lines were laid;

(b) whether these railway lines were ravaged by the floods in Kosi river in 1904 and later also;

(c) whether in 1973 Railway Board sanctioned Rupees four crores 43 lakhs for the restoration of Bhaptiyahi Garh Forbesganj line and ordered its completion without delay;

(d) whether the engineering survey was also ordered to be conducted without delay for restoring Partap Ganj-Bhim Nagar line and conversion of Bhaptiyahi-Nirmali Railway line into broad gauge; and

(e) if so, the reasons for not undertaking the work of restoration of Bhaptiyahi-Nirmali and Partap Ganj-Bhim Nagar Railway lines ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b) : Yes.

(c) Yes. The 59 Km. long through metre gauge rail link between Saraygarh and Forbesganj has already been restored.

(d) and (e) : Preliminary engineering-cum-traffic survey for the restoration of 23 Km. long line from Bhimnagar to Pratapganj/Balua (Lalitgram) was sanctioned in 1973 and the project report received in 1975 indicated that the project would not be viable and was, therefore, not taken up for construction. An engineering-cum traffic survey was carried out to investigating the possibility of restoring the MG rail link between Nirmali and Saraygarh and also an alternative survey has been carried out for providing MG rail link from Nirmali to Bhimnagar, which is in turn to be connected to Lalitgram and the reports have been received in 1977. Both these alternatives involve construction of a costly bridge across the river Kosi. It has not been possible to take up this project so far on account of the limited availability of resources.

Letter from Northern Railwaymen's Union

†4546. **Shri Sharad Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Secretary General of the Northern Railwaymen's Union had submitted a letter to him (the Minister) on the 12th May 1977;

(b) if so the contents thereof; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) : The letter was received and is being considered.

Abolition of Monopoly of A. H. Wheeler and Company

4547. **Shri R. L. Kureel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that railway bookstall agents and employees are prepared to pay 5 per cent. royalty to Railways and if so,, the reasons for not awarding the contract of railway bookstalls to the Cooperative Societies of the agents and employees by abolishing the monopoly of M/s. A. H. Wheeler and Company;

(b) whether hundreds of agents were removed from their jobs by M/s. A. H. Wheeler on charges of fighting for their rights and the active members of Railway Bookstall Agents Union were victimized; and

(c) whether Railway agents were called Bookstall Managers previously but in order to exclude them from the application of Labour Laws they have not been designated as Bookstall Agents by M/s. A. H. Wheeler ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Satisfactory service to passengers as opposed to profit is the main objective of establishing bookstalls at Railway Stations. As such royalty has been fixed at a low rates of 2½% on the sales turnover. Petty bookstall contractors pay lumpsum licence fees at even lower rates.

Since the present term of M/s. A. H. Wheeler & Co. and the two other major bookstall contractors is valid upto 31-12-84, it is not possible to replace them at present.

(b) The dealings between M/s. A. H. Wheeler and their agents are internal matters of the Company.

However, M/s. A. H. Wheeler have reported that no agents have been removed on charges of fighting for their rights and no agent has been victimised.

(c) M/s. A. H. Wheeler & Co. have reported that their records over 20 years show that they have been having bookstall agents on commission basis.

Sale of Magazines by A. H. Wheeler and Company

4548. **Shri R. L. Kureel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether owners of M/s A. H. Wheeler employ hundreds of persons for domestic work and the salaries paid to them are shown against office expenses;

(b) whether M/s A. H. Wheeler show expenditure worth lakhs of rupees on cases which are filed by them against bookstall agents in order to victimize them; and

(c) whether M/s A. H. Wheeler sell hundreds of tons of magazines returned by book stall agents and do not show this amount against their income ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c): According to the agreement, M/s A. H. Wheeler & Co. pay royalty to the Railways at the rate of 2½ per cent on the total sales turnover through bookstalls at railway stations. The Railways are concerned only with the total sales turnover and these figures are audited by the Railways and royalty realised.

M/s. Wheeler & Co. have a number of other business, such as, publishing, distribution of sports goods and equipment, wholesale distribution of publications etc. and as such, the overall income/expenditure of the Company does not come under the purview of the Railways.

However, Messers Wheeler & Co. have reported that they do not employ persons for domestic work on office account or file cases to victimise agents. Cases are filed only when the agents misappropriate Company's money. They have also stated that they return to publishers stocks of unsaleable books and periodicals as per the agreement. In case, the agreement with publishers does not necessitate return of periodicals they are sold and sale proceeds duly shown in Company's accounts.

निर्वाचन अर्जियों का निपटारा

4550. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या विधी, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 में लोक सभा के निर्वाचनों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के संबंध में राज्यों के उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में दायर की गई सभी निर्वाचन अर्जियां निपटा दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1978 तक पूरे देश में अब तक कितने मामलों को निपटा दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह न्यायालयों में लम्बित मामलों को निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करें ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से सहमत हो गई है और कुछ मामलों में नए न्यायाधीश नियुक्त किये गए हैं ;

(ङ) क्या राज्यों में न्यायाधीशों के सभी रिक्त पदों को भर दिया गया है ; और

(च) यदि नहीं, तो उनके कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) : विभिन्न उच्च न्यायालयों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इस संबंध में विवरण यथा समय सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) और (घ) : निर्वाचन अर्जियों के निपटारे के लिए एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का एक प्रस्ताव एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से प्राप्त हुआ था । कुछ उच्च न्यायालयों के

बारे में आम तौर पर लंबित मामलों के निपटारे के लिए न्यायाधीशों के और अधिक पद सृजित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार ने निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में नए पदों की मंजूरी दी है :—

	स्थायी	अपर
इलाहाबाद	..	6
हिमाचल प्रदेश	..	1
कर्नाटक	1	1
मध्य प्रदेश	..	6
पटना	..	3
	1	17

मंजूर किए गए इन नए पदों में से एक पद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक अपर न्यायाधीश और तीन पदों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तीन अपर न्यायाधीश नियुक्त किए जा चुके ह।

(ङ) जी नहीं।

(च) वर्तमान रिक्त स्थानों को शीघ्र भरने के सभी प्रयास किए जा रहे है।

पत्रकारों के लिए रेल कुपन

4551. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**
श्री के० मालन्ना :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने मान्यताप्राप्त पत्रकारों के लिये रियायती रेल यात्रा के कूपनों की एक नई योजना लागू की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार नें अब तक वर्ष 1978 में पत्रकारों को कोई रेलवे कूपन जारी किये ह ;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने रेल कूपन जारी किये गये हैं ;

(ङ) इसके लिए अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(च) रेल कूपनों को जारी करने के लिए क्या शर्तें लगाई गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (च) : 1 मार्च, 1978 से भारतीय रेलों पर भारत सरकार और राज्य सरकारों के मुख्यालयों के प्रेस संवाददाताओं की वास्तविक प्रेस संबंधी कार्य के लिए यात्राओं के लिए धन मूल्य कूपन (मनी मूल्य कूपन) की एक संशोधित योजना शुरू की गयी है जिसके अनुसार पहले दर्जे की यात्रा के लिए 15% रियायत और दूसरे दर्जे के लिए 50% रियायत का तत्व समाविष्ट है। 1 मार्च, 1978 से पहले कुल 2500 कि० मी० तक की यात्रा के लिए दूरी कूपन जारी करने की प्रणालो थी।

ये कूपन पुस्तिकाएं मान्यता प्राप्त प्रस संवाददाताओं द्वारा विशिष्ट प्राधिकारियो द्वारा हस्ताक्षरित अपेक्षित प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर प्राप्त की जा सकती हैं । ये कूपन टिकट पर छपे मूल्य पर बदले जाते हैं और उनका प्रयोग केवल यात्रा टिकटों के खरीदने तक ही सीमित है । 1 मार्च, 1978 से संशोधित योजना को शुरू किये जाने के बाद अब तक 40 पहले दर्जे की और 45 दूसरे दर्जे के धन मूल्य कूपन पुस्तिकाएं प्रेस संवाददाताओं को बेची जा चुकी हैं ।

खुर्दा रोड के गार्डों का अभ्यावेदन

4552. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खुर्दा रोड डिवीजन के गार्डों से उनकी शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाय हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) तथा (ख) : रेल प्रशासन को अभ्यावेदन हुए है क (I) गार्डों को और अधिक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां आबंटित की जाये, (II) ग्रेड ए (विशेष) द्वारा संचालित मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के मेल में संशोधन किया जाय तथा (III) गार्ड ग्रेड 'ए' (विशेष) के पदों को गैर-प्रवरण पद माना जाय । मद (III) के सम्बन्ध में कुछ कर्मचारियों ने न्यायालय में याचिका पहले ही दायर कर दी है ।

(ग) सरकारी नीति के अनुसार, कहीं से भी प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावदनों पर यथोचित विचार किया जाता है तथा आवश्यक कार्रवाई की जाती है । सभी कोटियों के कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाता है तथा स्थायी वार्ता तंत्र (पी० एन० एस०) और संयुक्त वार्ता तंत्र (जे० सी० एम०) के विभिन्न स्तरों के माध्यम से समाधान किया जाता है । तदनुसार इन अभ्यावेदनों पर भी विचार किया जा रहा है ।

भोजूडिह लोको शेड में कथित भ्रष्टाचार

4553. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भोजूडिह लोको शेड में भ्रष्टाचरण और कोयले तथा राख को उतारने चढ़ाने के लियं ठेकेदार को किये गये अतिरिक्त भुगतान के बारे मे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच को गई है और इसके क्या परिणाम रहे ; और

(ग) ठकेदार से इस धनराशि को वसूल करने और इसमें सम्बद्ध रेलवे अधिकारियों को सजा देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । जांच पड़ताल का काम अभी अभी पूरा किया गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

(ग) रिपोर्ट की जांच के बाद यथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

वायरलेस आपरेटरों की सेवा शर्तें

4554. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में वायरलेस आपरेटरों की सेवा शर्तों, मशीन भत्ते आदि के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : अभ्यावदनों में की गयी मुख्य मांग इस प्रकार थी :--

(1) वेतनमानों में संशोधन,

(2) दक्षता परीक्षा पास करने पर विशष वेतन में संशोधन,

(3) रेलों पर फालतू कर्मचारियों के सम्बन्ध में फेडरेशन की सम्बद्ध यूनियनों के साथ परामर्श, और

(4) पदों का दर्जा बढ़ाने में प्रतिशतता ।

चुंकि इस कोटि के लिए नियत किया गया संशोधित वेतनमान बिल्कुल तीसरे वतन आयोग के सिफारिशों के अनरूप था, अतः उनके वतनमानों में संशोधन करना व्यावहारिक नहीं था । चूंकि वेतन आयोग ने विशेष वतन देना बन्द करने के विशेष रूप से सिफारिश की थी, अतः विशष वतन की राशि में संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता । रेलों पर फालतू कर्मचारियों से सम्बन्धित समस्याओं पर यूनियनों के साथ विचार-विमर्श करने में इस मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं होगी । उनकी पदोन्नति सम्बंधी अवसरों में वृद्धि करने के लिए 22 पदों के ग्रेड को 330--560 रु० के सशोधत वेतन मान से बढ़ाकर 425--640 रु० का संशोधित वेतन मान वाला कर दिया गया है ।

दक्षिण रेलवे माइक्रो वेव सेक्शन में नैमित्तिक श्रमिक

4555. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे के माइक्रोवेव सेक्शन में नियुक्त नैमित्तिक श्रमिकों से उनकी शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन में उठाय गये मुख्य-मुख्य मुद्दों का संबंध स्थायी संवर्ग में समाहित करने, स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाये जाने वाले व्यक्तियों की छटनी से सुरक्षा और काम की कमी के कारण छटनी न किय जाने से है ।

(ग) नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित रूप से समाहित करने के बारे में विचार किया जाता है जो उपलब्ध नियमित रिक्तियों की संख्या, उनके द्वारा की गयी सेवा की अवधि और चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ पाय जाने पर निर्भर करता है। जिन व्यक्तियों को स्वास्थ्य के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, उन्ह सेवा में बनाये रखना सम्भव नहीं है। निकट भविष्य सूक्ष्मतरंग निर्माण यूनिट को बंद करने का कोई इरादा नहीं है, किन्तु, जब काम रोक देने/काम में कमीं होने के कारण छटनी करना अपरिहार्य हो जाता है तो आस-पास की किसी अन्य परियोजना में उनके लिए व्यवस्था करने के सभी याास किये जाते हैं।

सरकारी एजेंसियों से एल-बेस का स्टाक उठाया जाना

4556. **श्री एस० एस० सोमानी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1977 से आज तक वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा सरकारी एजेंसियों से कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का एल-बेस उठाया गया ; और

(ख) क्या एल-बस के उठाने में कमी हुई है ; और यदि हां, तो इसके कारणों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : 1-8-1977 से 9-3-1978 तक 138.67 लाख रुपये के मूल्य के 27.683 मीटरी टन एल-बस वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा भारतीय राजकीय रसायन एवं भेषज निगम, जोकि इस मध्य-वर्ती औषध के लिये आयात की गई सारणीबद्ध (जिन्स) से ली गई थी।

जनवरी और फरवरी 1978 में एल-बेस के उठाये जाने में कुछ गिरावट आई थी परन्तु मार्च 1978 के आरम्भ में इसमें वृद्धि हुई है। एल-बेस के उठाये जाने में गिरावट का कारण यह प्रतीत होता है कि आर० ई० पी० लाइसेंस के आधार पर इसका बहुत अधिक आयात किया गया था।

भारतीय उर्वरक निगम का कार्यकरण

4557. **श्री जी० एम० बनातवाला :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण की कोई जांच की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को वहां कोई अनियमिततायें मिली हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस निगम के कार्यकरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसे पुनर्गठित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कार्य-कारी समिति ने सरकारी उपक्रमों पर 1971-72 के दौरान फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया के पहलुओं का अध्ययन किया था और किसी भी अन्य उच्चस्तरीय समिति ने एफ० सी० आई० के कार्य का अध्ययन नहीं किया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया और नैशनल फर्टिलाइजर लि० का निम्नलिखित पांच कम्पनियों में पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है :—

कम्पनी का नाम	एकक/प्रभाग
1. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया .	सिन्दरी (सिन्दरी आधुनिकीकरण और सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण सहित गोरखपुर, तालचर, रामागुण्डम और कोरबा
2. नैशनल फर्टिलाइजर लि० . .	नंगल, भटिंडा और पानीपत
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० .	नामरूप, हल्दिया, बरौनी और दुर्गापुर
4. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र लि० . .	ट्राम्बे के सभी एकक और दक्षिण बम्बई में गैस पर आधारित संयंत्र
5. फर्टिलाइजर (योजना एण्ड विकास) इण्डिया लि०	एफ० सी० आई० के पी० एण्ड डी० प्रभाग

एफ० सी० आई०/एन० एफ० एल० के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य यह था कि एफ० सी० आई० में निर्णय लेने की शक्तियों के केन्द्रीय करण से बचा जाए और क्षेत्रीय एककों को अधिक स्वायत्तता दी जाए । इससे संयंत्र के कार्य संचालन में अधिक कार्यकुशलता आयेगी ।

नई कम्पनियों का पंजीकरण

4558. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में कितनी नई कम्पनियों का पंजीकरण किया गया ;

(ख) कम्पनी में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक बनने हेतु अनुमति लेने के लिये 28 फरवरी, 1978 को कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े थे ;

(ग) क्या गत एक वर्ष में निदेशक अथवा प्रबन्ध निदेशक बनने के लिए अनुमति देने में विलम्ब के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) 1977 के वर्ष के मध्य, हिस्सों द्वारा सीमित 2522 कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था ।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 269 के अन्तर्गत, प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक, की नियुक्ति /पुनर्नियुक्तियों के लिये केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ 277 सांविधिक आवेदन-पत्र 28-2-1978 तक अनिर्णीत थे ।

(ग) तथा (घ) : गत एक वर्ष के मध्य कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी तथा उन पर कार्यवाही की गई है। इस प्रकार के मामलों को संव्यवहारित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिय हाल ही में कुछ कार्यवाही की गई है ।

स्टेशन मास्टरों की शिकायतें

4559. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ ऊंचे ग्रेडों में अन्तर्वेशन के विरुद्ध आंदोलन कर रहा है जिससे ड्राइवर, गार्ड जैसी श्रेणियों की तुलना में जिन में ऊंचे ग्रेडों में अन्य श्रेणियां नहीं आती हैं, ऊंचे ग्रेडों में उन को पदोन्नति बुरी तरह रुक गई है ;

(ख) प्रारम्भिक ग्रेड में अन्तर्वेशन क्यों नहीं किया जाता है क्योंकि कठिनाइयां प्रारम्भिक ग्रेड में ही हैं और जब पदोन्नति का उनका अवसर आता है तो लाभ दूसरों को दे दिया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार इस उचित मांग पर ध्यान देगी और संघ को उसकी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर, सेक्शन कन्ट्रोलर, ट्रैफिक इन्सपेक्टर आदि कोटियों में 455--700 रुपये (संशोधित वेतनमान) ग्रेड में 25% रिक्तियां यातायात एप्रेन्टिसों द्वारा भरी जाती है। सीधी भर्ती का कोटा केवल 15% है और शेष 10% रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भरी जाती है। अतः ट्रैफिक एप्रेन्टिस की भर्ती स्टेशन मास्टर ग्रुप तक ही सीमित नहीं है। बिजली एवं यान्त्रिक विभागों में भी मध्यवर्ती ग्रेडों में इसी प्रकार कर्मचारी भर्ती किये जाते हैं ।

सिन्दरी उर्वरक परियोजना का आयोजन और विकास प्रभाग

4960. श्री ए० के० राय : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयोजना और विकास प्रभाग, सिन्दरी का गत दस वर्षों का तुलन पत्र क्या रहा है, इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई और उसे कितनी आय हुई तथा भारतीय उर्वरक निगम ने उसे आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से कौन-कौन सी परियोजनायें सौंपी ;

(ख) क्या यह सच है कि पी० एण्ड ओ० के विशिष्ट ज्ञान के बावजूद उसे कोई बडा काम न सौंपकर भारतीय उर्वरक निगम ने पी० एण्ड ओ० के प्रति सौतेला व्यवहार किया है और विदेशी फर्मों को काम सौंप कर पी० एण्ड ओ० बनाने का प्रयोजन ही निष्फल कर दिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के आ जाने से निर्भरता में और भी वृद्धि हो गई है और पी० एण्ड ओ० का दायरा सीमित हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रवृत्ति को बदलने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : योजना तथा विकास प्रभाग द्वारा अर्जित और खर्च की गई राशि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी । संस्थान को गत दो दशकों के दौरान विभिन्न स्तरों पर 16 प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं की स्थापित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था जिसमें से 13 एफ० सी० आई० के लिए थी और शेष 3 बाहरी एजेंसी अर्थात् मैसर्स फैक्ट, हिन्दुस्तान स्टील (राउरकेला) और नयवेली लिगनाइट (उर्वरक एकक) के लिए थी । इसके अलावा संस्थान ने 24 लघु परियोजनाओं का कार्य भी ले लिया है जिसमें से 16 एफ० सी० आई० के लिए और 8 बाहरी एजेंसियों के लिए थी । सी० एण्ड डी० द्वारा किए गए अनुसंधान विकास और डिजाइन कार्य के आधार पर उर्वरक उद्योग के लिए कटलिट्स का उत्पादन सिन्दरी में स्थापित किया गया है ।

(ग) और (घ) : जी, नहीं । प्रौद्योगिकि का आयात और प्रवासी सहायता केवल तब तक ली जाती है जब तक वे देश के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं हैं । वस्तुत: आर० एण्ड डी० संस्थान को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० की सामान्य पुनर्संगठन योजना में एक अलग से इंजीनियरी कम्पनी स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है ।

भारतीय उर्वरक निगम के एककों द्वारा आत्म निर्भरता

4561. **श्री ए० के० राय** : क्या **पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के सभी एककों में विदेशी मुद्रा अंश का मूल्य क्या है और उसकी प्रतिशतता क्या है और क्या आत्मनिर्भरता की दिशा में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पिछड़ गई है, जबकि स्वदेशी जानकारी एवं सामान के साथ स्वदेशी उर्वरक कारखाने के पूर्ण निर्माण के लिये विशेषज्ञता देश में ही उपलब्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पिछड़ेपन के क्या कारण हैं और निकट भविष्य में एक स्वदेशी उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिये क्या कदम उठाये जाने हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) एफ० सी० आई० के एककों का 1961 में प्रारंभ होने से उनकी विदेशी मुद्रा अंश की राशि और प्रतिशतता निम्नप्रकार है :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

क्रमांक	एकक/प्रभाग	परियोजना की कुल अनुमानित लागत	अनुमानित विदेशी मुद्रा का अंश	विदेशी मुद्रा अंश की प्रतिशतता (कुल लागत)
1	2	3	4	5
1	नंगल	3,120	1,400	45.13
2	ट्राम्बे	4,558	2,152	47.21
3	गोरखपुर	3,418	1,427	41.75
4	नामरूप-I	2,427	637	26.25
5	दुर्गापुर	10,215	3,633	35.57
6	बरौनी	9,232	2,396	25.95
7	नामरूप-II	7,491	2,421	32.32
8	सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण . . .	4,801	854	17.79
9	गोरखपुर विस्तार . . .	1,839	870	47.31
10	तालचर . . .	18,476	4,588	24.83
11	रामागुण्डम	18,552	4,643	25.03
12	हल्दिया	22,851	4,296	18.80
13	नंगल विस्तार . . .	12,983	5,100	39.30
14	ट्राम्बे-IV	7,627	2,468	32.36
15	सिन्दरी आधुनिकीकरण . . .	15,204	5,371	35.33
16	ट्राम्बे-V	16,997	4,352	25.60

क्रमांक 10 से 16 तक की परियोजनाएं अभी चालू होनी हैं।

जैसा कि ऊपर देखा जाता है कि पिछले वर्षों में परियोजनाओं में मोटे तौर पर विदेशी मुद्रा अंश में कमी हुई है।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। जबकि सरकारी क्षेत्र की इंजीनियरिंग कम्पनियों ने उर्वरक संयंत्रों के कई खण्डों से संबंधित प्रौद्योगिकी विकसित अथवा अर्जित की है, तो भी, उर्वरक उद्योग के उर्वरक संयंत्रों के कई महत्वपूर्ण खण्डों जैसे गैसीकरण, अमोनिया सिन्थेसिस, सी०ओ०$_2$ शुद्धिकरण आदि के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी/जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है। इस संदर्भ में प्रौद्योगिकी के आयात तथा विशेषज्ञ सहायता की प्राप्ति के लिए केवल उस मात्रा तक अनुमति दी जाती है जितनी मात्रा तक इनकी अपने देश में उपलब्धि नहीं होती है।

7—117 L.S.S. (N.D.)/78.

मैक लेबोरेटरीज में क्लोरेमफेनिकोल का उत्पादन

4562. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैक लेबोरेटरीज ने प्रारंभिक स्तरों से क्लोरेमफेनिकोल का निर्माण करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किया था ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1979 तक उन्हें एल-बेस जारी करने के सरकार के निर्णय का क्या औचित्य है जबकि पांचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजनाओं हेतु देश की क्लोरेमफेनिकोल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लघु उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता है ;

(ग) क्या सरकार इस बात से पूरी तरह सन्तुष्ट है कि मैक लेबोरेटरीज ने प्रारम्भिक स्तर से क्लोरेमफेनिकोल का उत्पादन आरम्भ करने के लिये, जिस के लिये उसे 31 मार्च, 1979 से लाइसेंस दिया गया है, कारगर कदम उठाये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इस को किस प्रकार उचित ठहराती है कि उस को एल-बेस जारी करने का निर्णय परोक्ष रूप से उन को लाभ पहुंचाना नहीं है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : क्लोरेमफेनिकोल का पी-नाईट्रो एसीटो फेनीन के मूलस्तर से उत्पादन करने के लिये कम्पनी ने औद्योगिक लाईसेन्स के कार्यान्वियन हेतु प्लांट तथा मशीनरी की स्थापना की है। उन्होंने वास्तव में इस स्तर से क्लोरेमफेनीकोल की कुछ मात्रा का उत्पादन किया था परन्तु ऐसा उत्पादन अ-लाभकर पाया गया था ।

यह बताया गया है कि कम्पनी लाभकर उत्पादन के लिये प्रक्रिया के विकास कार्य में जुटी हुई है। उन्हें आशा है कि करीब एक से दो वर्ष की अवधि में ऐसी प्रक्रिया का विकास हो जायेगा ।

क्लोरेमफेनिकोल का मूलस्तर से उत्पादन करने के लिये वैकल्पिक प्रक्रिया का विकास होने तक प्लांट को चालू रखने के लिए एल-बेस की सप्लाई के सम्बन्ध में कम्पनी के आवेदन पत्र पर यह निर्णय किया गया था कि उन्हें 31 मार्च, 1979 तक एल-बेस की रिलीज के लिये स्वीकृति दी जाये।

हाल ही में इस कम्पनी के हक में 22 मीटरी टन एल-बेस का एक रिलीज आदेश जारी किया गया था। परन्तु इस रिलीज आदेश का कार्यान्वियन रोक दिया गया है क्योंकि इस बीच में यह सूचना मिली थी कि इस कम्पनी के आर० इ० पी० लाइसेन्स के अन्तर्गत एल-बेस की काफी मात्रा प्राप्त करनी थी ।

इस कम्पनी की कार्य स्थिति की जांच करने तथा अन्य आवश्यक जांच/अध्ययन करने के लिये सरकार ने एक तकनीकी दल की नियुक्ति की है ताकि सरकार उचित अनुमानित समय में मूलस्तर से क्लोरेमफेनिकोल के उत्पादन की दृष्टि से कम्पनी के भविष्य पर निश्चित रूप से निर्णय कर सके ।

रेलवे कुलियों (पोर्टरों) के लिए ग्रुप बिमा योजना

4563. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे के कुलियों (पोर्टरों) के लिये ग्रुप बीमा योजना आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : लाइसेन्सधारी रेलवे धारिकों को ग्रुप बीमा योजना के रूप में कुछ सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारतीय जीवन बीमा निगम और इस मंत्रालय के ध्यान में है। अन्तिम विनिश्चय, श्रम मंत्रालय और भारतीय जीवन बीमा निगम के परामर्श से, इस योजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद किया जायेगा ।

कम्पनी अधिनियम को संशोधित करने का सुझाव

4564. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के विख्यात उद्योगपति तथा अर्थशास्त्री मि० जार्ज गाग्डर, ने भारतीय कम्पनी अधिनियम में एक संशोधन करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) ब्रिटेन के उद्योगपति तथा अर्थशास्त्री श्री जार्ज गाग्डर या उनके आधार पर किसी भी व्यक्ति से कम्पनी अधिनियम, 1956 के संशोधन के लिए सरकार को कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सरकार ने विधायन के माध्यम से औद्योगिक प्रबन्ध में न्यासिकता को अवधारित करने के लिए श्री गाग्डर के सुझावों का उल्लेख करते हुए समाचारपत्र की रिपोर्ट देखी है ।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956, एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की संवीक्षा का सम्पूर्ण प्रश्न विशेषज्ञ समिति के समक्ष है, जिससे यह आशा की जाती है कि वह इन दो अधिनियमों के सम्पूर्ण ढांचे को देखेगी तथा अपने सुझाव देगी ।

फार्मास्यूटिकल्स कच्ची सामग्री का गैर-सरकारी माध्यम से आयात करना

4565. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध उद्योग ने फार्मास्यूटिकल्स कच्ची सामग्री का गैर-सरकारी माध्यम से आयात करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे ने सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) औषध उद्योग से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पिछड़े पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में रेल-लाइनें

4566. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में रेल लाइनों का विस्तार करने के लिए उन के मंत्रालय द्वारा स्वीकृत योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में छोटी लाइनों, मीटर गेज लाइनों को बदलने और नई लाइनों को बिछाने के लिए पिछड़े क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है अथवा कितनी धनराशि का आबंटन किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : नयी लाइन और आमान परिवर्तन सम्बन्धी परियोजनाएं जिन्हें 1978-79 में शुरू किया जायेगा और प्रत्येक परियोजना पर किया जाने वाला प्रस्तावित परिव्यय का ब्यौरा संलग्न सूची में दिया गया है ।

नयी लाइन और आमान परिवर्तन सम्बन्धी परियोजनायें जिन्हें छठी योजना में शामिल किया जाना है और जिनके लिए धन राशि आबंटित की जानी है उन परयोजनाओं की सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विवरण

नयी लाइनों से सम्बन्धित परियोजनाएं जिनका निर्माण कार्य चल रहा है ।

क्र० सं०	परियोजना	1978-79 में प्रस्तावित खर्च (करोड़ रुपयों में)
1	वसई रोड-दीवा बड़ी लाइन रेल सम्पर्क . . .	4.00
2	वानी-चनका बड़ी लाइन	0.10
3	आप्टा-रोहा बड़ी लाइन रेल सम्पर्क . .	1.00
4	मिर्चधुरी/केरला रोड जयन्त रेलवे . . .	8.03
5	हावड़ा-शियाखला बड़ी लाइन	0.0001
6	कल्याणी से कल्याणी टाउनशिप . . .	0.50
7	शहादरा-सहारनपुर बड़ी लाइन रेल सम्पर्क . . .	3.82
8	रोहतक-भिवानी	1.15
9	गोहना-पानीपत (फिर से बिछाना)	0.1538
10	रामपुर से न्यू हलद्वानी तक नयी बड़ी लाइन . . .	0.0001
11	सकरी-हसनपुर रोड मीटर लाइन	0.0001
12	बगह-छितौनी मीटर लाइन (पुनः चालू करना) . . .	0.0001

विवरण — जारी

क्र० सं०	परियोजना	1978-79 में प्रस्तावित खर्च (करोड़ रुपयों में)
13	हसन–मंगरुल मीटर लाइन	2.32
14	नागरकोयल से कन्याकुमारी शाखा लाइन सहित नागरकोयल के रास्ते तिरुवनन्तपुरम् से नयी लाइनें	2.00
15	रामेश्वरम और धनुषकोडि के बीच रेलवे लाइन को फिर से बिछाना .	0.0001
16	बीबीनगर–नडिकुडे बड़ी लाइन . . .	1.00
17	भद्राचलम् से मानुगुरु के बीच नयी बड़ी लाइन . . .	2.00
18	हल्दिया पोर्ट तक रेल सम्पर्क	0.15
19	कटक–परादीप सम्पर्क	0.58
20	बड़गछिया–चंपाडांग सहित हावड़ा–आमता बड़ी लाइन का निर्माण .	0.40
21	बांसपानी–जाखापुरा बड़ी लाइन चरण-1 . . .	1.00
22	साबरमती–गांधी नगर	0.02
23	गुना–मक्सी	0.10
24	नदियाड–गोडासा बड़ी लाइन	0.50
	आमान परिवर्तन सम्बन्धी परियोजनाएं	
1	सूरतगढ़–भटिंडा मीटर लाईन को बड़ी लाइन में . . .	2.40
2	बाराबंकी–समस्तीपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में . .	12.97
3	वाराणसी–भटनी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में . . .	0.0001
4	समस्तीपुर–दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में . .	0.0001
5	मुरादाबाद–शननगर	0.18
6	काशीपुर–लालकुआं मीटर लाइन को बड़ी लाइन में . .	0.02
7	न्यूबोंगाईगांव–गोहाटी (समानान्तर बड़ी लाइन)	2.48
8	गुन्तकल्ल–धर्मवरम (समानान्तर बड़ी लाइन)	2.06
9	एर्णाकुलम–तिरुवनन्तपुरम मीटर लाइन को बड़ी लाइन में . .	0.17
10	मनमाड–परबनी–पुर्ली बैजनाथ मीटर लाइन को बड़ी लाइन में .	0.25
11	गुन्टूर–मचरेला	0.0001
12	वीरमगांव–ओखा पोरबन्दर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में . .	7.93
13	दिल्ली–साबरमती मीटर लाइन को बड़ी लाइन में . . .	0.0001
14	बरौनी–कटिहार	1.000

छोटी लाइनों, मीटर गेज लाइनों और अलाभप्रद लाइनों के बारे में नीति

4567. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में, छोटी लाइनों, मीटर गेज लाइनों और अलाभप्रद लाइनों के बारे में उन के मंत्रालय के क्या नीति और प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि कोई निर्णय किया गया है, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे लाभप्रद बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : नयी लाइनों के निर्माण के लिए सरकार की भावी नीति का निर्धारण किया जा रहा है और इस नीति को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही उन नयी योजनाओं को निश्चित किया जायेगा, जिन पर काम किया जाना है। वर्तमान अलाभकर शाखा लाइनों का प्रश्न है उनके सम्बन्ध में विवेचनात्मक और वास्तविक समीक्षा की जा रही है जैसा कि रेलवे अभिसमय समिति ने सिफारिश की हैं।

Sale of Adulterated Petrol

4568. **Shri Lalji Bhai :** will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether incidence of sale of adulterated petrol has increased recently throughout the country which is resulting in various types of difficulties to consumers;

(b) whether the former Government had also appointed a Committee to go into this question but some vested interests have delayed action in this regard; and

(c) if so, whether Government are seized of this matter ?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) No report concerning increase in the incidence of sale of adulterated petrol in the country has recently been received.

(b) and (c) : The oil industry had set up a working group on adulteration and service charges which in its report had suggested certain measures. These have been taken note of for implementation. The oil companies are already taking the following steps to prevent adulteration of motor spirit (petrol):—

(i) enforcement of quality control measures at the petrol supplying stock points ;

(ii) sealing of tank trucks carrying petrol at the supplying stock points;

(iii) cautioning of tank truck operators to ensure quality of the products ;

(iv) regular inspection of retail outlets by the field staff of oil companies ;

(v) physical verification of dealers' stock of petrol together with the totaliser readings of dispensing pumps ;

(vi) adoption of the filter paper test to detect adulteration of petrol ; and

(vii) drawing of samples from the retail outlets for laboratory testing.

State Governments/Union Territory Administrations have been advised to ensure periodical sample checks on petrol sold from retail outlets and take appropriate action against the offenders.

वेन्डरों के लाइसेंस रद्द किये जाना

4569. **श्री वसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस महीनों में विभिन्न शिकायतों के कारण जोनवार कितने वेंडर लाइसेंस रद्द किये गये हैं;

(ख) क्या वेंडर्स को लाइसेंस देने के बारे में सरकार ने कोई नई नीति बनाई है ;

(ग) गत वर्ष वेंडरों को, जोनवार कुल कितने लाइसेंस दिए गए ; और

(घ) रेलवे में वेंडरों के लाइसेंस रद्द करने तथा लाइसेंस देने के लिए क्या व्यवस्था है और समाज के आर्थिक रूप में दुर्बल वर्गों के शिक्षित युवकों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए क्या सुधार/संशोधन विचाराधीन प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) और (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(घ) प्रचलित नियमों के आधार पर खान-पान/वेंडिंग के छोटे-छोटे ठेके सीधे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों को आबंटित किये जाते हैं यदि वे इस काम को संतोषजनक रूप से करने के योग्य समझे जाते हैं, खान-पान/वेंडिंग के बड़े-बड़े ठेके देने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों और बेरोजगार स्नातकों की सहकारी संस्थाओं को अधिमानता दी जाती है ।

केवल उन ठेकेदारों के ठेके खत्म कर दिए जाते हैं जिनके काम असंतोषजनक पाए जाते हैं ।

रेलवे सुरक्षा बल को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव

4570. **श्री वसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं, तोड़फोड़ के कार्यों तथा चोरी के मामलों को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कल्याणी टाउनशिप तथा सियालदह राणाघाट के बीच रेल सम्पर्क

4571. **श्री चित्त बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने हाल ही में दिनांक 21 नवम्बर, 1977 के अपने अर्ध-शासकीय पत्र 330-सी० एम० के द्वारा कल्याणी टाउनशिप और सियालदह–राणाघाट रेलवे लाइन के बीच रेल सम्पर्क हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में इस बीच कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : कल्याणी स्टेशन से कल्याणी टाऊनशिप तक रेलवे लाइन के निर्माण को परियोजना 1978-79 के रेलवे बजट में शामिल कर ली गई है ।

कल्याणी में रेलवे स्टेशन

4572. **श्री चित्त बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याणी टाउनशिप का तेजी से विकास करने और इसके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए कल्याणी में एक रेलवे स्टेशन की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : कल्याणी स्टेशन से कल्याणो टाउनशिप तक रेलवे लाइन के निर्माण संबंधी परियोजना को 1978-79 के बजट में शामिल कर लिया गया है ।

उर्वरकों का उत्पादन

4573. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार, तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे कारखानों द्वारा दिसम्बर, 1977 को कौन-कौन से उर्वरक बनाये जा रहे थे और उनके ब्राण्ड नाम क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने प्रत्येक राज्य में, वर्षवार, प्रत्येक किस्म के कितने उर्वरक का उत्पादन किया ? और

(ग) उर्वरक उद्योग में आज तक कुल कितनी पूंजी निवेश किया गया है और वर्ष 1969-70 में कितना पूंजी निवेश था ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा ब्रांड नाम सहित यदि कोई हो, उत्पादित उर्वरक निम्न प्रकार हैं :—

	कम्पनी का नाम	ब्रांड नाम
केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कारखाने :—		
नाइट्रोजन उर्वरक—		
1. यूरिया .	फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ० सी० आई०) . .	..
	फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स ट्राउनकोर लि० (फैक्ट)	..
	मद्रास फर्टिलाइजर लि० (एम० एफ० एल०)	विजय
2. अमोनिया सल्फेट .	फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ० सी० आई०) . .	..
	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स ट्राउनकोर लि० (फैक्ट) . . .	..
..	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (एच० एस० एल०)	..
3. कैल्शियम अमोनियम निट्रेट	फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ० सी० आई०) . .	किसान खाद
	हिन्दुस्तान स्टील लि० (एच० एस० एल०)	सोना
4. अमोनियम क्लोराइड .	फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स ट्राउनकोर लि० (फैक्ट) . .	..
फास्फेटिक उर्वरक :—		
1. एन० पी० के० .	मद्रास फर्टिलाइजर लि० (एम० एफ० एल०)	विजय
2. नाइट्रो-फास्फेट . .	फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया लि० (एफ० सी० आई०) . .	सफाला
3. अमोनिया फास्फेट .	फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स, ट्राउनकोर लि० (फैक्ट) . . .	..
4. डाइ अमोनिया फास्फेट .	मद्रास फर्टिलाइजर लि० . .	विजय
5. सिंगल सुपर फास्फेट .	हिन्दुस्तान जिंक लि० . .	
	फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स ट्राउनकोर लि० (फैक्ट) . . .	..
राज्य सरकार के अन्तर्गत कारखाने :—		
सिंगल सुपर फास्फेट—	बिहार सुपर फास्फेट कम्पनी . .	..
	महाराष्ट्र एग्रो केमिकल्स . .	..
	एसोसिएटिड असम लि० . .	..
	हैदराबाद कैमीकल्स . . .	..

(ख) वांछित सूचना से संबंधित विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

विवरण

('000 मीटरी टन)

	1975-76		1976-77		1977-78	
	एन	पी$_2$ ओ$_5$	एन	पी$_2$ ओ$_5$	एन	पी$_2$ ओ$_5$
I. सरकारी क्षेत्र :						
(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित :						
असम . .	44.5	..	94.5	..	92.8	..
राजस्थान .	..	3.2	..	5.1	..	5.8
बिहार .	42.5	..	53.1	..	50.4	..
पश्चिम बंगाल	41.7	..	50.6	..	55.3	..
मध्य प्रदेश	6.5	..	7.6	..	7.4	..
उत्तर प्रदेश .	66.7		95.2	..	77.7	..
उड़ीसा .	80.1		83.4	..	69.1	..
पंजाब .	75.0		80.0	..	50.0	..
महाराष्ट्र .	70.0	34.0	54.6	45.1	90.1	34.7
तमिलनाडू	122.0	60.0	173.0	56.0	156.7	85.5
केरल . .	112.0	21.5	123.0	26.0	127.0	50.3
(ख) राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित :						
असम . .	..	0.6	..	2.1	..	2.3
बिहार . .	..	0.5	..	0.5	..	1.9
आन्ध्र प्रदेश .	..	0.6	..	1.4	..	1.9
महाराष्ट्र .	..	1.8	..	1.6	..	2.6
II. सरकारी क्षेत्र :						
गुजरात .	115.0	37.0	158.0	94.0	196.5	140.5

विवरण—जारी

('000 मीटरी टन)

	1975–76		1976–77		1977–78	
	एन	पी$_2$ओ$_5$	एन	पी$_2$ओ$_5$	एन	पी$_2$ओ$_5$
III. गैर-सरकारी क्षेत्र						
बिहार . .	..	3.3	..	3.3	..	2.7
राजस्थान	110.0	..	120.0	..	108.6	..
उत्तर प्रदेश .	183.0	4.0	193.0	6.2	185.2	8.0
आन्ध्र प्रदेश .	48.0	50.0	64.0	72.0	53.6	57.7
तमिलनाडु	86.0	9.0	157.0	9.0	174.5	25.6
गोआ .	113.0	8.0	123.0	21.0	132.9	31.7
गुजरात	158.0	28.0	173.0	33.0	156.0	37.0
कर्नाटक		..	51.0	..	60.9	5.3
महाराष्ट्र .		16.6	..	28.0		27.0
मध्य प्रदेश		4.5	..	12.3	..	13.3
दिल्ली . .	..	9.1		19.3		17.1
उड़ीसा .	..	..	..	0.3	..	..
पश्चिम बंगाल .	..	8.3	..	9.3	..	8.8

Connection between Saradiya-Shapur train and Jetalsar-Veraval Passenger

†4574. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Saradiya-Shapur-Sorath train in Junagadh district in Gujarat State arrives at Shapur Sorath at about 8.40 A. M. from Saradiya and the Jetalsar-Veraval passenger train leaves Shapur-Sorath railway station at 7.45 A. M. for Veraval and therefore passengers of Saradiya-Shapur train intending to go to Veraval reach of about 11.00 O'clock at Shapur and have to wait at Somnath;

(b) if so, when and what action is proposed to be taken by Government to provide a connection between Saradiya-Shapur train and Jetalsar-Veraval passenger train ; and

(c) whether Government propose to advance the departure time of Saradiya-Shapur train from Saradiya to connect Jatalsar-Veraval passenger train at Shapur so that passengers of this train are able to catch the Jetalsar-Veraval train and if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c) : 379 Up Saradiya-Shapur passenger is scheduled to arrive Shapur at 8.45 and 346 Dn Jetalsar-Veraval Fast Passenger is scheduled to leave Shapur at 7.57 hrs. Earlier timings of 379 Up so as to connect 346 Dn at Shapur will not be liked by the through passengers bound for Rajkot and Bombay and students bound for Junagadh arriving Shapur by the former train and availing 37 Up Mail leaving there at 9.37 hrs. in that it will involve longer waiting period for them at Shapur.

Identity Cards on Seasonal Passes

4575. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether after doing away with the requirement of putting identity cards on seasonal passes in the Porbandar Railway station of Gujarat, in 1977, students, employees and petty businessmen of Vans Jalia, Tarsai, Sakhpur, Rana-Borada etc. small station villages faced difficulties; if so, how long the identity cards for seasonal passes were not available there;

(b) the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government to ensure that such a situation does not arise in future; and

(c) the number of seasonal passes issued for the Porbandar Railway station for the villages indicating the names of the villages ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) The system of Identity Cards for season ticket holders was not done away with after its introduction in January, 1977. Stock of Identity Cards was however not available at Porbandar and a few other stations between 12-8-77 and 24-11-77.

(b) The shortage was due to delay in placing of indents by the stations. In order to ensure sufficient availability of stock of Identity Cards, instructions have been issued that stations should place indents directly to the Press as is being done for indenting of journey and season tickets.

(c) During the period of January, 1977 to February, 1978, 1095 season tickets were issued from Porbandar to nearby stations *viz.* Ranawao, Rana Bordi, Tarsai, Wansjalia, Katkola, Balwa, Jamjodhpur, Bhayavadar, Upleta, and Panelimoti. Similarly 3034 season tickets were issued for Porbander during the same period from the following stations:—

Wansjalia	267
Katkola	158
Ranawao	1594
Panelimoti	330
Jamjodhpur	590
Balwa	95
	3034

Running of an Express Train from Porbandar to Verawal

†4576. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken to run a super Express train from Porbandar to Verawal-Visavandar-Dhaula-Dhanduka-Ahmedabad and if so, by what time;

(b) the names of the stations where this train between Porabandar-Ahmedabad (via Verawal) will halt; and

(c) the reasons for running this train?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No.

(b) & (c): Do not arise.

Wagons for Onion export

†4577. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether onion is grown in abundance in Bhayavadar in Rajkot district of Gujarat which is exported to Delhi, Punjab, Rajasthan, Bihar and Assam and if so, whether complaints have been received from Bhayavadar against the non-availability of wagon for the purpose;

(b) if so, who have made these complaints, when and the nature thereof; and

(c) the number of wagons allotted from 1st January, 1978 to date for transportation of onion from Bhayavadar to other parts of the country and also of those proposed to be allotted?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): Considerable onion traffic is offered at Bhayavadar for transport by rail to distant destinations like, Assam, Bihar, etc. Representations have been received during January and February 1978 from Onion Merchants' Association, Bhayavadar and from some merchants individually for increasing supply of wagons for loading onion from Bhayavadar.

(c) Despite the fact that when wagon supply was stepped up, as many as 715 indents were cancelled by the trade, 668 indents in January 1978 alone, indicating that the registrations were not always genuine, onion loading at Bhayavadar increased to 390 wagons during the period from 1-1-1978 to 17-3-1978—96 in January, 140 in February and as many as 154 in first 17 days of March 1978, as compared to 235 wagons during the corresponding period of last year. Sustained efforts are being made by the Railway Administration to clear the traffic as expeditiously as possible.

Apprentices Clerks in N. E. Railway

†4578. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether some persons appointed as apprentice clerks in the N. E. Railway during emergency have been removed from service in 1977 and a large number of them have attained an age which bar them from entering into Government service and if so, the steps being taken by Government in this regard; and

(b) the reasons for which the said clerks were removed from their service ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): The Apprentice Clerks were engaged under the Apprentices Act and discharged after completion of training. The Railways obligation is only to impart them training and there is no obligation to offer them regular employment on the Railways. However, a decision was taken to fill 50% of the vacancies occuring upto 31-3-78 from these Act Apprentices and the N. E. Railway are taking action accordingly.

भारतीय उर्वरक निगम के विभाजन के बाद कृषकों को लाभ

4579. डा० रामजी सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम का विभाजन कृषकों के हित में किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषकों को सभी प्रकार का उर्वरक मिलेगा अथवा केवल एक विशेष प्रकार का उर्वरक मिलेगा क्योंकि मार्केटिंग डिवीजन में भी विभाजन है ;

(ग) क्या एक समेकित मार्केटिंग यूनिट बनाना लाभकर नहीं होगा ; और

(घ) क्या विभिन्न डिवीजनों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में असन्तुलन से हानी हुई है ; यदि नहीं, तो प्रत्येक यूनिट की जन-शक्ति स्थित तथा उत्पादन क्षमता क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) एफ० सी० आई०/एन० एफ० एल० को पांच कम्पनियों में पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य यह था कि एफ० सी० आई० में निर्णय लेने की शक्तियों के केन्द्रीयकरण से बचा जाए और क्षेत्रीय एककों को अधिक स्वायत्तता दी जाए। यह आशा की जाती है कि इसमें निर्माता एककों की कार्यकुशलता में सुधार होगा और अन्ततः यह किसानों के जन हित में होगा ।

(ख) पुनर्गठन के बाद एफ० सी० आई० के वर्तमान विपणन क्षेत्र सम्बन्धित नई कम्पनियों को आबंटित किए जायेंगे परन्तु जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक वे अन्य कम्पनियों के उत्पादों का विपणन जारी रखेंगे । अतः अनिवार्य पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत राज्य को आबंटन से किसानों को सभी उर्वरक पदार्थ प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

(ग) सरकार ने आम विपणन कम्पनी के वैकल्पिक को स्वीकार नहीं किया है क्यों कि ऐसी एकात्मक संरचना अन्ततः न तो निपुण है और न कि किफायती है ।

(घ) विभिन्न निर्माता एककों की क्षमता और उनका वर्तमान स्टाफ नीचे दिया गया है। जन शक्ति की सदा क्षमता के साथ तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि प्रक्रिया, आकार, संभरण, सामग्री आदि के प्रकारों के बारे में संयंत्रों में भिन्नता है :—

एकक/प्रभाग का नाम	000 मी० टनों में क्षमता		कर्मचारियों की संख्या
	एन	पी$_2$ ओ$_5$	
1. सिन्दरी	90	..	8044
2. नंगल	80	..	3443
3. ट्रांबे	81	36	2367
4. नामरुप	197	..	2218
5. गोरखपुर	131	..	2267
6. दुर्गापुर	152	..	1490
7. बरौनी	152	..	1440

चालू एकक के व्यक्ति और अधिकारी उस कम्पनी को आबंटित किये जाएगे जो उनका प्रशासन करेगी। एफ सी आई के मुख्यालय के कर्मचारी चार कम्पनियों में उनकी आवश्यकता के अनुसार विभाजित किए जाएंगे। अतः कर्मचारियों के आबंटन से संयंत्रों में कोई असन्तुलन नहीं होगा।

Registered Offices of Industrial Establishments in Bihar

4580. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Law, Justice & Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of industrial establishments both under public and private sectors in Bihar whose registered headquarters are located outside Bihar;

(b) the loss incurred by Bihar on this count; and

(c) whether Central Government will support Bihar Government in case latter insists that these industrial establishments would shift their registered headquarters to Bihar?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) Under the Companies Act, 1956, companies are required to furnish to the Central Government information about the addresses of their registered offices but not the addresses of their headquarters or the location of their industrial establishments.

The number of companies with their registered offices in the State of Bihar as on 31-3-1977 included 32 Government companies (i.e. companies in the public sector) and 721 non-Government companies (i.e. companies in the private sector).

As stated above, information about the location of their industrial establishments is not required to be furnished by the companies under the Companies Act. However, some of the requisite information is available for non-Government companies from a study of non-Government companies with a paid-up

capital of Rs. 50 lakhs or more undertaken in the Department of Company Affairs, for which information *inter alia* about the location of industrial establishments of the companies was specially obtained from them. According to this study, 34 non-Government companies with a paid-up capital of Rs. 50 lakhs or more, which were registered outside the State of Bihar, have some of their units of operation in that State. As regards the Government companies, the Bureau of Public Enterprises is maintaining such information for the Central Government companies. According to this information there were 12 Central Government companies registered outside the State of Bihar which have some of their industrial establishments in that state.

(b) The Department of Company Affairs do not have the relevant facts bearing on this part of the Question.

(c) Under the Companies Act, the Government do not have powers to direct companies to set-up their registered offices/headquarters at any particular place.

कुकिंग गैस सिलिन्डरों का निर्माण करने वाली फर्मे

4581. श्री ओ० वाई० कृष्णन् : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) कुकिंग गैस सिलेंडरों का निर्माण करने वाली फर्मों के नाम क्या है ;

(ख) इन फर्मों द्वारा तेल कम्पनियों से प्रति सिलेन्डर कितनी कीमत वसूल की जाती है ;

(ग) क्या फर्मों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले कुकिंग गैस सिलेन्डरों की दरो में कोई अन्तर है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कुकिंग गैस सिलिन्डरों के लिए ग्राहकों से वसूल की जाने वाली जमानत राशि का हिसाब किस आधार पर लगाया जाता है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों का निर्माण करने वाले व्यवसायक उद्यमों (फर्मों) के नाम नीचे दिये गये हैं :–

(1) मेनोन इंकर्ली एण्ड कम्पनी लिमि०, बम्बई

(2) हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज लिमि०, दिल्ली

(3) हैदराबाद आलविन मेटस् वर्कस लिमि०, हैदराबाद

(4) इंडियन गैस सिलेण्डर्स, फरीदाबाद

(5) कोसन मेटल प्रोडक्टस प्राइवेट लिमि०, बम्बई

(6) श्री अम्बिका सिलेण्डर मन्युफैक्चरिंग कम्पनी, अहमदाबाद

(7) मार्टिनबर्न एण्ड कम्पनी लिमि०, कलकत्ता

(8) एपीजे स्ट्रक्चरलस, कलकत्ता

(ख) पृथक-पृथक निर्माणकर्ता द्वारा प्रत्येक सिलेन्डर के लिए जो कीमत वसूली जाती है, वह 150 रुपये से 210 रुपये तक भिन्न भिन्न होती है ।

(ग) जी, हां। सिलेन्डर के मूल्य में विभिन्नता पृथक आर्डर और इन की प्रेषण अनुसूची की मात्रा, प्रयुक्त इस्पात की स्त्रोत और किसम, गैस सिलेन्डरों के रेगूलेटरों और अन्य फिटिंगों के प्रकार, और उत्पादन लागत में अन्य परिवर्तनशील घटकों के कारण विभिन्न फर्मों की उत्पादन की भिन्न भिन्न लागत के कारण है।

(घ) तेल कम्पनियों द्वारा ग्राहकों से जो प्रतिभूति जमाधन राशि वसूली जाती है, उसे मुख्यतः सिलेन्डरों और रेगूलेटरों की प्राय: लागत, सप्लाई को सतत रुपसे बनाये रखने के लिए अपेक्षित सिलेन्डरों की संख्या और साधारण बैंक दर के ब्याज पर इस राशि के लिए धन की व्यवस्था का लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

Outstanding Demurrage Against TISCO

4582. **Shri R. P. Sarangi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether an amount of rupees 6 crore on account of railway demurrage is outstanding against Tata Iron and Steel Company (TISCO) in Singhbhum in Bihar since 1973; and

(b) if so, the reasons for such a huge amount outstanding for such a long time?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) The amount of demurrage outstanding against TISCO is Rs. 564.8 lakhs as on 1st March, 1978.

(b) All the Steel Plants including TISCO refused to pay demurrage at the enhanced rate of Rs. 50/- per 4-wheeled wagon with effect from 1st May, 1973.

असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और अन्य कर्मचारीयों को 'इन्टेंसिव' घोषित करना

4583. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान स्टन्डर्ड के अन्तर्गत अनेक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, स्विच मैन, लोको रनिंग स्टाफ, यार्ड स्टाफ को 'इन्टेंसिव' घोषित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें ऐसा घोषित न किये जाने और उनकी ड्यूटी के घंटों में कमी न किये जाने के क्या कारण है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 'हैवी डैंसिटी एरिया' के कर्मचारियों की ड्यूटी अवधि में निष्क्रियता अवधि का मूल्यांकन करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ): नियोजन काल विनियम की सांविधिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जब कभी कार्य और निष्क्रियता को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कार्य विश्लेषण के आधार पर उचित पाया जाये, अति सघन क्षेत्रों में सहायक स्टेशन मास्टरों, स्विचमैनों, यार्ड कर्मचारियों, आदि सहित रेल कर्मचारियों का वर्गीकरण "गहन" के रुप में किया जाता है। इस प्रकार का कार्य विश्लेषण तभी किया जाता है जब कभी या तो सम्बन्धित कर्मचारी, मान्यता प्राप्त यूनियन, सेंट्रल इंडस्ट्रीयल रिलेशन्स मशीनरी के अधिकारी इस सम्बन्ध में मांग करते हैं या जब रेल प्रशासन स्वयं

ऐसा करना आवश्यक समझता है, जहां कहीं रेल प्रशासन द्वारा कर्मचारियों का वर्गीकरण "गहन" के रुप में नहीं किया गया है और वे रेल प्रशासन के निर्णय से सहमत नहीं होते हैं तो नियमों में इसके लिये अपील करने की व्यवस्था है जो पहले सम्बन्धित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केद्रीय) को की जा सकती है और अन्तिम रुप में श्रम मंत्रालय का की जा सकती है।

जहां तक लोको रनिंग कर्मचारियों का प्रश्न है, उनका कार्य ऐसा है कि वह उन्हें "गहन" के रुप में वर्गीकृत करने के लिए निर्धारित मानदंडों को पुरा नहीं करता है और उन्हें सामान्यत: नियोजन काल अधिनियमों के अन्तर्गत "निरन्तर" के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

"लोको रनिंग स्टाफ" के लिये 10 घंटे की ड्यूटी

4584. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसी कि 19 दिसम्बर, 1977 को घोषणा की गई थी, 'लोको रनिंग स्टाफ के लिए 10 घंटे की ड्यूटी लागू करने के लिये अतिरिक्त 2700 कर्मचारियों की भर्ती तथा प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की आशा है ;

(ग) क्या लोको रनिंग स्टाफ के लिये 10 घंटे से अधिक ड्यूटी वर्जित करने के लिए कोई परिपत्र जारी किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति दी जायेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : क्षेत्रीय रेलों पर अतिरिक्त पदों की उपयुक्त प्रशिक्षित कर्मचारियों से भरने का काम प्रगति पर है।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) सभी अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के बादही इस मामले में हिदायतें जारी की जायेंगी।

क्लोरम फेनिकोल के मूल्य का स्थिरा किया जाना

4585. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा क्लोरमफेनिकोल के मूल्य 524 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम पर स्थित न रखे जाने के क्या विस्तृत कारण है और इसका मूल्य 586 रुपये प्रति किलोग्राम तक क्यो बढाना पड़ा ;

(ख) क्या यह निर्णय एल० बेस क्लोरमफेनिकोल को कन्वर्ट करने वालों द्वारा अनुचित मुनाफा कमाये जाने के समाचार के आधार पर किया गया था; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार न किसी वित्तीय एजेंसी की कोई सर्वेक्षण करने के लिये कहा था और इस एजेंसी की रिपोर्ट क्या थी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) स्वदेश में मूल्य स्तर से उत्पादन होने वाले क्लोरमफनिकोल का विक्रय मूल्य 25 मई, 1976 से 586 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था। 31 जुलाई, 1977 तक क्लोरमफेनिकोल पाऊडर का पूल्ड मूल्य 524 रुपये प्रति किलो था और मूल स्तर से इस औषध का उत्पादन करने वाले स्वदेशी उत्पादकों को उनके स्वदेशी मूल्य तथा पूल्ड मूल्य के बीच अन्तर तक की आर्थिक सहायता दी जाती थी। देश में पहुंचने पर आयातित मात्रा के मूल्य तथा 586 रुपये प्रति किलो के अनुमोदित स्वदेशी मूल्य क आधार पर जुलाई 1977 म औद्योगिक मूल्य एवं लागत ब्यूरो द्वारा पूल्ड मूल्य 537 रुपय प्रति किलो निकाला गया था। मूल स्तर से स्वदेशी उत्पादन के अनुमोदित मूल्य तथा पूल मूल्य के बीच अन्तर को पुरा करने के लिये स्वदेशी उत्पादकों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता को रोकन के उद्देश्य से पूल्ड मूल्य 586 रुपये प्रति किलो रखा गया था।

बताया जाता है कि देश में कई यूनिट बेस का क्लोरमफेनिकोल में परिवर्तन करने में लगे हुए थे और उसका विक्रय इस औषध का मूल स्तर से उत्पादन करने पर निर्धारित मूल्यों पर/पूल्ड मूल्यों पर कर रहे थे। इन यूनिटों ने एल-बेस सी० सी० आई० एण्ड ई० के फार्मूला अनुसार 422 रुपये प्रति किलो निर्धारित किये गये मूल्य पर भारतीय राज्यकीय औषध एवं भेषज निगम से प्राप्त किया होगा और इस प्रकार इसके परिवर्तन में अप्रत्याशित लाभ कमाया होगा।

चुंकि एल-बेस का क्लोरमफेनिकोल में परिवर्तन एक ही प्रतिक्रिया प्रक्रिया है जिसमें साधारण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है और देश में मूल स्तर क्लोरमफेनिकोल का उत्पादन करने के दूरदर्शी उद्देश्य से यह अवांछनीय माना जाता था इसलिये एल-बेस का मूल्य 650 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया था। इस से यह सुनिश्चित किया गया कि एल-बेस का क्लोरमफेनिकोल में परिवर्तन करने के सम्बद्ध यूनिटों को उचित लाभ किये और साथ ही साथ (क) मूल स्तर से क्लोरमफेनिकोल के स्वदेशी उत्पादन (ख) पूल्ड और (ग) एलबेस से उत्पादित क्लोरमफेनिकोल के एक समान मूल्य रहे।

एल बेस तथा किलोरमफनिकोल के लिये सी० सी० आई० ई० के फार्मूला के अनुसार मूल्यों से अधिक मूल्य दिये जान के कारण यदि भारतीय राज्यकीय औषध एवं भेषज निगम को यदि कोई अतिरक्त लाभ होता है तो वर्ष 1978-79 के लिये सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों के मूल्य निर्धारित करते समय इसका समंजन किया जायेगा।

(ग) किसी वित्तीय एजेन्सी को एल-बेस या क्लोरमफेनिकोल के मूल्यों का सर्वेक्षण करने के लिये नहीं कहा गया है। परन्तु औद्योगिक मूल्य एवं लागत ब्यूरों से अनुरोध किया गया था कि वह एल-बेस से उत्पादन होन वाले क्लोरमफेनिकोल के उचित मूल्य पर शीघ्र विचार करे। ब्यूरों से हालत में प्राप्त रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

खण्डवा-इंदौर लाइन पर मुख्य रेलगाड़ियां

4586. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खण्डवा-इन्दौर मीटर गज लाइन पर पिछले तीस वर्षों से कोई भी नई रेलगाड़ी चालू नहीं की गई है जो मध्यवर्ती स्टेशनों की आवश्यकताएं पूरी कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नई रेलगाडियां चालू करने के लिए सरकार की कोई योजना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। 89/90 चित्तौड़गढ़-रतलाम तेज सवारी गाड़ी को 1-4-68 से महू तक बढ़ाया गया था। सप्ताह में दो बार चलने वाली 69/70 अजमेर कोचेगुडा एक्सप्रेस गाड़ी 1-10-77 से चलायी गयी है। इस गाड़ी का खंडवा-इंदौर खंड पर छः स्टशनों पर रुकना निर्धारित है।

(ख) इंदौर-खंडवा खंड पर वर्तमान चार जोड़ी गाड़ियों के उपयोग के देखते हुए अतिरिक्त गाड़ियों के चलाने का औचित्य नहीं है। इसके अलावा इंदौर और खंडवा में लाइन क्षमता और टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण ऐसी गाड़ी चलाना परिचानिक दृष्टि से भी व्यावहारिक नहीं है।

बुरहानपुर और खण्डवा स्टेशनों पर बर्थों का कोटा

4587. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि बुरहानपुर और खण्डवा रेलवे स्टेशनों की जनसंख्या एक लाख से भी अधिक है, मगर फिर भी अप/डाऊन ट्रेनों पर बर्थों के कोटे की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) क्या यह भी सच है कि अप ट्रेनों पर उपर्युक्त दोन स्टेशनों पर उपलब्ध कोटा अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अप ट्रेनों पर कोटे में वृद्धि करने और डाउन ट्रेनों पर बर्थों के कोटे की व्यवस्था करने के लिए समुचित कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (ग) : इस समय, बुरहानपुर और खण्डवा स्टेशनों की निम्नलिखित कोटे निर्धारित किये गये हैं।

(I) बुरहानपुर

4 डाउन मेल . . .	1 दूसरे दर्जे का शयन यान
41 डाउन/170 डाउन . .	2 ,, ,, ,,
58 अप . . .	2 ,, ,, ,,

(II) खण्डवा

	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा	
		शयिका	सीट
3 अप . . .	2	4	..
4 डाउन . . .	2	6	..
6 अप . . .	2	4	..
27 डाउन . . .	..	4	2
29 डाउन . . .	..	..	2 (अकोला से)
41 डाउन/170 डाउन . .	..	4	..
57 डाउन . . .	..	8	..
58 अप . . .	4	4	..
115 डाउन . . .	2	8	..
169 अप . . .	..	2	..

खण्डवा और बुरहानपुर स्टेशनों पर आनेवाले वर्तमान यातायात को संभालने के लिए उपर्युक्त कोटा पर्याप्त समझा गया है।

गोधरा-लहेरी स्टेशनों को जोड़ना

4588. **डॉ० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालवा-मेवाड़ यात्री संघ पश्चिम रेलवे में एक कोर्ड लाइन जो कि गोधरा-लहेरी स्टेशनों को जोड़ने वाली वर्तमान लाइन से 120 किलोमीटर छोटी होगी, के बारे में रेलवे से अभ्यावेदन करता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी हां। प्रस्तावित लाइन लहेरी और गोधरा के बीच स्थित वर्तमान बड़ी लाइन के लगभग समानान्तर होगी और वर्तमान लाइन की लम्बाई 515 किलोमीटर जबकि इस लाइन की लम्बाई 450 किलो मिटर होगी। वर्तमान मूल्यों पर, प्रस्तावित लाइन के निर्माण की लागत लगभग 75 करोड़ रुपये होगी और संसाधनों की अत्याधिक सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना पर विचार करना संभव नहीं होगा।

मध्य प्रदेश को पैराफिन मोम की सप्लाई

4589. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
श्री सुभाष आहूजा :
श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश को 31 दिसम्बर, 1977 तक 260 टन पेराफिन मोम प्राप्त नहीं हुआ था जबकि क्रयादेश 1977 में बुक किये गये थे और इसलिए उनके बारे में सप्लाई की स्वीकृति वर्ष 1978 में नहीं दी गई थी ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : 1977 के लिए राज्य के 898 मि० टन के कोटे की तुलना में मध्य प्रदेश में पैराफिन मोम मिलने में 135 मि० मी० टन की कमी हुई।

1977 के दौरान प्रेषण में आयी कमी को देखते हुए, मोम आबंटन मध्य प्रदेश के लिये जनवरी-जून, 1978 की अवधि के लिए 145 मि० मी० टन की मात्रा बढ़ा दी गयी है।

Transfer of Posts of Train Conductors from Kota Headquarters to Ratlam

†4590. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether posts of certain train conductors are to be transferred from the Kota Headquarters to Ratlam;

(b) whether orders of the General Manager of the Western Railway have already been received in this regard; and

(c) the reasons for the delay in the transfer of these posts and the action taken so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) & (b) : Yes.

(c) 2 posts of Train Conductors from Kota and 5 posts from Bombay Central were to be transferred to Ratlam Division. In view of certain practical difficulties, the question of transferring these posts is being re-examined by the Railway Administration. The Divisions have meanwhile been asked to initiate action for the creation of additional posts of Train Conductors for manning new trains. The question of transferring the 7 posts of Train Conductors will be decided later, after the new sanctions are also finalised.

सुरक्षा उपायों के बारे में सिगनल एण्ड टेलीकम्यूनीकेशन स्टाफ एसोसिएशन का अभ्यावेदन

4591. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दुर्घटनाओं से बचाव के लिये कुछ सुरक्षा उपायों का सुझाव देते हुए सिगनल एण्ड टेलीकम्यूनीकेशन स्टाफ एसोसिएशन, आसनसोल डिवीजन, से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन की एक प्रतिलिपि संलग्न है (अंग्रजी में) । [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 1940/78**]

(ग) ज्ञापन में दिये गये अधिकांश सुझावों की जांच-पड़ताल की जा चुकी है और जिन्हें व्यावहारिक पाया गया उनके कार्यान्वयन संबंधी कारवाई की जा रही है ।

Ministry/Department Library

†4592. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of books in the Library of the Ministry/Departments and language-wise number thereof;

(b) the expenditure incurred on the purchase of English and Hindi books, separately, in the said library during the last two years;

(c) the names of the newspapers and journals purchased in the library at present and the names of Hindi newspapers and journals, out of them; and

(d) whether any scheme has been formulated for increasing the number of Hindi books and newspapers and journals in this library and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d): The Railway Board Library is basically a departmental technical library and contains books on rail transport and allied subjects which are generally published in English language. However, Hindi books available on railway working have been acquired, apart from books of general nature. Recently, a large number of Hindi books belonging to the Official Language Directorate have been acquired by the Railway Board Library.

Out of a total number of over 40,300 books in the Railway Board Library, the number of English books is approximately 39,000 and that of Hindi approximately 1,300.

The expenditure incurred on the purchase of English books during the years 1975-76 and 1976-77 was Rs. 2,500 and Rs. 5,400 respectively and that on Hindi books Rs. 280 and Rs. 1,600 respectively.

A list giving the names of Newspapers and Journals, English and Hindi, purchased by the Library is attached.

Statement

(A) NEWSPAPERS (ENGLISH) :

1. Amrit Bazar Patrika.
2. Economic Times.
3. Financial Express.
4. Hindu.
5. Hindustan Times.
6. Times of India (Bombay edition).

(B) ENGLISH JOURNALS :

1. Annals of Library Science and Documentation.
2. Concrete.
3. Chartered Institute of Transport Journal
4. C. R. I. Abstracts.
5. Careers Digest.
6. Capital.
7. Commerce.
8. Cooperative Law Journal.
9. Data India.
10. Design.
11. Economic Scene.
12. Economist (London).
13. Eastern Economist.
14. Electrical India.
15. Engineering and Metals Review.
16. French Railway Techniques.
17. Harward Business Review.
18. Indian Journal of Power and River Valley Development.
19. International Labour Review.
20. Internalional Monetary Fund Staff Papers.

21. Indian Journal of Public Administration.
22. I. C. A. Arbitration.
23. Integrated Management.
24. India Today.
25. Journal of Transport and Economic Policy.
26. J. C. M. Bulletin.
27. Journal of Institute of Engineers—India (Civil).
28. Journal of Structural Engineering.
29. Library Science with a Slant to Documentation.
30. Modern Railways.
31. Management in Government.
32. Management Accountant.
33. Margin.
34. Minerals and Metals Review.
35. Newsweek.
36. Opsearch.
37. Police Journal (UK).
38. Productivity Journal.
39. Railway Engineer.
40. Railway Magazine.
41. Railway Age (USA).
42. Railway Gazette International (UK).
43. Railway World (India).
44. Railway World (UK).
45. Research and Industry.
46. Structural Engineer.
47. Sunday.
48. Time.
49. Tooling.
50. Tunnels and Tunnelling.
51. Vikalpa.
52. Works Study (London).
53. Yojana.

(C) HINDI NEWSPAPERS :

1. Hindustan.
2. Nav Bharat Times.

(D) HINDI JOURNALS :

1. Dharamyug.
2. Dinman.
3. Manorama.
4. Sarita.
5. Saptahik Hindustan.

Hindi Typists Unutilised

4593. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of trained Hindi typists and Hindi stenographers in his Ministry/Department at present;

(b) the number of those typists and stenographers out of them, whose services are utilised fully for Hindi work;

(c) the reasons for not utilising the services of the remaining Hindi typists and Hindi stenographers; and

(d) whether any scheme has been formulated to utilise their services and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Hindi typists : 46 and Hindi stenographers : 78.

(b) Services of 32 typists and 12 stenographers out of the above are mostly utilised for Hindi work. Occasionally some of them do work in English also in the exigencies of administrative requirements.

(c) The services of the remaining Hindi typists and Hindi stenographers are being utilised occasionally, for Hindi work.

(d) Does not arise.

Official Languages Implementation Committee

†4594. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether official Languages Implementation Committee has been constituted in his Ministry/Department;

(b) if so, the dates on which its meetings were held in 1977 and the decisions taken therein;

(c) the number of decisions out of them which have been completely implemented; and

(d) the reasons for which the remaining decisions have not been implemented so far ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) to (d) : During 1977 meetings of the Official Languages Implementation Committee were held on 25-4-77, 24-9-77 and 17-12-77. A number of suggestions were given in these meetings. Some more important suggestions and action taken thereon are indicated in the attached statement. **[Placed in Library. See No. 1941/78].**

अहमदाबाद-दिल्ली मीटर गज रेलगाडी को गती तेज करना

4595. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्तमान मीटर गेज लाइन से अहमदाबाद-दिल्ली के बीच की यात्रा में पूरे 24 घंटे लग जाते हैं जिससे बहुत से यात्रियों को बड़ौदा होकर जाने वाली तेज गाड़ियों से यात्रा करनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो दीर्घावधि उपाय के रूप में मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदल कर स्थिति में सुधार करने तथा अल्पावधि उपाय के रूप में बड़ौदा होकर दिल्ली/नई दिल्ली से जाने वाली तथा वहां आने वाली तेज रफ्तार की गाड़ियों में गुजरात के यात्रियों के लिये आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दिल्ली और अहमदाबाद (मीटर लाइन) के बीच तीन जोड़ी तेज गाड़ियों का यात्रा समय 22 घंटे 10 मिनट और 24 घंटे 50 मिनट के बीच अलग-अलग है । अधिकांश थ्रू यातायात इन सेवाओं का लाभ उठाता है जो बहुत लोकप्रिय है ।

(ख) और (ग) : दिल्ली अहमदाबाद खण्ड का बड़े आमान में बदलाव एक अनुमोदित कार्य है लेकिन इसकी भारी लागत और संसाधनों की अति सीमित उपलब्धता के कारण इस खंड पर निर्माण-कार्य का आरम्भ किया जाना सम्भव नहीं हो सका है ।

यद्यपि समस्त बड़ी लाइन का मार्ग 164 कि० मी० अधिक लम्बा है जिसमें अधिक किराया भी लगता है उत्तरी गुजरात से समस्त बड़ी लाइनपर बड़ौदरा होकर यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों के लिए अहमदाबाद में निम्नलिखित कोटा अलग से निर्धारित कर दिया गया है :--

गाड़ी संख्या	कोटा
3 डाउन फ्रंटियर मेल . .	2 शायिकाएं पहला दर्जा
23 डाउन जनता एक्सप्रेस	4 शायिकाएं दूसरा दर्जा 4 सीटें दूसरा दर्जा
25 डाउन वातानुकूलित एक्सप्रेस . .	2 शायिकाएं वातानुकूलित टू टियर 2 सीटें वातानुकूलित कुर्सी यान 2 शायिकाएं दूसरा दर्जा
25 डाउन पश्चिम एक्सप्रेस . .	4 शायिकाएं पहला दर्जा 2 शायिकाएं दूसरा दर्जा
171 डाउन बम्बई सेन्ट्रल--जम्मू तवी एक्सप्रेस	2 शायिकाएं पहला दर्जा 4 शायिकाएं दूसरा दर्जा

गाड़ी के प्रस्थान स्टेशन अर्थात् बम्बई सेन्ट्रल पर इन गाड़ियों में आरक्षण के लिए भारी मांग रहती है इसलिए इस समय उपर्युक्त कोटे का बढ़ाया जाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

अहमदाबाद और बम्बई के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाया जाना

4596. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 के दौरान अहमदाबाद और बम्बई के बीच अतिरिक्त/अथवा विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद और बम्बई के बीच प्रतिदिन एक नई अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने का है ताकि वर्तमान रेलगाड़ियों में अधिक भीड़-भाड़ को कम किया जा सके ;

(घ) यदि हां, तो कब और कैसे ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां । 1976-77 में बम्बई सैन्ट्रल से अहमदाबाद तक 43 विशेष गाड़ियां और विपरित दिशा में 46 विशेष गाड़ियां चलायी गयी थी ।

(ग) से (ङ) : आगामी गर्मी के मौसम में अतिरिक्त यातायात की निकासी के लिये बम्बई सैन्ट्रल और अहमदाबाद के बीच प्रत्येक ओर से सप्ताह में पांच दिन एक विशेष गाड़ी चलायी जायेगी बशर्ते यातायात उपलब्ध हो । बम्बई सैन्ट्रल और अहमदाबाद के बीच में नियमित रूप से एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना सूरत-बडोदरा खंड पर अतिरिक्त लाइन क्षमता के अभाव तथा बम्बई सैन्ट्रल और अहमदाबाद में अनुरक्षण सुविधाएं सीमित होने के कारण परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

अहमदाबाद साबरमती को जोड़ने वाला रेल पुल

4597. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद तथा साबरमती रेल स्टेशनों को जोड़ने वाले रेल पुल में भारी मरम्मत हो रही है अथवा अतिरिक्त निर्माण कार्य हो रहा है अथवा दोनों ही कार्य किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस कार्य में कितना समय लग चुका है तथा अब तक उस पर कितनी लागत आ चुकी है ;

(ग) उक्त कार्य के कब पूरा हो जाने की संभावना है और उस पर अनुमानतः कुल कितनी लागत आयेगी ;

(घ) क्या इस कार्य के कारण कुछ गाड़ियों का समय पुनः निर्धारित किया गया था अथवा उन्हें रद्द किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इन मार्गों के यात्रियों को राहत देने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) संरक्षा के लिहाज से वर्तमान संरेखण पर पुल की उपसंरचना का पुर्ननिर्माण किया जा रहा है ।

(ख) एक अतिरिक्त बड़ी लाइन की व्यवस्था सहित वर्तमान पायों और तटबन्धों के पुनर्निर्माण का कार्य सितम्बर, 76 में शुरु किया गया था। अबतक लगभग 1.72 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है।

(ग) लगभग 3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस काम के 1980 में पूरे हो जाने की संभावना है।

(घ) सामान्यतः गाड़ियों को न तो रद्द किया गया है और न ही उनके समय का पुनर्निर्धारण किया गया है। फिर भी, गर्डर डालते समय, पुल पर अल्प अवधि के लिए रेलवे यातायात को रोकना आवश्यक हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप साबरमती स्टेशन (जो अहमदाबाद से अगला स्टेशन है) पर कुछ गाड़ियों के समय का पुनर्निर्धारण/ पर्यन्त अपरिहार्य हो जाता है।

(ङ) रेलवे द्वारा लाइन को कम से कम समय के लिए अवरुद्ध रखने के हर प्रयास किये जा रहे है ताकि साबरमती स्टेशन पर गाड़ियों के समय के पुनर्निर्धारण अथवा पर्यंत के कारण दैनिक यात्रियों/ यात्रियों को कम से कम असुविधा हो।

रेलवे माल शेडों से आवश्यक वस्तुओं का उठाया जाना

4598. **श्री सरत कार :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन व्यापारियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो रेलवे माल शेडों से आवश्यक वस्तुएं नहीं उठाते हैं और जानबूझकर आवश्यक वस्तुएं वाले वैगनों से माल उतारने में बाधा पैदा करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे परिसरों को सामान घरों के रूप में इस्तेमाल किये जाने की व्यापारियों की मनोवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाये जाते हैं जिनमें स्थान शुल्क/विलम्ब शुल्क को 'कम अवधि अधिक प्रभार के आधार पर' लगाना, मान्यताप्राप्त वाणिज्य और उद्योग मंडलों के माध्यम से व्यापारियों पर दबाव डालना ताकि वे अपने परेषणों को जल्द उठायें और परिवहन की समाप्ति के 7 दिन के बाद अधिसूचित स्टेशनों पर पड़े आवश्यक पण्यों का राज्य सरकार के माध्यम से निपटान।

राजपत्रित श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा

4599. **श्री सोमजीभा डामोर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवाओं की राजपत्रित श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा अलग से नहीं रखा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इससे राजपत्रित संवर्ग के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है ;

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा किस प्रकार भरने का विचार है ; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और सामान्य उम्मीदवारों के लिए पात्रता के समान क्षेत्र का सरकार की घोषित नीतियों और संविधान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को प्रदत्त अधिकारों और विशेषाधिकारों पर किस प्रकार प्रभाव डालता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : श्रेणी I सेवा के प्रारम्भिक ग्रेड में भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए $7\frac{1}{2}$% का आरक्षण कोटा है। श्रेणी I सेवा में उच्चतर ग्रेड के अन्य सभी पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। श्रेणी I के भीतर प्रवरण द्वारा पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है परन्तु अधिकतम 2250 रु० प्रतिमाह या कम वेतन वाले पदों पर पदोन्नति के संबंध में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन अधिकारियों को, जो इस प्रकार विचार किये जाने के लिए इतने वरिष्ठ है कि वे उन रिक्तियों की संख्या के भीतर आते हैं जिनके लिए पेनल बनाया जाता है, पेनल में शामिल किया जाता है बशर्ते कि वे पदोन्नति के लिए अयोग्य न समझे जाते हों।

श्रेणी II सेवा में रिक्तियों अधिकतर पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं और अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए $7\frac{1}{2}$% का आरक्षण है।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित कोटे का पालन किया जाता है। यह आयोग श्रेणी I सेवा में प्रारम्भिक ग्रेड में भर्ती करता है और रेल प्रशासन द्वारा भी श्रेणी I और श्रेणी II की सेवाओं के प्रारम्भिक ग्रेडों में रिक्तियों भरते समय इसका पालन किया जाता है।

(घ) राजपत्रित कोटियों में प्रवरण द्वारा पदोन्नति के संबंध में सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किये जाने के लिए कोई पृथक क्षेम नहीं होगा। रिक्तियों की कुल संख्या के सन्दर्भ में निर्धारित विचार किये जाने वाले सामान्य क्षेत्र में आने वाले केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामलों पर ही विचार किया जाता है।

वर्ष 1968 की बाढ़ में दोमाहनी के निकट रेलवे लाइन का बह जाना

4600. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 में बाढ़ के दौरान दोमाहनी के निकट रेलवे लाइन का एक भाग बह गया था ;

(ख) क्या वहां की जनता को आश्वासन दिया गया था कि रेलवे लाईन की शीघ्र ही मरम्मत की जाएगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस आश्वासन को पूरा किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : लतागुड़ी-दोमाहनी खंड पर लाइन दुबारा बिछा दी गई है। दोमाहनी-चन्द्रबंधा खंड पर लाइन फिर से बिछाने के लिए नये यातायात सर्वेक्षण का काम 1978-79 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है। दुबारा लाइन बिछाने का यह काम प्रारंभ करने के लिए अन्तिम निर्णय का किया जाना नये यातायात सर्वेक्षण के नतीजे तथा इस प्रयोजन के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्रेणी चार से श्रेणी तीन में पदोन्नति

4601. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिक्त स्थानों की कुछ प्रतिशतता श्रेणी चार से श्रेणी तीन में चयन के आधार पर पदोन्नति के लिए आरक्षित होती है ;

(ख) क्या दक्षिण पूर्व, पूर्व, पूर्वोत्तर, उत्तर सीमान्त तथा दक्षिण मध्य तथा दक्षिण रेलों के मुख्य कार्यालयों में ऐसे चयन किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) गत 10 वर्षों में (जोनवार और वर्षवार) इन रेलों में इस आधार पर श्रेणी चार के कितने कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है ;

(ङ) क्या इस विषय पर सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) से (च) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण पूर्व रेलवे के वाणिज्यिक क्लर्कों की शिकायतें

4602. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण पूर्व रेलवे के वाणिज्यिक क्लर्कों की शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Fertilizer Permits to S.C./S.T.

4603. **Shri Ram Prasad Deshmukh :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the number of fertilizer permit holders belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and if not, the reasons therefor; and

(b) whether Government propose to grant fertilizers permit to the unemployed educated scheduled caste and scheduled tribe persons?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) Presumably the Member has in mind dealerships for fertilizer. The required information relating to the public sector fertilizer companies is being ascertained and will be laid on the Table of the House.

(b) The unemployed educated Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons are considered for grant of dealership if they apply for them in response to the advertisements issued for this purpose, though there is no reservation of dealerships for them.

बजट प्रस्तावों का प्रभाव

4604. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत मास संसद को प्रस्तुत रेलवे बजट में दिखाई गई फालतू धनराशि पर नये बजट प्रस्तावों का क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या केन्द्रीय बजट में उल्लिखित नये कर प्रस्तावों के कारण रेलवे बजट प्रस्तावों में दिखाई गई फालतू धनराशि घाटे में बदल गई है ; और

(ग) क्या रेलवे के उपकरणों आदि पर लगे करों के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिये भाड़ या यात्री किराया में वृद्धि द्वारा और संसाधन जुटाने के कोई प्रस्ताव हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) लगभग 19.58 करोड़ रुपये ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

तेल की खोज के लिए विदेशी फर्मों को ठेके

4605. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिनको कच्छ, बंगाल, उड़ीसा और प्रत्येक तट दूर बेसिन के संबंध में तेल की खोज करने और निकालने के लिए उत्पादन में भाग लेने वाले ठेके दिये गये हैं ;

(ख) वे कब दिये गये थे ; और

(ग) विदेशी फर्मों द्वारा अब तक कितना काम किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : अपतटीय तेल-अन्वेषण और उत्पादन के लिए बंगाल-उड़ीसा बेसिन के लिए कार्ल्सबर्ग इंडिया ग्रुप के साथ और कच्छ बेसिन के लिए रीडिंग एण्ड बेट्स ग्रुप के साथ दो ठेकों पर मई 1974 में हस्ताक्षर किये गये। कावेरी अपतटीय बेसिन के लिए असमेरा ग्रुप के साथ तीसरे ठेके पर मई 1975 में हस्ताक्षर किये गये ।

(ग) इन ठेकेदारों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में भूभौतिकीय सर्वेक्षण तथा अन्वेषीय व्यधन कार्य किये गये। बंगाल-उड़ीसा और कच्छ अपतटीय क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन न मिलने से कार्ल्सबर्ग इंडिया ग्रुप और रीडिंग एण्ड बैट्स ग्रुप ने अपने ठेके को समाप्त करने को अपना विकल्प दिया है। कावेरी बेसिन के लिए अस्मेरा ग्रुप के ठेकेदारों ने मन्नार की खाड़ी में एक अपतटीय कुएं की खुदायी की जोकि सूखा निकला। अगले चरण के ठेका लेने का विकल्प देने या समाप्त करने के निर्णय के लिए ठेकेदारों के पास ठेके के अन्तर्गत सितम्बर, 1978 तक का समय है।

'सागर सम्राट' का कार्यकरण

4606. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सागर सम्राट का काम कहां पर चल रहा है ; और

(ख) वहां इसके काम के क्या परिणाम निकल रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) इस समय सागर सम्राट बाम्बे हाई संरचना के दक्षिणी भाग में मूल्यांकन वाले एक स्थान पर काम कर रहा है इससे उस भाग में स्थापित किये जाने वाले प्लेटफार्म के लिए स्थान और उनकी संख्या का निश्चय करने में सहायक मिलेगी।

साउथ इण्डिया स्टील एण्ड शुगर्स लिमिटेड

4607. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ इंडिया स्टील एण्ड शुगर्स लिमिटेड मद्रास ने दिसम्बर 1977 में हुई अपनी सामान्य सभा की बैठक में अपना नाम बदल दिया है ;

(ख) नाम में क्या परिवर्तन किया गया है ;

(ग) नाम में परिवर्तन की क्या आवश्यकता थी ;

(घ) क्या कम्पनी ने अपना कोई वर्तमान कारोबार छोड दिया है और नया कारोबार जोड दिया है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या नाम परिवर्तन (संशोधन) कानूनी रुप में किया गया है ; और

(च) कितने शेयरधारियों ने बैठक में भाग लिया और शेयरधारियों और शेयरों का क्या प्रतिशत है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) नाम को "साउथ इण्डिया स्टील एण्ड शुगर्स लिमिटेड" से "साउथ इण्डिया शुगर्स लिमिटेड" में परिवर्तित किया गया था।

(ग) प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, मद्रास को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, कम्पनी ने 1976-77 में अपने इस्पात प्रभाग को बन्द कर दिया और इस्पात की अपनी गतिविधियों को समाप्त कर दिया ।

(घ) हां, श्रीमान् जी । कम्पनी ने इस्पात व्यापार को छोड़ दिया है और रसायन, औषधि, औषधि निर्माण, पेय शराब, स्पिरिट, मदिरा आदि का व्यापार जोड़ने का प्रस्ताव है ।

(ङ) हां, श्रीमान् जी । कम्पनी ने दिसम्बर, 1977 में सम्पन्न अपनी अंतिम महासभा की बैठक में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 के उपबन्धों द्वारा यथा अपेक्षित विशेष संकल्प पारित किया है । कम्पनी ने अभी तक कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष संस्था ज्ञापन में आवश्यक पुरःस्थापन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है और कम्पनी ने अभी तक नया व्यापार प्रारम्भ नहीं किया है ।

(च) कम्पनी द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

	साम्यता	अधिमान
(1) शेयरधारियों की कुल संख्या जो बैठक में उपस्थित हुए	29	1
(2) बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	15.9%	17.2%
(3) सदस्यों के कुल सदस्यों में उपस्थित सदस्यों का प्रतिशत	0.5%	0.7%

रेलगाड़ी दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण

4608. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने हाल की रेलगाड़ी दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस विश्लेषण के आधार पर रेलवे के कार्यकरण में सुधार करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ;

(घ) क्या यूरोपीय देशों में रेलगाड़ी दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों का अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां ।

(ख) गाड़ियों की टक्कर होने, डिब्बों को पटरी से उतरने, समपार पर दुर्घटनाएं होने तथा गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि के दौरान जो गाड़ी दुर्घटनाएं हुई उनके कारण निम्नलिखित हैं :—

कारण	गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या
(i) रेल कर्मचारियों की गल्ती . . .	421
(ii) रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की गल्ती .	89
(iii) रेलवे उपकरण में खराबी . . .	121
(iv) तोड़ फोड़	8
(v) आकस्मिकता	81
(vi) जिसका कोई कारण साबित नहीं हो सका . .	14
(vii) जिसके कारण का अभी अन्तिम रूप से पता नहीं लगाया जा सका है	70
	804

9—117 L.S.S. (N.D.)/78.

(ग) रेल कर्मचारियों की गल्ती गाड़ी दुर्घटनाओं का अकेला सबसे बड़ा कारण रहा है। अतः रेलों के सुरक्षा संगठन गाड़ी परिचालन से सम्बन्धित कर्मचारियों में अपेक्षाकृत अधिक संरक्षा की भावना जागृत करने तथा यह सुनिश्चित करने का अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि कर्मचारी अपने काम में नियमों का उल्लंघन न करें अथवा लघु तरीके न अपनायें। कर्मचारियों की दुर्घटना करने की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए मनोतकनीकी सेल बनाये गये हैं और जिन कर्मचारियों में दुर्घटना करने की अधिक प्रवृत्ति पायी जाती है उन्हें संरक्षा सलाहकारों, जिनकी व्यवस्था सभी रेलों पर की गयी है, के माध्यम से गहन प्रशिक्षण दिया जाता है।

मानवीय तत्व पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य के उत्तरोत्तर विभिन्न परिस्कृत उपस्कर जैसे पटिया धुरा और रेल पटरी के लिए अल्ट्रासानिक फ्ला डिटेक्टर, रेल पथ परिपथन, स्वचल चेतावनी प्रणाली आदि का उपयोग किया जा रहा है।

हाल में, यह निर्णय किया गया है कि 31-3-78 तक मुख्य मांर्गों के 50 स्टेशनों तथा 1981 तक शेष 430 स्टेशनों की रन थ्रू लाइनों के रेल पथ परिपथन का काम पूरा कर लिया जाये। इसके अतिरिक्त 25 भेद्य स्टेशनों के फाउलिंग स्थल से अग्रिम स्टार्टर तक के रेल पथ का 31-3-78 तक तथा अन्य ऐसे 75 स्टेशनों का अगले डेढ़ वर्ष तक परिपथन कर दिया जायेगा।

अपराधियों का पता लगाने, उन्हें पकड़ने तथा उन पर मुकद्दमा चलाने के काम में सहायता देने और समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित करके राज्यों की पुलिस से साथ निकट सहयोग और समन्वय बनाये रखने के अलावा रेलों ने रेल पथ पर गश्त लगाने के लिए विशेष कर भेद्य क्षेत्रों में, इंजीनियरी विभाग के 14,000 गैंग मैन और रेलवे सुरक्षा दल के 11,000 कर्मचारी भी तैनात किये हैं। ताकि तोड़फोड़ की कार्यवाही को रोक थाम की जा सके।

(घ) और (ङ): दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्राद्योगिक रूप से विकसित देशों द्वारा बनायी गयी पद्धतियों को अपनाने का बराबर प्रयास किया जाता है। प्राद्योगिक रूप से विकसित देशों द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर रेल पथ परिपथन धुरा काउन्टर, स्वचल चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था आदि जैसे उपाय अपनाये गये है। इन यंत्रों की सहायता से मानवीय भूलों का पता लगाया जाता है और इस प्रकार दुर्घटनाओं की रोकथाम की जाती है।

रेलगाड़ी दुर्घटनाओं से बचने के लिए उपकरणों का निर्माण

4609. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी फिश प्लेट बनाने का प्रस्ताव है जिससे रेलगाड़ी दुर्घटनाओं को टाला जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन की रेलगाड़ी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार उपकरणों में सुधार करने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : वर्तमान रेल सेक्शनों के लिए फिशप्लेट के किसी नये अभिकल्प पर विचार नहीं हो रहा है। फिर भी, भारतीय रेलें रेल पटरियों के जोड़ों की अधिक से अधिक झलाई कर रही है जिससे फिशप्लेटों का उपयोग समाप्त किया जा सके, इससे रेल पथ की संरचना मज़बूत तो होगी ही साथ ही अनुरक्षण लागतों और ईंधन की खपत में कमी भी आयेगी। इससे रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित हो जायेगी। हमने लखनऊ स्थित अनुसंधान और अभिकल्प कार्यालय ने एक ग्लूड इन्स्यूलेटेड रेल ज्वाइंट का विकास किया है जिससे फिशप्लेटें रेल पटरियों के साथ चिपक जाती हैं।

(ग) और (घ) : भारतीय रेलों का यह सतत प्रयत्न है कि इस क्षेत्र में प्राप्त अनुभव और विकसित तकनीक के आधार पर गाड़ियों के चालन में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक उपस्कर में सुधार लाया जाए।

बड़े उद्योग गृहों में कुप्रबन्ध

4610. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में बड़े उद्योग गृहों के प्रबन्ध में विवाद के ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं, जिनसे उत्पादन और कर्मचारियों की सेवा स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ;

(ख) प्रबन्ध में विवाद के कारण उपर्युक्त अविधि में कितने बड़े उद्योग गृह बंद हो गये ;

(ग) ऐसे बड़े उद्योग गृहों की कुप्रबन्ध की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(घ) क्या उत्पादन के हित में ऐसे कुप्रबन्ध वाले उद्योग गृहों का अधिग्रहण करने के लिए कम्पनी कानून में संशोधन करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) : सरकार के पास इस प्रकार के मामलों की संख्या के सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा नहीं है। सूचना राज्य सरकारों/संघ शाशित क्षेत्रों आदि से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) कुछ मामलों में, जिनमें कार्यवाही अधिपत्रित की जानी थी, उनमें सरकार ने कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत उपाय किये हैं तथा सरकारी निदेशक नियुक्त किये हैं।

(घ) तथा (ङ) : कम्पनी अधिनियम को संशोधित करने का सामान्य प्रश्न जिससे इसको अधिक प्रभावी बनाया जा सके, अब न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त समिति का ध्यान आकर्षित कर रहा है। सरकार उस प्रकार की कार्यवाही करेगी, जो समिति की रिपोर्ट जिसे इस वर्ष जून के अन्त में प्रस्तुत किये जाने की आशा है, का अध्ययन करने के पश्चात् आवश्यक समझती है।

रेल प्रशासन में मितव्ययिता

4611. श्री दुर्गाचन्द : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने वर्ष 1977 में प्रशासन में और रेलवे के अन्तर्गत अन्य यूनिटों में मितव्ययिता बरतने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप धन के रूप में कितनी बचत हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : खर्च में मितव्ययता, कुशलता में सुधार तथा अपव्यय को न होने देना—इन सब पहलुओं पर प्रशासन के सभी स्तरों पर निरन्तर समीक्षा की जाती है। मितव्ययता लाने और उत्पादकता में सुधार करने की परम्परागत तथा अनुभव द्वारा परखी हुई पद्धतियों के अलावा रेलों द्वारा कार्य अध्ययन, पद्धति अध्ययन तथा परिचालन अनुसंधान जैसी आधुनिक प्रबन्ध तकनीक भी अपनाये गये हैं।

व्यय में कमी करने, परिचालन में कुशलता बढ़ाने तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए जो उपाय किये गये हैं, उनमें से अधिक महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) कर्मचारियों की संख्या पर कड़ा नियंत्रण

(2) समयोपरि कार्य यात्रा एवं दैनिक भत्तों, आकस्मिकताओं पर खर्च, बिजली के खर्च, स्टाफ कार तथा टेलीफोन, लेखन सामग्री का उपभोग, कार्यालय उपकरण तथा फर्नीचर, आदि की खरीद पर कड़ा नियमन

(3) इंधन ट्रिप राशन पर नियंत्रण

(4) डीजल तथा बिजली कर्षण चलाना

(5) महत्वपूर्ण यार्डों का यांत्रिकीकरण तथा विस्तार

(6) उच्च घनत्व के यातायान की जरूरत पूरी करने के लिए लाइन क्षमता में वृद्धि

(7) पटरी के जोड़ों की सलाई ताकि घिसाई, पिटाई कम से कम हो

(8) थोक वस्तुओं की ढुलाई के लिए अधिक क्षमता वाले माल डिब्बे चलाना

(9) माल डिब्बों पर सेन्ट्रल बफर कपलर लगाना ताकि अधिक भार वाली गाड़ियां चलायी जा सकें।

उक्त उपाय 1977 के दौरान ही किये जा रहे थे।

2. संचालन व्यय में सम्बद्ध बजट आबटंनों में मितव्ययता संबंधी कटौतियों के जरिए भी समग्र मितव्ययता लायी जाती है। मितव्ययता उपायों के जरिये की गयी आवर्ती तथा अनावर्ती बचत की राशियों के संबंध में क्षेत्रीय रेल प्रशासनों से नियमित रुप से आवधिक रिपोर्ट भी मांगी जाती है। यह अनुदेश दिये गये हैं कि रेल प्रशासन इस बात का पता लगायें कि निम्नलिखित क्षेत्रों में मितव्ययता की कितनी गुंजाईश है :—

(1) नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति

(2) समयोपरि का भुगतान

(3) इंधन की खपत

(4) कोयले तथा इंधन तेल की पारगमन में होने वाली हानि

(5) शेडों, सवारी डिब्बा तथा माल डिब्बा डिपुओं आदि में रखी जाने वाली इम्प्रेस्टसामग्री

(6) मंडलों में रद्दी माल इकठ्ठा करना तथा डिपुओं/मंडल से उसकी बिक्री

(7) कारखानों तथा शैडों में राख की बिक्री, और

(8) गिट्टी गाड़ी संचलन

3. मितव्ययता के अनुरुप कुशलता लाने के लिए निम्नलिखित संस्थागत व्यवस्था भी मौजूद है :—

(क) रेल मंत्रालय में संगठन एवं पद्धति सैल

यह सल विभिन्न प्रशासनिक सुधार लागू करने के लिए उत्तरदायी है जैसे कार्यसंबंधी फाइलिंग प्रणाली, महत्वपूर्ण विषयों पर आदेशों का समेकन, मंत्रालय की विभिन्न शाखाओं में विवरणियों/रिपोर्टों आदि की समीक्षा तथा पद्धति एवं कार्य की माप दोनों में कार्यअध्ययन करना और कार्य-संचालन को प्रक्रिया पद्धतियों में सुधार लाने के उपाय व साधनों का सुझाव देना आदि।

संगठन एवं पद्धति यूनिट द्वारा रेल मंत्रालय में हाल ही में निम्नलिखित मितव्ययता के उपाय प्रारम्भ किये गये हैं :—

(i) **लेखन सामग्री में मितव्ययता :** कागज की खपत का त्रैमासिक कोटा निर्धारित किया गया जिसके फलस्वरूप इस मद में 30% की अनिवार्य कटौती करना संभव हो सका।

(ii) यात्रा तथा दैनिक भत्तों में 10% की कटौती व आकस्मिक खर्च स्टाफ कारों टेलीफोन आदि के उपयोग में 10% की कटौती जैसे ठोस उपाय किये गये हैं।

(ख) कार्य अध्ययन संगठन : सभी रेलों पर कार्य अध्ययन संगठन हैं। यह संगठन कड़े प्रबंध नियंत्रण सहित मितव्ययता करने तथा परिचालन संबंधी सुधार लाने के दृष्टिकोण से रेलवे कार्य संचालन के विभिन्न पहलुओं पर कार्य अध्ययन व तकनीक लागू करते हैं। विगत दो वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर इस संगठन द्वारा विभिन्न रेलों पर अनेक त्वरित कार्य अध्ययन किये गये हैं। विभिन्न सिफारिशों को क्रियान्वित करने के फलस्वरूप 1976-77 के दौरान 2.85 करोड रुपये की बचत हुई है।

(ग) कर्मचारी निरीक्षण यूनिट : रेल मंत्रालय तथा उत्तर एवं दक्षिण रेलों पर स्थापित कर्मचारी निरीक्षण यूनिट द्वारा कुशलता के अनुरुप रेलों पर कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश से कार्य की मापसंबंधी अध्ययन किये जाते हैं। किये गये अध्ययनों के परिणामस्वरुप प्राप्त/प्रत्याशित मितव्ययता इस प्रकार है :—

(लाख रु० में)

द्वारा किये गये अध्ययन	1976-77 में हुई बचत	1977-78 के दौरान हुई/प्रत्याशित बचत (अक्तूबर, 1977 तक)
(i) कर्मचारी निरीक्षण युनिट, रेलवे बोर्ड .	1.16	1.59
(ii) कर्मचारी निरीक्षण युनिट, उत्तर रेलवे	31.3	57.18
(iii) कर्मचारी निरीक्षण युनिट, दक्षिण रेलवे	5.19	3.51

उत्तर तथा दक्षिण रेलों की कर्मचारी निरीक्षण यूनिटों द्वारा की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन द्वारा अन्य क्षेत्रीय रेलों द्वारा भी 28.05 लाख रु० तक को बचत की गयी है।

(घ) त्रैमासिक मितव्ययता रिपोर्ट : रेलों/उत्पादन इकाइयों से त्रैमासिक मितव्ययता रिपोर्ट प्राप्त होती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रेलों पर कर्मचारियों की संख्या तथा की गयी मितव्ययता दर्शायी जाती है। कड़े प्रबंधक संबंधी नियंत्रण तथा विभिन्न मितव्ययता उपायों के फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई बचत इस प्रकार है :–

वर्ष	हुई बचत (लाख रुपयों में)
1974-75	73.84
1975-76	187.67
1976-77	159.57

(ङ) परिचालन संबंधी अनुसंधान : परिचालन अनुसंधान सैल द्वारा रेलवे कार्य संचालन के जटिल समस्यापूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इन समस्याओं का स्वरुप सामान्यत: अखिल भारतीय होता है और इनमें समग्र प्रणाली सिद्धांतों का उपयोग अपेक्षित होता है। इनमें मात्रा संबंधी प्रबंध तकनीकों जो परिचालन अनुसंधान पद्धतियों के नाम से विख्यात हैं पर बल दिया जाता हैं।

परिचालन अनुसंधान सैल द्वारा किये गये अध्ययनों में की गयी सिफारिशों के क्रियान्वयन से प्रतिवर्ष लगभग 227.93 लाख रुपये के पूंजीगत तथा 10.93 लाख रुपये के राजस्व लेखे संबंधी अतिरिक्त खर्च की बचत होने की आशा है।

4. उपरोक्त के अलावा, मितव्ययता के निम्नलिखित अन्य उपाय भी किये गये हैं जिनका उल्लेख रेल मंत्री के 1978-79 के बजट भाषण में किया गया था :—

(क) बोर्ड में पहले 5 नियमित सदस्य तथा 8 अतिरिक्त सदस्य थे किन्तु अब बोर्ड में केवल 5 सदस्य हैं जिनको सहायता के लिए 3 सलाहकार हैं जो बोर्ड में शामिल नहीं हैं।

(ख) रेलों पर व्यक्तिगत अधिकारियों को बंगला चपरासी दिये जाने की प्रणाली समाप्त करने के लिए तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गयी थी। इस मामले की जांच की जा रही है और इसमें शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

(ग) निरीक्षण सवारी डिब्बों जिन्हें आम तौर पर सैलून कहा जाता है, का उपयोग पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें से कुछ सवारी डिब्बों की पर्यटकों की अतिरिक्त रुप से दिये जाने के सुझाव पर विचार किया जा रहा है और इससे अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा।

(घ) वर्तमान समय में रेल अधिकारियों को ड्यूटी पर अपने पूरे परिवार को साथ ले जाने की अनुमति है। सामान्य जनता के लिए और अधिक स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि भविष्य में अधिकारी ड्यूटी पास पर गाडि सेवा में बच्चों के साथ यात्रा करने के पात्र नहीं होंगे।

5. रेल मंत्री द्वारा दोनों सदनों में यह भी घोषणा की गयी है कि सामान्य बजट में घोषित उत्पादन शुल्क आदि में संशोधन करने के कारण रेलों पर जो 19.81 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा उसे मुख्यत: मितव्ययता द्वारा पूरा किया जायेगा।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

4612. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग की उन सिफारिशों की संख्या और ब्यौरा क्या है जो रेल मंत्रालय ने स्वीकार कर ली है ;

(ख) उनमें से कितनी क्रियान्वित की गई हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशें अभी क्रियान्वित की जानी हैं और उसमें कितना समय लगेगा ;

(घ) प्रशासनिक सुधार आयोग की शेष सिफारिशें स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित करने में, जो रेलवे द्वारा स्वीकार कर ली गई है; रेलवे को नकद और वस्तुओं के रुप में कितना भार वहन करना पड़ेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है (अंग्रेजी में)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–1942/78]

रेलगाड़ी परीक्षक

4613. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल गाड़ी परीक्षक के रुप में जाने वाले भारतीय रेलवे में तकनीकी कर्मचारियों को 25 वर्ष से अधिक की अवधि के लिये प्रारंभिक ग्रेड में काम करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) तथा (ख) इस कोटि के कर्मचारियों को पदोन्नति की बेहतर सम्भावनाएं मुहैया कराने की दृष्टी से समय समय पर इस संवर्ग में सुधार किये गये है संशोधन पूर्व वेतनमान में :

(i) सन् 1972 में 180-240 रु० के वेतनमान वाले 1000 पदों को 205–280 रु० के वेतनमान में शामिल किया गया, तथा

(ii) 1974 में 205–280 रु० के वेतनमान वाले 900 पदों का तथा 250–380 रु० वेतनमान वाले 200 पदों का क्रमशः 250–380 रु० तथा 335–425 रु० के वेतनमान में दर्जा बढाया गया ।

संशोधित वेतन में :–

(iii) सन 1976 में 425–700 रु० के वेतनमान वाले 217 पदों का दर्जा बढाकर 550–750 रु० का किया गया तथा

(iv) सन् 1978 में 425–700 रु० के वेतनमान वाले 1011 तथा 185 पदों का दर्जा बढ़ाकर क्रमशः 550–750 रु० तथा 700–900 रु० का किया गया ।

कैरिज और वैगन अलाभप्रद रेलवे लाइनों के लिये मूल आवश्यकतायें

4614. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैरिज और वैगन अलाभप्रद रेलवे लाइनों के विषय पर रेलवे बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई एक विशेज्ञ समिति ने इनको कुछ मूल आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1970 में सिफारिश की थी ;

(ख) क्या प्रत्येक कैरिज और वैगन अलाभप्रद रेलवे लाइनों पर इन मूल आवश्यकताओं को उपलब्ध कराया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) :सवारी और माल डिब्बा मरम्मत लाइनों पर आवश्यक उपस्करों की व्यवस्था की जाती है । हर साल इनकी समीक्षा की जाती है और बढ़े हुए काम को पूरा करने के लिए धन की उपलब्धता के आधार पर तथा सभी रेलों की कुल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक निर्माण कार्य और मशीन तथा संयंत्र कार्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक समझी जानेवाली सुविधाओं में वृद्धि की जाती है ।

टेक्नीकल सुपरवायजर

4615. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे वेतन आयोग ने लोको शेड और कैरेज तथा वैगन डिपुओं में कार्य कर रहे टेक्नीकल सुपरवाइजरों के लिए समान वेतन मान देने की सिफारिश की थी जिसमें 840–1,400 रुपये (आर० एस०) का ग्रेड शामिल नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे मंत्रालय ने लोको शेड के टेक्नीकल सुपरवाइजरों के लिए 840-1,040 रुपये (आर० एस०) का ग्रेड प्रदान किया है और यही ग्रेड कैरेज तथा वैगन डिपुओं में कार्य कर रहे टेक्नीकल सुपरवाइजरों को नहीं दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग): तीसरे वेतन आयोग ने लोको शेड में रेल इंजनों को मरम्मत और अनुरक्षण के प्रभारी तकनीकी पर्यवेक्षकों और वर्कशापों में उनके सहधारियों के लिए किये जाने वाले व्यवहार में समरुपता की सिफारिश की थी, परन्तु सवारी एवं माल डिब्बा डिपों में तकनीकी पर्यवेक्षकों के लिए उस वेतनमान की सिफारिश की भी जो इंजीनियरी पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए संस्तुत किये गये थे। तदनुसार, जबकि लोको शेडों में तकनीकी पर्यवेक्षकों को 450–575 रु० के संशोधनपूर्व वेतनमान के लिए 840–1,040 रु० का संशोधित वेतनमान आबंटित किया गया, सवारी और माल डिब्बा डिपों में 700–900 रु० का सामान्य एवजी वेतनमान ही आंबटित किया गया।

ट्रेन एग्जामिनरों का दर्जा बढ़ाया जाना

4616. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में ट्रेन एग्जामिनरों का दर्जा बढ़ाने का मामला वर्ष 1963 में मध्यस्थता हेतु न्यायमूर्ति शंकर सरण न्यायाधिकरण को सौंपा गया था और नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन और रेलवे बोर्ड के बीच ट्रेन एग्जामिनरों के 50 प्रतिशत पद 150--225 रुपये (पी० एस०) के ग्रेड से उपर रखने के बारे में एक समझौता हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समझौते का पालन किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : कुछ मामलों का निपटारा करने के लिए 1963 में न्यायमूर्ति शंकर सरण अधिकरण का गठन किया गया था, जिनमें से एक मामला गाड़ी परीक्षकों के पदों का दर्जा बढ़ाने से सम्बन्धित था। लेकिन यह प्रश्न रेल मंत्रालय तथा नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवमैन के बीच आपसी बातचीत द्वारा हल कर लिया गया था, तथा इस बात पर सहमति हो गई थी कि 150--225 रुपये (निर्धारित वेतन मान) से अधिक वेतनमान में पदों की संख्या कुल संख्या का 6 से 7.5 प्रतिशत होनी चाहिए तथा शेष अर्थात 32.5 से 34 प्रतिशत पदों को 150--225 रुपये (निर्धारित वेतन मान) के वेतन मान में रखा जाए। गाड़ी परीक्षकों के संवर्ग में 100--185 रुपये (निर्धारित वेतनमान) के सबसे निम्न वेतन मान में पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या का 60 प्रतिशत ही रखी गयी। मान्य निर्णयों पर आदेश जारी करने के बारे में अधिकरण सहमत हो गया था। तदनुसार उपर्युक्त समझौते के कार्यन्वयन के आदेश 14–2–1958 को जारी किये गये थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे सुरक्षा योजना

4617. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इकनामिक्स टाइम्स, नई दिल्ली के 7 मार्च, 1978 के संस्करण में यह समाचार छपा था कि रेलवे यात्री सुरक्षा संबंधी योजनाएं खटाई में पड़ गई हैं क्योंकि योजना आयोग ने इस उद्देश्य के लिए वित्तीय आवंटन में भारी कटौती की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) रेल पथ नवीकरण का जो काम बकाया पड़ा है उसे पूरा करने के लिए दृष्टिकोण से रेलों ने अनुमान लगाया है कि अगले 5 वर्षों में 560 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसमें 1978-79 के 100 करोड रुपये भी शामिल है । 1978-79 की वार्षिक योजना में लगभग 54 करोड़ रुपये की व्यवस्था रेल पथ नवीकरण सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए की गयी है और आशा की जाती है कि आने वाले वर्षों में अतिरिक्त धन उपलब्ध हो जायेगा । उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत, रेल-पटरी को संतोषजनक ढंगसे बनाये रखने के लिए रेलें हर सम्भव प्रयास करेंगी ताकि गाड़ी परिचालन की संरक्षा खटाई में न पड़ जाये ।

घटिया मिल की बी ी की बिक्री

4618. **श्री एच० एल० पी० सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर बहुत ही घटिया किस्म की बीड़ी बेची जाती है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या ठेकेदार श्री वल्लभदास अग्रवाल द्वारा जिस स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन की व्यवस्था की जाती थी, वह अब रेलवे कैंटीनों में उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और शुद्ध तथा अच्छा भोजन उपलब्ध करने की व्यवस्था करेगी और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं । रेलवे स्टेशनों पर स्टैंडर्ड स्रोतों और स्थानीय लोकप्रिय ब्रैंडों से प्राप्त अच्छी किस्म की बीड़ियां बेची जाती है ।

(ख) और (ग) रेलों पर भोजन की क्वालिटी और सेवा, जैसे आधुनिक पाकतकनीक को अपनाना, आधुनिक रसोईघर जुगातों और उपस्करों का उपयोग, गाड़ियों में 'परोसने के लिए तैयार' भोजन की व्यवस्था के लिए आधार रसोईघरों को स्थापना, मानक स्रोतों से कच्चे सामानों और वस्तुओं की प्राप्ति, उपयुक्त संस्थानों में खानपान कर्मचारियों का प्रशिक्षण, आदि में सुधार करने के लिए रेलवे ने अनेक कदम उठाये है । विभागीय तथा प्राइवेट रुप से व्यवस्थित खानपान स्थापनाओं दोनों द्वारा यात्री जनता को अच्छे किस्म का भोजन, चाय, काफी आदि परसना सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षकों और अधिकारियों द्वारा जांच और आकस्मिक निरीक्षण नियमित रुप से किये जाते है ।

यदि रेल प्रशासन के नोटिस में कोई विशिष्ट शिकायत लायी जाय तो उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

Sale of Books and Agencies at Railway Stations

4619. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) when in the first instance licences for sole-agencies of the sale of books and magazines at railway stations were started;

(b) the time since when and the names of the different Railways and the stations where M/s. A. H. Wheeler, Higginbothams and Munsi Gulab Singh Co. were given sole agencies for sale of books and magazines and when the present licences are to expire;

(c) the terms and conditions of these licences or sole agencies and the commission and land rent given by these sole agents to the Railways and the amount received by the Railways from these three separately during the last three years;

(d) whether Railways have given them passes for free travel, if so, to whom and the class of the pass and the number of free passes and from which place to which place; and

(e) the above information regarding any other monopoly seller, if any?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) This information is not available at this distant date. At present no book-stall contractor has sole agency on a Zonal Railway or on a regional basis. Messers A. H. Wheeler & Co. and Messers Gulab Singh and Sons have sole right at stations where they have bookstalls. Messers Higginbothams do not have 'sole right' clause in their agreement.

(b) Messers A. H. Wheeler & Company have bookstalls on 8 Zonal Railways except Southern Railway. Messers Gulab Singh & Sons have bookstalls on Northern Railway only. Messers Higginbothams have bookstalls on Southern and South-Central Railways. These three major bookstall Contractors are having bookstalls at Railway Stations from pre-independence days. Their present term will expire on 31-12-1984. The lists of stations are being collected and will be placed on the table of the House.

(c) The terms and conditions of the agreements are being obtained and will be placed on the table of the House. The royalty paid by the three bookstall contractors year-wise is given below :—

Year	*Messrs A. H. Wheeler*	*Messrs Gulab Singh & Sons.*	
1975	Rs. 5,39,083	Rs. 36,842	
1976	Rs. 6,31,965	Rs. 39,638	
1977	Rs. 7,07,000*	Rs. 35,000*	*Provisional

Year	*Messrs Higginbothams*
1974-75	Rs. 83,054
1975-76	Rs. 1,00,608
1976-77	Rs. 1,17,842

(d) Passes have been issued to these three major bookstall contractors for First and Second Classes for the journey of their Managers, Supervisors and Staff for effective and satisfactory sueprvision, operation and maintenance of bookstalls which are spread over a large number of stations and in the case of two of the contractors on more than one Zonal Railway. The other relevant details of the passes are being collected and will be placed on the table of the House.

(e) There are no monopoly contractors on the Railways.

Re-sale of used tickets

†4620. **Shri Ram Das Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some gangs re-selling the sold out and used railway tickets have become active these days;

(b) the number of such cases which came to the notice of Government during 1977-78 so far;

(c) the loss suffered by the Railways as a result thereof; and

(d) the effective steps being taken by Government to root out this corruption ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a) On 4 out of the 9 Zonal Railways reselling of used railway tickets has been reported by gangs/individuals.

(b) & (c) : Railway-wise position is as follows :

Central Railway: One case of Railway employee indulging in resale of tickets was noticed by CBI. In addition, 57 cases of resale of used platform tickets were also detected. The loss suffered by Central Railway on this account is reported to be Rs. 66.05. In addition, Railway Police, Pune, has reported that 3 persons of a gang were arrested on 6th, 9th and 20th February, 1977 for attempting to obtain refund of genuine tickets after exchanging the same for used ones. Some accused committed similar offence at Bombay V. T. on 20-1-1977.

Eastern Railway: Up to February, 1978, 551 outsiders were detected and an amount of Rs. 2,019.55 was involved.

Northern Railway: Two cases have come to notice but it is not feasible to assess the loss suffered as a result of resale of sold out and used tickets by the gangs involved in these two cases.

North Eastern Railway: On 9-10-77, one case Crime No. 159-U/S 420 IPC was registered at Agra Fort in connection with reselling of 15 collected tickets over North Eastern Railway section.

(d) Ticket checking activities, checks by anti-fraud squads and the inspections by officers and Inspectors of Accounts, Commercial and Vigilances Branches, to check the resale of tickets by anti-social elements have been further intensified.

भारतीय रेलों में नैमित्तिक पद्धति समाप्त करना

4621. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नैमित्तिक श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें भारतीय रेलवे में नैमित्तिक पद्धति समाप्त किये जाने के कारण अर्हक सेवा पूरी करने के बाद अस्थायी दर्जा नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिन परियोजना, विशेष तथा निर्माण कार्य पर लगे नैमित्तिक श्रमिकों की रोजगार सूचियां की गयी थीं ;

(ग) यदि हां, तो उन नैमित्तिक श्रमिकों को संख्या कितनी है जिन्हें रोजगार नहीं दिया गया है ; और

(घ) क्या निर्माण, परियोजना तथा विशेष कार्य पर लगे नैमित्तिक श्रमिकों को मजूरी का भुगतान स्थानीय दरों पर अथवा उस श्रेणी के प्रतिदिन वतन मान के 1/30 के आधार पर किया जाता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन

4622. **श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 17 जनवरी, 1978 को बम्बई में हुई अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में उनके 60 सूत्री मांगों को पूरा न किये जाने के बारे में पास किये गये संकल्पों के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सरकार को ये संकल्प प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

करावट्टी में रेल लाइन

4623. **श्री आर० के० महालगी :** या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र ने लक्षद्वीप में नवम्बर-दिसम्बर, 1976 में भूतपूर्व प्रधान मंत्री की इस द्वीप की यात्रा के समय करावट्टी में एक छोटी सी रेल लाइन बनायी गयी थी ;

(ख) उसकी कुल निर्माण लागत क्या है और रेलवे तथा उसके इंजिन प्रियदर्शनी की लागत क्या है ;

(ग) क्या यह रेलवे लाइन इस्तेमाल में लायी जा रही है ;

(घ) यदि नहीं, तो कब से तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इसके भविष्य में इस्तेमाल में लाये जाने की कोई सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, रेल प्रशासन द्वारा लक्षद्वीप के संघ शासित क्षेत्र को उपहार में दी गयी बच्चों की रेल गाड़ी को चलाने के लिए, रेलों द्वारा लघु परिक्रमा रेलवे के लिए एक रेल-पथ का निर्माण किया गया था और 30-12-76 को उसे लक्षद्वीप प्रशासन को सौंप दिया गया था ।

(ख) इस रेल पथ के निर्माण पर लगभग 2.27 लाख रुपये और बच्चों की इस रेलगाड़ी के इंजन और पीछे लगे हुए सवारी डिब्बों पर लगभग 60,000 रुपये व्यय किये गये हैं ।

(ग), (घ) और (ङ) : चूंकि बच्चों की इस गाड़ी के अनुरक्षण और परिचालन का प्रभारी रेल प्रशासन नहीं है, इसलिए इस सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है ।

Issue of Licences to Private Sector for Manufacture of Cooking Gas

4624. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**

Shri Yagya Dutt Sharma :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether in view of increasing demand for cooking gas, it is proposed to grant licences to private sector to encourage production of gas;

(b) if so, the details in this regard;

(c) whether licences have been applied for by some concerns; and

(d) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) to (d) : L. P. G. is produced in the refineries all of which, with the exception of Digboi refinery of Assam Oil Company, are in the public sector. A Letter of Intent was, however, issued to Oil India Limited for the extraction of LPG upto 50,000 tonnes per anuum from natural gas. The details of the scheme are being worked out by the Company.

अमृतसर से हरिद्वार तक तेज गाड़ी चलाने के बारे में प्रस्ताव

4625. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर से हरिद्वार तक एक तेज गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन हाल ही में प्राप्त हुए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) मार्गवर्ती खण्डों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता की कमी तथा अमृतसर और हरिद्वार स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाएं अपर्याप्त होने के कारण अमृतसर और हरिद्वार के बीच एक नई गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से फिलहाल व्यवहारिक नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

जम्मू से बम्बई के लिए गाड़ियों का वाया गुरदासपुर मोड़ा जाना

4626. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि जम्मू से बम्बई जाने वाली गाड़ी को सप्ताह में दो बार वाया गुरदासपुर मोड़ा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां ।

(ख) 17-1-72 बम्बई सेन्ट्रल—जम्मू तवी के बीच सप्ताह में दो बार चलाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी इस समय जालन्धर कैन्ट—मुकेरियान—चक्की बैंक के रास्ते चल रही है, जो इन स्टेशनों के बीच तीव्र सेवा उपलब्ध कराने के लिए सबसे छोटा मार्ग है । इस गाड़ी को गुरदासपुर के रास्ते, जो कि अपेक्षाकृत लम्बा मार्ग है, चलाना इस गाड़ी की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए वांछनीय नहीं समझा जाता ।

बर्दवान आसनसोल को उप नगरीय सक्शन घोषित करना

4627. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को गत अनेक वर्षों में बदवान से आसनसोल तक को उपनगरीय सेक्शन के रूप में घोषित करने और उपनगरीय सुविधाओं को बढ़ाने और आसनसोल, दुर्गापुर, बर्दवान औद्योगिक समूह को ई० एम० यू० को दी जाने वाली सुविधाओं के अन्तर्गत लाने की मांग करने वाले अनेक जन-अभ्यावेदन और अनेक संसद सदस्यों तथा आसनसोल-बर्दवान रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं का विस्तार करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी, हां । आसनसोल तक उपनगरीय क्षेत्र के विस्तार का औचित्य नहीं है। हावड़ा-आसनसोल-बर्दवान खण्ड, फिलहाल, डाक/एक्सप्रेस सहित 26 जोड़ी गाड़ियों और 8 जोड़ी ठहरने वाली गाड़ियों द्वारा सेवित है । यातायात संबंधी औचित्य के अलावा उपनगरीय बिजली गाड़ियां चलाना व्यावहारिक भी नहीं है क्योंकि ऐसा करने से स्थायी संरचनाओं के ढांचों में अधिक परिवर्तन, रेलपथ में घुमाव और आसनसोल में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना आदि उपेक्षित ही होगा । लेकिन, इस खण्ड पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 1-4-1978 से बर्दवान और आसनसोल के बीच एक जोड़ी अतिरिक्त गाड़ियां चलानी शुरू की जा रही है ।

Location of headquarters of three units of F.C.I. in Bihar after decentralization of F.C.I.

4628. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether after decentralisation of the Fertilizer Corporation of India, there is a scheme to convert its three units situated in Bihar into three new companies and the head-quarters of none of these three companies is not being located in the Bihar State;

(b) if so, whether this decision is likely to affect Bihar adversely both economically and from employment point of view; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) The Sindri Fertilizer Factory, the Barauni Fertilizer Factory and the P&D Division at Sindri are presently units of the Fertilizer Corporation of India. Consequent on the reorganisation of the Fertilizer Corporation of India, while the Sindri Factory will continue with the Fertilizer Corporation of India, the Barauni will be a part of the Hindustan Fertilizer Corporation Ltd. For the P&D Division a new engineering company in the name and style of the fertilizer (Planning & Development) India Ltd. has been registered with its Head Office at Sindri. The haed offices of both FCI and HFC will be initially at Delhi. The question of their final locations is under consideration of Government.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Payment of wages to Labourers of Sindri Modernisation Project

4629. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether labourers engaged in the Sindri Modernisation Project are paid wages less than the reasonable wages and the money so saved is spent by the contractor on parties to approach the concerned officers; and

(b) if so, the action being taken by Government to ensure payment of reasonable wages to these labourers ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Sindri Rationalisation Scheme

4630. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme named Sindri Rationalization Scheme was started 10 years ago at a cost of rupees 46 crores in order to make improvement in the declining production in Sindri Fertilizer factory and whether this scheme has since been completed in papers 5 years ago;

(b) if so, whether the desired benefit in regard to production is being received by this scheme; and

(c) if not, whether a proper enquiry into the causes thereof has been conducted and whether proper action is being taken against the officers responsible for the failure of the project ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) and (b) : The Sindri Rationalisation project was approved in December 1967 with a capital outlay of Rs. 2295.88 lakhs and was expected to be completed in November 1971. The current estimate of the cost of the project is around Rs. 4800.74 lakhs. Due to certain in-built technological constraints the plant could not be operated at rated capacity. These problems have now been identified and action is under way to remove the constraints. As part of the measures to stabilise production in this plant, a proposal to convert one of the two streams of the sulphuric acid plant to use sulphur is under study; the other stream is being stabilised on upgraded pyrites.

(c) In view of the position explained above an enquiry is not considered necessary.

Private rail line to Cement Factory at Mehar, M.P.

†4631. **Shri Sharad Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether survey for another route was conducted in addition to the route under construction for laying a private rail line up to cement factory at Mehar, District Satna, Madhya Pradesh;

(b) the acreage of the fertile land covered under the route for laying this private rail line and the acreage which had to be covered under another route surveyed; and

(c) the reasons for the rail line being laid by Mehar Cement Company instead of Railway Department and whether there is any precedent of this nature ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No.

(b) The total cultivable land to be acquired for this line is about 76 hectares.

(c) As per extant practice, certain lesser important items of work for this private siding such as earthwork, supply of ballast & building materials and substructure for bridges, are being carried out by the party under Railway's supervision. This practice has been followed in other similar cases also. The laying of the permanent way (which includes rails and sleepers) and bridge girder work would, however, be done by the Railway itself.

Lime Stone Loading

4632. **Shri Sharad Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rakes of lime stone are loaded by S. N. Sandersons, Central Railway from Mehar Niwar and Kahan Villages in Central Railway and these are dispatched to Tata Nagar (TISCO) without weighing; and

10—117 L.S.S. (ND)/78

(b) the weight of lime stone sent by S. N. Sandersons during the last seven years for which freight has been paid and the weight for which payment has been made to S. N. Sandersons by TISCO and the loss per rake to Railways?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Preservation of Equipment with Chief Engineer Electrification, Allahabad

†4633. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the value of the equipments with the Chief Engineer, Electrification, Allahabad, for the preservation of which the Railway Board has issued orders; and

(b) whether these equipments will be utilized elsewhere and if not, the reason therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Rs. 25.42 lakhs.

(b) These equipments will be utilised elsewhere.

बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी, कलकत्ता द्वारा अपने समापन संबंधी नोटिस

4634. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी, कलकत्ता के प्रबन्धकों ने हाल ही में 9 रामामण्डी, जालन्धर छावनी, पंजाब स्थित अपने कार्यालय को बन्द कर देने का नोटिस दिया है;

(ख) क्या उन्हें पता है कि कम्पनी प्रबन्धकों की इस कार्यवाही से बड़े पैमाने पर फैलेगी ;

(ग) क्या उन्हें यह भी पता है कि इसका महत्वपूर्ण औषिधियों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सार्वजनिक हित में कम्पनी के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर कम्पनी के प्रबन्धक द्वारा कम्पनी के बन्द करने के मामले को 29 अप्रैल, 1978 तक आस्थगित किये जाने की रिपोर्ट मिली है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत दिनांक 2 मार्च, 1978 को सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसके अन्तर्गत एक समिति गठित की गई है जो बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी, कलकत्ता के मामलों की वर्तमान स्थिति में उत्तरदायी परिस्थितियों की पूर्णतः जांच करेगी ।

विदेशों में रेलों का जाल बिछाने के कार्य में भारतीय सहायता

4635. **श्री अमर सिंह वी० राठावा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कुछ विदेशों में रेलों का जाल बिछाने में सहायता करने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ;

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें रेलवे लाइनों का निर्माण प्रगति पर है ; और

(ङ) प्रत्येक देश से इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) : अन्य विकासशील देश जो अपनी-अपनी रेलों के विकास की योजना बना रहे हैं भारतीय रेलों ने अपनी तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान की पेशकश की है । रेल इंडिया टेकनिकल एण्ड इकनामिक सर्विसेज लिमिटेड (राइटस) और इंडियन रेलवे कंसट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (इरकान) दो सार्वजनिक क्षेत्र निकाय, रेल मंत्रालय के अधीन स्थापित किये गये हैं । इनमें से पहला, रेलवे तकनीक और प्रबन्ध के विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं प्रदान करता है और दूसरे का काम विदेशों में मुख्य रेल परियोजनाओं का निर्माण करना है । सीरिया, ईरान, घाना, हांगकांग, मलेशिया, जैयरा, फिलिपीन्स, नाइजीरिया, श्रीलंका आदि जैसे कुछ विकासशील देशों ने इन सेवाओं का उपयोग किया है और कुछ अन्य देशों को दिये गये प्रस्ताव उन सरकारों के विचाराधीन है । विदेशों में नयी रेलवे लाइने बिछाव का अभी तक कोई ठेका प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) 1976-77 सहित 1976-77 तक अर्जित कुल विदेशी मुद्रा :—

देश	लाख रुपयों में
ईरान	26.1
सीरिया	23.6
फिलिपीन्स	7.6
घाना	5.8
जैयरा	1.7
हांगकांग	0.4
मलेशिया	0.1
श्रीलंका (ए०डी०बी०)	0.7
कुल	66 0

1977-78 में मुख्यतः नाइजीरिया, फिलिपीन्स और घाना से लगभग 80 लाख रुपये की कुल अर्जित विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है ।

कम ऊंचाई वाले प्लेटफार्म

4636. **श्री एन्थू साहू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायपुर से विजयनगर के बीच बहुत से रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों की उंचाई बहुत कम है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को गाड़ियों में चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्लेटफार्मों की ऊंचाई को बढाने का कोई प्रस्ताव है जिससे यात्रियों को गाड़ियों में चढ़ने में दिक्कत न हो ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : वर्तमान नीति के अनुसार बड़े आमान की मुख्य रेल लाइनों पर सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर उंची सतह वाले प्लेटफार्मों, कम महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मध्यम दर्जे के प्लेटफार्मों और गैरमहत्वपूर्ण स्टेशनों पर पटरी को सतह वाले प्लेटफार्मों की व्यवस्था की जाती है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के रायपुर-विजयनगर में बड़ी लाइन खण्ड पर 43 सवारी बुकिंग स्टेशन हैं । इन स्टेशनों में से 4 स्टेशनों पर ऊंची सतह के प्लेटफार्मों, 16 स्टेशनों पर मध्यम दर्जे के प्लेटफार्मों और शेष 23 स्टेशनों पर पटरी की सतह वाले प्लेटफार्मों की व्यवस्था है ।

स्टेशनों पर निचली: सतह वाले प्लेटफार्मों की जगह ऊंची सतह वाले प्लेटफार्म बनाने के बारे में विचार कार्यक्रम के आधार पर स्टेशन के महत्व, यात्री यातायात को ध्यान में रख कर किया जाता है। इससे के लिए पहले रेल उपयोगकर्त्ता सुविधा समिति का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होता है बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो ।

विदेशी फर्मों द्वारा अर्जित लाभ

4637. **श्री समर गुह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1975–77 के दौरान एक करोड़ रुपए से अधिक लाभ अर्जित किया है ;

(ख) क्या उनके लाभ को धनराशि विदेशों को भेज दी गई थी ; और

(ग) उनके कितने लाभ का प्रयोग भारतीय उद्योगों के विकास के लिए किया गया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) : नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार विदेशी कम्पनियों को 29 भारतीय सहायकों और 7 भारतीय शाखाओं को प्रत्येक ने 1974-75 की अवधि में 1 करोड़ रु० से अधिक स्वच्छ लाभ (अर्थात कर देने के पश्चात लाभ) अर्जित किया और 1975-76 में 27 भारतीय सहायकों और 2 भारतीय शाखाओं ने अर्जित किया था ।

विदेशी कम्पनियों को भारतीय शाखाओं के मामले में लाभ लाभांश के रुप में विदेश भेजा जाता है । विदेशी कम्पनियां को भारतीय शाखाओं के मामले में अर्जित लाभ को राशि पितृ मूल कम्पनियां की होती है ।

वर्ष 1974-75 और 1975-76 की अवधि में अर्जित स्वच्छ लाभ, विदेशों में भेजा गया लाभांश और भारत में रखे गये लाभों की राशि सहित विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायकों के नाम अनुलग्नक विवरण-पत्र I **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1943/78]** में दिये जाते हैं । विवरण-पत्र II **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–1943/78]** में विदेशी कम्पनियों की भारतीय शाखाओं के नाम और 1974-75 और 1975-76 की अवधि में उनके द्वारा अर्जित लाभ, भेजे गये लाभों की राशि और प्रतिधारण लाभों की राशि की सूचना दी जाती है ।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में
RE. ADJOURNMENT MOTIONS

श्री वलायार रवि (चिरियंकित) : हरिजनों को जलाये जाने के समाचार के बारे में जो आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । इस मामले पर सभा में चर्चा की अनुमति मिलना चाहिए ।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मैंने भी एक महत्वपुर्ण मामले पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । बिहार में 37 हरिजन जीवित जलाए गए । इस महत्वपुर्ण मामले की सभा में चर्चा होनी चाहिए ।

Shri Ram Avadesh Singh (Vikramganj): This is an incident of my constituency. I may be allowed to speak. Within the three months four incidents of this kind have happened. Both D.M. and S.P. of the district of Rohtak belong to the same community.

अध्यक्ष महोदय : इस मामले के गुण-दोषों पर विचार हो कर रहे है । मैंने चर्चा की अनुमति नही दी है । आप नियमों का पालन करें ।

श्री बी० पी० मण्डल (माधेपुरा) : बिहार बड़ा विस्फोटक हो गया है । बिहार की स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए । आपने कुछ लोगों से समय दिए जाने को कहा भी है ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन सम्बन्धी वर्ष 1976–77 का वार्षिक प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासन सम्बन्धी वर्ष 1976–77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1915/78]**

वर्ष 1978–79 के लिए पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

The Ministers of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizer (Shri Janeshwar Mishra): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English version) of the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers for 1978-79. [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–1916-78]

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत आदि सूचनाएं तथा उड़ीसा सड़क परिवहन के० लि० की समीक्षा वार्षिक प्रतिवदन और निवेदकों का प्रतिवेदन तथा 1974–75 के लेखों का विवरण

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) रेल रेड टेरिफ (दूसरा संशोधन) नियम, 1978, जो दिनांक 11 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 347 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेल रेड टेरिफ (पहला संशोधन) नियम, 1978, जो दिनांक 11 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 348 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) रेल रेड टरिफ (तीसरा संशोधन) नियम, 1978, जो दिनांक 11 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 349 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) रेल रेड टेरिफ (चौथा संशोधन) नियम, 1978, जो दिनांक 11 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या स० सां० नि० 350 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1917/78]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) उड़ीसा सड़क परिवहन कंपनी लिमिटेड बरहामपुर (गंजम) के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा सड़क परिवहन कंपनी लिमिटेड बरहामपुर (गंजम) का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(तीन) उड़ीसा सड़क परिवहन कंपनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) का वर्ष 1974–75 का निदेशकों का प्रतिवेदन तथा लेखों का विवरण और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रन्थालय में रखे गय देखिए संख्या एल०टी० 1918/78]**

27-3-78 की कार्यवाही के निकाले जाने के बारे में
Re. EXPUNTION IN THE PROCEEDINGS DATED 27-3-78

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नियम 184 के अन्तर्गत सूचना दें तो मैं उसे कार्य यंत्रणा समिति के सामने रख दूंगा। आप नियमों का पालन क्यों नही करते। कृपया उनका पालन करें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : कल ध्यानाकर्षण के समय आपने मेरा कुछ कथन कार्यवाही से निकाल दिया था, परन्तु वह आज पत्रों में छपा है। बाद में प्रधान मंत्री ने भी उन्हीं शब्दों का उपयोग किया।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में कुछ और ही है। इसलिए मैंने उस अेक को निकाल दिया।

श्री हरी विष्णु कामत : आपने बड़ी बुद्धिमती के साथ "भूतपूर्व फसिस्ट मिनि डिक्टेटर" शब्दावली रखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर बार-बार चर्चा करना नहीं चाहता। उपलब्ध सामग्री के अनुसार आपने उनके जी हुजूर और "किराए के गुंडे" शब्दों का उपयोग किया था।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने उसे कार्यवाही से निकाल दिया। मैंने 'उनके' नहीं कहा। प्रधान मंत्री का यह कहना यदि सही ही हैं कि "गुण्डा" शब्द आपत्तिजनक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे कार्यवाही से नहीं निकाला है।

श्री हरि विष्णु कामत : जो शब्द कार्यवाही से निकाले गए हैं वे आज पत्रों में छपे हैं। मैंने 'उनके' न कह कर "किराए के" कहा था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरे रिकार्ड के अनुसार आपने 'उनके' कहा था। लगता है आपके पास जो प्रति है वह सही नहीं है। शोर होते समय रिपोर्टर किन परिस्थितियों में काम करते हैं यह हमें ध्यान में रखना चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं चाहता हुं कि उन शब्दों के निकाले जाने पर पुनः विचार किया जाय क्योंकि उनके बिना प्रधान मंत्री के कथन का कोई अर्थ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है उन शब्दों को बनाए रखा जाएगा।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : आपने कार्यवाही देख कर कुछ शब्द निकालने की बात कही थी। कार्यवाही देखकर आज मैंने एक पत्र आपको लिखा है। इस समय मैं आपत्तिजनक अंग को बनना नहीं चाहता, परन्तु यदि आवश्यक हुआ तो कल उसे उठाऊंगा।

Shri Gauri Shankar Rai (Ghazipur): Some hon. Members have observed that nothing can be said against any person, who is not here to defend. But every corrupt person against whom commission has been appointed can not be called here.

श्री सुरत बहादुर शाह (खेरी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यदि श्री कामत ने 'किराए के' बजाये 'उनके' भी कह दिया हो तो आपत्तिजनक क्या है? और फिर गुण्डे तो हमेशा "किराए के" होते हैं" . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा उपकुलपति, कुछ संकायाध्यक्षों तथा प्राध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार का कथित समाचार

श्री नाथू सिंह (दोसा) : मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा उपकुलपति, कुछ संकायाध्यक्षों तथा प्राध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार की ओर, जिसके कारण कुछ छात्र नेताओं को निलम्बित कर दिया गया है और जिससे अनिश्चिततापूर्ण और तनावपूर्ण वातावरण बन गया है, शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (ी प्रताप चन्द्र चन्द्र) : दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 22 मार्च, 1978 की सुबह सर्वश्री विजय गोयल और रजत शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के क्रमश: अध्यक्ष और सचिव के नेतृत्व में तथा रामजस कालेज के छात्र श्री सुधीर गोयल के साथ, लगभग 200–300 छात्रों एवं बाहरी व्यक्तियों का एक दल नारे लगाता हुआ तथा परीक्षाओं के स्थगन की मांग करता हुआ कुलपति के कार्यालय आया। छात्रों ने कुलपति और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के कार्यालयों के दरवाजे और खिड़कियों के शीसे तोड़ने शुरु कर दिए। कुलपति ने बाहर आकर स्वयं छात्रों को सूचित किया कि परीक्षाओं के स्थगन के प्रश्न पर 26 मार्च, 1978 को बुलाई जाने वाली शक्षिक परिषद की आपात् बैठक में विचार किया जाएगा लेकिन छात्रों ने आग्रह किया कि कुलपति द्वारा निर्णय वहीं उसी समय लिया जाए। इसके तुरन्त बाद उन्होंने बलपूर्वक विश्वविद्यालय भवनों में प्रवेश किया और कुलपति तथा विश्वविद्यालय के कुछ अन्य अधिकारियों के कमरों में तोड़ फोड़ की। विश्वविद्यालय की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई और विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों तथा एक शिक्षक को हाथापाई में चोट लगी। अपने सहयोगियों को बचाने के प्रयास में स्वयं कुलपति को आगे पीछे ढकेला गया। विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया गया। आखिर में कर्मचारियों और शिक्षकों की कोशिशों और सहायता से ही कुलपति विश्वविद्यालय भवन में सुरक्षित वापस जा सके।

विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा हिंसक घटनाओं के संबंध में रोशनारा पुलिस थाने में उसी दिन रिपोर्ट लिखाई गई और उसकी जांच हो रही है।

23 मार्च, 1978 को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय से आगजनी की एक घटना प्रकाश में आई जिससे इसके फर्निचर और फिटिंग्स को क्षति पहुंची। उस दिन भी लगभग 200 छात्रों ने परीक्षाओं के स्थगन की मांग करते हुए कुलपति के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

उपरोक्त आगजनी की घटना के संबंध में 23–3–78 को रोशनारा पुलिस स्टेशन में (i) दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री विजय कुमार गोयल, (ii) दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की कार्यकारी परिषद् के सदस्य श्री नितिन गुप्ता और (iii) सत्यवती कालेज छात्र संघ के अध्यक्ष श्री सुशीलकुमार शर्मा द्वारा तीन शिकायतें दर्ज कराई गई। सभी तीनों शिकायतों की जांच की जा रही है। विश्वविद्यालय ने भी मामले की जांच हेतु प्रोफेसर एल० एस० कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

हिंसात्मक घटनाओं से संबंधित प्रावटर की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कुलपति ने 23 मार्च, 1978 को एक आदेश जारी किया, जिसमें उन तीन छात्रों को, अर्थात् सर्वश्री विजय कुमार गोयल, रजत शर्मा और सुधीर गोयल, जिन्होंने 22 मार्च को प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, निलम्बित कर दिया गया तथा घटनाओं की जांच करने व सिफारिशें करने के लिए वी० पी० चेस्ट संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ए० एस० पैंटल को अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय जांच समिति भी नियुक्त की गई। संबंधित छात्रों से 30 मार्च तक अपना स्पष्टिकरण भेजने तथा 31 मार्च, 1978 को जांच समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए भी कहा गया है।

26 मार्च, 1978 को हुई अपनी आपात बैठक में शैक्षिक परिषद् ने परीक्षाएं स्थगित करने के संबंध में कुछ निर्णय लिये। यह निर्णय किया गया कि विज्ञान की परीक्षाओं के अलावा, जो कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच शुरु होनी थीं, उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों तथा अवर स्नातक पाठ्यक्रमों की कुछ परीक्षायें 17 अप्रैल, 1978 तक स्थगित की जाए।

विश्वविद्यालय ने यह स्पष्ट किया था और सरकार उनके दृष्टिकोण से सहमत है कि छात्रों की सभी वैध शिकायतों और मांगों पर विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाना चाहिए, किन्तु किसी भी हालत में विश्वविद्यालय में हिंसा, धमकी और सम्पत्ति को नष्ट नहीं करने देना चाहिए तथा कानून के अधीन इन पर दृढ़ता से कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को पूरा विश्वास है कि छात्र, अध्यापक और कर्मचारी छात्रों के एक छोटे दल द्वारा की जा रही हिंसा और धमकी की कार्रवाईयों से सहमत नहीं होंगे तथा विश्वविद्यालय और उसके कालेजों में सामान्य स्थिति बनाए रखने में हर संभव प्रयास करेंगे।

Shri Nathu Singh : The condition of emergency still exists in certain universities of the country. The activities of sabotage, assault etc. are going on there. The political parties should take some decision in this respect so as to, stop the repetitions of these incidents.

I want to know the real facts regarding the termination of students of Delhi University. There is a great difference in the statement given to the students and the statement given by the Minister.

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

Shri Nathu Singh : I want to know whether hon. Minister will hold an independent inquiry separately? Whether the rustication of the students will be postponed till the report of that inquiry? Whether hon. Minister will call a meeting of all the political parties so as to stop their interference in the working of the universities?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जहाँ तक छात्रों के निकाले जाने के प्रश्न है वह विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आता है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती।

राजनीतिक दलों को विश्वविद्यालयों से दूर रखने के लिए उसकी बैठक बुलाने के लिए मैं तैयार हूं। और मैं निश्चय ही बैठक बुलाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथू सिंह अब आप और कोई प्रश्न मत पूछिये।

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa): Mr. Speaker, the incident which took place in Delhi University is very shameful and a matter of great concern. This whole incident should be inquired into and the guilty persons should be brought to book. In all the universities in the country something or the other is going on. In July-August last, some students of Delhi University met the Hon. Prime Minister and apprised him of the happenings there. The Prime Minister advised the students to put their complaints into a complaint box. During emergency some professors were reinstated. You know Prof. Nurul Hasan and **(interruption.)**

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

Shri Vinayak Prasad: Today whatever is happening there is due to reinstatement of some professors, I would like to know from the Hon. Minister whether he will place a white paper in the House regarding all the incidents, which took place in Delhi University during emergency.

Secondly, I want to know from the Hon. Minister, whether he will appoint a Committee of impartial Educationists and law experts to give into the affairs of Delhi University during the emergency.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : माननीय सदस्य ने स्वयं बताया है कि स्वयं प्रधान मंत्री आपात स्थिति के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए कदाचारों सम्बन्धी शिकायतों की जांच कर रहे हैं । यदि ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं समझता कि इसके लिए किसी समिति की नियुक्ति की आवश्यकता है ।

जहां तक इस विशेष के मामले का सम्बन्ध है, यह पुलिस के हाथों में है । एक स्वायत्तशासी निकाय होने के कारण, दिल्ली विश्वविद्यालय इस मामले पर विचार कर रहा है ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ये सारी कठिनाइयां इसलिए उत्पन्न होती है, क्योंकि राजनीतिक दलों के सदस्य छात्रों को उकसाते हैं । इन मामलों की जांच के लिए सरकार कोई समिति नियुक्त नहीं कर रही है। इसलिए मैंने छात्रों तथा प्रोफेसरों से कह दिया है कि मैं स्वयं इन सब मामलों कि जांच करूंगा । यदि इन मामलों में सच्चाई होगी तो मैं इस सम्बन्ध में कार्यवाही करूंगा । परीक्षाओं को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

Shri Vijay Kumar Malhotra (South Delhi) : The Prime Minister has stated that the demand of Students for postponement of examinations was unjustified, but the university itself postponed the examinations for seven days because the tornado had caused some difficulties in the campus area.

I want to know why there is disturbance in Delhi University. The Prime Minister has rightly said that some political parties are interfering in the affairs of the university. The three students have been expelled from the university. During emergency these three students were put in to jail and now they have been expelled from the university. Heaven would have not fallen, if they would have waited the outcome of enquiry. What was the hurry in suspending them? It is right that political parties should not interfere in the affairs of university, but how far it is justified to punish those three students who are not at all guilty? I want to know whether the students have told the Education Minister about the relationship of those four members of the Committee with the political parties? How can we expect justice from such persons?

Therefore restoring peace in all the universities, will the Hon. Minister have discussions with the Vice-Chancellor and withdraw the suspension orders served to those three students?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह सही है कि जो छात्र इस मामले में अन्तर्गस्त थे और जिन्हें निलम्बित किया गया था, वे मुझसे मिले हैं। उन्होंने अपने आमरण के बचाव के लिए यह कहने का प्रयास किया कि इस समिति का उचित गठन नहीं किया गया है। किन्तु मैंने उनसे कहा कि यह निर्णय करना विश्व विद्यालय का काम है। यदि उन्हें आशंका है तो फिर वे न्यायालय में जा सकते हैं। क्योंकि दोनों बयान परस्पर विरोधी हैं।

श्री बेदव्रत बरुआ (कालियाबोर): मंत्री जो ने अच्छा वक्तव्य दिया है। प्रधान मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि वह इस मामले की जांच करेंगे। जनता सरकार का कहना है कि उन्होंने पुन: स्वतंत्रता कायम की है, किन्तु आज भी विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता है। जब वहा यह घटना घटी तो पुलिस विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर खड़ी थी। मैं जानना चाहता हूं कि जनता सरकार के सत्ता में आनेके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज पुलिस हस्तक्षेप करने की स्थिति में नही है। मैं भी चाहता हूं कि ऐसी संस्थाओं को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो संस्था के मुखिया को निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने जिस समिति की नियुक्ति की है, उसमें सभी योग्य व्यक्ति हैं। उनमें से कुछ तो अन्तराष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं। उनके कोई राजनैतिक सम्बन्ध नहीं है।

मुझे ऐसा लगता है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ तत्वों ने वाइस चांसलर पर दबाव डाला है। यह न्यायिक जांच नहीं हो सकती। छात्रोंने परीक्षाओं को स्थगित करने की जो मांग रखी है, वह उचित नहीं है। इससे छात्रों के जीवन पर कुप्रभाव पड़ता है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस को पहले से जानकारी थी और क्या मंत्री जी को इसका पता था? यदि उनको पता था तो क्या उन्होंने गृह मंत्री को दोषी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कहा? ऐसे मामलों में पुलिस को सक्रिय रहना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई वर्ग है जो उप-कुलपति को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने सभा में यह बात कई बार दोहराई है कि हमारे प्रधान मंत्री विश्वविद्यालय की गतिविधियों को जांच करने के लिए पूरो तरह सक्षम है।

जहां तक विश्वविद्यालय को स्वायत्तता का सम्बन्ध है, इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। पुलिस को जानकारी थी कि कोई प्रदर्शन होगा। किन्तु पुलिस विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर नहीं गई। अत: इस मामले में न तो वाइस चांसलर ने और नहीं किसी अन्य प्राधिकारी ने पुलिस को प्रवेश करने के लिए नहीं कहा।

हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि विश्वविद्यालय में राजनीति प्रवेश न करे। किन्तु मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि आज विश्वविद्यालय में स्थिती पहले से अधिक खराब है।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

13 वां तथा 14 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

Smt. Mrinal Gore (Bombay North): I present the following reports and minutes of the Estimate Committee.

(1) Thirteen Report on Ministry of Industry—Handloom and Powerloom Industries—Part I—Handloom Industry.

(2) Fourteenth Report on Ministry of Industry—Handloom and Powerloom Industries—Part II—Powerloom Industry.

(3) Minutes of sittings of the Committee relating to the above Reports.

नियम 377 के अधीन मामले

MATTER UNDER RULE 377

(एक) प्रतापगढ़ में बांध बनाने की आवश्यकता

Shri Roop Nath Singh Yadav (Pratapgarh): I want to draw the attention of the Government to the fact that the annual floods in the rivers and rivulets of Pratapgarh district destroy the land of the formers. Non-inclusion of the work of construction of bridges and dams on Bakulahi, Daur and Sahi rivers in the sixth plan has created great dissatisfaction among the farmers. That area is very backward where no development work has been undertaken during the last 30 years. There is much unemployment in that district and if these bridges and dams are not constructed it will increase and result in growing discontent. The Minister of Irrigation should pay attention to this problem. Let him get the area surveyed and undertake the work of construction of bridges and dams on the rivers and rivulets there so that this national problem can be solved.

(दो) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार के श्रमिकों पर गोली चलाये जाने का कथित समाचार

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : 23-3-1978 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार के श्रमिकों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल द्वारा धुंआधार गोली चलाये जाने से वहां अत्यन्त गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल ने निहत्थ शान्तिपूर्ण श्रमिकों पर शस्त्रास्त्रों से हमला किया और अनेक मजदूर मारे गये तथा घायल हुए। इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा झूठे आरोप लगाकर अनेक मजदूरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे स्थिति और खराब हो गई है।

मैं मांग करता हूं कि वहां से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को तुरन्त हटाया जाये और इसे समाप्त किया जाये तथा न्यायिक जांच करने के आदेश दिए जायें ताकि अभियुक्तों को दण्ड मिले।

(तीन) कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद

Shri Keshavrao Dhondge (Nanded): It is a matter of deep regret that while we have solved our boundary disputes with Burma and Bangla Desh, we have not yet been able to solve the boundary dispute between two States of this country itself, namely, Maharashtra and Karnataka. As a result, the Marathi speaking people in Karnatak State are suffering and all sorts of atrocities are being perpe-trated on them. Many Commissions have gone into this matter and several Governments have changed but the dispute has not yet been resolved. For the present, the people are trying to get this matter resolved through democratic methods. But if the Central Government do not expedite the settlement they will rise in revolt. Let the Prime Minister pay attention to it and state when those Marathi-speaking people will get justice.

(चार) अल्पसंख्यक आयोग

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : सरकार ने श्री एम०आर मसानी की अध्यक्षता में तीन सदस्यों के एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। इसका मूल उद्देश्य धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए समय-समय पर संविधान, केन्द्रीय तथा राज्य कानूनों, सरकारी नीतियों तथा प्रशासनिक योजनाओं में की गयी सुरक्षा की व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतु संस्थागत प्रबन्ध की व्यवस्था करना है। सरकार द्वारा उठाया गया कदम प्रशंसनीय है लेकिन यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि यद्यपि मुख्य उद्देश्य एक प्रभावशाली संस्थागत प्रबन्ध करना था, फिर भी सरकार द्वारा गठित अल्पसंख्यक आयोग प्रभावहीन है। इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्य नहीं होंगी। आयोग के पास ऐसी वैधानिक शक्तियां नहीं है जिसके द्वारा वह समय-समय पर केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार को आवश्यक सूचना प्रदान करने के लिये विवश कर सके।

यह अधिक अच्छा होता यदि देश के सब से बड़े अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुसलमानों में से किसी योग्य व्यक्ति को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता। ऐसा न करने से बहुत निराशा हुई है।

अल्पसंख्यक आयोग को एक स्वतंत्र तथा सवैधानिक दर्जा दिया जाना भी जरूरी है। इन तथा कुछ अन्य बातों के कारण विशेषकर मुसलमानों के बीच बहुत असंतोष हुआ है। सरकार को देश के सब से बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के विचारों तथा भावनाओ पर विचार करते हुए आयोग के एक प्रभावशाली संस्थागत प्रबन्ध व्यवस्था करने सम्बन्धी मूल उद्देश्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिये।

(पांच) जहरीली शराब के मामले

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं सभा तथा सरकार का ध्यान जहरीली शराब की दुर्घटना, जिसके फलस्वरूप दिल्ली में दस व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, की ओर दिलाना चाहता हूं। यह दुर्घटना अधिकारियों द्वारा अवैध शराब के वितरण को रोकने में असफलता के कारण हुई है। इस दुर्घटना से लुक छिप कर अवैध शराब बनाने का पता लगता है और हर व्यक्ति को अब नशाबन्दी के बारे में सोचना है। नशाबन्दी एक आदर्श तथा अध्यात्मिक नीति है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में नशाबन्दी को लागू करना असम्भव सा लगता है। सरकार की वर्तमान नीति से अवैध शराब के बनने तथा वितरण को प्रोत्साहन मिलता है जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष दुर्घटनाएं होती हैं। अतः सरकार को नशाबन्दी नीति पर विचार करना है और इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय चर्चा का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि कानून लागू करने से पहले जनमत तयार किया जा सके।

बजट सामान्य अनुदानों की मांगें 1978-79—(जारी)

GENERAL BUDGET DEMANDS FOR GRANTS 1978-79 (Contd.)

उद्योग मंत्रालय

श्री के० ए० राजन (त्रिचुर) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं :

उद्योग मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव पेश किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशी
59	3	श्री के० ए० राजन	नारियल जटा उद्योग में यंत्रीकरण की अनुमति के निर्णय से व्याप्त बेरोजगारी	100 रुपये
61	4	—तदेव—	धागे के मूल्य में वृद्धि जिस के कारण हथ करघा उद्योग में बेरोजगारी पैदा हो गई है	—तदेव—

श्री टी० ए० पई (उदीपी) : पिछले वर्ष के दौरान राजनैतिक उद्योग का उत्पादन सर्वोत्तम रहा और राजनिती को अर्थ नीति की तुलना में पहला स्थान मिला। सारी स्वतन्त्रतायें बहाल की गयी और हमें इसका गर्व है और हमने सरकार को इसकी बधाई दी। लेकीन जो आजादी समाप्त हुई वह एक ऐसी आजादी थी जिसे इस देश में हमेशा के लिये सुनिश्चित रखना है। हमारे जैसे विकासशिल तथा गरीब देश में इस आजादी को ऐसे समाप्त करना हितकारी नही होगा जैसे कि हम करते प्रतीत होते हैं।

पिछली बार 1960-72 के के बिच औद्योगिक प्रगतिक उल्लेख करते हुए मन्त्री महोदय न कहा था कि वह प्रगति कांग्रेस राज्य में 4 प्रतिशत से अधिक नही थी। उन्होंने बड़ी चतुराई से 1975-76 में हुई 5.6 प्रतिशत प्रगति को तथा 1976-77 की 10.5 प्रतिशत की प्रगति कों भूला दिया।

1975 के प्रारभ नें जब मैंने 1974-75 का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय मैंने यह वादा किया था कि वर्ष के अन्त तक देश में प्रगति की दर 10 प्रतिशत होगी। मैं समझता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र में हमारे द्वारा निर्मित क्षमता को ध्यान में रखते हुए, यदि हम अपने सामने आने वाली रुकावटो को दूर कर सके, तो प्रगति की इस दर को प्राप्त करना संभव होगा और उसे लगातार बनाये रखना भी आवश्यक है क्योंकि इस देश में कृषि पर वास्तविक प्रगति दर बनाए एक भूल होगी।

इस वर्ष असफलता के लिए कई कारण दिए गये है। एक है बिजली को कमो। हमारे सामने भो हरियाणा, कर्नाटक, केरल, आध्र, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में यह समस्या आई थी। इसके बावजूद हमने प्रगति की क्योंकि हम इस बात को मानते थे कि इस देश में बिजलो को कमो एक सामान्य बात है।

तीन वर्ष तक इस देश के उद्योगों को देखने का भार मुझे पर रहा है। हमारे जमाने में मजदूरों परगोली चलाने की एक भी घटना नहीं हुई जैसी की पिछले वर्ष में हुई। यदि यह लोकतंत्र है, और मूलभूत अधिकारों का दिया जाना है तो में समझता हूं कि तह सामान्य कुछ बड़े लोगों का ही है। विरोध प्रकट करने वालों को कुचला जाता है और यदि यही स्वतंत्रता है तो वह अधिक दिनों नही रह सकती।

सरकारी क्षेत्र को आलोचना की गई और कहा गया कि 30 वर्ष तक हमने पाप किया तथा इस देश में भारी उद्योगों का कोई स्थान नहीं है। मुझे याद है कि 1972 में मुझे 14 सरकारी उपक्रम सौंपे गए थे जिनमें 21 करोड़ रुपये को हानि हुई थी और 261 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ। परन्तु जब तक हमने उन्हे आगे सौंपा उनमें 850 करोड़ रुपये का उत्पादन होता था और 75 करोड़ रुपये का लाभ। इस वर्ष मुझे भय है कि उत्पादन 850 करोड़ रुपये से आगे नहीं जाएगा और गत वर्ष के 65 करोड़ रुपये के लाभ को तुलना में इस वर्ष यह 30.35 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। ऐसा क्यों? इसकी जांच को जानी चाहिए।

श्री फर्नेन्डीज ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव पेश किया है। मैं इस वक्तव्य को अधिक महत्व देता नहीं कि उद्योग को स्थापना शहरी में नहीं होगी। मैंने भी ऐसा ही किया होता परन्तु तब मैंने इस बात को उचित माना होता कि इस देश में कृषि ही मुख्य उद्योग है। और अन्य उद्योग केवल कृषि उत्पादों का ही उपयोग करें।

आज सभी लघु उद्योगों की दशा खराब है क्योकि विद्यमानवित्त व्यवस्था से उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। पिछले वर्ष उद्योग मन्त्री ने बताया था कि अच्छे प्रबन्ध के अभाव में देश में 25 प्रतिशत लघु उद्योग संकट की स्थिति में है। मन्त्री महोदय को यह जानना चाहिए कि अच्छे प्रबन्ध का अर्थ मशीनों का उपयोग नहीं है वरन अन्य 15–16 विभागों का योग्यतापूर्वक प्रबन्ध करना है। जब तक हम उनका प्रबन्ध सफलता पूर्वक नहीं करेंगे हमारी मूल पूंजी भी लुप्त हो जाएगी और व उद्योग संकट में पड़े जायेंगे।

जहां तक खादी तथा कुटीर उद्योगों की संबंध है, उसके बारे में हमें मूर्ख बनाया गया और कई बार तो हमनें मूर्ख बनने के लिए अपनी ही सराहना की। गत वर्ष जब वित्त मन्त्री महोदय ने बजट प्रस्तुत किया तो उस समय हमें यही ख्याल रहा कि 36 करोड़ रुपये की व्यवस्था खादी तथा कुटीर उद्योग संघ के लिए की जा रही है। और मन्त्री महोदय ने यह भी कहा था कि इससे 25 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होने की आशा. है। हम सभी प्रसन्न थे। परन्तु वास्तव में क्या हुआ; कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। केवल 3.46 लाख लोगों को रोजगार ही उपलब्ध करावाये जा सके।

जहांतक रोजगार के कार्यक्रमों का संबंध है, उसके बारे में सरकार द्वारा गलत वायदे किये जा रहे हैं। आये दिन हमें यही बताया जाता है कि 600 रोजगार उपलब्ध करवाये जायेंगे। 30,000 रोजगार, जो कि कांग्रेस सरकार उपलब्ध करवाने में असफल रही, वह इनको सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे। यदि केवल भाषण देने से ही रोजगार मिल जाता या रोजगार पैदा हो जाता तो यह समस्या बक ही हल हो चुकी होती। परन्तु

[श्री० टी० ए० पई]

राजनीति अपने आप में एक गहरी चाल होती है। इसमें आगामी काल के लिए किसी प्रकार को वचन बद्धता नहीं होता। इसके लिए 10 वर्ष जैसा लम्बे समय का अन्तराल लिया जाता है ताकि इसमें से कोई भी जावित न हो और फिर ईश्वर ही जानेगा कि इस समस्याओं का क्या हुआ।

जहां तक औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, इसके बारे में मन्त्री महोदय ने बताया है कि उद्योगों की देखभाल करने के लिए एक जिला प्रबन्धक बनाने से इस समस्या का समाधान हो जायेगा।

जहां तक औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, उसके बारे में मंत्री महोदय ने बताया कि उद्योगों की देखभाल करने के लिए एक जिला प्रबन्धक बनाने से इस समस्या का समाधान हो जायेगा। यदि उसका उद्देश्य 400 जिला प्रबन्धक बनाने का उद्देश्य है, तो फिर सिविल अधिकारियों को तो इसका कार्यभार नहीं सौंपा जाना चाहिये। वहां सरकार या प्रबन्ध व्यवस्था तो सफलतापूर्वक चला सकते हैं परन्तु वह अच्छे सेलनमैन या विपणन अधिकारी नहीं हो सकते। इन संगठनों को चलाने के लिए हमें ऐसे योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती हैं जोकि योग्य परामर्श दे सके। अत: हमें देश में उपलब्ध सम्पूर्ण प्रतिमा का, उन्हें वह बैंकों आदि में ही उपलब्ध हो, पता लगाना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका सही उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है।

जहां तक कपड़ा उद्योग का सम्बन्ध है, उसके बारे में सरकार की नीति ऐसे लगती है जैसे कि सरकार के समक्ष केवल कुछ रुग्ण कपड़ा मिलों की मरम्मत आदि का प्रश्न ही हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सूती कपड़े का मूल्य 8 आने गज था। वहि सूती कपड़ा आज आठ रुपए गज बिक रहा है। जब यह 8 आने गज बिकता था उस समय में लाखों लोग नंगे रहते थे और आज जब कि यह आठ रुपए गज बिक रहा है तो भी लाखों लोग नंगे है तथा अनेक कपड़ा मिले रुग्ण है। यह सब क्या हो रहा है। हमें स्टैन्डर्ड कपड़े तथा राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग के पुनर्गठन के बारे में शीघ्र ही विचार करना चाहिये? यह ऐसे प्रश्न है जिन्हें कि अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता।

Dr. Bapu Kaldate (Aurangabad): During the 30 years of the congress regime the greatest loss to which the country had been put, was that the entire direction of the planning led to a vertical prosperity, a prosperity which resulted in accumulation of wealth in the hands of a few capitalists and industrrialists, while what is required for our country is horizontal prosperity. The nature of industrialisation during the congress regime was capital intensive and not manpower intensive, while the real capital of the under-developed and developing countries is their manpower. That policy of industrialisation and urbanisation has resulted in making the rich more rich, creating more and more unemployment and exploitation of the rural and poor people. Therefore what we mean by horizontal prosperity is the dispersal of industries and speedy development of Small Scale and village industries. It will have to be ensured that the new industrial policy does not remain on paper only but is actually implemented.

It is wrong to say that Janta Government's policy towards public sector is not fair. Our policy towards public sector is that it will play a pivotal role in not only directing the economy of the country but also in enhancing the progress of the country.

It is good that new licence policy will not be given for industries in metropolitan cities and cities with a population of more than 10 lakhs.

It is a matter of satisfaction that the number of reserved items for small scale industries has been increased from 180 to 500 or so. Their number can be increased further to about 2400. But merely reservation of items will not do. Necessary infrastructure will have to be provided and coordination will have to be done between supply of raw material, marketing of products etc., otherwise production of Small Scale industries will fall resulting in shortages and then increase in the prices. Dispersal and decentralisation without coordination will lead to disintegration and concentration.

The nature of advertisements being given on radio and television is creating false needs among the people. This should be checked to the required extent.

It should be ensured that the service centres being provided in districts are not bureaucratised. In the case of Marathwada, bureaucratisation can be avoided if the cooperation of Development Corporation and Marathwada Industries Association is taken in the matter which will also create a feeling of participation among the people.

A public sector undertaking should also be established in Marathwada which will result in providing more employment opportunities and economic development of the area.

***श्री पी० त्यागराजन** (शिवगंगा) : जनता पार्टी की सरकार को केन्द्र में एक वर्ष हो गया है। लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों के दौरान जनता पार्टी नें लोगों को आश्वासन दिया था कि यदि आप उन्नति और कल्याण चाहते हैं तो जनता पार्टी को मत दें। एक आश्वासन छोटे पैमाने के उद्योगों को सांविधिक समर्थन देना था। लेकिन अभी तक प्रस्तावित विधान पेश नहीं किया गया है।

हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमेन श्री विद्यालंकार ने कहा है कि 75 करोड़ के निवेश से 5 लाख नौकरियां पैदा की जायेंगी।

योजना आयोग ने खुले आम यह स्वीकार किया है कि केवल कृषि तथा ग्रामीण उद्योग ही अधिकांश बेरोजगार लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं और छठी योजना अवधि में इन दोनों क्षेत्रों में योजना परिव्यय में 100 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि केन्द्रीय सरकार आर्थिक कार्यक्रम में इन दोनों क्षेत्रों को उंचा स्थान देगी।

विदेशी उद्योगपति भारत में पूंजी निवेश करने के प्रस्ताव कर रहे हैं। बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रतिनिधि भी गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ भारत में औद्योगिक पूंजी निवेश के लिये अनुकूल वातावरण के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जनता सरकार की औद्योगिक नीति असंमजसपूर्ण मालूम होती है। एक ओर तो यह दावा किया जाता है कि जनता सरकार देश में ग्रामीण तथा छोटे उद्योगों का विकास करने के लिये वचनबद्ध है, दूसरी ओर पूंजीपतियों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

---

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।
Summarised translated version of English translation of speech delivered in Tamil.

[श्री पी० त्यागराजन]

नये औद्योगिक नीति प्रस्ताव में छोटे उद्योगों की आरक्षित मदों की सूची को 180 से बढ़ाकर 500 करने सम्बन्धी कदम स्वागतयोग्य है। 5 लाख से कम आबादी वाले अर्धशहरी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को अधिक महत्व देना और देश के हर जिले में ग्रामीण उद्योगों की सहायता के लिये औद्योगिक केन्द्र स्थापित करना सराहनीय है।

यदि विदेशी पूंजी निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने के अवसरों को प्रोत्साहन मिलता है तो हमें इसका स्वागत करने में संकोच नहीं करना चाहिये लेकिन यह सब ग्रामीण तथा छोटे उद्योगों की कीमत पर नहीं होना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी एक नई योजना चलायी है। यह एक सराहनीय कदम है। लेकिन यह सहायता सामयिक होनी चाहिये ताकि राज्य इसका उपयोग लोगों के हित में कर सकें।

हजारों छोटे उद्योग समाप्त होने की स्थिति में हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

विदेशी सरकारें छोटे उद्योगों के लिये औजार तथा मशीनरी के लिये जो ऋण सुविधायें दे रही है उनका उपयोग आयात की विकट प्रक्रिया के कारण नहीं हो रहा है। यह औद्योगिक एककों, जो आधुनिकीकरण चाहते हैं, के लिये अहितकारी सिद्ध हो रहा है। उद्योग मंत्री को इस गम्भीर मामले की ओर ध्यान देना चाहिये।

मेरे चुनाव क्षेत्र में उद्योगों के लिये पूंजी तथा सस्ता श्रम काफी मात्रा में उपलब्ध है। फिर भी उपादानों के अभाव में यह पिछड़ा ही रह गया है। उद्योग मंत्री को इन पिछड़े जिलों की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिये और उनकी सहायता के लिये आगे आना चाहिये।

Shri Manohar Lal (Kanpur): I am grateful to you for providing me an opportunity to express my views. The industries were neglected during the past 30 years. The trade union rights of the industries were taken away during emergency.

I support the demands of this ministry. I am sorry that no attention was paid towards three essential requirements of the industry i.e. steel, power and consumption as a results of which industrial growth was not to the expectations. We are happy to know that you have adopted a scientific approach towards industries.

I am not hasitating to say that the former Government did not pay due attention towards small scale industries which has given rise to the widespread unemployment. India is predominently an agriculturist country that no care has been taken to utilise the rural manpower. I hope Janata Government will fulfill its promise for giving priority to agriculture and small scale industries. The burden on land is increasing which needs to be reduced. We will have to establish more small scale industries with a view to reduce the burden on land.

It is good that items under small industries have been increased from 180 to 500. It should be clearly defined as to which item should be manufactured in different categories of industries.

20 big houses of the country are possessing 45 percent of the national wealth. These big houses have monopolised the industries.

The National Institute at Calcutta is running into heavy losses. The Artificial Limb Manufacturing Factory at Kanpur is also running into losses. The Government should pay due attention to these public sector undertakings so that they do not run into losses.

The second reason given is that huge amount is incurred on the large number of workers and employees. It is wrong to say that the number of employees there is more. The position is that it is due to overstaffed. The number of officers there is large. There are a lot of shortcomings in the purchase section. The hon. Minister should look into it and the workers should be given something on ad hoc basis.

The mills functioning under the Textile Mills Corporation are running in loss. Their managers are not efficient and capable and have been appointed on political basis during the congress regime. The position of supply of necessary raw material is not satisfactory as a result of which capacity of these mills is not being utilised fully. Remedial measures should be taken for improving the condition of these mills.

Swadeshi Cotton Mill and Laxmi Ratan Cotton Mill of Kanpur are to be acquired and run under N.T.C. But it has not been done so far. Early action should be taken in this connection so that these workers of Swadeshi Cotton Mill, who have been rendered unemployed, may get employment after reopening of the mill.

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : जनता पार्टी के एक वर्ष के शासन में औद्योगिक उत्पादन 10 प्रतिशत से कम होकर 5 प्रतिशत रह गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि बेरोजगारी, भुखमरी, परिवार नियोजन तथा आर्थिक विकास जैसी समस्याएं गौण बन गई हैं जबकि घेराव, हड़ताल, कार्मिक संघ प्रतिस्पर्धा, छात्रों में अनुशासनहीनता आदि रोजमर्रा की बातें हो गई हैं।

औद्योगिक क्रांति लाने में सरकारी क्षेत्र के महत्व को कम नहीं समझना चाहिये। यदि भारी संसाधन जो इस समय सरकारी क्षेत्र के नियंत्रणाधीन है, कुछ एकाधिकारी व्यक्तियों के हाथों में हों तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे देश की अर्थ-व्यवस्था को कितनी हानि तथा क्षति हो सकती है। भारत जैसे देश में, जहां पर लोग गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय तथा शोषण से पीड़ित हैं, पूंजीवादी पद्धति से कभी भी हल नहीं निकलेगा। केवल समाजीकरण से ही आम लोगों को फायदा हो सकता है। सरकारी क्षेत्र को समाप्त करने के बजाय अनुशासन लाने तथा सरकारी क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठा की भावना पैदा करने के प्रयास किये जाने चाहिये। एकाधिकारी सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को दो या तीन संस्थानों में बांटा जाये जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने से इस क्षेत्र का अधिक विकास हो सकेगा। सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुएं भी बनें जिससे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में संतुलन बना रहेगा।

जनता शासन में प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास होने में वर्षों समय लगेंगे। यह अत्यन्त कष्टदायक बात है कि कुछ महत्वपूर्ण नेता राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर भी अत्यन्त पिछड़ी, त्याज्य और प्रतिक्रियावादी विचारधारा रखते हैं कि क्या देश को औद्योगिक, प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक दृष्टी से विकसित किया जाए या वह कृषि पर आधारित पिछड़ा समुदाय ही रहे जो कुटीर उद्योगों पर निर्भर हो और जिसस लाखों व्यक्तियों को रोजगार तो मिल सके पर राष्ट्र आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर

[श्री जनार्दन पुजारी]

रहे। जवाहर लाल नेहरू के विस्तृत दृष्टिकोण और उनकी दूरदर्शिता के कारण देश में 20 वर्ष पहले औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था इससे आज देश को खूब लाभ हुआ और एक सुदृढ़ आधार बन सका। राजनीतिक द्वेष भाव के कारण आज जनता पार्टी के नेता उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं या वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नहीं सोच पाते। राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत नीतियों को त्यागने का जनता बहुत विरोध करेगी। लोग यह नहीं चाहते कि देश औद्योगिक रूप से पिछड़ा और दूसरों पर निर्भर रहे। अतः जनता पार्टी को राष्ट्रीय मामलों पर अपने रवैये पर सोचना चाहिये।

दक्षिण केनरा के लोग मंगलौर में एलूमिना और सीमेंट उद्योग की मांग कर रहे हैं। वहां जल, बिजली और यातयात की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यह मांग मानी जानी चाहिये।

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : मंत्री जी द्वारा घोषित औद्योगिक नीति साहसिक और गतिशील है, किन्तु इन घोषित योजनाओं को निचले स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए निचले स्तर यंत्र की स्थापना का अभाव लगता है। ऐसे किसी यंत्र की घोषणा नहीं की गई जिससे पिछड़े क्षेत्रों में ग्राम तथा लघु उद्योग स्थापित किये जायें। बताया गया है कि जिला स्तर पर एक औद्योगिक निदेशक होगा। यह अच्छा तो है लेकिन वह सरकारी अधिकारी या नौकरशाह नहीं होना चाहिये। वह गतिशील व्यक्ति होना चाहिये।

ब्लाक, जिला तथा राज्य स्तर पर समन्वय बोर्ड हों जिनमें संसद सदस्य, विधायक तथा स्थानीय लोगों को लिया जाये जो यह देखें कि सरकारी नीति को पूरी तरह—विशेष कर पिछड़े क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं।

सरकार की कराधान नीति, वित्तीय नीति और औद्योगिक नीति में समन्वय हो क्योंकि प्रेस में किये गय वक्तव्य से काफी विरोधाभास मिलता है। औद्योगिक मंत्री ने एक बात कही है और वाणिज्य मंत्री और बात कह रहे हैं। जिससे उद्यमियों को भ्रांति होगी और सरकार के वास्तविक इरादों का पता नहीं चलेगा।

बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में स्पष्ट रूप से वक्तव्य दिया जाये कि क्या इन बहुराष्ट्रीय निगमों को धीरे-धीरे वाणिज्यिक वस्तुओं के उत्पादन से बाहर किया जायेगा और क्या उनका रूप परिवर्तित किया जायेगा ताकि वह अधिक आधुनिक चीजें बनाये या उन चीजों का उत्पादन करें जिनका आयात होता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है।

जब हम गांवों के औद्योगिकरण की योजना बना रहे है तो सरकार को पिछड़े क्षेत्रों का नये सिरे से सर्वेक्षण कराना चाहिये। सरकार को समेष्टित योजनाएं जिला स्तर पर सोचनी चाहिये और उनका विज्ञापन करना चाहिए। स्थानिक उद्यमियों को आकर अपनी विद्वत्ता और परिश्रम से गांव स्तर पर उद्योग खोलने चाहिएं। लघु उद्योगपतियों को बैंक ऋण देने के लिए उपयुक्त नीति बनाई जानी चाहिये। ऐसे ऋणों के लिए दूरगामी ब्याज दर होनी चाहिये। सरकार को ऐसे लोगों को उद्योग आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये जो बाद में रुग्ण हो जाते हैं।

राज्य औद्योगिक विभागों से कहा जाये कि वे उन पिछड़े क्षेत्रों के लिये, जहां वे कुटीर उद्योग आरम्भ करना चाहते हैं, अपनी योजनाएं केन्द्रीय सरकार को भेजे। ऐसी योजना तैयार करने हेतु जिससे कि कोई उद्यमी गांव या ताल्लुक स्तर पर उद्योग आरम्भ करना चाहे तो उसके लिए विभिन्न विभागों में तालमेल होनी चाहिए और इन उद्यमियों को कार्य आरम्भ करने के लिए तैयार शुदा संवेष्टित

कार्यक्रम देना चाहिये। ग्राम्य औद्योगीकरण के बारे में मंत्री महोदय ने जो जोर दिया है वह तभी व्यवहार्य हो सकता है यदि समुचित योजना तैयार की जाये। औद्योगिक नीति की घोषणा करने के बाद सरकार को कार्यान्वियन कार्यक्रम तैयार करना चाहिये।

बेतुल में निरोध निर्माण करने के लिए लघु उद्योग खोला जाना था, लेकिन हमें सहसा बताया गया है कि इसे अब देहरादून में लगाया जायेगा। ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री बेदव्रत बरूआ (कलियाबोर) : इस देश में ऐसी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है जहां लघु उद्योग क्षेत्र को भारी उद्योगों से स्पर्धा करने की अनुमति दी जाये। इसे सहानुभूति तो बहुत दी गई है लेकिन कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई। हमारी अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र की बहुत दयनीय स्थिति है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति भी समझ से बाहर है। एक ओर तो विदेशी सहयोग का आदर किया जा रहा है और विदेशी तकनीक को जाने समझे बिना ही इसकी सराहना की जा रही है, जब कि किसी को यह जानकारी नहीं है कि इस देश के लिए इसका क्या अर्थ है। विदेशी पूंजी का स्वागत किया जा रहा है जबकि यह पता है कि विदेशी कम्पनियां पूंजी लेकर नहीं आती हैं। विदेशी तकनीक का यही अर्थ है कि वह शारीरिक श्रम के स्थान पर मशीनें लाती हैं क्योंकि विदेशी कम्पनियों को समेकित तकनीक में कोई रुचि नहीं होती, जिसके माध्यम से श्रमिक बहुल उद्योग स्थापित किए गए हैं। ऐसी विदेशी तकनीक का स्वागत किया जा रहा है।

[श्री सत्यनारायण राव पीठासीन हुए
SHRI SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

सन्तोष की बात है कि इन कम्पनियों को देश छोड़ने के लिए कहा जायेगा क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं कि हम लघु उद्योग के लिए कुछ आरक्षित कर रहे हैं जहां कि बड़े उद्योग सम्पूर्ण लघु उद्योग क्षेत्र को समाप्त कर सकते हैं।

लाईसेंस नीति ऐसी है जिसमें केवल अनुसूचित उद्योग ही शामिल हैं। जहां तो गैर-अनुसूचित उद्योगों का संबंध है, वहां एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां क्षेत्र में आ जाती है। जब कि एक मशीन बनाने के लिए लाईसेंस की आवश्यकता पड़ती है वहां 'टूथ पेस्ट' बनाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। 1966 में मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था कि जो उद्योग 40 प्रतिशत साम्य पूंजी लगाकर किसी विदेशी कम्पनी से साम्य सहयोग करेगा तो उसके लिए मंत्रिमंडल की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अतः इस प्रक्रिया के द्वारा 40 प्रतिशत से कम वाले सभी तकनीकी एवं साम्य सहयोग वाले विदेशी सहयोग कम्पनियां इसके अन्तर्गत आ गई है। अब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अधिकांश मामलों में 40 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी के लिए भी अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः सभी विदेशी सहयोगों की सरकार को जानकारी नहीं है। जब तक मंत्री महोदय इसके बारे में जानना न चाहें इसका निबटारा विदेशी निवेश बोर्ड और पूंजी गत सामान सम्बन्धी समिति और अन्य समितियों में ही हो जाता है। मंत्री महोदय के पास उनके बारे में जानकारी पाने का कोई साधन नहीं है जब तक कि वे उस ओर विशेष ध्यान दें। कांग्रेस सरकार के जमाने में ऐसा हुआ ऐसा अब नहीं होगा। ऐसी बातों को समाप्त करने के लिए एक वर्ष पर्याप्त होना चाहिये। लघु उद्योगों के लिए आरक्षण का कोई प्रश्न ही नहीं है। लघु उद्योगों को बिना किसी हस्तक्षेप के पूरी छूट दी जाएं। उन्हें वित्त और कच्चा माल चाहिये, जो उन्हें नहीं मिलता।

[श्री वेदव्रत बरूआ]

विदेशी कम्पनियों के एजेंटों को गोल माल करके इन कम्पनियों को खरीदने की अनुमति देने के बजाय विदेशी मुद्रा के भण्डार का उपयोग विदेशी कम्पनियों के शेयर खरीदने में करना चाहिए। इस स्थानान्तरण से एकाधिकार मजबूत हो रहे हैं और देश कोई मदद नहीं मिल रही है।

विदेशी मुद्रा भण्डार का उपयोग घड़ी उद्योग की सहायता करने में किया जा सकता है।

औद्योगिक क्षेत्र और निवेश के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई है। सरकार रियायतें दे रही है। ब्याज की दरें घटा दी गई है। फिर सरकार उद्योग को बदलने की धारा भी जोड़ी है। यह उचित कदम नहीं है। बड़े औद्योगिक गृह बढ़ रहे हैं। परन्तु उन्हें एकाधिकार होने से रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए।

इस देश में कोई भी किसी भी वस्तु का किसी भी संभव तरीके से बिना सत्य की परवाह किए विज्ञापन कर सकता है। अन्य देशों में विज्ञापनों को विनियमित किया जाता है और झूठे विज्ञापनों पर दण्ड दिया जाता है। लघु उद्योग कम से कम लागत पर सामान बनाने पर भी विज्ञापन की बड़ी लागत के कारण प्रगति नहीं कर सकते यदि हम स्थानीय क्षेत्र में ही माल बेचना चाहते हैं तो हमें विज्ञापन भी इसी प्रकार स्थानीय करना चाहिए। हमें उद्योगों में लागत के प्रति जागरुक रहने की भावना पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिए। मंत्री महोदय इस संबंध में अवश्य कुछ करें।

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur): Mr. Chairman, The Minister of Industries deserves compliments because people are expecting a revolutionary change in the industrial sector under his stewardship. The annual report of the Ministry has made a mention of 26 industries of different kinds but it is painful to see that there is no industry allocated for Bihar.

North Bihar is a very poor and backward region and no industry has been set up there so far. So, the banana industry can be set up at Vaishali or Hajipur. Similarly, a factory can be set up there to utilise tobacco plants. The Ashok Paper Mill at Hayaghat in Madhubani should be reopened.

According to official figures, 40 percent of the people are living below poverty line and so, necessary steps should be taken to improve their condition.

It is the implementation of policies that is most important. The Ministry should see that their policies are so implemented as to provide maximum employment to people of North Bihar.

Heavy industries should be given adequate encouragement, but a criterion should be laid down that heavy industry would not be allowed to operate where a cottage industry or a small scale industry is functioning. Some priority should be given in regard to granting permission to start new industries. A clear policy should be laid down in this regard. Government should also arrange for markets for the products produced in the small scale industry sector.

As regards removal of unemployment, one cottage industry should be started under each Village Panchayat covering a population of five thousand people ensuring employment to at least one hundred persons.

The production of certain articles such as HMT watches, is quite satisfactory, but they should be produced on a large scale in the country, so that people may not feel the scarcity of those articles within the country.

श्री पूर्णा नारायण सिन्हा (तेजपुर) : देश में औद्योगिक विकास के लिए भूतपूर्व सरकार द्वारा चली आ रही पुरानी नीति में परिवर्तन करने के लिए मैं उद्योग मंत्री को बधाई देना चाहता हूं।

23 दिसम्बर, 1977 को औद्योगिक विकास सम्बन्धी दिये गये वक्तव्य का लगभग सम्पूर्ण देश में स्वागत किया गया। सरकार द्वारा बड़े उद्योगों की अपेक्षा छोटे उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देने के कदम का भी स्वागत किया गया। परन्तु इसके साथ ही सरकार बड़े उद्योगों के महत्व को दृष्टि-गोचर नहीं कर सकती।

जहां तक देश में तकनीकी विकास का प्रश्न है, उसके बारे में यह कहा गया है कि सरकार उपलब्ध तकनीक को सीधे ही खरीद लेना अधिक पसंद करेगी। मंत्रालय के कार्यकरण सम्बन्धी बजट में सरकारी क्षेत्र में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया गया है। गैर-सरकारी क्षेत्र के टाटा, बिड़ला आदि के उद्योगों पर भली ही सरकार का पूर्ण नियंत्रण न हो परन्तु सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का एक ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार किया जाना चाहिये जिसका कार्यकरण अच्छा हो तथा जिससे अधिक अच्छे परिणाम उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही सम्पूर्ण मानवीय शक्ति के उसमें पूर्ण रूप से लग जाने तथा उन्हें प्ररित करने की व्यवस्था भी होनी चाहिये। वर्ष 1977-78 में सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योगों में 161,199 लोगों को रोजगार प्राप्त करवाया गया। अब सरकार का यह अनुमान है कि 1166 करोड़ के उत्पादन के फलस्वरूप जनशक्ति के उपयोग में 9561 व्यक्तियों की वृद्धि होगी। यह अधिक प्रोत्साहन देने वाली बात नहीं है।

भारी उद्योगों म काफी अधिक पूंजी निवेश की बावजूद की श्रम कि समस्या तथा बिजली की कटौती का काफी कुप्रभाव पड़ा। श्रमिक असंतोष तथा हड़तालों आदि से बचने के लिये यह जरूरी है कि श्रम मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बीच समचित समन्वय हो।

यह बहुत ही विचित्र बात है कि आये दिन 40,000 करोड़ रुपए के प्राकृतिक गैस जल रही है। इससे देश को भारी हानि हो रही है। इस शक्ति से देश में कई उद्योग चलाये जा सकते हैं परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। लगभग पिछले 10 वर्षों से इस प्राकृतिक गैस ने बाहर आना शुरू कर दिया था परन्तु आज तक इससे कोई लाभ नहीं उठाया गया है। देश में कच्चा सामान काफी मात्रा में अब उपलब्ध है परन्तु उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (दुर्गापुर): औद्योगिक विकास की गति हमारी आशाओं के अनुसार नहीं रही। दूसरे शब्दों में औद्योगिक विकास में मन्दी रही है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति न होने का कारण हमारी परम्परागत आर्थिक नीति ही है। हमारी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी शिकंजे का शिकार बन गयी जिसके फलस्वरूप हमारे उद्योग विकसित नहीं हो सके। भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने बड़े बड़े एकाधिकार गृहों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा विदेशी पूंजीवादियों का संरक्षण किया। और उन्हें प्रोत्साहित किया। देश के एकाधिकार गृह तथा विदेशी पूंजीपति देश को लूटते रहे। ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम हो गयी। अपना उत्पादन बाजार में कम आता गया। इन बातों के फलस्वरूप औद्योगिक विकास का स्तर आशा के अनुसार नहीं रहा। इससे औद्योगिक प्रगति के लिये बाधा पैदा हो गयी। इस स्थिति से छुटकर पाने के लिए हमें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों की क्रय शक्ति को

*बंगला भाषा मे दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

[श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर]

बढ़ाना होगा और हमें अपनी मार्केटों का विस्तार करने के लिये भी कदम उठाने पड़ेंगे ऐसा करने के बजाये बड़े बड़े उद्योगपतियों तथा विदेशी पूंजीपतियों को अधिक रियायतें तथा सुविधायें दी जा रही हैं। जब तक बुनियादी परिवर्तन नहीं किये जाते, उस समय तक हम इस संकट से नहीं बच सकते।

प्रगतिशील भूमि सुधारों का किया जाना भी आवश्यक है। जमीन उसी को दी जाये जो उसमें खती करे। देश के एकाधिकारगृहों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा विदेशी पूंजीपतियों द्वारा की जा रही लूट बंद की जानी चाहिये। जब तक अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन नहीं किये जाते, उस समय तक बरोजगारी की विकट समस्या दस सालों तक हल नहीं हो सकती, जिसके लिये जनता सरकार वचनबद्ध है।

हम देखते हैं कि आज अनेक उद्योग संकटग्रस्त होते जा रहे हैं जिसका कारण यह है कि उद्योगपति उनका अधिकाधिक शोषण कर रहे हैं। उद्योगों के संगटग्रस्त होने के बुनियादी कारणों का पता लगाना होगा। कई संकटग्रस्त एककों के लिये सरकार ने बहुत राशि लगायी है लेकिन फिर भी उनमें घाटा ही हो रहा है। ऐसा अनिश्चित काल तक नहीं होने देना चाहिये। अतः सरकार को उसी समय हस्तक्षेप करना चाहिये जब किसी उद्योग में संकटग्रस्त होने के लक्षण नज़र आये।

उद्योगों के संकटग्रस्त होने के कारणों का विस्तृत अध्ययन करने के लिये एक समिति का गठन किया जाये। इससे सरकार उद्योगों को संकटग्रस्त होने से बचाने के लिये पहले ही हस्तक्षेप करने की स्थिति में हो जायेगी। पश्चिम बंगाल में भी स्वार्थी प्रबन्ध पटसन उद्योगों को संकटग्रस्त बना रहे हैं। इस उद्योग में कई वर्षों से कोई आधुनिकीकरण नहीं हुआ। लाखों पटसन उत्पादकों के भाग्य इस उद्योग से जुड़े हैं। इस स्थिति का समाधान करने के लिये प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गये तो पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि सारे देश को एक अपूर्व आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। हम जानना चाहते हैं कि पटसन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

हमारी अपनी मार्केट सिकुड़ रही है क्योंकि हमारे उद्योगपति कम उत्पादन तथा जमाखोरी द्वारा बनावटी कमी पैदा कर रहे हैं। जिसके फलस्वरूप बाजारों में भाव बढ़ रहे हैं। कपड़ा उद्योग में भी यही स्थिति व्याप्त है। सरकार को कपड़ा उद्योग में सुधार करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने पर विचार करना चाहिये।

मंत्री महोदय ने कहा है कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अधिकांश छोटे उद्योगों में ही किया जायेगा। यह बात अच्छी है कि इस प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की सूची बढ़कर 180 से 500 हो गयी है। यदि सरकार छोटे उद्योगों को प्रभावशाली ढंग से बचाना चाहती है तो कच्चे माल की सप्लायी, वित्तीय सहायता देने तथा उन्हें मार्केटिंग सुविधायें देने के लिये सरकार के पास एक समेकित नीति होनी चाहिए। बड़े बड़े गैर सरकारी उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने हेतु वहां ले जाने के लिए सरकारी खजाने से सुविधायें देते संबंधी नीति गलत है। वास्तव में सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। विदेशी कम्पनियों को उपभोक्ता वस्तुयें बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

पोलिस्टर फिलामेंट धागे का उत्पादन छोटे क्षेत्र के उद्योगों के लिये आरक्षित था। लेकिन पिछले दिसम्बर में सूती कपड़ा उद्योगों को इसे बनाने के लिये खुले लाईसेंस दिये गये। इससे छोटे उद्योगों को बड़ा धक्का लगा है। इसे तुरन्त बंद किया जाना चाहिये। एम०एम०सी० ने हाल में अपने उत्पादन का

विविधीकरण किया है और अब यह कोयले की मशीनरी का निर्माण करता है। सरकार को कोयले की मशीनरी का क्रयादेश एम०एम०सी० को देना चाहिये और इसका आयात नहीं होना चाहिये।

दुर्गापुर में विद्यमान छोटे उद्योगों के विकास के लिये अनेक अवसर हैं। यदि दुर्गापुर में सहायक उद्योग खोले जाते हैं तो छोटे उद्योग न्यूनतम लागत पर अच्छी चीजों का उत्पादन कर सकते हैं। उद्योग मंत्री को इस्पात मंत्रालय से बात करनी चाहिये और यह पता लगाना चाहिये कि इन छोटे उद्योगों को किस रूप में यथासम्भव सहायता दी जा सकती है। इससे पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये भी सहायता मिलेगी।

बांकुरा तथा पुर्णिया पश्चिम बंगाल के दो पिछड़े तथा सूखाग्रस्त जिले हैं। यदि इन जिलों में सहायक तथा छोटे उद्योगों का विकास किया जाये तो इससे सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार को इन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

Dr. Baldev Prakash (Amritsar): Sir I rise to support the demands for grants in respect of Ministry of Industry. The Janata Government has given a new direction to our industrial policy pursued during the last thirty years. It is hoped the new industry policy will lead to industrial revolution in the country.

During the last 30 years corruption was widely rampant. People had to spend lakhs of rupees to get a licence which was sold in the market. Now there is no corruption in the matter of issue of licence. The procedure of grant of licence has been simplified. The administration has been streamlined. Not only backlog of licence cases have been cleared but out of 1545 fresh licence applications 98 per cent have been disposed of. This is a commendable achievement.

According to the new industrial policy 500 items have been reserved for small scale sector. Implementations of this policy is of crucial importance. We should have a time bound programme for increasing the share of small scale sector in the manufacture of these 500 items.

We have said that the problem of unemployment will be solved within 10 years. There should be a time bound programme for providing jobs to the unemployed.

In Amritsar there are woollen industrial units. The industry is being destroyed because of lack of protection. The Government should reserve manufacture of woollen cloth or blankets etc. of a certain price for the small scale units. Similarly manufacture of certain woollen items should be reserved for handloom sector. In Amritsar handloom units are suffering because no protection has been given to them. The Government should take effective steps to give protection to these units.

The small scale sector units import rags to be used as raw material. They have to pay the same custom duty as organised sector units pay. How can these small scale units compete with the large units? The small scale units and handloom units should be given some relief in custom duty for importing rags.

A crash programme for ruralising industry has been prepared and it has been decided to have a district manager and a district industrial centre in 400 districts. The success of our industrial policy will depend upon the implementation of this programme. The Government should make an all out effort for successful implementation of this programme. The next year's report should give details about the implementation of this programme.

[Dr. Baldeo Prakash]

The hold of monopolist on the industrial policy of this country which have been there have not been loosened. The monopolists have vast resources and they get things done in the manner they liked. Certain people have monopoly in the manufacture of fibre. The art silk industry in Amritsar has been ruined because they are not getting the fibre. The Government should set up spinning plants in the nationalised sector and provide raw material to these units. The Government should also deal strictly with the monopolists.

There should be coordination between the Industry Ministry and the Finance Ministry so that whatever concessions are given to small scale sector are not taken away by imposition of certain duties.

There has been shortage of cement, for quite some time. Production of cement, steel. power etc. which is very essential for industries should be taken up on war footing. With these words I conclude.

Shri Durga Chand (Kangra) : The Janata Government has given a new direction to our industrial policy. It is hoped that hilly areas and backward areas will also receive due attention from the Government.

Himachal Pradesh has been neglected so far as setting up of industries is concerned. There are huge stocks of lime stone in Himachal Pradesh. A cement factory should soon be set up at Dharamkot.

Himachal Pradesh is rich in natural resources. There is great potential for setting up of forest based industries. A fertilizer factory can also be set up. Due attention should be paid to this matter.

There is need for setting up small scale units in rural areas. If we are able to achieve this, only then it will be possible to provide employment to people in rural areas.

Power shortage also adversely affected industries there is great potential for power generation in Himachal Pradesh. The Industry Ministry in coordination with Energy Ministry should pay attention to this matter.

There is scope for setting up woollen industrial units in Himachal Pradesh. A H.M.T. unit should also be set up, Fruit canning industry, resine industry and paper industry can also be developed there.

There is great potential for utilising salt deposits in Mandi. The work of salt manufacture should be taken up in a big way.

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : सवाई माधोपुर सीमेंट कारखाने के प्रबंधको को हटाने के लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र है । यह सीमेन्ट का देश भर में सबसे बड़ा एकक है और सरकार को इसे अपने दाय में लेना चाहिए ।

लाइसेंस देने में देरी नहीं की जाना चाहिए । मंत्री महोदय को यह पता कर लेना चाहिए कि इस दिशा में क्या औपचारिक उपाय किए जाने चाहिए । लोगों की यह भी शिकायत हैं कि कई आवेदन पत्रों को बिना किसी विशष कारण के ही रद्द कर दिया जाता है दस्तावेजों को पूरी तरह भरने के लिए लोगों को अपेक्षित मार्ग दर्शन किया जाना चाहिए ।

जब भी कोई उद्योग आरंभ किया जाता है उसे समय पर पूरा नही किया जाता । काफी देरी कर दी जाती है । केरल न्यूजप्रिंट परियोजना तथा नागालैंड पल्प और पेपर परियोजना में काफी देरी हो गई है । इस दिशा में पग उठाए जाने चाहिए । ताकि ऐसी चीजों में देरी न हो ।

कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनकी पूरी क्षमता का प्रयोग नही हो रहा । हमे इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी कि ऐसा न हो । उद्योग मंत्रालय का उर्जा मंत्रालय से पूरी तरह समन्वय होना चाहिए ।

देश में जिन उपभोक्ता-वस्तुओं की आवश्यकता है उन्हें देश में ही तैयार करना चाहिए । आयात वाली वस्तुओं को जिनके उत्पादन में कमी की जा सकती हो, ऐसी चीज़ों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

आज गुड़ बहुत फालतू है जिससे गुड़ के मूल्य कम होते जा रहे हैं । कुछ कृषि उद्योगों का इस तरह से विकास किया जाए कि वे गुड़ का प्रयोग करे । जब भी कृषि उत्पादन अधिक हो तो हमें यह देखना चाहिए कि इन उत्पादनो को औद्योगिक उपयोग में लाया जाए । यदि कृषि उद्योगों का विकास किया जाए तो कृषि उत्पादों एवं वस्तुओं के मूल्य भी स्थिर किए जाएं इस मामले की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

आंध्र प्रदेश में सात या आठ ऐसी ऐजेंसियां है जिनसे वहां ऐसा उद्योग स्थापित करने के लिए कहा गया है । इससे जनता के लिए बहुत कठिनाई पैदा हो गई है । अत: एक ही ऐजन्सी होनी चाहिए ताकि कोई कार्य पूरा हो सके ।

किसी भी सरकार द्वारा सभी शिक्षित बेरोजगार लोगों को नौकरी देना सम्भव नहीं है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक स्वत: रोजगार योजना शुरू की गई लेकिन इस संबंध में भी कई कठिनायों समक्ष आ रही हैं । उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को बैंक ऋण नही दे रहे है जबकि इनके आवेदन पत्रों पर उद्योग मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दी है । आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में इस आशय के हजारो आवेदन पत्र भजे गए है लेकिन 100 व्यक्तियों को भी ऋण नही मिला है । उद्योग मंत्री को यह मामला वित्त मंत्री के पास भेजना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लोगों को कम ब्याज दर पर और आसान किश्तों पर ऋण दिया जाए ।

सन्तोष का विषय है कि मंत्री महोदय छोटे सीमेंट के उद्योग आरंभ करने के बारे में सोच रहे हैं उन्होंने ऐसे दो सीमेंट के कारखाने आंध्र प्रदेश में आरंभ करने की अनुमति दे दी है लेकिन यह पर्याप्त नही है । देश में जितने अधिक कारखाने खोले जाए उतना ही अच्छा रहेगा ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कुछ मौसम में वर्षा न होने के कारण बेरोजगारी फैल जाती है । जब भी वर्षा वहां नही होती है वहां लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं । अत: सूखाग्रस्त क्षत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । इन क्षेत्रों को पहले ही देख लिया गया है और वहां उद्योग खोलना बहुत सुगम हो गया है । वहां आवश्यक सर्वेक्षण कराया जाए और उद्योग धन्धे आरंभ किए जाए ।

हमे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग आरंभ करने के लिए आवश्यक मूलभूत ढांचे की व्यवस्था करनी होगी । अन्यथा गोवों में उद्योग नहीं खोले जा सकते । केरल में ऐसा परीक्षण किया जा रहा है वहाँ 100 छोटे उद्योग एस्टेट और 10 औद्योगिक एककों की एक स्थान पर स्थापना की गई है । इसी प्रकार देश भर में ऐसे औद्योगिक एकक बनाएं जा सकते हैं । खादी तथा ग्रामोद्योग सुचारू ढंग

[श्री पी० राजगोपाल नायडू]

से काम नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी भी यह बात जानते हैं। उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए और उन्हें सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। जिन कुशल व्यक्तियों को गांवों के विकास में रुचि है, उन्हें ऋण देने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश को 6 करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया है, किन्तु अभी उन्हें धन दिया नहीं जा रहा हैं।

औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नही है। कारखानों के मालिक मनमाने ढंग से कीमतें बढ़ा देते हैं और मूल्यों में वृद्धि के कारण कई और कठिनाईयां उत्पन्न हो जाती हैं।

मंत्री महोदय ने कहा है कि पिछली सरकार के राज्य में दमन के कारण श्रमिक असन्तोष रहा है। खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं, जो श्रमिकों के लिए अनिवार्य थे, के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण ही यह असंतोष हुआ है। ऐसी अशांति इस कारण भी है क्योंकि मिल मालिकों को श्रमिकों का शोषण करने की पूरी छूट दी गई है। जब तक ये कारण दूर नहीं किए जाते वहां श्रमिक अशांति और असन्तोष रहेगा।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : उद्योग मंत्री ने लोक सभा में एक वक्तव्य दिया था जिसका उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास की दिशा निर्देश करना है। उनका वक्तव्य संसद द्वारा संकल्प के रुप में पास किए गए 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प को नही बदल सकता।

हमारे देश में आरम्भ से हो सत्ताधारी दल ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। पूंजीवादी विकास का मार्ग, अश्रित अथवा स्वतंत्र, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तर कायम रखता है, बरोजगार बढ़ाता है, एकाधिकार को बढ़ावा देता है और धनिकों और निर्धनों के बीच अन्तर बढ़ाता है। यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि नई सरकार गैर पूंजीवादी विकास मार्ग को प्रशस्त केरेगी वस्तुत : जनता पार्टी के भीतर दल गत सम्बन्ध बने हुए है और पिछले एक वर्ष के दौरान अपनाई गई नीतियों और उठाये गए कदमों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह स्वतंत्र विकास की दिशा से भी हट गई है।

कुटीर और लघु उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित करने की नीति से मुख्यतया सरकारी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अधिकांश मूल तथा भारी उद्योग इसी क्षेत्र में है। गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ छेड़-छाड़ नहीं होनी चाहिये क्योंकि इसमें अधिकांशतया उपभोक्ता वस्तुएं आती हैं।

नारियल जटा केरल का मुख्य और पारम्परिक उद्योग है। यह वास्तव में कुटीर उद्योग है लेकिन चटाई बनाने के क्षेत्र का यंत्रीकरण किया जा रहा है। एक गैर-सरकारो उद्यमी को टूटीकोरीन में चटाई बनाने का कारखाना खोलने के लिए लाइसेंस दिया गया है। केरल सरकार को इसकी जानकारी नही है? नारियल जटा बोर्ड ने भी इसके लिए सहमति नही दी है। क्योंकि एक बड़ा और यंत्रीकृत कारखाना टूटीकोरीन के निकट बन रहा है। इसलिए लोगों की एक बडी संख्या बेरोजगार हो जायेगी। नारियल जटा बोर्ड और सम्बन्धित मंत्रालय की जानकारी के बिना यह कैसे सम्भव हुआ? स्वीकृत नीति के विरुध्द लाइसेंस देने की ओर मंत्री जी ध्यान दें।

मत्स्य पालन को गांवों पर आधारित उद्योग माना गया है और हजारों लोग इस काम में लगे हैं। ऐसा पता चला है कि सरकार ने बहुराष्ट्रीय निगमों और बड़े एकाधिकारियों को गहरे समुद्र में मछली पकडने के लिए लाइसेंस दिया है। मंत्री जी इस ओर ध्यान देकर उपाय करें।

Shri Yamuna Prasad Shastri (Rewa): The Industries Minister has taken a courageous step in removing irregularities in the existing industrial policy. He deserves congratulations for this. The results of the industrial policy followed in the past are before the country. Our country has lagged behind in the matter of industrial development, whereas other countries in the world have made tremendous progress in this field.

The purchasing power of the people should have increased. The problem of unemployment should have been solved to some extent and the basic needs of the people should have been met. These should have been the three results of industrial development, but it is regrettable that none of these aims could be achieved.

In the year 1962-63, there were about 218 million people living below poverty line whereas today about 387 million people are living below poverty line. In 1952 the people in rural areas used to remain without work for 10 days in a year whereas today they have to remain without work for 140 days in a year.

Our present Industry Minister has gone deep into the problems being faced by the country and he has devised a new policy to solve these problems. He has accepted the principle that the only way to increase the purchasing power of the people and to remove poverty from the country is that small scale industries should be set up in rural areas. Village industries should be encouraged so that people could get employment opportunities and thus may meet their basic needs.

According to the census conducted in 1901, 74 per cent of our population was dependent on agriculture and today also near about 74 per cent population depends on agriculture. Until we reduce the burden on the land, we cannot develop our country and cannot increase the purchasing power of our people. In order to shift people from agriculture sector to other fields, it is essential to set up industries in rural areas. By setting up industries in rural areas the rural population might get employment opportunities. The Minister has taken steps in this direction. Government havé reserved 504 items for small scale industries. It is a bold step. But this is not sufficient. There is need to make efforts to implement these measures.

The Khadi and Village Industries Commission has done appreciable work. It is imperative to make this Commission more active. The persons interested in the development of khadi and village industries should be appointed in State Khadi and Village Industry Boards so that they may develop these industries.

The Monopoly and Restrictive Trade Practice Commission has failed to Control the increasing monopoly in the country. Serious thought should be given to this aspect.

It is a matter of regret that there has been decline in the industrial production during the last one year. We should seriously think over it and ascertain the reasons responsible for it. There should be proper coordination between the Industry Ministry and the Labour Ministry. The workers' participation in industries should be practical. A feeling should be created in their mind that they are part and parcel of an industry and that is their own industry so that the industrial production could go up.

The regional imbalance has been increasing in the country for the last 30 years, which is fatal for our unity. Some parts of the country have been constantly neglected during the last 30 years and in few states there has been concentration of industries. Now the people are not going to tolerate such discrimination anymore.

The Eastern parts of Madhya Pradesh are rich in natural resources but those resources are not being utilized. No industry is being set up there. There is acute shortage of cement in the country. There is raw material in abundance in that area for manufacturing cement. Besides this there is good quality lime stone in large quantity. But no cement factory has been set up there. Similarly that area is rich in forest wealth, but no paper industry has been set up there. The Government says that this all is due to shortage of power. The biggest coal deposits have been found in Sidi district, but you have not done anything to make use of those coal deposits. If you set up industries near coal mines, the cost of production will be less and electricity will be available at cheaper rate. There is high potential of hydel power in Vindhya Pradesh. If a hydel power project is set up there, that can provide electricity to the entire country at the cheapest rate. Madhya Pradesh has been badly neglected. Iron ore is available in large quantity in Beladilla and that iron ore is exported to Japan but even a small plant is not being set up there.

Special attention should be paid to these areas. If you want to develop backward areas, you should set up public sector industries there.

We should not think of mixed economy. The country should be developed in a planned way.

The sugar mill owners have not given the price to the sugar cane producers fixed by Government, you should form Cooperative Societies of farmers in the sugar field. The work of production should be entrusted to the farmers. By doing so, we would be beginning a new era.

श्री एस० आर० दामाणी : कांग्रेस के कार्य काल में हुई औद्योगिक प्रगति की गति की आलोचना की गई है। परन्तु वह कांग्रेस का काल ही था जब उद्योगों के लिए पृष्ठ भूमि और आधार तैयार किया गया और उसी के कारण आज देश औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भर है और इंजीनियरिंग का सामान भी निर्यात कर रहा है। 1976–77 में हमारी औद्योगिक प्रगती की गति 10.6 प्रतिशत थी। परन्तु पिछले वर्ष 4 दिसम्बर तक यह गति 4 प्रतिशत रही और मुझे भय है कि इस वर्ष यह प्रतिशत से भी कम होगी। जो गति कभी 10.6 प्रतिशत थी उसे गिर कर 4 प्रतिशत होने के क्या कारण है ?

भारी उद्योगों में 1976–77 में 829 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ और लाभ 65 करोड़ रुपये का रहा। 1977–78 का लक्ष्य 1,013 करोड़ रुपये का है, परन्तु 10 महीनों में 450 करोड़ रुपये का ही उत्पादन हुआ है। इसका अर्थ है घाटा रहेगा। उत्पादन में गिरावट का क्या कारण है।

औद्योगिक असंतोष और बिजली की कमी की समस्या के हल के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। ऐसा किए बिना उत्पादन नहीं बढ़ सकता। उद्योग और श्रम मंत्रालय एक ही मंत्री के अधीन रखे जाएं। ऐसा करने से कार्य कुशलता बढेगी, अधिक सहयोग हो सकेगा तथा श्रमिक विवाद कम होंगे।

लघु उद्योगों के विस्तार, उद्योगों को बढ़ाने तथा अधिक रोजगार पैदा करने के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है। परन्तु इस सम्बन्ध में किया क्या गया है ? एक ओर तो उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है जिससे मूल्य बढ़ेगें और दूसरी ओर अनिवार्य जमा की दरें बढ़ाई जा रही है जिससे क्रय शक्ति बढ़ेगी और वस्तुओं की खपत कम होगी। यदि खपत कम होगी तब उद्योगों के सफलतापूर्वक चलने की आशा कैसे की जा सकती है।

लघु उद्योगों के उत्पादों की बिक्री के लिए कुछ नहीं किया गया है। यदि ये उद्योग अपने उत्पाद न बेच सके तो क्या वे लाभ कमा सकते है ?

इस लिए मेरा सुझाव है कि सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र और संगठित उद्योगों के कर्मचारियों के लिए किराया खरीद प्रणाली बड़े पैमाने पर चलाई जाये।

कपड़ा उद्योग की 170 मिलों की रुग्ण होने के कारण सरकार को अपने हाथ में ल लेना होगा। इसका मुख्य कारण नियंत्रित कपड़े का उत्पादन अनिवार्य करना है, जिसका मुल्य बहुत कम है। वास्तव में वह केवल कच्चे माल के मूल्य के बराबर है। इस कारण बहुत सी मिलें बन्द हो गई है। यदि इस नीति में परिवर्तन न किया गया तो बहुत सी मिलें बन्द हो जायेंगी। इस सम्बन्ध में एक दूसरा सुझाव यह है कि कपड़ा उद्योग को एक निश्चित मात्रा में अपना उत्पाद लागत मूल्य पर बेचने को कहा जाये, जिसका अनुमान उद्योग के बजाय सरकार का लागत लेखा विभाग लगाए। इससे वर्तमान नीति का कुप्रभाव समाप्त होगा और इतनी मिलों के बन्द होने से कर्मचारी बेकार नहीं होंगे।

कपास और जूट के मूल्यों में बड़ा उतार-चढ़ाव आता है जिसका उत्पादन लागत पर और उपभोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा है तो हम छः महीनों की आवश्यकता के लायक कपास और जूट का भण्डार क्यों न बनाएं।

उद्योग के रूग्ण होने का एक कारण आधुनिकीकरण का अभाव है। कहा गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आसान दरों पर ऋण देगा। परन्तु एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि छः महीने में 650 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रार्थना की गई और 147 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया और वास्तव में केवल 2 करोड़ रुपया लिया गया। यह बहुत ही असंतोषजनक है। ऋण के स्वीकृत होने पर उसके भुगतान में देरी क्यों ? इस प्रकार के उपाय किए जायें जिनसे भुगतान में स्वीकृति के बाद देरी न हो।

Shri Dharam Vir Vasisht: Sir, my constituency, Faridabad is a very big industrial city not only of Northern India or India as a whole but in entire Asia.

There is a mention of khadi and small industries. The small industries are of vital importance for the villages. Faridabad is very suitable for this because there are several villages around this city and there are nearly 1500 industrial units. Let small industries be set up in these villages. Mahatma Gandhi also favoured small units of industry. There are about 12 lakh people who are engaged in textile industry. If handloom industry is encouraged, more than one crore people will get employment.

[Shri Dharam Vir Vasisht]

Just as west has got technology we have got man power in abunda must be ensured that this man-power is properly utilized as a good num our population lives in villages, we will have to make the village artisans st on their own legs. The exodus to the cities should be stopped and the process should be reversed. We must provide electricity and other facilities in the villages so that small industries could be set up there. Only then the people will like to go to the villages.

According to the new industrial policy, more than 500 items have been included in small industries. Due encouragement has been given to khadi. This will help the people in going back to the villages.

It is a matter of pity that there are some people who believe that without big industries the country will have no future. It is difficult to agree with this notion. When the Taj Mahal and Qutub Minar were built, there was neither steel nor electricity in the world. Whatever was achieved, it was simply because of the will power and hard labour. So my submission is that let us not talk of big industries all the time. I am of the opinion that more and more small industries should be established.

श्री वयालार रवि (चिरंयिकील) : उद्योग मंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार करते है की उद्योग मंत्री की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है । देश की आर्थिक प्रगति तथा रोजगार के अवसरों बढ़ानेका दायित्व इसी मंत्रालय का है । परन्तु यदि इस मंत्रालय के कार्यकरण पर इस दृष्टि से वि किया जाय, तो निराशा ही होती है ।

इस सरकार की औद्योगिक नीति उद्देश्यहीन है । सरकार ने बड़े उंचे शब्दों में दावा किया है f 10 वर्षों में बेरोजगारी दूर कर दी जायगी । परन्तु वास्तविक स्थिति इसके पूर्णतया विपरीत सरकार की नीति के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है ।

आज देश में 30 लाख लोग बीड़ी उद्योग में लगे हुये हैं । यह एक छोटा उद्योग है । सरकार ने अब इस उद्योग पर नया कर लगा दिया है । केवल सिगरेट उद्योग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है ताकि बीड़ी उद्योग को समाप्त किया जा सके । अतः वर्तमान सरकार बजाये रोज़गार बढ़ाने के बेरोज़गारी बढ़ाने में लगी हुई है ।

सभापति महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रखें । अब सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात, लोक सभा बुधवार, 29 मार्च, 1978/8 चैत्र, 1900 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, March 29, 1978/Chaitra 8, 1900 (Saka).